37वीं वार्षिक रिपोर्ट | 2017-18

वैश्विक मापदंड से बेहतर कार्य-निष्पादन

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

एक नवरत्न लोक उद्यम

परिकल्पना

एल्यूमिनियम मूल्य शृंखला
के देशीय एवं वैश्विक दोनो उत्खनन में
महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करते हुए
धातु एवं ऊर्जा के क्षेत्र में
प्रधान और एकीकृत कम्पनी बनना

यह वर्ष एक नज़र में

विवरण	एकक	2017-18
भौतिक		
बॉक्साइट	मे. ट.	70,25,109
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे. ट.	21,05,500
एल्यूमिनियम	मे. ट.	4,25,515
विद्युत (शुद्ध)	मि. यू.	6,547
पवन ऊर्जा	मि.यू.	252
वित्तीय		
निर्यात कारोबार	₹ करोड़ में	4,075
सकल विक्रय	₹ करोड़ में	9,505
कर-पूर्व लाभ	₹ करोड़ में	2,039
कर-पश्चात लाभ	₹ करोड़ में	1,342
प्रति शेयर आय	₹	6.94
प्रति शेयर बही मूल्य	₹	54.35
लाभांश	₹ प्रति शेयर	5.70

विषय सूची

यह वर्ष एक नज़र में	1
निदेशकों की रिपोर्ट	9
नि.सा.उ. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	25
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	28
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	41
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय की रिपोर्ट	57
निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	62
वार्षिक प्रतिफल का सार	84
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	90
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (स्व-चलित)	98
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (समेकित)	152
5 वर्षों के कार्य-निष्पादन पर एक नजर - भौतिक एवं वित्तीय	207
कार्यालय एवं ग्राहक संपर्क केन्द्र	210

पंजीकृत कार्यालय एवं निगमित कार्यालय
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर- 751 013, ओड़िशा
टेलीफोन. : 0674-2301989-99,
ईमेल: company_secretary@nalcoindia.co.in
वेबसाईट : www.nalcoindia.com

37वीं वार्षिक साधारण बैठक
बुधवार, 29 अगस्त, 2018 को सुबह 11.00 बजे
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751 013.

निदेशक मंडल

डॉ. तपन कुमार चान्द
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डॉ. तपन कुमार चान्द दिनांक 27.07.2015 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कम्पनी से जुड़े। डॉ. चान्द अत्यंत सक्षम एवं अनुभवी पेशेवर व्यक्ति हैं जिनके पास खनन और धातु क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है, जिनमें से 8 वर्ष कोयला एवं इस्पात क्षेत्र में निदेशक के रूप में कार्यकलापों को उन्होंने संभाला है।

उत्कृष्ट विद्वान और अपने विद्यार्थी काल में स्वर्ण पदक प्राप्त, उन्होंने स्लोवेनिया एवं क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एन्टरप्राइजेस में प्रशिक्षण लिया है। एक वृत्तिक के रूप में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

डॉ. चान्द ने हाल ही में "एल्यूमिनियम : द फ्यूचर मेटल" पुस्तक के द्वितीय संस्करण को पेश किया है, जो कि समग्र एल्यूमिनियम मूल्य शृंखला पर एक ही स्थान पर उपलब्ध जानकारियों के संग्रहालय जैसा है। उनकी पहले की पुस्तक 'एल्यूमिनियम : द स्ट्रेटेजिक मेटल' को अभियंताओं, उद्यमियों, अनुसंधान-कर्ताओं, शिक्षाविदों एवं निगम विश्व से भारी सराहना मिली थी।

उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन एवं राष्ट्र निर्माण में उनके असाधारण अंशदान के सम्मान में उन्हें उत्कल विश्वविद्यालय का उच्चतम सम्मान "डी.लिट." प्रदान किया गया है। झारखंड के माननीय राज्यपाल की ओर से उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स द्वारा गठित उच्चतम प्रबंधन पुरस्कार "रवि जे मथाई नेशनल फेलो अवार्ड" से भी सम्मानित किया गया। मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके विशिष्ट अंशदान के लिए उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से "द एचिवर्स ओड़िशा अवार्ड" एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की ओर से नेशनल फेलो अवार्ड से विभूषित किया गया। डॉ. चान्द भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग के संपूर्ण परिप्रेक्ष को प्रस्तुत करने वाली सर्वोच्च संस्था, एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं।

श्री के सी सामल
निदेशक (वित्त)

श्री के सी सामल 03.01.2014 से कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक साथी सदस्य श्री सामल के पास निगम लेखा, लेखा परीक्षा, कोषागार एवं विदेशी मुद्रा प्रबंधन, निवेश संबंध, बजट बनाने और नियंत्रण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ बहुविध वित्त एवं लेखा कार्यों में 3 दशकों से भी अधिक का अनुभव है। उन्होंने पूंजी पुनःनिर्माण, परियोजना वित्त, विदेशी ऋण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लागत प्रबंधन, निगम रणनीति आदि में प्रमुख भूमिका निभाई है।

वर्तमान में वे कंपनी की निगम आयोजना एवं रणनीतिक प्रबंधन गतिविधियों की कमान भी संभाल रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में, कंपनी की निगम योजना (2017-2032) विकिसत की गई है जिसमें अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतिक व्यवसाय पहल, कार्यात्मक परिवर्तन, सुधारात्मक उपायों के साथ जोखिम आकलन, निर्णय सहायक प्रणाली के विकास एवं सांगठनिक संरचना में व्यापक स्तरीय परिवर्तन पर गौर किया गया है।

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्
निदेशक (उत्पादन)

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम् 01.01.2015 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में कंपनी से जुड़े।

01.12.1960 को जन्मे, श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम् ने रसायन इंजीनियरिंग में बी.टेक पूरा करने के बाद नालको में स्नातक अभियंता प्रशिक्षु (जीईटी) के रूप में 1984 में योग किया था। नालको के साथ जुड़ी अपने तीन दशकों की दीर्घ सेवा के दौरान, श्री बालसुब्रमण्यम् ने एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अभिग्रहण से लेकर समावेशन तक महत्वपूर्ण योगदान किया। अपने व्यापक वृत्तिक अनुभव के साथ, जिसमें नालको के दोनों उत्पादन संकुलों में परियोजना कार्यान्वयन से संयंत्र परिचालन शामिल है, श्री बालसुब्रमण्यम् ने निदेशक (उत्पादन) के पद पर जुड़ने से पूर्व संगठन में अत्यन्त नाजुक एवं महत्वपूर्ण पदभार संभाले।

श्री बालसुब्रमण्यम् इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स (आई आई एम) के आजीवन सदस्य, फेडरेशन इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई) की प्रबंधन समिति के सदस्य एवं भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) की ओड़िशा शाखा के ऊर्जा पैनल के सदस्य भी हैं।

श्री बसन्त कुमार ठाकुर
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री बसन्त कुमार ठाकुर 04.07.2016 से कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) हैं।

19.12.1959 को जन्मे, श्री बसन्त कुमार ठाकुर पंजाब विश्वविद्यालय से इतिहास में डिग्री के साथ सामाजिक कार्यों में डिप्लोमाधारी हैं। उन्होंने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. में 1981 में अपनी आजीविका की शुरुआत की और नालको में निदेशक (मानव संसाधन) के पद पर जुड़ने के पूर्व, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, सालेम इत्पात संयंत्र समेत विभिन्न एककों में, राँची में अनुसंधान व विकास केन्द्र एवं नई दिल्ली में निगम कार्यालय में सेवारत रहे। श्री ठाकुर भर्ती, अवधारण, संघर्ष वियोजन, प्रबंध परिवर्तन, श्रमिक संबंध एवं हित प्रशासन सहित मानव संसाधन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव के साथ एक विशेषज्ञ वृत्तिक हैं। निगम संचार में उनके पास चार वर्षों का अनुभव है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में, सांगठनिक लक्ष्यों के समर्थन एवं सुदृढ़ करने की दिशा में व्यापक सांगठनिक रणनीतिक योजना संचालित करने के लिए, उन्होंने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मिलकर कार्य किया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में तीन दशकों के लम्बे कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन प्रणाली, समस्त मानव संसाधन कार्यकलापों की नीति और प्रक्रिया विकास, प्रशिक्षण, परामर्श, आयोजना, निदेशन और प्रबंधन को अद्यतन करते हुए मानव संसाधन विभाग के पुनः निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री ठाकुर एन.आई.पी.एम. के आजीवन सदस्य हैं।

निदेशक मंडल

श्री संजीव कुमार रॉय
निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)

श्री संजीव कुमार रॉय 03.02.2017 से कंपनी के निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) हैं।

श्री रॉय रामकृष्ण मिशन विद्यामंदिर, बेलुड़ मठ से बी.एससी (रसायन में ऑनर्स) और फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से रसायन इंजीनियरिंग विषय में बी.टेक और एम.टेक पूरा किया। वर्ष 1984 में उन्होंने नालको में स्नातक अभियंता प्रशिक्षु के रूप में अपनी आजीविका की शुरुआत की। वे कंपनी के एल्यूमिना परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में इस परियोजना के आरम्भ से ही तैनात थे, जहाँ उन्होंने महाप्रबंधक (परिशोधक) बनने के पूर्व दो चरणों के विस्तार कार्यक्रम सहित अनेक प्रमुख पदभार संभाले। तत्पश्चात् मई 2012 में कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक एवं विद्युत) के पद पर पदोन्नत होने के पूर्व वे अनुगुल में कंपनी के प्रद्रावक संयंत्र में महाप्रबंधक (प्रद्रावक) के पद पर तैनात थे। श्री रॉय अप्रैल, 2015 में कार्यपालक निदेशक (उत्पादन) के पद पर मुख्यालय भुवनेश्वर में तैनात हुए।

श्री रॉय अपने साथ संकल्पना से लेकर चालू करने तक परियोजनाओं के प्रबंधन के साथ-साथ कंपनी संयंत्र एवं प्रचलनों का व्यापक अनुभव लेकर आए हैं।

श्री प्रदीप कुमार मिश्र
निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री प्रदीप कुमार मिश्र 23.04.2018 को निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में कंपनी से जुड़े।

12.02.1961 को जन्मे, श्री प्रदीप कुमार मिश्र उत्कल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में वर्ष 1983 में उन्होंने प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में वृत्तिक आजीविका के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। वे विपणन प्रबंधन के क्षेत्र में अपने साथ गहन एवं विविध अनुभव लेकर आए हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में 35 वर्षों अपने सेवाकाल के दौरान वे भारतीय इस्पात प्राधिकरण के तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रबंधक बनने सहित विभिन्न पदों पर तैनात थे। उन्होंने कार्यपालक निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के समतल उत्पादों के घरेलू विपणन की अगुआई की। श्री मिश्र को भारतीय इस्पात प्राधिकरण में विपणन क्षेत्र में उनके असाधारण अंशदान के लिए गौरवान्वित जवाहर पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

डॉ. के. राजेश्वर राव
अंशकालिक सरकारी निदेशक

डॉ. के. राजेश्वर राव 19.02.2018 को निदेशक मंडल में अपर निदेशक के रूप में शामिल किये गए थे।

1 जुलाई, 1962 को जन्मे, डॉ. के. राजेश्वर राव के पास यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली से समाज विज्ञान में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी (पीएच.डी.) डिग्री है। उनका संबंध त्रिपुरा संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1988 बैच से है। वे वर्तमान में, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में अपर सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉ. के. राजेश्वर राव के पास केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं सार्वजिनक क्षेत्र की कंपनियों में कार्य करने का पर्याप्त अनुभव है।

श्री अनिल कुमार नायक
अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री अनिल कुमार नायक 27.03.2018 को अपर निदेशक के रूप में निदेशक मंडल में शामिल किया गया।

16.05.1962 को जन्मे, श्री अनिल कुमार नायक ने स्कूल ऑफ इंटरनैशनल स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली से राजनीति में एम.ए. एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के आइवरी कोस्ट में जातीयता एवं राजनीति विकास में एम.फिल पूरा किया है। वे 15 फरवरी, 1987 को भारतीय आयुध कारखाना सेवाएँ (आईओएफएस-1986 बैच) से जुड़े। अगस्त 2015 में श्रम मंत्रालय में मुख्य श्रम आयुक्त के रूप में जुड़ने के पूर्व 41 आयुध कारखानों से संलग्न संपूर्ण संगठन के औद्योगिक संबंधों का खयाल रखने के प्रयोजन से उप महानिदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड, कोलकाता के पद पर तैनात थे। उनके पास अन्य सरकारी विभागों अर्थात् 5 वें वेतन आयोग में अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव, बिहार और ओड़िशा के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ग्रे.1, खान मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। मार्च 2018 में उन्हें संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया। वे अपने साथ तकनीकी एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं।

श्री दीपंकर महन्त
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतन्त्र) निदेशक

श्री दीपंकर महन्त निदेशक-मंडल में 21.11.2015 से अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।

12 दिसम्बर, 1965 को जन्मे, श्री दीपंकर महन्त ने गौहाटी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. किया और लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन के उद्देश्य के साथ मेसर्स कोन्सोर्ट मार्केटिंग नामक एक उद्यमीय प्रयास आरम्भ किया। तत्पश्चात्, गौहाटी स्टॉक एक्सचेञ्ज में योगदान किया और भारतीय पूँजी बाजार से संबंधित विभिन्न क्षमताओं पर सेवा की। वे पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) में अपना कार्यान्वयन कर रही तथा गुणवत्तापूर्ण सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य वाली एक कंपनी, इकोनोमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोलाबोरेटिव (इंडिया) प्रा. लि., के प्रवर्तक निदेशक थे। वे गौहाटी के निकट एल.बी. एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक हाथ-निर्मित कागज एकक की डिजाइन बनाने और कार्यान्वयन में सलाहकार थे। एनईसी के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (आईटीआई) के नैदानिक अध्ययन एवं एन.ई.एच.एच.डी.सी. के लिए हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने वाले एक मार्केट कॉम्प्लेक्स का व्यवहार्यता अध्ययन एवं डी.पी.ई.पी. के लिए भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन, नेशनल बम्बू मिशन के लिए "असम में बाँस और बाँस के उत्पादों" पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम के लिए "असम में ईंट क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन" जैसी परियोजनाओं में ये सह-परामर्शदाता भी रहे थे। इन्होंने विभिन्न क्षमताओं में एक स्वैच्छिक संगठन विवेकानंद केंद्र की भी सेवा की है और तत्पश्चात पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय सांस्कृतिक प्रलेखन एवं अनुसंधान पर एक विशिष्ट परियोजना, विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर (वीकेआईसी) के रिसर्च काउंसिल के सहयोगी निदेशक थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीएपीएआरटी (एनईजेड) को भी इन्होंने सेवा दी थी।

वर्तमान में, ये विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं जिनमें से विवेकानन्द केन्द्र और श्रीमंत फाउंडेशन फॉर कल्चर एवं सोसाइटी प्रमुख हैं। 'आत्मज्ञान और इसके प्रबन्धन' पर शिक्षण सत्रों के लिए वे एक विषय विशेषज्ञ और प्रशिक्षक भी हैं।

निदेशक मंडल

श्री एस. शंकररमण
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री एस. शंकररमण दिनांक 21.11.2015 से निदेशक-मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे।

19 मई, 1962 को जन्मे श्री एस. शंकररमण भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य हैं। श्री शंकररमण पेशियों के दुर्विकास से प्रभावित रहे हैं एवं 12 वर्ष की उम्र से व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में, ये विसक्षम एवं जरूरी सुविधाओं से वंचित लोगों की भलाई से जुड़े एक संस्थान अमर सेवा संगम के मानद सचिव हैं। वर्ष 1992 में अमर सेवा संगम से जुड़ने के पूर्व विभिन्न निगमित क्षेत्रों को व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करते हुए इन्होंने वर्ष 1985 में अपने कैरियर की शुरुआत की। अपने क्षेत्र में पुनर्वासन एवं विकास केंद्र के रूप में "अपंग व्यक्तियों के लिए स्थल" की स्थापना करते हुए एवं गाँव में जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए समाज के साथ अपंग व्यक्तियों को जोड़ने के उद्देश्य से स्व-सहायी पहलों के मॉडल विकसित करते हुए अपंग व्यक्तियों को सशक्त बनाना इनका लक्ष्य रहा है।

वे अपंग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक चैम्पियन हैं एवं इनका मानना है कि अपंगता कोई रोधक या बाध्यता नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जिसे पुनर्वासन एवं समर्थता के सही मेल से सुव्यवस्थित किया जा सकता है। आधुनिकतम बुनियादी सुविधाओं एवं हर उम्र, वर्ग एवं अपंगता की हर श्रेणी में उच्च दर्जे के पुनर्वासन कार्यक्रम की सुविधा से इन्होंने अपनी प्रेरणा से अमर सेवा संगम का विकास करके एक छोटी-सी शुरुआत की जिसे आज अपंग व्यक्तियों के पुनर्वासन क्षेत्र में सक्षम नेतृत्व के मौजूदा दर्जे तक पहुँचाया है। जन समुदायों को सम्मिलित करते हुए अपंग व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए नवीन मॉडल को विकसित करने में ये मार्गदर्शक रहे हैं एवं इनके पास एक अति विशिष्ट गाँव आधारित पुनर्वासन पहल है जिसे देश के सबसे बेहतर मॉडल में से एक होने की स्वीकृति मिली है। ये एनजीओ क्षेत्र के व्यावसायिकीकरण में विश्वास करते हैं एवं अमर सेवा संगम के सभी कार्यों को प्रणालियों एवं पद्धतियों से कम्प्यूटरीकृत किया है। इन्होंने विसक्षम क्षेत्र में कानून पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जिसके परिणामस्वरूप 1996 में भारतीय संसद में विसक्षम व्यक्ति अधिनियम तथा अन्य कई पारित हुए। ये विभिन्न मैराथन में हिस्सा लेते हैं, खास करके स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन में इसकी शुरुआत से ही हिस्सा ले रहे हैं एवं ऐसी गतिविधियों में अपंग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। देश भर के विभिन्न मंचों में अपंगता के अधिकारों पर इन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। गांधी ग्राम ट्रस्ट (कोषाध्यक्ष), गांधीग्राम, डिंडिगुल, मौलिक अधिकार के लिए सामूहिक कार्यवाही फाउंडेशन (मानद उपाध्यक्ष), बेंगळूरु, विसक्षम व्यक्तियों के लिए तमिलनाडु उद्विक्रम एसोसिएशन (स्थापक सदस्य), चेन्नै, नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टिपल डिजेबिलिटिज (सदस्य) सहित कई गैर-लाभकारी ट्रस्ट के सदस्य एवं निदेशक-मंडल सदस्य रहे हैं और लोकोमोटर विसक्षमता को उपस्थापित करने के लिए इन्हें 5 मई 2017 को तमिलनाडु स्टेट कमिशनरेट फॉर द डिफरेंटली एबल, चेन्नै का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्हें नवीकरण के लिए अशोक फेलोशिप से सम्मानित किया गया और उनकी सेवाओं की मान्यता स्वरूप राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से एक राज्य पुरस्कार और भारत के राष्ट्रपति से दो बार मिले राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं।

श्री प्रभात केशरी नायक
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री प्रभात केशरी नायक को 21.11.2015 को निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंन्त्र) निदेशक नियुक्त किया गया था।

श्री प्रभात केशरी नायक, पेशे से सनदी लेखापाल हैं और मेसर्स पी.के. नायक एण्ड कं. नामक एक अग्रणी सीए फर्म के वरिष्ठ साझेदार हैं, जहाँ वे सरकारी एवं निजी क्षेत्रों को बड़े स्तर पर व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करते हैं। उनका तीन दशकों से अधिक का व्यावसायिक अभ्यास है। उनकी विशद वित्तीय विशेषज्ञता एवं अनुभव सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों एवं कई निगमों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों भर में विख्यात है। वे ओड़िशा में सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनः संरचना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार पर एडम स्मिथ इंटरनेशनल, यूके के सलाहकार रहे हैं। वे विधि में डिग्री एवं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट (आईसीएआई) में डिप्लोमाधारी हैं।

उन्होंने सरकार के लिए लेखा परीक्षा हाथ में लेने एवं बड़े सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में स्वतंत्र लेखा परीक्षक के कार्य के अलावा युवा-उद्यमियों एवं स्टार्ट-अप्स का अग्र-सक्रिय रूप से मार्गदर्शन किया है। उन्होंने वित्त, कराधान और लेखा-परीक्षा से संबंधित कई राष्ट्रीय सेमिनारों एवं सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है।

प्रो. दामोदर आचार्य
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

प्रो. दामोदर आचार्य दिनांक 21.11.2015 को स्वतन्त्र निदेशक के रूप में निदेशक-मंडल से जुड़े थे।.

2 अप्रैल, 1949 को जन्मे, प्रो. दामोदर आचार्य के पास एनआईटी, राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, आईआईटी, खड़गपुर से मास्टर एवं पीएच.डी. डिग्री है। ये वर्ष 1976 में इसी संस्था में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फैकल्टी में शामिल हुए। इन्होंने संस्था की सभी जिम्मेदारियों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है,चाहे विभाग के प्रधान, अध्यक्ष जेईई, डीन (प्रायोजित रिसर्च एवं इंडस्ट्रियल कन्सल्टेंसी), कार्यपालक निदेशक एसटीईपी, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष या देश के सर्वप्रथम एवं बृहत्तम आई आई टी के निदेशक के रूप में।

बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर के रूप में, इन्होंने एक सुदृढ़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी एडुकेशन प्रणाली की बुनियाद रखी, जिसका अनुकरण अन्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे।

इन्होंने आईआईटी,भुवनेश्वर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एवं इसके प्रथम मेन्टर डायरेक्टर (परामर्शी निदेशक) थे। ये चार वर्ष तक भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक-मंडल में गैर-सरकारी निदेशक रहे और आरसीएफ में तीन वर्षों के लिए स्वतंत्र-निदेशक रहे।

प्रो. आचार्य छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के एक सदस्य हैं। ये इडको एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण के निदेशक-मंडल में भी हैं एवं एसओए विश्वविद्यालय के सलाहकारी निदेशक-मंडल के अध्यक्ष भी हैं।

निदेशक मंडल

श्री महेश्वर साहु
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री महेश्वर साहु दिनांक 21.11.2015 को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक के रूप में निदेशक-मंडल से जुड़े थे।

श्री महेश्वर साहु ने एनआईटी, राउरकेला से वर्ष 1977 में इलेक्ट्रिकल में बी.एससी. (इंजी) की है एवं वर्ष 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से एम.एससी.की। सन् 1980 में भारतीय प्रशासन सेवा (आईएएस) से जुड़े। वर्ष 2014 में अपर मुख्य सचिव, गुजरात सरकार के रूप में सेवा निवृत्त होने से पूर्व तीन दशकों से भी अधिक समय तक विभिन्न क्षमताओं में इन्होंने भारत सरकार एवं गुजरात सरकार की सेवा की है। ये 20 वर्षों से भी अधिक समय से उद्योग में एवं 10 वर्षों से भी अधिक समय से लोक उद्यमों के प्रबंधन की सक्रिय सेवा से जुड़े रहे हैं। इन्होंने युनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 वर्षों से अधिक समय के लिए कार्य किया। चार वाईब्रेंट गुजरात के आयोजनों में इन्होंने सक्रियता से जुड़े रहकर प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाई।

इन्होंने अनेक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक के रूप में सेवा दी है। ये कई राज्य लोक उद्यमों में अध्यक्ष/निदेशक भी थे। ये अब अनेक कंपनियों के साथ स्वतंत्र निदेशक/अध्यक्ष के रूप में जुड़े हुए हैं। रणनीतिक प्रबंधन, लोक प्रशासन, निगमित अभिशासन आदि इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शामिल हैं।

सुश्री किरण घई सिन्हा
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

सुश्री किरण घई सिन्हा दिनांक 03.02.2017 से निदेशक-मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक नियुक्त हुईं।

ये लगातार तीन कार्यकालों के लिए पटना विश्वविद्यालय की सीनेट की सदस्य हैं। ये स्काउट्स एवं गाइड्स फेलोशिप, बिहार की अध्यक्ष भी हैं। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्य (गैर सरकारी) हैं।

सुश्री सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में एम.ए. किया। ये एक एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, पटना महिला महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के पद से सेवानिवृत्त हुईं। सुश्री सिन्हा 2004-10 और फिर 2010-16 के दो लगातार कार्यकालों के लिए बिहार विधान परिषद (बीएलसी) की सदस्य भी रहीं। एम.एल.सी. के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें गृह की तीन समितियों की अध्यक्षता का सुअवसर मिला, यथा- शहरी विकास समिति, राजभाषा समिति एवं बाल परिरक्षण व महिला सशक्तीकरण समिति। ये स्थानीय मंडल (पूर्वांचल), रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (2001-2004) की सदस्य और दो कार्यकालों के लिए प्रबंध निदेशक मंडल, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार की भी सदस्य रहीं। ये 48वें और 50वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गैर-फीचर फिल्म संवर्ग में और फीचर फिल्म संवर्ग में निर्णायक-मंडल की सदस्य भी रहीं। संयुक्त राष्ट्र, यू॰एस॰ए॰ (2007) में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन के राज्य प्रतिनिधि-मंडल में ये एक सदस्य थीं।

श्री एन एन शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री एन एन शर्मा दिनांक 06.09.2017 से निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक नियुक्त हुए थे।

12 अगस्त 1950 को जन्मे, श्री एन एन शर्मा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.एससी की है। वर्तमान में, वे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (बीआईएमटीईसीएच), ग्रेटर नोएडा में सेन्टर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पान्सिबिलिटी एण्ड सस्टेनिबिलिटी के अध्यक्ष हैं। वे एसीसी लि. के समाज लेखा परीक्षा समिति के सदस्य भी हैं। श्री शर्मा ने एनटीपीसी, एनएचपीसी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं एनपीसीआईएल जैसे निगमों के नि.सा.उ. वृत्तिकों के क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन किया है। समाज विकास के क्षेत्र में इनके पास कार्य करने का तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। आई.एफ.सी.आई. द्वारा स्थापित राजस्थान कन्सल्टेन्सी ऑर्गेनाइजेशन (आर.ए.जे.सी.ओ.एन.) एवं अन्य विकास संगठनों के प्रबंधक निदेशक थे और उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के प्रथम महाप्रबंधक भी थे।

उन्होंने यूएनडीपी एवं यूएनआईडीओ के साथ भी कार्य किया है और विश्व बैंक तथा डीएफआईडी, यूके द्वारा समर्थित परियोजनाओं से भी जुड़े हुए थे।

श्रीमती अचला सिन्हा
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्रीमती अचला सिन्हा दिनांक 08.09.2017 को निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक नियुक्त की गई थी।

श्रीमती अचला सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए., पंजाब विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में एम.फिल., भारतीय लोक प्रशासन संस्था (आईआईपीए), नई दिल्ली से एडवान्स प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एपीपीए) की है।

वे 1982 बैच के भारतीय रेल की यातायात सेवा अधिकारी (आईआरटीएस) हैं। वर्ष 1984 में उन्होंने पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल से सहायक वाणिज्य प्रबंधक के रूप में अपनी आजीविका की शुरुआत की थी एवं तीन दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न क्षमताओं में रेल मंत्रालय में निदेशक (पर्यटन), कार्यपालक निदेशक (सांख्यिकी और आर्थिक) एवं उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में मुख्य यातायात प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। अक्टूबर, 2016 में अपने सेवा निवर्त्तन के पूर्व अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग के रूप में भी अपनी सेवा दी। उन्होंने वार्षिक रेल सप्ताह के दौरान अपने असाधारण कार्य-प्रदर्शन के लिए महाप्रबंधक पूर्व रेलवे पुरस्कार एवं आईआईपीए, नई दिल्ली की ओर से 30 वें एडवान्स प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एपीपीए) में सर्वश्रेष्ठ महिला भागीदारी का पुरस्कार जीता है। भारतीय रेल और साथ ही नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यप्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए कई संकल्पनात्मक लेख भी लिखा है। इनमें से कई संकल्पनाओं पर चर्चा की गई है एवं कार्यान्वित की गई है।

कार्यपालक निदेशकगण

श्री आर. के. मिश्र
कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक एवं विद्युत)

श्री एस. आचार्य
कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)

श्री बी. आर. सामल
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री एस. डी. साहू
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री डी.के. महान्ति
कार्यपालक निदेशक (खान व परि.) प्रभारी

श्री एस. सामंतराय
कार्यपालक निदेशक (विपणन) प्रभारी

श्री एन.के.महान्ति
कंपनी सचिव

नालको NALCO

ना ल को द ल

(बायें से दायें): श्रीमती के.जी. सिन्हा, श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य), श्री एस.के. राय, निदेशक (परि. व तक.), श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मां.सं.), श्री बी.आर. सामल, आईएएस, सीवीओ, श्रीमती अचला सिन्हा, श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त), श्री एन.एन. शर्मा, डॉ. के.आर.राव, आईएएस, डॉ. टी.के. चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, श्री ए.के.नायक, श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन), श्री एम. साहु, श्री पी.के. नायक, प्रो. डी. आचार्य, श्री डी महंत, श्री एस. शंकररमण

बॉक्साइट
('000 मे.ट. में)

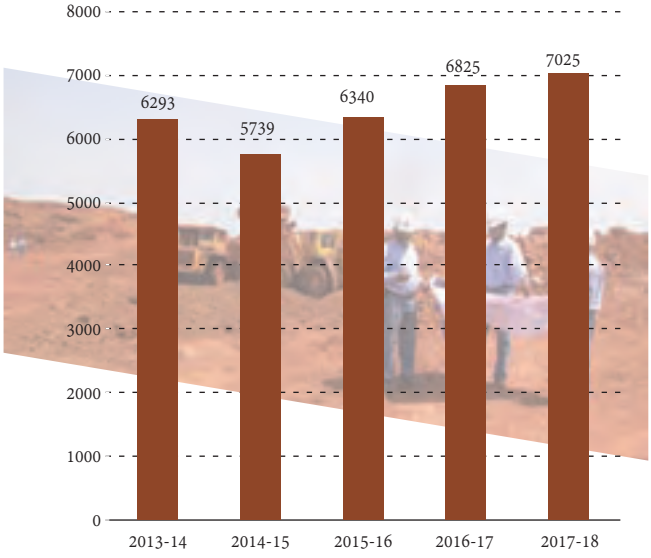

2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
6293	5739	6340	6825	7025

एल्यूमिना हाईड्रेट
(मिलियन यूनिट में)

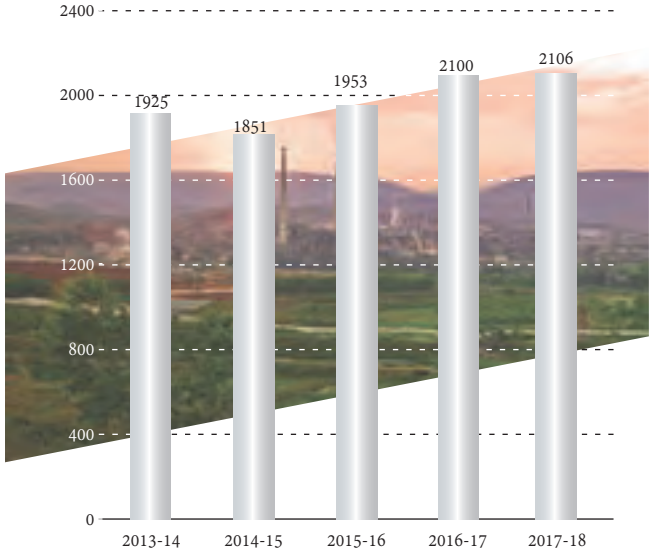

2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1925	1851	1953	2100	2106

एल्यूमिनियम
('000 मे.ट. में)

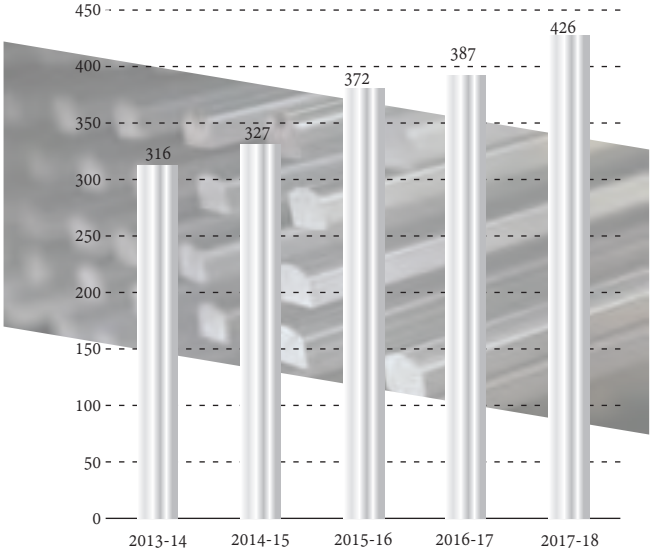

2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
316	327	372	387	426

विद्युत सृजन
('000 मि.यू. में)

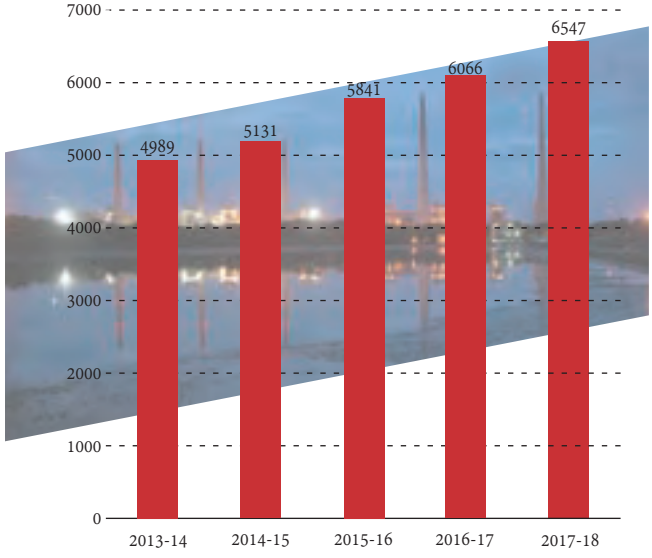

2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
4989	5131	5841	6066	6547

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों (स्वचलित एवं समेकित) और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 37 वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करते हुए आपके निदेशकगणों को बहुत प्रसन्नता हो रही है।

कार्य-निष्पादन के प्रमुख अंश

भौतिक कार्य-निष्पादन

उत्पादन	एकक	2017-18	2016-17
बॉक्साइट	मे.टन	70,25,109	68,25,000
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.टन	21,05,500	21,00,100
एल्यूमिनियम	मे.टन	4,25,515	3,87,422
विद्युत (शुद्ध) - ग्र.वि.सं.	मि.यू.	6,547	6,066
पवन ऊर्जा (सकल)	मि.यू.	252	206

- बॉक्साइट खान (पंचपटमाली खानों का उत्तर-मध्य ब्लॉक) ने लगातार दूसरे वर्ष 68.25 लाख मे.ट. के परिवहन के साथ 100% क्षमता की उपयोगिता हासिल की है।

  नए खान अर्थात, पंचपटमाली बॉक्साइट खान के दक्षिण ब्लॉक ने 22.05.2017 से परिचालन शुरू किया है। नई खान से बॉक्साइट का परिवहन वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में शुरू हुआ। दक्षिण ब्लॉक से परिवहन 2 लाख मे.ट. रहा है एवं दोनों खान से संयुक्त परिवहन 70.25 लाख मे.टन है,. जो कि स्थापना से अभी तक का उच्चतम है।

  वर्ष के दौरान 70.34 लाख मे.टन का कुल बॉक्साइट उत्खनन भी स्थापना के दिन से सर्वोच्च स्तर पर रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई।

- एल्यूमिना परिशोधक ने 21.06 लाख मे.टन एल्यूमिना हाईड्रेट के उत्पादन के साथ 100% मानकी क्षमता (अर्थात 21 लाख मे.टन) हासिल किया। वर्ष के दौरान 21.11 लाख मे.टन का निस्तप्त एल्यूमिना स्थापना से अब तक का उच्चतम रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 3.9% की वृद्धि हुई है।

- एल्यूमिना परिशोधक के वाष्प सृजन संयंत्र (एसजीपी) ने 484 मि.यू. के साथ उच्चतम शुद्ध विद्युत उत्पादन हासिल किया, पिछले वर्ष की तुलना में 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई। संयंत्र ने पिछले वर्ष की 100%की तुलना में 103.5% राख उपयोगिता भी दर्ज की।

- एल्यूमिनियम प्रद्रावक ने पिछले 7 वर्षों में 4.26 लाख मे.टन के उच्चतम ढली धातु का उत्पादन हासिल किया, पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि दर्ज की गई।

- ग्र.वि.सं. ने 6,547 मि.यू. का 'शुद्ध विद्युत उत्पादन' हासिल किया, पिछले वर्ष की तुलना में 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

- पवन विद्युतः देश के विभिन्न स्थानों में 4 पवन विद्युत एककों ने पिछले वर्ष में उत्पादित 206 मि.यू. की तुलना में 252 मि.यू. का उत्पादन किया है, इसमें 22% की वृद्धि दर्ज की गई।

विक्रय कार्य निष्पादन

रसायन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने 12,76,775 मे.टन के निर्यात सहित 13,37,416 मे.टन की कुल एल्यूमिना बिक्री दर्ज की। यह वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित क्रमशः 12,94,900 मे.टन एवं 12,43,103 मे.टन के तदनुरूपी आँकड़ों से बेहतर है।

धातु

2017-18 के दौरान कंपनी ने 4,26,316 मे.टन की एल्यूमिनियम धातु की बिक्री की, जो कि 2016-17 के दौरान अर्जित 3,85,518 मे.टन के विक्रय आँकड़ों से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। इसमें देशी बाजार में 3,50,469 मे.टन (सर्वकालीन कीर्तिमान) एवं विदेशी बाजार में 75,847 मे.टन की बिक्री शामिल है। इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में, मालसूची 1,502 मे.टन के सर्वकालीन न्यून स्तर पर आ पाया।

2017-18 के दौरान प्राप्त बिक्री का सार नीचे तालिका में वर्णित है।

विवरण	एकक	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
निर्यात			
एल्यूमिना	मे.टन	12,76,775	12,43,103
एल्यूमिनियम	मे.टन	75,847	1,00,591
देशीय			
एल्यूमिना एवं हाईड्रेट	मे.टन	60,641	51,797
एल्यूमिनियम	मे.टन	3,50,469	2,84,926
कुल धातु बिक्री	मे.टन	4,26,316	3,85,518
कुल रसायन बिक्री	मे.टन	13,37,416	12,94,900

3,50,469 मे.टन की कुल देशीय धातु बिक्री में से 2,73,502 मे.टन की बिक्री प्रद्रावक संयंत्र, अनुगुल से हुई एवं 76,967 में.टन की बिक्री बद्दी, बेंगलूरु, भिवण्डी, चेन्नै, दिल्ली, फरीदाबाद, जयपुर, कोलकाता, वड़ोदरा एवं विशाखापटनम स्थित 10 स्टॉकयार्ड से हुई।

विक्रय कार्य निष्पादन ('000 मे.टन में)

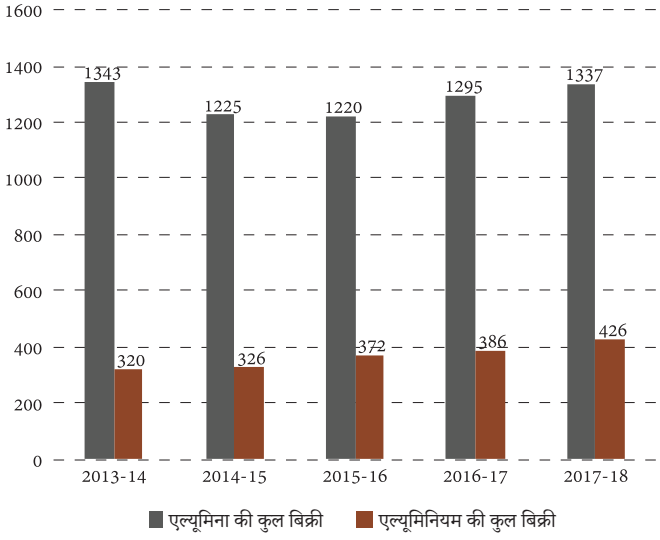

वित्तीय कार्य निष्पादन

वित्तीय कार्य निष्पादन के विवरण नीचे दिए गए हैं :

₹ करोड़ में

विवरण	2017-18	2016-17
प्रचालनों से राजस्व (सकल)	9,618	8,050
अन्य आय	300	408
कुल आय	9,918	8,458
खपत हुई कच्ची सामग्री	1,465	1,182
कोयला सहित विद्युत एवं ईंधन	2,748	2,213
कर्मचारी परिलाभ व्यय	2,261	1,537
अन्य व्यय	1,749	2,041
मूल्यह्रास एवं ऋणशोधन व्यय	480	480
कुल व्यय	8,703	7,453
विशिष्ट मदों के पूर्व लाभ	1,215	1,005
जोड़/(घटाव) : विशिष्ट मद [आय/(व्यय)]	824	(40)
कर-पूर्व लाभ	2,039	965
कर व्यय	697	296
कर-पश्चात लाभ	**1,342**	**669**

वित्तीय कार्य निष्पादन (₹करोड़ में)

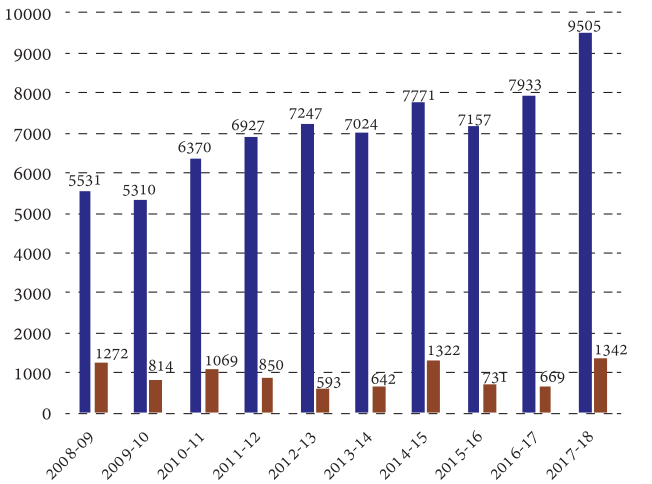

भविष्य के लिए दृष्टिकोण

वैश्विक एल्यूमिनियम उद्योग एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अपने संबंधित राष्ट्रों पर व्यवसाय में प्रतिबंध/आयातों पर बंदिश लगाने की संभावनाएँ तलाश रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय एल्यूमिनियम प्रीमियम में वृद्धि आने की संभावना है। पिछले 4 वर्षों में वैश्विक एल्यूमिनियम की खपत में 25% तक की वृद्धि हुई है एवं निकट भविष्य में यही रुख बने रहने की संभावना है। चीन

में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाए गए उपायों से उनके उत्पादन में कुछ कमी आई है एवं पिछले वर्ष की तुलना में एल्यूमिनियम के मूल्य बढ़े। निकट अवधि में मूल्य में समर्थन दिए जाने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2018 में समग्र विपणन में कमी रहने की अपेक्षा व्यक्त की जाती है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, एल्यूमिनियम का उपयोग करने वाले विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि ऑटोमोबाइल, निर्माण एवं विद्युत आदि में वर्धित आर्थिक गतिविधियों से एल्यूमिनियम की मांग सुदृढ़ बनी रही है। संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था में भारी वृद्धि आने एवं देश में आधारभूत परियोजनाओं में आयी तेज़ी से एल्यूमिनियम उद्योग के सकारात्मक बने रहने की अच्छी उम्मीद व्यक्त की जाती है। एल्यूमिनियम के आयात पर उत्पन्न आशंका से उबरने में सरकार के समर्थन से देशीय एल्यूमिनियम उद्योग को बाजार में अपनी स्थिति सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

लाभांश और विनियोजन

कंपनी ने वर्ष के दौरान, ₹4.70 प्रति इक्विटी शेयर की दर से कुल ₹908.48 करोड़ अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। निदेशक मंडल ने ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर पर कुल ₹193.29 करोड़ के लाभांश का प्रस्ताव भी दिया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल ₹1101.77 करोड़ का लाभांश भुगतान हुआ, जबकि पिछले वर्ष ₹541.22 करोड़ का लाभांश भुगतान हुआ था। प्रयोज्य लाभांश वितरण कर सहित लाभांश भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष के 97.44% की तुलना में कर-पश्चात लाभ 98.78% होता है।

समझौता ज्ञापन कार्य-निष्पादन

वित्तीय कार्य-निष्पादन और अन्य निर्धारित मानदंडों की उपलब्धियों के आधार पर, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, 'उत्कृष्ट' दर्जा दिए जाने की आशा है।

कच्चे माल का प्रतिभूतिकरण

- ओड़िशा सरकार द्वारा पंचपटमाली बॉक्साइट खान (केन्द्रीय एवं उत्तरी ब्लॉक) के खनन पट्टे को वर्तमान 31.03.2020 से 16.11.2032 तक विस्तार किया गया।
- दक्षिण ब्लॉक, पंचपटमाली बॉक्साइट खान को चालू करने के लिए सभी नियामक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं एवं दक्षिण ब्लॉक खान दिनांक 22.05.2017 से चालू हो चुका है एवं प्रचालन शुरू हो चुका है। खनन पट्टे की वैधता 19.07.2029 तक है।
- परिशोधन संयंत्र के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध जी-8 ग्रेड कोयला लिंकेज (2 लाख मे.ट.प्र.व.) मेसर्स एनसीएल के साथ ट्रेन्च-III नीलामी में बुक किया गया जो लिंकेज नीलामी के माध्यम से प्राप्त होनेवाले 2.73 लाख मे.ट.प्र.व. के जी-12 एवं जी-13 ग्रेड कोयले के बराबर है एवं इसे अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए ईंधन आपूर्ति अनुबंध 21 जुलाई, 2017 को हस्ताक्षरित हुआ था।
- एकक 1 से 8, ग्र.वि.सं., अनुगुल (47.16 ला.मे.ट.), एल्यूमिना संयंत्र, दामनजोड़ी (5.47 ला.मे.ट.), एसपीपी के टीजी - I से III, दामनजोड़ी (3.26 ला.मे.ट.) के लिए ईंधन आपूर्ति अनुबंध 1 मई, 2018 से अगले 5 वर्षों के लिए नवीकृत किया गया। इस नवीकरण के लिए एफएसए संशोधन दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को मेसर्स एमसीएल के साथ हस्ताक्षरित हुए थे। इससे मेसर्स एमसीएल से अगले 5 वर्षों के लिए 55.89 ला.मे.ट. लिंकेज कोयले का संरक्षण सुनिश्चित हो पाया है।
- टीजी-IV (1.01 ला.मे.ट.) के लिए वर्तमान ईंधन आपूर्ति अनुबंध को 23 दिसंबर, 2016 को अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया। 17 दिसंबर, 2016 को मेसर्स एमसीएल के साथ एफएसए संशोधन पर हस्ताक्षर किया गया।
- आपकी कंपनी एसपीपी, दामनजोड़ी के लिए जुलाई/अगस्त में निर्धारित ट्रेन्च-IV की लिंकेज नीलामी में अतिरिक्त 2 ला.मे.ट., जी12 ग्रेड लिंकेज कोयले के लिए भी हिस्सा लेने जा रही है।
- उपर्युक्त के अलावा, आपकी कंपनी सीआईएल एवं एससीसीएल की अनुषंगियों द्वारा अधिसूचित ई-नीलामी कोयला में भाग ले रही है ताकि आवश्यकताओं के लिए कमी के परिमाण को पूरा किया जा सके।

वर्ष 2017-18 के लिए अंतरिम लाभांश भुगतान

- साथ ही, आपकी कंपनी को वर्ष 2016 में भारत सरकार की ओर से उत्कल डी एवं ई कोयला खान आबंटित किए गए, इस अनुमति के साथ कि ब्राउनफील्ड विस्तार हेतु वर्तमान 2 एकक ग्र.वि.सं. (एकक- 9 एवं 10) एवं 2 नए प्रस्तावित एकक (एकक-11 एवं 12) की आवश्यकता हेतु 4 मिलियन मे.ट. प्रति वर्ष खनन हो सके। 4 मिलियन मे.ट. प्रति वर्ष की दर पर उत्कल डी एवं ई कोयला खानों का आरक्षित 40-45 वर्षों के लिए बना रहेगा।
- आपकी कंपनी प्रद्रावक एवं विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु जुलाई, 2018 में अधिसूचित भारत सरकार के कोयला ब्लॉक आबंटन प्रक्रिया में भाग लेने की भी योजना कर रही है।
- आपकी कंपनी को ओड़िशा सरकार से पोट्टांगी बॉक्साइट खान के लिए खनन पट्टे की संस्वीकृति हेतु नियम और शर्तों के संदर्भ प्राप्त हुए और इनकी स्वीकृति दी जा चुकी है।
- कास्टिक सोड़ा के आंशिक प्रतिभूतिकरण के लिए, आपकी कंपनी ने कास्टिक सोड़ा संयंत्र की स्थापना एवं 50,000 मे.टन कास्टिक सोड़ा प्रति वर्ष की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी "जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि." का गठन किया है।
- आपकी कंपनी ने सीटी पिच के उत्पादन एवं नालको प्रद्रावक की आपूर्ति हेतु नीलाचल इस्पात निगम लि. के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी को स्थापित करने के लिए समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किया है। जेवी अनुबंध का अंतिम स्वरूप प्रक्रियाधीन है।

कार्यान्वयन के अन्तर्गत परियोजनाएँ

एल्यूमिना परिशोधक की 5 वीं धारा

आपकी कंपनी ₹5,540 करोड़ के पूँजी व्यय से अपने निवर्तमान परिशोधन में 5वीं धारा की स्थापना की प्रक्रिया में है जिससे 2.275 मे.ट.प्र.व. की निवर्तमान संस्थापित क्षमता (कुल क्षमता 3.275 मे.ट.प्र.व.) में 1.0 मे.ट.प्र.व. की क्षमता जुड़ेगी, जो मेसर्स रियो टिंटो अल्कान इंटरनेशनल लिमिटेड (आरटीएआईएल) के मध्यम दबाव पाचन की उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी।

आपकी कंपनी ने पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति और ओड़िशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) जैसी प्रमुख सांविधिक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली हैं। मेसर्स थाइसेंक्रप्प इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लि. को इस परियोजना के लिए ई.पी.सी.एम. सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एल्यूमिना परिशोधक के वाष्प एवं विद्युत संयंत्र के लिए मेसर्स एम.एन. दस्तुरको को ई.पी.सी.एम. सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। परियोजना के लिए मूलभूत अभियांत्रिकी कार्य मेसर्स आरटीएआईएल द्वारा पूरा कर लिया गया है एवं विस्तृत अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) 12% तक आगे बढ़ चुकी है। दीर्घ सुपुर्दगी संविदाएँ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर्यवेक्षण एवं मिट्टी जाँच-पड़ताल से सम्मिलित साइट की गतिविधियाँ दिसम्बर, 2017 में शुरू की गई।

5वीं धारा के लिए बॉक्साइट के वैकल्पिक स्रोत

एल्यूमिना परिशोधक की 5वीं धारा के विस्तार के लिए बॉक्साइट पोट्टांगी खान से प्राप्त करने के लिए परिकल्पित हुआ है। तथापि, पोट्टांगी खान से बॉक्साइट की उपलब्धता 5वीं धारा विस्तार के निर्धारित आरंभ के उपरांत प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है।

अतएव, आपकी कंपनी के निवर्तमान पंचपटमाली खान के दक्षिण ब्लॉक से बॉक्साइट प्राप्त करने के लिए ₹483 करोड़ के पूँजी व्यय पर एक क्रशिंग एवं कन्वेयिंग सिस्टम को स्थापित करने की योजना बनायी गई है।

उपर्युक्त परियोजना के लिए, ई.पी.सी.एम. सलाहकार को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

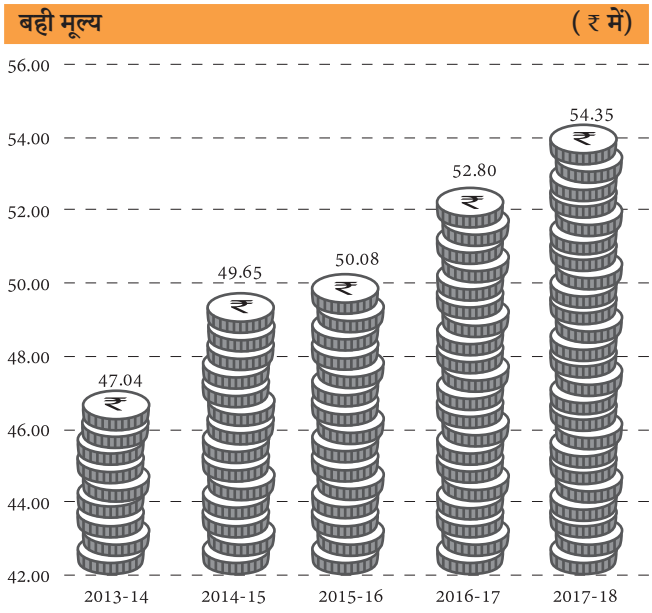

पोट्टांगी बॉक्साइट खान

भारत सरकार द्वारा पोट्टांगी बॉक्साइट खान (75 मिलियन टन) आपकी कंपनी के पक्ष में आरक्षित की गई है। वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैं:

- खान मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2018 को न्यूनीकृत खनन पट्टा क्षेत्र (पहले के 1738.04 हेक्टेयर से 697.979 हेक्टेयर) पर राजपत्र अधिपत्र जारी किया।
- ओड़िशा सरकार ने दिनांक 14.05.2018 को न्यूनीकृत 697.979 हेक्येयर के लिए खनन पट्टे के संस्वीकृति के लिए नियम और शर्तें जारी की और आपकी कंपनी ने दिनांक 15.05.2018 को इनकी स्वीकृति दे दी।
- ई.ए.सी. ने दिनांक 30.05.2018 की अपनी बैठक में पर्यावरणीय अनुमति के लिए ईआईए अध्ययन के संचालन हेतु टीओआर (शर्तों के संदर्भ) जारी करने के लिए नालको के प्रस्ताव पर विचार किया।
- एफआरए प्रमाणपत्र एवं प्रतिपूरक वनरोपण भूमि प्राप्त करने के लिए त्वरित स्तर पर ग्रामसभा के संचालन हेतु प्राधिकारियों से बातें की जा रही हैं, ताकि वन अनुमति जारी करने हेतु पोट्टांगी बॉक्साइट खान के लिए वन भूमि को स्थानान्तरित किया जा सके।
- खनन योजना दिनांक 28.05.2018 को आईबीएम को सौंपी गई।

उत्कल डी एवं ई कोयला प्रखण्ड

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में आपकी कंपनी के पक्ष में उत्कल डी एवं ई कोयला प्रखण्ड (200 मिलियन टन) आबंटित किए गए। उत्कल-डी एवं उत्कल-ई कोयला

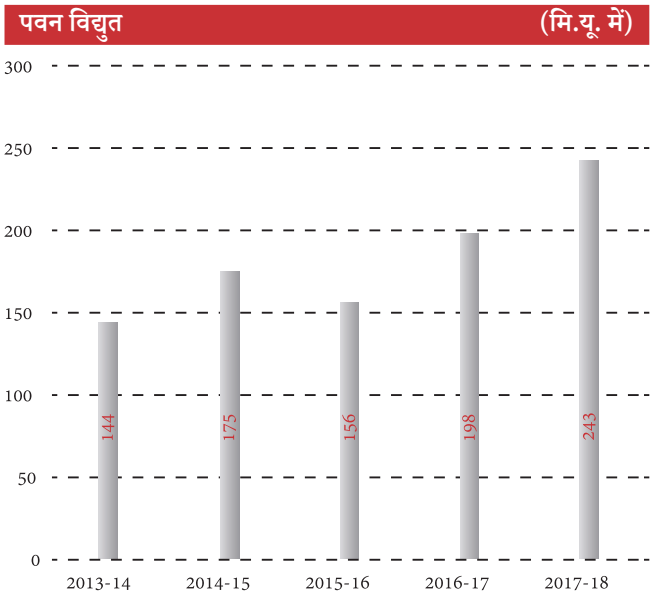

प्रखण्ड के संयुक्त खनन पट्टे एवं प्रथम चरण में उत्कल-डी खान को चालू करने हेतु विभिन्न शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित गतिविधियाँ हाथ में ली गई थी।

- ओड़िशा सरकार द्वारा दिनांक 30.10.2017 को उत्कल-डी के खनन पट्टे के लिए शर्तों के संदर्भ (टीओआर) जारी किए गए।
- उत्कल-डी के भू-दस्तावेज के निष्पादन द्वारा भूमि अंतरण प्रक्रिया दिनांक 04.05.2017 को पूरी कर ली गई है।
- आपकी कंपनी उत्कल-डी के पूर्व आबंटिती से सांविधिक अंतरण पारितियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
- उत्कल-डी एवं ई के लिए खनन योजना के अनुमोदन हेतु कोयला मंत्रालय की स्थायी समिति के अवलोकन-अनुपालन हेतु मेसर्स सीएमपीडीआई द्वारा पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं।
- वर्ष 2019 में उत्कल-डी कोयला प्रखण्ड की खनन गतिविधियों की योजना के मद्देनजर माइन डेवलपर (एमडीओ) के रूप में एम.ई.सी.ओ.एन. को लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया गया है।
- उत्कल-डी के लिए खनन गतिविधियाँ वर्ष 2019-20 के दूसरे अर्ध में शुरू किए जाने की आशा है।

25.5 मेगावाट पवन विद्युत परियोजनाएँ

आपकी कंपनी ₹163 करोड़ के पूँजी व्यय पर कायाथर, तमिलनाडु में 25.5 मेगावाट क्षमता के एक और पवन चक (विण्ड फॉर्म) जोड़ते हुए अपनी पवन विद्युत उत्पादन क्षमता को 198.40 मेगावाट से बढ़ाकर 223.90 मेगावाट करने की प्रक्रिया में है। अक्टूबर, 2018 में संयंत्र के आरंभ होने की आशा की जाती हैं।

एल्यूमिना परिशोधक में धारा #1, 2 एवं 3 में समतल निचली टंकी की एचआरडी-डीसीडब्ल्यू में पुनः संयोजन परिवर्तन

आपकी कंपनी अपने निवर्तमान एल्यूमिना परिशोधक में प्रचालन कुशलता को सुधारने के लिए ₹355 करोड़ की अनुमानित लागत से धारा #1, 2 व 3 में समतल निचली सेटलर-वाशर टंकी को एचआरडी-डीसीडब्ल्यू (हाई रेट डिकैन्टर एवं डीप कोन वॉशर) में पुनः संयोजन परिवर्तन करने जा रही है। इस परियोजना के लिए निम्नलिखित कार्यादेश जारी किए गए हैं:

- मेसर्स आर.टी.ए.आई.एल. को प्रक्रिया लाइसेंसिंग एवं मूल इंजीनियरिंग पैकेज जारी किया गया है।
- मेसर्स आर.टी.ए.आई.एल. को एचआरडी डीसीडब्ल्यू के लिए रेक कार्यविधि (स्वामित्व मद)।
- मेसर्स ईआईएल को ईपीसीएम सलाहकार (परियोजना प्रबंधन सलाहकार) नियुक्त किया गया है।

परियोजना की शेष आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं आरंभ हेतु टर्नकी आधार पर परियोजना के निष्पादन के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (देशी) जारी की गई है।

बीपीटीजी #5 परियोजना

परिशोधक में ग्रिड से विद्युत आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए बीपीटीजी-5 परियोजना परिकल्पित की गई थी। यह परियोजना अक्टूबर, 2017 में आरंभ की गई थी।

प्रद्रावक एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र का ब्राउनफील्ड विस्तार

आपकी कंपनी 5वें पॉटलाइन (5 लाख मे.ट.प्र.व.) के संयोजन एवं निवर्तमान 4 पॉटलाइन को 180 केए से 220 केए (1 लाख मे.ट.प्र.व.) तक पॉट एम्पियर को बढ़ाते हुए और साथ ही प्रत्येक 660 मेगावाट के 2 एकक के संयोजन द्वारा ग्र.वि.सं. के विस्तार के साथ अनुगुल में प्रद्रावक के ब्राउनफील्ड विस्तार की योजना बना रही है। प्रद्रावक विस्तार के लिए डीपीआर एवं ग्र.वि.सं. विस्तार के लिए टीईएफआर तैयार करने हेतु मेसर्स डीसीपीएल को नियुक्त किया गया है।

व्यापार विकास

- **गुजरात अल्कालिज एंड केमिकल्स लि. (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) में कॉस्टिक सोड़ा परियोजना:**
  आपकी कंपनी ने दिसम्बर, 2015 में गुजरात के दाहेज में जी.ए.सी.एल. के साथ 2.7 लाख टन प्रति वर्ष कॉस्टिक सोड़ा संयंत्र के साथ 130 मेगावाट (2x65 मेगावाट) ग्रहीत विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी "जी.ए.सी.एल.-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि. का गठन किया है।
- **50 (2x25) मेगावाट पवन विद्युत परियोजना:**
  आपकी कंपनी ने सितम्बर, 2017 में तमिलनाडु के तुतिकोरिन जिले के कायाथर में 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के प्रथम प्रखण्ड की स्थापना हेतु आदेश दे दिया है। कंपनी ने मई, 2018 में तमिलनाडु के तुतिकोरिन जिले के विलिसेरी में 25.2 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के दूसरे प्रखण्ड की स्थापना के लिए भी आदेश दे दिया है।
- **एनआईएनएल के साथ सं.उ. में कोल तार पिच संयंत्र की स्थापना:**
  आपकी कंपनी ने तरल कोलतार पिच के उत्पादन एवं निजी खपत के लिए प्रद्रावक संयंत्र की आपूर्ति के लिए एन.आई.एन.एल. के कोक ओवन संयंत्र में उत्पादित कोलतार के आधार पर 20,000 ट.प्र.व. क्षमता के एक कोलतार डिस्टिलेशन संयंत्र की स्थापना के लिए नीलाचल इस्पात निगम लि. (एन.आई.एन.एल.) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- **विदेशों में रणनीतिक खनिज:**
  खान मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा नालको, एचसीएल एवं एमईसीएल ने भारत में आपूर्ति एवं भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" (भारत में बनाइये) पहल को प्रोत्साहित करने हेतु वैदेशिक स्थानों में रणनीतिक खनिजों को चिह्नित करने, अर्जित

लंदन धातु बाजार नकद मूल्य (यू.एस.डॉलर)

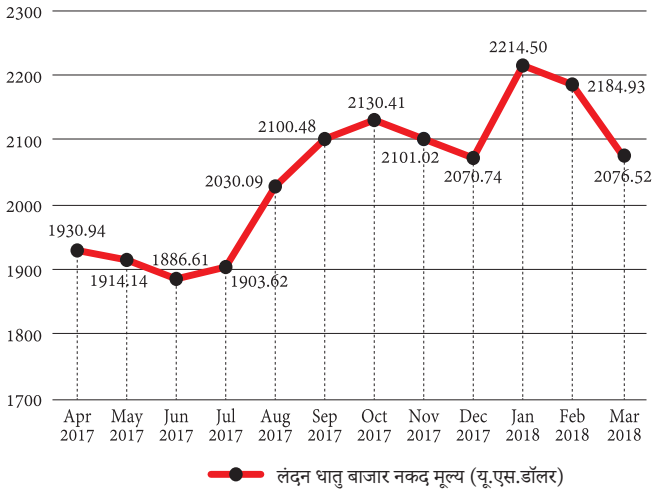

करने, विकसित करने, प्रक्रिया करने एवं वाणिज्यिक इस्तेमाल हेतु एक सं. उ. कंपनी की स्थापना के लिए सितम्बर, 2017 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

- **ओड़िशा में ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रद्रावक:**
  कंपनी प्रस्तावित एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाओं के लिए साइट चयन के साथ ओड़िशा राज्य में कामाख्यानगर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रद्रावक के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार कर रही है।

- **उच्च स्तरीय एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्र:**
  आपकी कंपनी ने रक्षा, एयरोस्पेस एवं स्वचालित वाहन क्षेत्रों के लिए सं.उ. माध्यम में उच्च स्तरीय एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्र की स्थापना हेतु अप्रैल, 2017 में मिश्र धातु निगम लि. (मिधानी) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

- **एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाएँ:**
  आपकी कंपनी ओड़िशा में किसी उपयुक्त स्थान पर एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाओं यथा मिश्रधातु चक्र संयंत्र, बहिर्वेधन संयंत्र, मूल्य वर्धित वेल्लित उत्पाद संयंत्र की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रही है।

पूंजी व्यय (कैपेक्स)

2017-18 के दौरान कैपेक्स में ₹1080.26 करोड़ उपलब्ध हुए हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति

एक जोखिम प्रबंधन नीति निरुपित की गई है एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है जो कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

मानव संसाधन प्रबंधन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देश

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों जैसे कि शारीरिक विसक्षम, भूतपूर्व सैनिक आदि के आरक्षण के मामलों में लागू राष्ट्रपति के निर्देशपत्रों एवं अन्य मार्गनिर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करती है। 31.03.2018 को यथा 6,776 की कुल जनशक्ति में से, 1,104 अनुसूचित जातियों (16.29%), 1,248 अनुसूचित जनजातियों (18.42%), 828 अन्य पिछड़े वर्ग (12.22%), 89 शारीरिक विसक्षम व्यक्ति (1.31%) और 14 भूतपूर्व सैनिक (0.21%) थे। 31.03.2018 को यथा कंपनी में कुल 366 महिला कर्मचारी कार्यरत थी।

नालको के उत्पाद

शेयरधारकों की संख्या बनाम लाभांश

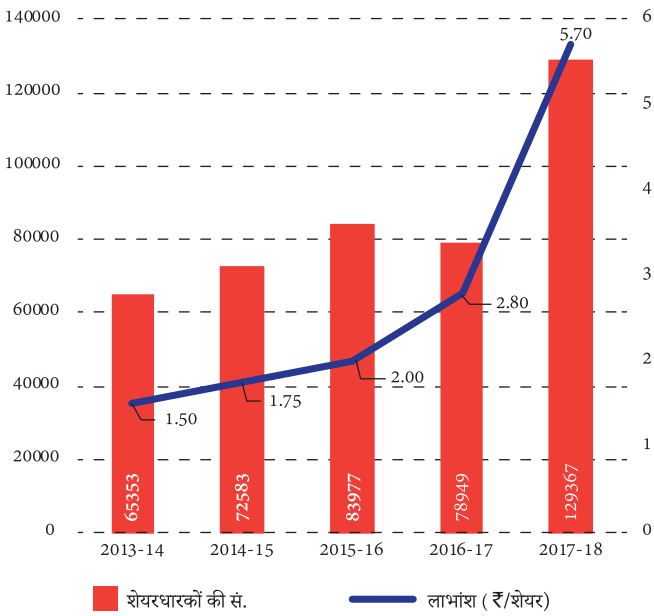

औद्योगिक सम्बन्ध

वर्ष 2017-18 में, आपकी कंपनी अत्यंत सहायक औद्योगिक सम्बन्ध वातावरण में हर मोर्चे पर असाधारण कार्य-निष्पादन द्वारा कई उपलब्धियों की साक्षी बनी। गैर-अनुशासन के प्रति शून्य सहनशीलता औद्योगिक सम्बन्ध प्रबंधन की प्रमुख विशेषता रही। आपकी कंपनी के सभी उत्पादन एककों में ट्रेड यूनियनों की मान्यता हेतु पूरी शांति के साथ गुप्त मतदान चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। कार्यबलों के जोश को निरुत्साहित करनेवाले मसले जैसे कि दोषपूर्ण कार्य-संस्कृति एवं कार्य-स्थल में अनुशासनहीनता, विभिन्न मानव संसाधन की मध्यस्थता के कारण वर्ष के दौरान उत्पन्न नहीं हुए थे। लम्बे वर्षों से एक ही स्थान पर बने रहने वाले कई कार्यपालकों को कार्यक्षेत्र में बढ़ने का अवसर प्रदान करते हुए, यह वर्ष कर्मचारियों के हितों के प्रयासों का भी साक्षी रहा है। कर्मचारियों के कई लम्बित मसले निपटाए गए जैसे कि कार्यपालकों के लिए पेंशन अंशदान का युक्तिकरण, खान के गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए विशेष वित्त पैकेज में संशोधन, अनुबंधित मजदूर को संशोधित-बोनस एवं वर्धित मज़दूरी का भुगतान, कंपनी के अस्पतालों में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी के कार्यपालकों के लिए वेतन-संशोधन का कार्यान्वयन किया गया। आपकी कंपनी की रणनीतिक मानव संसाधन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन मध्यस्थताएँ यथा मानव संसाधन परीक्षा, प्रतिभा प्रबंधन एवं अनुक्रमण योजना आदि हाथ में लिए गए।

सामाजिक उत्तरदायित्व 8000

एक शालीन कार्यस्थल के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए आपकी कंपनी ने 2009-10 से ही अन्तर्राष्ट्रीय मानक, सामाजिक उत्तरदायित्व 8000 (एसए-8000) अपनाया है। इस प्रमाणन से कर्मचारियों, मालिक, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षों समेत सभी पणधारियों के लिए कंपनी को बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, सुरक्षित एवं स्वास्थ्य कार्य पर्यावरण, कामकाजी घंटे, पारिश्रमिक, संबंध की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया, भेदभाव एवं अनुशासनिक अभ्यासों के क्षेत्र में अधिक पारदर्शी बनने में मदद मिली है।

आपकी कंपनी ने एस.ए. 8000:2008 संस्करण से एस.ए.8000:2014 संस्करण की संक्रमण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। निगम कार्यालय सहित सभी एकक आज की तिथि में एस.ए.8000:2014 मानक से प्रमाणित हो चुके हैं।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.)

कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न लागू प्रावधानों के सामंजस्य में तैयार नि.सा.उ. गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक-I में दी गई है।

संसदीय समितियों का परिदर्शन

वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित संसदीय समितियों ने कंपनी का परिदर्शन किया:

- भुवनेश्वर में 15.04.2017 से 22.04.2017 के मध्य अधीनस्थ विधान पर संसदीय समिति, राज्यसभा का अध्ययन दौरा।
- पुरी और भुवनेश्वर में 17.04.2017 से 19.04.2017 के मध्य मेज पर रखे कागजातों पर संसदीय समिति, राज्यसभा का अध्ययन दौरा।
- विजयवाड़ा में 19.04.2017 से 21.04.2017 के मध्य वाणिज्य पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा।
- थिरुवनंतपुरम, केरल में 21.08.2017 से 25.08.2017 के मध्य याचिकाओं पर संसदीय समिति, लोकसभा का अध्ययन दौरा।
- भुवनेश्वर में 22.08.2017 से 24.08.2017 के मध्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा।
- भुवनेश्वर में 8 एवं 9 नवम्बर, 2017 को कृषि पर संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के साथ पठित नियम 34(3) के अनुसरण में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-II में संलग्न है।

इस रिपोर्ट में निम्न भी शामिल है :

(क) आगे व्यापार विकास के लिए हाथ में ली गई विभिन्न पहल।

(ख) वित्तीय विवरण एवं जोखिम प्रबंधन पहलों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।

(ग) आपकी कंपनी के विभिन्न एककों में पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में हाथ में ली गई विभिन्न पहल।

अंकीय (डिजिटल) रूपान्तरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी कार्य-प्रक्रियाओं एवं व्यवसाय अभ्यासों में संधारणीय वृद्धि एवं निरंतर सुधार लाने हेतु संगठन की आवश्यकता के अनुकूल सूचना प्रौद्योगिकी (सू. प्रौ.) को उपयोग में ला रही है।

पीडीएसी, कनाडा में माननीय मंत्री, खान के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नालको

समरूप कार्य-प्रक्रिया सुनिश्चित करने, सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता एवं निर्णय लेने में सुधार लाने हेतु व्यवसाय से जुड़ी सभी कार्यवाहियों जैसे कि विक्रय एवं वितरण, वित्त एवं नियंत्रण, सामग्री, मानव संसाधन एवं उत्पादन योजना को एकीकृत करने के लिए एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) अनुप्रयोग कार्यान्वित किया गया है। ईआरपी अनुप्रयोग को जीएसटी कार्यान्वयन हेतु समुन्नत किया गया है। एस.ए.पी. एस.आर.एम. एवं केन्द्रीय सार्वजनिक खरीदी पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं की ई-खरीदी की जा रही है। केन्द्रीयकृत गैर-ई.आर.पी. अनुप्रयोगों जैसे कि वेतन भुगतान, उपस्थिति, परिलाभ, अग्रिम एवं छुट्टी प्रणालियाँ कार्यान्वित की गई है। अनुगुल एवं दामनजोड़ी में कंपनी के अस्पतालों के लिए एक केन्द्रीयकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

अभिशासन एवं निगरानी के लिए, ऑनलाइन वेब-आधारित अनुप्रयोग जैसे कि पूँजी व्यय, निधि निगरानी, निगरानी एवं अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा अवलोकनों की निगरानी आदि कार्यान्वित की गई हैं।

डिजिटल पहलों में एक नया आयाम जोड़ते हुए, आपकी कंपनी ने अपने हितधारकों के लिए मोबाइल एप्प एवं वेब-आधारित अनुप्रयोग आरंभ किया है।

"निसर्ग" - सामाजिक जागरूकता एवं जिम्मेदार विकास के लिए नालको की पहल। नालको की नि.सा.उ. गतिविधियों पर विशेष कर नागरिकों के लिए एक उत्साहवर्धक एप्प।

"नगीना" - सबके लिए नालको ग्राहक सूचना एवं नेटवर्किंग एप्प - देशी ग्राहकों के लिए विशेषताओं से समृद्ध एक एप्प जिससे लेखा की वस्तु-स्थिति, प्रेषण योजना, इतिहास, समझौता ज्ञापन, निर्धारक एवं उत्पाद की मूल्य संबंधी जानकारी प्राप्त होती है।

"एक बार नालकोनियन यानी हमेशा के लिए नालकोनियन" कहावत को चरितार्थ करते हुए आपकी कंपनी ने अपने सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के लिए एक एप्प - "हमेशा नालकोनियन" शुरू किया है। इस एप्प से चिकित्सा प्रतिपूरण जानकारी, संगठन की ई-पत्रिका, महत्वपूर्ण परिपत्र एवं नीतियों की सूचना प्राप्त होती है।

ठेका कामगारों की उपस्थिति, भुगतान एवं सांविधिक प्रतिफल के संचालन हेतु ठेकेदारों के सुविधार्थ ठेका मजदूरों के लिए एक पोर्टल की व्यवस्था की गई है।

आधारभूत संरचनात्मक मोर्चे पर, त्रुटिपूर्ण सहनशील एवं अनावश्यक एमपीएलएस आधारित डब्ल्यूएएन सभी कार्यालयों और एककों को संयोजित रखता है। डिसास्टर रिकवरी सेंटर के साथ व्यवसाय के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के प्रयोजन से आंतरिक अत्याधुनिक डेटा सेंटर का प्रबंध किया गया है। ज्यादा बेहतर संचार एवं सहकार्यता लाने के प्रयास में, मल्टीचैनल वीडियो कॉफ्रेन्सिंग चालू की गई है। ई.आर.पी. परिदृश्य के लिए वर्चुलाइज्ड गणना सुविधा कार्यान्वित की गई है जिससे संगणना संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो पाया है।

आईटी इस प्रकार परिकल्पित की गई है कि कंपनी के विकास में सहयोग मिल सके। प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए एनालिटिक्स एवं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। हितधारकों के लिए मोबाइल समाधानों पर भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। एक सुदक्ष, पारदर्शी एवं सुरक्षित फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम तैयार करने के प्रयोजन से ई-ऑफिस का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

आईटी कार्य-अभ्यासों को आईएसओ 27001 मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है, जिसमें आईटी आधारभूत संरचना, अनुप्रयोगों एवं उपयोग-कर्ताओं के लिए आईटी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। नेटवर्क गेटवे एवं अंतिम चरण के सुरक्षा समाधानों के साथ आईटी आधारभूत संरचना एवं अनुप्रयोग की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

- **एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस):**

  सभी उत्पादन एककों अर्थात प्रद्रावक, परिशोधक, खान एवं ग्र.वि.सं. में परिचालित निवर्तमान संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के साथ निगम विपणन कार्य की संक्रमण लेखा परीक्षा का वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है। यह आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 मानकों के अद्यतन 2015 संस्करण की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक था। दिनांक 31.03.2018

को यथा, सभी एकक वैध आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एवं ओएचएसएएस 18001 प्रमाणपत्र से परिचालित हैं जो क्रमशः यूकेएएस, यू.के. एवं आरवीए, नेदरलैंड्स से मान्यताप्राप्त है।

- **ऊर्जा प्रबंधन:**

  i) सम्पादन, उपलब्ध एवं लक्ष्य (पीएटी) योजना में सम्मिलित सभी तीन उत्पादन एकक ग्र.वि.सं., प्रद्रावक एवं एल्यूमिना परिशोधक वैध आईएसओ 50001 प्रमाणपत्रों से परिचालित हैं, जो आरवीए, नेदरलैंड्स की मान्यता है।

  ii) उपरोक्त तीनों एकक की व्यापक ऊर्जा लेखा परीक्षा भी बीईई विनियम, 2010 की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरी कर ली गई हैं।

  iii) पीएटी चक्र 1 लक्ष्यों से बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपकी कंपनी को जारी कुल 36,119 ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र वित्त लेखांकन में संग्रहीत एवं सम्मिलत किए गए।

- **गुणवत्ता मण्डल एवं कैजेन्स:**
  - वर्ष के दौरान 54 सक्रिय गुणवत्ता मण्डलों ने कुल 57 परियोजनाएँ पूरी की। उपर्युक्त 54 गुणवत्ता मण्डलों के अलावा, वर्ष के दौरान 30 नए गुणवत्ता मण्डलों का गठन हुआ, जिससे गुणवत्ता मण्डल की कुल संख्या 84 पहुँच गई।
  - मैसूर में क्यूसीएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गुणवत्ता मण्डल सम्मेलन में आपकी कंपनी के विभिन्न एकक से 15 गुणवत्ता मण्डलों ने भाग लिया। इनमें से 7 गुणवत्ता मण्डलों ने "अति-उत्कृष्ट" कार्य निष्पादन का शीर्ष संवर्ग पुरस्कार प्राप्त किया।
  - नालको उत्कल गौरव मधु सूदन दास (एनयूजीएमएसडी) गुणवत्ता पुरस्कार की शुरुआत वर्ष के दौरान की गई एवं संचालन किया गया। ओड़िशा के कुल 15 निर्माण एककों, जिन्होंने पुरस्कार के लिए आवेदन के कागजात जमा किए थे, उनमें से प्रत्येक श्रेणी अर्थात बृहत, मध्यम एवं लघु श्रेणी के सर्वोत्तम एकक को प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए।
  - राज्य में शीर्ष स्तर का कार्य-निष्पादन करने वाले गुणवत्ता मण्डलों एवं टीपीएम मण्डलों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के लिए अप्रैल, 2017 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा लगातार 22 वें साल के लिए अखिल ओड़िशा गुणवत्ता मण्डल सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था।

- **व्यवसाय उत्कृष्टता पहल:**

  प्रचालनीय उत्कृष्टता के लिए, व्यवसाय उत्कृष्टता की ईएफक्यूएम ढाँचे के अनुरूप व्यवसाय उत्कृष्टता पहल का कार्यान्वयन प्रद्रावक में किया गया था। एकक के बाह्य आकलन के आधार पर, प्रद्रावक एकक को नवम्बर, 2017 के दौरान सीआईआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता सम्मेलन में "प्रचालनीय उत्कृष्टता में उदयीमान नायक" पुरस्कार प्रदान किया गया था।

- **5एस प्रणाली का कार्यान्वयन:**

  एल्यूमिना परिशोधक, प्रद्रावक, ग्र.वि.सं. एवं खान में कुल 181 क्षेत्रों में जापान द्वारा प्रवर्तित 5 एस प्रणाली पर आधारित कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी में राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा निगम, 1976 के अनुसार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का बढ़ाने हेतु कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- 25 सितम्बर, 2017 को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशताब्दी के अवसर पर हिन्दी में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। आपकी कंपनी की अध्यक्षता में परिचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भुवनेश्वर के सदस्य कार्यालयों में उनके 'व्यक्तित्व एवं योगदान' पर हिन्दी लेख, पोस्टर एवं क्विज़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था एवं विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के जीवनकाल पर हिन्दी में एक प्रदर्शनी भी आयोजित हई थी। उनके 'व्यक्तित्व और कृतित्व' पर हिन्दी में एक स्मारिका भी प्रकाशित की गई थी जिसमें पण्डित सुधाकर शर्मा, खान मंत्रालय, भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य एवं हिन्दी के एक विख्यात विद्वान के परामर्शी सहयोग के साथ भारत के गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा लिखे गए विशेष लेख प्रकाशित किए गए थे।
- सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 01.09.2017 से 14.09.2017 तक निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, प्रद्रावक व विद्युत संकुल, अनुगुल एवं खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी भाषी एवं गैर-हिन्दी भाषी कर्मचारियों और छात्रों के लिए पृथक रूप से हिन्दी प्रयोगिताओं का आयोजन किया गया। दामनजोड़ी में समारोप दिवस समारोह में, जगदलपुर की एक मण्डली द्वारा हिन्दी 'गीत-संगीत' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- निगम कार्यालय, प्रद्रावक व विद्युत संकुल एवं खान एवं परिशोधन संकुल में हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रशिक्षण कक्षाएँ चलाई गई एवं जिन कर्मचारियों के पास हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं था, उन्हें हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टंकन एवं हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया था। हिन्दी में कार्य करने के लिए व्यावहारिक सत्रों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

नालको फाउंडेशन द्वारा कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

- आपकी कंपनी की अध्यक्षता में संचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) भुवनेश्वर और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अनुगुल प्रत्येक की दो बैठकें आयोजित की गई।
- कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com का हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।
- वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न केन्द्रीय लोक उद्यमों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में एवं राजभाषा सम्मेलनों में "कम्प्यूटर और मोबाइल फोन में हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में युनिकोड आधारित तकनीकी सुविधाएँ" विषय पर संकाय सहायता प्रदान की।
- हिन्दी में कार्य करने के लिए, द्विभाषी टिप्पणियों, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड को स्वयं से सीखने के लिए सहायता-फाइल भी कंपनी के इंटरानेट में अपलोड किये गये।

खेलकूद

- आपकी कंपनी ने देश में खेलकूद और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना जारी रखा है। खेलकूद प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देने के अंश के रूप में, आपकी कंपनी ने नालको कप राज्य हॉकी चैम्पियनशिप, नालको कप राज्य ओपेन टेनिस टूर्नामेंट, नालको कप गोल्फ टूर्नामेंट, नालको कप बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, बीजु पटनायक राज्य क्रिकेट चैम्पियनशिप, राज्य बेडिमिंटन चैम्पियनशिप का प्रायोजन किया और साथ ही अण्डर-17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया।
- युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति के रूप में, आपकी कंपनी क्रीड़ा क्षेत्र में प्रतिभागिता करनेवाले एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले राज्य के युवा खिलाड़ियों का अभिनंदन करती है। सुश्री अपराजिता गोचिकर, एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी एवं सुश्री गीता भूयाँ, एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बेसबॉल खिलाड़ी को कंपनी द्वारा अभिनंदित किया गया।
- आपकी कंपनी ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति के रूप में, रियो ओलम्पिक में प्रतिभागिता करनेवाली चार भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी नौकरी प्रस्तावित की। इनमें से सुश्री सुनीता लाकड़ा पहले से ही कंपनी में योग दे चुकी हैं। क्रीड़ा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, एकक स्तर पर विभिन्न कार्यकलापों का भी आयोजन किया गया।

सतर्कता

आपकी कंपनी में स्थापित सतर्कता मशीनरी का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

- आपकी कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) के नेतृत्व में एक सुव्यवस्थित सतर्कता संगठन कार्यरत है, जो भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए हैं। अन्य सतर्कता अधिकारी जो मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता करते हैं, वे सी.वी.ओ. की सहमति से उनकी सलाह से प्रतिनियुक्ति के आधार पर चुने जाते हैं। कंपनी के अपने सतर्कता संस्थापन तीन स्थानों, अर्थात् निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल,

नालको नगर परिसर में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का उद्घाटन

अनुगुल और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में हैं।

- सतर्कता कार्यकलाप साधारणतः निरोधक, दंडात्मक, निगरानी और अभिज्ञान की प्रकृति के होते हैं।

सतर्कता विभाग के कार्यकलाप संक्षेप में निम्नवत् हैं;

- शिकायतों का अन्वेषण
- संवेदनशील क्षेत्रों में औचक जाँच
- संविदा/क्रय/बिक्री फाइलों और आन्तरिक अंकेक्षण रिपोर्टों का अध्ययन, जो कि सतर्कता मामलों के लिए सूचना पाने का एक अच्छा स्रोत है।
- प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देना।
- सी.वी.सी. परिपत्रों/ मार्गनिर्देशों का परिचालन।
- विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति प्रदान करना जैसे कि पासपोर्ट, पदोन्नति, त्यागपत्र/ सेवा-निवर्तन/ स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति, पुरस्कार प्राप्ति, विदेशी जिम्मेदारी, और निदेशक-मंडल स्तर पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति आदि पर अनापत्ति प्रमाणपत्र।
- संपत्ति रिटर्न की जाँच-पड़ताल।
- संवेदनशील पदों पर अधिकारियों की बदली पर सलाह देना।
- अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक को सतर्कता मामलों और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों पर सलाह देना।
- सी.बी.आई. के साथ संपर्क कार्य आदि।
- ईमानदारी अनुबंध का कार्यान्वयन।
- निरोधक सतर्कता मशीनरी के अंश के रूप में, कर्मचारियों और सामान्य जनता के मध्य सचेतनता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकलाप

मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकलाप निम्नवत् हैं:

- सी.बी.आई. के साथ संरचनात्मक समीक्षा बैठक आयोजित करने के साथ साथ सी.वी.सी. और सी.बी.आई. के बीच अच्छा संपर्क बनाए रखना।
- मंत्रालय/सीवीसी/सीबीआई को विभिन्न रिपोर्टें/रिटर्न पेश करना।
- आई.पी. (इंटीग्रिटी पैक्ट) के लिए स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (आईईएम) के चयन में सी.वी.सी. की सहायता करना।
- भ्रष्टाचार रोधी नीतियों/उपायों को तैयार करने/अद्यतन करने में प्रबंधन की सहायता करना।

सचेतक नीति

आपकी कम्पनी उच्चतम मानक की पेशेवर-दक्षता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक व्यावहारिकता अपनाते हुए एक स्पष्ट और पारदर्शी रूप में अपने घटकों के कार्यकलापों के आचरण में विश्वास करती है।

इस नीति का उद्देश्य प्रबंधकीय कार्मिक कार्यवाही को रोकने के लिए जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित सचेतक के रूप में एक ढाँचा प्रदान करना है। यह उन कर्मचारियों को संरक्षा प्रदान करती है जो कंपनी के अंदर किसी गंभीर अनियमितता के बारे में चिन्ता प्रकट करते हैं।

इस नीति के विस्तृत विवरण आपकी कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध हैं।

भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति

भ्रष्टाचार एक विशेष श्रेणी का जोखिम है। आपकी कंपनी की भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति भ्रष्टाचार को रोकने एवं भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी विधि के अनुपालन के उद्देश्य से प्रमुख सिद्धांतों एवं आवश्यकता के निर्धारण हेतु कार्यान्वित की गई है।

यह नीति आपकी कंपनी और इसके प्रबंधन की स्पष्ट, पारदर्शी एवं ईमानदार उपायों से व्यवसाय के संचालन में उच्च नैतिक मानकों की प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित करती है जिसका उद्देश्य है आपकी कंपनी की निगम संस्कृति को बेहतर बनाना, निगम अभिशासन में सर्वोत्तम कार्य-अभ्यासों का पालन एवं व्यवसाय की ख्याति को बनाए रखना।

धोखाधड़ी की सूचना देना

रिपोर्ट अंतर्गत वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है।

कम्पनी के पास एक निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी रोकथाम नीति है और इसे कम्पनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर रखा गया है।

सत्यनिष्ठा सूचकांक विकास

एक भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश तैयार करने के लिए सत्यनिष्ठा को कंपनी के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है जो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने, दक्षता बढ़ाने के साथ कार्मिक के नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करती है। सत्यनिष्ठा सूचकांक वित्तीय मापदंडों की बजाय कंपनी की छवि का सूचक होता है। इस विषय में, मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा वर्ष 2017-18 में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए लोक उपक्रमों में सत्यनिष्ठा सूचकांक के आकलन हेतु एक ढाँचे की परिकल्पना की गई थी। इस ढाँचे को विकसित करने में आईआईएम-अहमदाबाद के सहयोग के लिए आपकी कंपनी सहित 25 लोक उद्यम, राज्य संगठनों एवं मंत्रालय को मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा चयन किया गया था।

संगठनों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दक्षता, पारदर्शिता एवं अनुपालन लाने के लिए विस्तृत प्रश्नावलियों के साथ कार्य-निष्पादन, सत्यनिष्ठा अवबोधन, सक्षम योग्य प्रणालियों, प्रक्रिया प्रबंधन, अनुपालन बड़े मापदंड के रूप में लिए गए हैं। आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों के अवबोधन समेत इन मापदंडों के आधार पर सत्यनिष्ठा सूचकांक का आकलन किया जाएगा।

आपकी कंपनी ने समयबद्ध रूप में इस कार्य-प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए एवं आईआईडी पोर्टल में जमा दिए जाने की समयसीमा में कई क्षेत्रों में कार्य-प्रक्रियाओं में उभरे फासले को दूर करते हुए सक्रिय रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और अंततः फरवरी, 2018 में इसे दाखिल किया गया।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम (सू.का.अ.) के प्रावधानों के अनुसरण के लिए, हितधारकों द्वारा मांगी गई सूचनाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक अपीलेट अधिकारी एक लोक सूचना अधिकारी और नौ सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

2017-18 के दौरान सू.का.अ. आवेदन और अपीलों के विवरण निम्नलिखित हैं:

	01.04.2017 को यथा प्रक्रिया अधीन	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित मामलों सहित)	अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित मामलों की सं.	निर्णय जहाँ अनुरोध/ अपील रद्द किए गए	निर्णय, जहाँ अनुरोध/ अपील स्वीकृत और निपटाए गए	31.03.2018 को यथा प्रक्रिया अधीन
अनुरोध	26	219	शून्य	74	153	18
प्रथम अपील	03	46	शून्य	शून्य	49	शून्य

आपकी कंपनी 18.01.2017 से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल (www.rtionline.gov.in) के साथ संरेखित हो चुकी है। सू.का.अ. के अनुरोध इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं और उत्तर दिए जाते है।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण एवं सूचीकरण शुल्क का भुगतान

आपकी कंपनी के इक्विटी शेयरों का देश के प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजों - बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. पर सूचीबद्ध रहना जारी है, जिनके राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल हैं। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए सूचीकरण शुल्क का भुगतान इन स्टॉक एक्सचेञ्जों को समय पर किया जा चुका है।

विनिवेश

भारत 22 ईटीएफ:

16 नवम्बर, 2017 से 21 नवम्बर, 2017 के दौरान, आपकी कंपनी के 9,20,78,399 इक्विटी शेयर (4.76% प्रदत्त पूंजी) भारत सरकार द्वारा दो ट्रान्च

में (प्रथम ट्रान्च 16 नवम्बर, 2017 से 17 नवम्बर, 2017 के बीच 8,49,74,665 शेयर एवं द्वितीय ट्रान्च 20 नवम्बर, 2017 से 21 नवम्बर, 2017 के बीच 71,03,734 शेयरों के लिए) भारत 22 ईटीएफ योजना में अंतरित किए गए थे (भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अंश के रूप में)।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 19 से 22 जून, 2018 के दौरान भारत 22 ईटीएफ योजना के अंतर्गत आपकी कंपनी के 6,98,88,827 शेयर (प्रदत्त पूँजी का 3.61%) का विनिवेश किया है।

कर्मचारी प्रस्ताव – तत्पश्चात् बिक्री के लिए प्रस्ताव

भारत सरकार ने 18 एवं 19 अप्रैल, 2017 को सम्पन्न बिक्री हेतु प्रस्ताव के उपरांत कर्मचारी प्रस्ताव के अंश के रूप में योग्य कर्मचारियों को 21 नवम्बर, 2017 को आपकी कंपनी के 76,17,057 इक्विटी शेयर (प्रदत्त पूँजी का 0.39%) अंतरित किए।

भारत 22 ईटीएफ एवं योग्य कर्मचारियों को शेयर अंतरण के पश्चात, भारत के

सहयोग योजना के अधीन नालको द्वारा एसएचजी को "चरखा" का वितरण

राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयर कंपनी की कुल प्रदत्त पूँजी 65.36% से घटकर 56.59% रह गई है।

शेयरधारकों को सेवाएँ

शेयरों के अंतरण/संचरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, लाभांश के भुगतान, शेयरों के अभौतिकीकरण एवं पुनः भौतिकीकरण और निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित सभी मुद्दों पर कंपनी के आरटीए अर्थात मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि., हैदराबाद द्वारा कार्यवाही की जाती है।

डिपॉजिटरियों को वार्षिक अभिरक्षा/निर्गम शुल्क का भुगतान

2017-18 एवं 2018-19 के लिए वार्षिक कनेक्टिविटी शुल्क और अभिरक्षा शुल्क/निर्गम शुल्क का भुगतान मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. और मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. दोनों को समय पर किया गया।

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसरण में, कंपनी द्वारा सामाजिक, पर्यावरण एवं शासन के संदर्भ में उठाए गए विभिन्न नए कदमों का वर्णन करनेवाली वर्ष 2017-18 की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट अनुलग्नक III में संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

संधारणीय विकास पर रिपोर्ट

- संधारणीयता पर अनिवार्य रिपोर्ट अर्थात् सेबी की अनिवार्य अपेक्षा पर आधारित आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन पहलुओं को सम्बोधित करनेवाली व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट तैयार कर ली गई एवं प्रकाशित की गई तथा वेब में उपलब्ध कराई गई है।
- उपर्युक्त रिपोर्ट के अलावा, जीआरआई जी4 दिशानिर्देशों के संरेखित, स्वैच्छिक आधार पर, एक स्व-चलित रिपोर्ट तैयार की गई है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

अनुसंधान और विकास

- प्रद्रावक संयंत्र में दुनिया में अपनी किस्म का पहला ईटीपीएल की एमिरोन नैनो टेक्नोलॉजी वाला 150 घन मीटर प्रति बैच बहिर्स्रावी जलशोधन संयंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है एवं ओएसपीसीबी द्वारा निर्धारित पर्यावरण के मानदंड को पूरा कर रहा है। एमिरोन संयंत्र की कार्य-निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण 19 मार्च, 2018 को सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। आपकी कंपनी द्वारा वाणिज्यिकृत प्रौद्योगिकी पर राजस्व भागीदारी के लिए मेसर्स ईटीपीएल, हैदराबाद के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।
- लाल पंक निस्यंदन के लिए दबाव निस्यंदन की दक्षता स्थापित करने हेतु मेसर्स यूनिटॉप मल्टीटेक इंडिया प्रा. लि. और मेसर्स एफएल स्मिथ के साथ प्रमुख स्थापनाओं में लाल पंक के निस्यंदन परीक्षण किए गए। अर्जित आंकड़े संयंत्र स्तर के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाएंगे।
- अनुसंधान एवं विकास ने एनोड के आक्सीकरण आचरण में सुधार लाने हेतु एक कार्य-प्रक्रिया विकसित की है जो प्रद्रावक संयंत्र में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई।
- "प्रयोगशाला स्तर पर पार्शियली लैटराइज्ड खोण्डालाइट (पीएलके) से एल्यूमिना का निष्कर्षण" पूरा कर लिया गया है एवं प्रक्रिया के लिए मूल फ्लो शीट सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया द्वारा विकसित की गई है।
- नालको एवं आईआईटी, भुवनेश्वर ने संयुक्त रूप से लाल पंक-उड़नशील राख आधारित जियोपॉलिमर कंक्रीट के संश्लेषण, विशिष्टीकरण एवं विकास" के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है जिसमें जन गतिविधियों में प्रयोग के लिए संभावनाएँ हैं।
- दो पेटेंट आवेदनः
  - i) समुन्नत एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क के परिष्करण हेतु एक प्रक्रिया
  - ii) पार्शियली लैटराइज्ड खोंडालाइट आधारित सेरामिक प्रोपैन्ट्स एवं इसकी प्रस्तुति के लिए आवेदन किया गया है।

- पूर्व में दाखिल किए गए छह पेटेंट आवेदन 2017-18 के दौरान स्वीकृत हो चुके हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन किए जाने के लिए अपेक्षित ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV में दिए गए हैं।

निदेशकों के दायित्वशील विवरण

आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) के प्रावधानों के अनुसार पुष्टि करते हैं कि;

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन करके उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया और ऐसे निर्णय एवं अनुमान तैयार किए जो युक्तिसंगत और सही हैं और वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- निदेशकों ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखें तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विनिर्धारित किए और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ तैयार की थी और ये प्रणालियाँ पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

निगमित अभिशासन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची–V के साथ पठित विनियम 34 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में निगमित अभिशासन रिपोर्ट तैयार की गई एवं इस रिपोर्ट में अनुलग्नक-V पर दी गई है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने निगमित अभिशासन पर एक प्रमाणपत्र जारी किया है जो निगमित अभिशासन रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

संबंधित पक्षों के साथ संविदाएँ और समझौतें

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की नीति को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसे www.nalcoindia.com पर देखा जा सकता है।

आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 38 की ओर आकर्षित करते हैं जो संबंधित पक्ष प्रकटन को दर्शाती है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ कोई संविदा नहीं की गई। बहरहाल, इस रिपोर्ट में फॉर्म एओसी-2 में एक रिपोर्ट अनुलग्नक-VI पर संलग्न है।

निदेशकगण और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक-मण्डल ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को नियुक्त किया है :

- डॉ. टी. के. चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
- श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त)
- श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)
- श्री बसन्त कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)
- श्री एस. के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
- श्री पी. के. मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक) (23.04.2018 से प्रभावी)
- श्री एन. के. महान्ति, कंपनी सचिव (01.06.2017 से प्रभावी)

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा

कंपनी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हुई है जो इस बात की पुष्टि करती है कि उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, दोनों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंड का पालन किया है।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक-मंडल की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गई। बैठकों का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट में निगमित अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक-V) में उपलब्ध है।

बोर्ड की विभिन्न उप समितियाँ

लेखा परीक्षा सहित बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों, उनकी संरचना, संदर्भ की शर्तों, आयोजित बैठकों के विवरण इस रिपोर्ट की निगमित अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक-V) में दिए गए हैं।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार विनिर्धारित फॉर्म एमजीटी-9 में इस रिपोर्ट के अनुलग्नक VII के रूप में संलग्न है।

सामान्य

आपके निदेशक उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटन या रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है क्योंकि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, इन मदों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं किए गए:-

- अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली जमा से संबंधित विवरण।
- लाभांश, वोटिंग या अन्य से संबंधित अन्तरीय अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।
- कंपनी के कर्मचारियों को शेयर, स्वेद इक्विटी और ईएसओएस जारी करना।
- कंपनी के सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक कंपनी से कमीशन प्राप्त नहीं करते हैं।
- विनियामक या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया, जिसका कि कंपनी की वर्तमान स्थिति या भावी परिचालनों पर प्रभाव पड़ सकता है।

आपके निदेशक यह भी उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कोई प्रकटन या रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की यथा संशोधित अधिसूचना और 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को इनके लिए छूट प्रदान की है।

नालको फाउंडेशन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विसक्षम यात्रियों एवं बीमार व्यक्तियों के लिए बैटरी परिचालित वाहन चलाए गए

- धारा 134(3)(ङ) और धारा 178 (2), (3) व (4) के अनुसार, योग्यता, दायित्व और स्वतंत्रता आदि के निर्धारण हेतु मापदंड सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति।
- कंपनी (लेखें) नियमावली के नियम 8(4) के साथ पठित धारा 134(त) के अनुसार, पद्धति, जिसके द्वारा बोर्ड, इसकी समितियों और एकल निदेशकों के कार्यनिष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया।
- कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली के नियम 5 के साथ पठित धारा 197(12) के अनुसार, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक और कर्मचारी के माध्यिका पारिश्रमिक का अनुपात एवं अन्य निर्दिष्ट विवरण।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत एक भी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली।

ऋणों, गारंटी और निवेश के विवरण

कंपनी (मण्डल की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) विनियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत सम्मिलित ऋणों, गारंटी एवं निवेश के विवरण वित्तीय विवरण 2017-18 की टिप्पणी सं. 9 एवं 11 में दिए गए हैं।

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम एवं संबद्ध कंपनियाँ

कंपनी (लेखा) विनियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक संयुक्त उद्यम एवं संबद्ध कंपनियों के कार्य-निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति और इनकी प्रमुख विशेषताओं पर रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण 2017-18 की टिप्पणी सं. 40 एवं 41 में दी गई है।

फॉर्म एओसी-1 (टिप्पणी 41) में संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियों की मुख्य विशेषताएँ कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण का महत्वपूर्ण भाग है।

पुरस्कार और सम्मान

क) लोक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्ट एवं असाधारण अंशदान के लिए प्रतिष्ठित स्कोप अवार्ड-संस्थानिक श्रेणी - 1 (महारत्न एवं नवरत्न पीएसई)। साथ ही नि.सा.उ. में सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए एक और पुरस्कार। आपकी कंपनी सर्वोच्च दो नवरत्न/महारत्न कंपनियों में से एक है जिसे दोहरे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

ख) पंचपटमाली बॉक्साइट खान को सीआईआई पूर्वी क्षेत्र सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2016-17 में बृहत खान श्रेणी में सम्मान पुरस्कार।

ग) वर्ष 2014-15 के दौरान अपने असाधारण निर्यात निष्पादन के लिए बड़ी उद्यम श्रेणी में ईईपीसी सिल्वर ट्रॉफी।

घ) आपकी कंपनी के प्रद्रावक संयंत्र ने वर्ष 2017 के लिए एल्यूमिनियम क्षेत्र में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया है।

ङ) "ओड़िशा मेटलिफेरस माइन्स सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन कमिटी 2017-18" के छमाही सुरक्षा सप्ताह समारोह के दौरान आयोजित अंतर-खान प्रतिस्पर्धाओं में पंचपटमाली बॉक्साइट खान को चार पुरस्कार।

च) मेटलर्जिकल उत्पादों की श्रेणी के अंतर्गत राज्य निर्यात पुरस्कार समारोह

में वर्ष 2015-16 के लिए बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड (सर्वोत्तम निर्यातक पुरस्कार)।

छ) ओड़िशा स्टेट सेफ्टी कॉन्क्लेव-2017 के दौरान एल्यूमिना परिशोधक को वर्ष 2016 के लिए कलिंग सेफ्टी अवार्ड (सिल्वर)।

ज) पंचपटमाली बॉक्साइट खानों को 2016-17 के दौरान संधारणीय विकास ढाँचे के कार्यान्वयन में बेमिसाल कार्य-निष्पादन के लिए 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई।

झ) अग्रणी ओड़िआ दैनिक अखबार 'द संवाद' द्वारा शुरू किए गए 'ब्राण्ड्स ऑफ ओड़िशा : प्राइड ऑफ इंडिया' कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड में सर्वोत्तम पीएसयू अवार्ड।

ञ) "लोवेस्ट वेटेड फ्रीक्वेन्सी रेट ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर द परफॉर्मेन्स इयर-2016" के लिए नालको एल्यूमिना परिशोधक को राज्य सुरक्षा पुरस्कार।

ट) "फ्लाई एश युटिलाइजेशन कॉन्फ्रेंस एक्सपो अवार्ड-2018' के 7 वें संस्करण में मिशन एनर्जी फाउंडेशन द्वारा "फ्लाई एश (उड़नशील राख) के सुदक्ष उपयोग" के लिए एल्यूमिना परिशोधन को पुरस्कार।

ठ) "नि.सा.उ. (सीएसआर) पहलों पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान वर्ष 2016 के लिए कलिंग सीएसआर अवार्ड।

ड) व्यवसाय एवं सामाजिक सेवा में असाधारण उपलब्धि की स्वीकृति में केन्द्रीय लोक उद्यम के लिए नेशनल बिजनेस लीडरशिप अवार्ड।

ढ) दो दिवसीय 17 वें वार्षिक जियोमाइनटेक सम्मेलन के दौरान ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं समावेशित वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सर्वोत्तम सीईओ पुरस्कार।

ण) नॉन-फेरस खनिजों एवं धातुओं पर 21वें अंतरर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक को निगमित अभिशासन पुरस्कार।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना

जीएसटी विधि पर भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर में देशांतरण कर लिया है। ईआरपी में अपेक्षित रूपांतरण/विकास के साथ एसएपी में संबंधित व्यवसाय समाधान (सामग्री प्रबंधन, बिक्री एवं वितरण, वित्त एवं नियंत्रण आदि) को जीएसटी अनुवर्ती बनाया गया है।

कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कंपनी के स्वचलित वित्तीय विवरणों पर सी.एवं ए.जी. से आपकी कंपनी को 'शून्य' टिप्पणी प्राप्त हुई है। इसके अलावा, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर उनके द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा पर भी सी. एवं ए.जी. ने 'शून्य' टिप्पणी दी है। उनकी टिप्पणियाँ इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र संलग्न हैं।

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा-परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक द्वारा मेसर्स गुहा नंदी एण्ड कं., सनदी लेखापाल एवं मेसर्स पात्र एण्ड कं., सनदी लेखापाल कंपनी के संयुक्त लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए।

स्वचलित एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में व्यक्त अवलोकन स्व-व्याख्यात्मक हैं और इसलिए कोई अन्य टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लागत लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू है।

कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की संस्तुति पर वर्ष 2017-18 के लिए मेसर्स तन्मय एस प्रधान एण्ड कं. को लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

आपकी कंपनी निर्धारित समयावधि के अंदर निगमित मामले मंत्रालय को अपनी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करेगी।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार मेसर्स सरोज राय एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिव की सेवा अवधि वर्ष 2017-18 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा कार्य के लिए बढ़ाया गया। सचिवीय लेखापरीक्षकों की योग्यता टिप्पणियों पर प्रबंधन के स्पष्टीकरणों सहित सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-VIII** में संलग्न है।

आन्तरिक लेखापरीक्षक

आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी के आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों के निष्पादन के लिए निम्नलिखित सनदी लेखापाल फर्मों को नियुक्त किया है:

- निगम कार्यालय, भुवनेश्वर के लिए मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स
- प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के लिए मेसर्स एससीएम एंड एसोसिएट्स
- खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी तथा पत्तन सुविधाएँ, विशाखापत्तनम् के लिए मेसर्स राव एंड कुमार
- उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के लिए मेसर्स भाटिया एंड भाटिया
- पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए मेसर्स प्रबीर रंजन दत्ता एंड कं.

- दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के लिए मेसर्स राघवन एंड मुरलीधरन्
- पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई के लिए मेसर्स एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स

निदेशकगण

पिछली रिपोर्ट के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

नियुक्ति

- श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा 06.09.2017 से अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त हुए।
- श्रीमती अचला सिन्हा 08.09.2017 से अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त हुई।
- डॉ. के. राजेश्वर राव, अपर सचिव, खान मंत्रालय 19.02.2018 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त हुए।
- श्री अनिल कुमार नायक, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय 27.03.2018 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त हुए।
- श्री प्रदीप कुमार मिश्रा 23.04.2018 से कंपनी के निदेशक (वाणिज्य) नियुक्त हुए।

कार्यकाल समाप्ति

- श्री सुभाष चंद्र, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय 16.02.2018 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रहे।
- डॉ. निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय 26.03.2018 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रहे।

आपके निदेशकगण श्री सुभाष चन्द्र और डॉ. निरंजन कुमार सिंह द्वारा आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में उनके कार्यकाल के दौरान दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा लिपिबद्ध कराना चाहते हैं।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण पूरी कृतज्ञता के साथ भारत सरकार, विशेषकर खान मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, ओड़िशा सरकार, महानदी कोलफील्ड्स लि॰, भारतीय रेल, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, कोलकाता, सांविधिक लेखा-परीक्षकों, लागत लेखा-परीक्षकों, सचिवीय लेखा-परीक्षकों, आन्तरिक लेखा-परीक्षकों, बैंकरों, न्यायाभिकर्ताओं और सं.उ. साझेदारों, व्यवसाय सहायकों, अन्य सरकारी संस्थाओं और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिए गए निरंतर और प्रचुर समर्थन तथा सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करते हैं।

आपके निदेशकगण सम्मानित और माननीय देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों, विक्रेताओं द्वारा दिए गए उत्कृष्ट समर्थन के लिए भी अपना आभार प्रकट करते हैं और आनेवाले वर्षों में भी उनके साथ इसी प्रकार के पारस्परिक व्यवसाय सहयोग की कामना करते हैं।

अंतिम लेकिन कम नहीं, आपके निदेशकगण विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा की गई समर्पित, वचनबद्ध, जोशबद्ध, अनवरत प्रयास और निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए तथा श्रमिक संघों एवं अधिकारियों के एसोसिएशनों से प्राप्त सक्रिय समर्थन और सहयोग के लिए भी अपनी सराहना एवं आभार दर्ज करते हैं। इनकी कड़ी मेहनत, परस्पर निर्भरता, सहयोग एवं समर्थन से ही कंपनी की निरंतर वृद्धि मुमकिन हो पाई है।

कृते निदेशक-मंडल और उनकी ओर से

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 25.07.2018

(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

राज्य स्तर के गणतंत्र दिवस परेड पर नालको की झाँकी

अनुलग्नक-I

1. **हाथ में ली जानेवाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा और नि.सा.उ. नीति के प्रति संदर्भ और परियोजनाओं या कार्यक्रमों की वेबलिंक सहित कंपनी की नि.सा.उ. नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

नालको ने संधारणीयता के पाँच पी यथा पीपल, प्लानेट, प्रॉस्परिटी, पार्टनरशिप एवं पीस (जन, धरती, समृद्धि, भागीदारी एवं शांति) के पथ पर चलते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण आयामों में संधारणीय विकास उपलब्ध करने के अपने लक्ष्य को बनाए रखा है। व्यापक मध्यस्थतताओं के माध्यम से समावेशित विकास पर नालको ने हमेशा से बल दिया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अधिदेश के अनुसार वर्ष 2014-15 के बाद से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अधीन निर्धारित विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत तत्काल पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान हुए शुद्ध लाभ के औसत का 2% खर्च कर रही है।

निदेशक मंडल अनुमोदित कंपनी की विस्तृत नि.सा.उ. नीति कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nalcoindia.com पर उपलब्ध कराई गई है।

2. **निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का संघटन**

श्री डी. महन्त, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष

श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक

श्री एम. साहु, स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक

श्री एन. एन. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक

श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त)

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)

श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.)

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का कर-पूर्व औसत लाभ (पीबीटी):**

₹ 1,39,378.00 लाख.

4. **निर्धारित नि.सा.उ. व्यय (ऊपर मद सं. 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत) :**

कंपनी अधिनियम 2013, की अनुसूची VII के अन्तर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार, 2017-18 के लिए निर्धारित नि.सा.उ. व्यय ₹ 2788.00 लाख है।

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान नि.सा.उ. पर खर्च का विवरण :**

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि ₹ 2,901.40 लाख

(ख) खर्च नहीं हुई राशि, यदि कोई हो
शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि खर्च की गई, उसका विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना प्रछन्न हैं	परियोजनाएँ या कार्यक्रम(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम, हाथ में लिए गए है उस राज्य और जिले का उल्लेख	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप शीर्ष (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
01	स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रम-मोबाइल मेडिकल एकक, नैदानिक एवं सूचना, शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से सचेतनता निर्माण	अनुसूची VII की मद सं. (i)- निरोधक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले और आंध्रप्रदेश में विशाखापत्तनम्	873.99	485.61	723.83	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
02	(क) एसवीए के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण, ओडीएफ पहल के अन्तर्गत घरेलू शौचालय का निर्माण, विद्यालय में शौचालय, स्वच्छ विद्यालय अभियान के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों में पानी आपूर्ति का प्रावधान	अनुसूची VII की मद सं. (i)- निरोधक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले और आंध्रप्रदेश में विशाखापत्तनम् एवं कांकीनाड़ा	1,058.90	628.07	930.08	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से

(₹ लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना प्रछन्न हैं	परियोजनाएँ या कार्यक्रम(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम, हाथ में लिए गए है उस राज्य और जिले का उल्लेख	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप शीर्ष (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	(ख) स्वच्छ प्रतिष्ठित शहर परियोजना-पुरी	अनुसूची VII की मद सं. (i) - निरोधक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा का पुरी जिला	1,343.33	641.46	641.46	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
03	संयंत्र के परिधीय गाँवों और पुरी में रथयात्रा के दौरान सुरक्षित पीने का पानी प्रदान करना	अनुसूची VII की मद सं. (i)- सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध करना	ओड़िशा के अनुगुल, कोरापुट एवं पुरी जिले	263.58	76.76	216.11	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
04	शिक्षा को प्रोत्साहन, प्रसिद्ध आवासीय स्कूलों औपचारिक शिक्षा के लिए आदिवासी बच्चों का प्रायोजन	अनुसूची VII की मद सं. (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को प्रात्साहन	ओड़िशा के कोरापुट,अनुगुल खुर्धा जिले एवं उत्तरप्रदेश में वाराणसी	3,494.80	573.34	6,011.42	नालको फाउण्डेशन
05	बेरोजगार युवाओं को रोजगार बढ़ाने वाला प्रशिक्षण प्रदान करना	अनुसूची VII की मद सं. (ii) रोजगार बढ़ानेवाले पेशागत कौशल	ओड़िशा के अनुगुल, कोरापुट एवं खुर्दा जिले	484.40	82.81	174.81	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
06	गाँवों में महिला बुनकर एवं कतरक को चरखा वितरण के माध्यम से महिला सशक्तीकरण	अनुसूची VII की मद सं. (iii) - महिला सशक्तीकरण	ओड़िशा के खुर्दा, कोरापुट एवं पुरी जिले	23.50	13.50	13.50	नालको फाउण्डेशन
07	वृक्षरोपण, छत पर सौर विद्युत प्रणाली के माध्यम से पर्यावरणीय संधारणीयता पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना	अनुसूची VII की मद सं. (vii)- पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना	ओड़िशा के कोरापुट एवं खुर्धा जिले	796.75	79.22	399.66	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
08	राष्ट्रीय धरोहर और संस्कृति के परिरक्षण के प्रति अंशदान और पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास	अनुसूची VII की मद सं. (v) - राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का परिक्षण	ओड़िशा के कोरापुट एवं सम्बलपुर जिले	186.28	61.84	152.87	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
09	सामाजिक-आर्थिक विकास/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ अल्पसंख्यकों/महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष/ केन्द्रीय सरकार निधि में अंशदान	अनुसूची VII की मद सं. (viii) - प्रधानमंत्री राहत कोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अन्य किसी निधि में अंशदान	भारत भर में	400.00	—	400.00	नालको फाउण्डेशन
10	परिधीय गाँवों एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास गतिविधियाँ	अनुसूची VII की मद सं. (x) - ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	ओड़िशा के अनुगुल और कोरापुट जिले, मध्यप्रदेश के ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले एवं आंध्रप्रदेश में विजियनगरम एवं विशाखापत्तनम् जिले	1,665.55	183.63	697.29	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
11	विभिन्न नि.सा.उ. परियोजनाएँ/ कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशासनिक कार्य	—	—	206.01	75.16	112.52	नालको फाउण्डेशन
			कुल:	—	**2,901.40**	**10,473.55**	—

- उपर्युक्त नि.सा.उ. खर्च वर्ष 2017-18 के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणों का भाग है।
- नालको फाउंडेशन भारतीय न्यास अधिनियम के अधीन एक न्यास है, जो विशेष रूप से कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए गठित किया गया है।
- कुछ परियोजनाएँ नालको फाउंडेशन द्वारा कंपनी के प्रचालन क्षेत्रों के अंदर कार्यरत उपयुक्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता से कार्यान्वित की गई हैं।.

6. पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इसके किसी अंश के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत को खर्च करने में असमर्थ होने के मामले में कंपनी को राशि के खर्च नहीं किए जाने के कारण अपने निदेशक-मण्डल की रिपोर्ट में प्रदान करने होंगे।

कंपनी ने गत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च किया है।

7. भावी नि.सा.उ रणनीति

भारत सरकार के ध्वज-पोत कार्यक्रम यथा स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत आइकोनिक प्लेसेस, ओडीएफ आदि; स्किल इंडिया के अन्तर्गत रोजगार क्षमता बढ़ाने; बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत कन्या छात्रों की शिक्षा के प्रोत्साहन के समान नालको अपनी परियोजनाओं को केन्द्रित करेगी। बहुत ही प्रशंसित कार्यक्रम "नालको-र अलियाली झिअ" को बड़े स्तर पर पेश किया जाएगा एवं पूरे भारत में केन्द्रीय विद्यालय के घनिष्ठ सहयोग से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। "एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट" (आकांक्षित जिले) के विकास हेतु भारत सरकार की पहल के प्रतिपूरक एवं सम्पूरक के रूप में, कंपनी नीति आयोग द्वारा चिह्नित दो जिले यथा ओड़िशा राज्य के कोरापुट एवं ढेंकानाल में विस्तार लाएगी।

8. नि.सा.उ. नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के नि.सा.उ. उद्देश्यों और नीति का अनुपालन करते हुए हो रही हैं।

स्वा-
(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्वा-
(दीपकंर महन्त)
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष
निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता विकास समिति

अनुलग्नक-II

उद्योग संरचना एवं विकास

एल्यूमिना

वर्ष 2017 के दौरान, धातुकर्मीय ग्रेड एल्यूमिना का कुल भूमण्डलीय उत्पादन 124.02 मिलियन टन था, जिससे 2016 के दौरान उत्पादित 114.96 मिलियन टन की तुलना में 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई। 2017 के दौरान एल्यूमिना की खपत 2016 के दौरान खपत की गई 115.06 मिलियन टन की तुलना में 123.89 मिलियन टन थी, जिससे वर्ष के दौरान 7.7% की वृद्धि हुई। एल्यूमिना के उत्पादन में 54.9% की भागीदारी एवं खपत में 57.5% की भागीदारी के साथ चीन उत्पादन और खपत दोनों में प्रधान अंशदाता था।

विश्व धातुकर्मीय ग्रेड एल्यूमिना (एमजीए) की मांग वर्ष 2018 में 129.2 मिलियन टन पहुँचने की उम्मीद की जाती है, जो वर्ष दर वर्ष पर 4.3% वृद्धि का सूचक है। ओमान, ऑस्ट्रेलिया एवं बहरीन में बाधित क्षमता का पूर्ण उत्पादन शुरू होने से वर्ष 2018 में चीन के बाहर एल्यूमिना की मांग में वृद्धि की अपेक्षा की जाती है।

चीनी एमजीए की मांग, वर्ष 2018 में 74.3 मिलियन टन पहुँचने की उम्मीद व्यक्त की जाती है, जिससे वर्ष-दर वर्ष पर 4.4% की वृद्धि के आसार हैं। चीन द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने पर ध्यान दिए जाने के बावजूद शीतकालीन बंदियों के प्रति प्रद्रावक अनुपालन में शिथिलता बनी रही है। शीतकालीन कटौती के कारण प्रद्रावक में केवल 7,05,000 टन प्रति वर्ष प्रचालन क्षमता बंद रही है। इसी बीच नई क्षमताओं के लिए, बढ़ोतरी बनी रही है। तब भी, हाल के वर्षों में नजर आई दो अंकों की वृद्धि से यह वार्षिक वृद्धि कम है, क्षमता वृद्धि में नियंत्रण रखने एवं देशीय प्रद्रावक उपयोगिता दर को बढ़ाने में चीन की सख्ती इसकी मुख्य वजह रही है।

मध्य-पूर्व में, यूएई में अमीरात ग्लोबल एल्यूमिनियम के 2 मिलियन टन प्रति वर्ष शाहीन परिशोधक के वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में प्रवाह में आने की आशा व्यक्त की जाती है एवं तीसरे पक्ष की एल्यूमिना पर कंपनी की निर्भरता को कम किया है। हालांकि परियोजना निर्धारित अनुसूची अनुसार परिलक्षित है फिर भी परिशोधक के प्रवाह में आने पर स्थायी प्रचालनों के लिए कंपनी अतिरिक्त कदम उठा रही है।

भारत में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एल्यूमिना का कुल उत्पादन 62 लाख टन था, जिसमें आपकी कंपनी का अंशदान 21.11 लाख टन (34%) था।

एल्यूमिनियम

वर्ष 2017 के दौरान एल्यूमिनियम का भूमण्डलीय उत्पादन 63.55 मिलियन टन था, जिससे 2016 में उपलब्ध 58.98 मिलियन टन के उत्पादन आँकड़ों की तुलना में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में, एल्यूमिनियम की विश्वव्यापी खपत वर्ष 2016 के 60.09 मिलियन टन से वर्ष 2017 में 63.60 मिलियन टन पहुँच गई, जिससे 5.8% की वृद्धि हुई। इससे वर्ष 2017 के दौरान बाजार मुख्य रूप से संतुलित रहा। वर्ष के दौरान चीन सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता रहा था, जिसकी एल्यूमिनियम के वैश्विक उत्पादन में 57% की भागीदारी 36.34 मिलियन टन एवं कुल वैश्विक खपत में 54% की भागीदारी (34.40 मिलियन टन) रही। वर्ष 2017 के दौरान चीन उत्पादन वृद्धि का प्रेरक भी रहा, जिसने एल्यूमिनियम के उत्पादन में 13.4% की वृद्धि दर्ज की, जबकि शेष विश्व ने उत्पादन में केवल 1% की वृद्धि हासिल की। एल्यूमिनियम खपत की बात करें तो चीन ने वर्ष 2017 के दौरान स्वस्थ 8% की वृद्धि दर्ज की जबकि शेष विश्व ने 3.4% वृद्धि हासिल की।

एल्यूमिनियम वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन वाली धातु में से एक रहा था एवं 2017 के दौरान मूल्यों में 33% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, औसत एल.एम.ई. नकद निपटान मूल्य यू.एस. डॉलर 2,045 प्रति मे. टन था, जो कि वर्ष 2016-17 के दौरान यू.एस. डॉलर 1,688 प्रति मे. टन के अनुरूपी आँकड़े से 21.2% अधिक था। चीन में प्रद्रावन क्षमता के बंद होने, चीनी सरकार द्वारा प्रदूषण पर कार्यवाही जिससे शीतकाल में प्रद्रावक बंद किए गए, प्रद्रावन प्रचालन लागतों में वृद्धि एवं चीन के बाहर एल्यूमिनियम मालसूची में अवनति मूल्य में वृद्धि की मुख्य वजह रहे हैं। चीन के बाहर कुल एल्यूमिनियम मालसूची वर्ष 2017-18 के शुरू में 9.31 मिलियन टन की थी जो अंत में घटकर 7.49 मिलियन टन पहुँच गई जिससे 19.5% की गिरावट आई।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में अनुमानित वैश्विक एल्यूमिनियम स्टॉक 12.30 मिलियन टन रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में स्टॉक 13.06 मिलियन टन था, जिससे 5.86% की कमी दर्ज की गई।

अवसर एवं खतरे

अवसर

एल्यूमिनियम धातु अपनी कुछ विशिष्ट भौतिक विशेषताओं जैसे कि आघातवर्ध्यता, नमनीयता, सुचालकता आदि के कारण अपने आप में एक दुर्लभ धातु है एवं यह एक गैर-विषाक्त, जंगरोधी एवं गैर चुम्बकीय धातु है। हालांकि यह अपने आप में एक मजबूत धातु नहीं है, परन्तु सिलिकॉन, ताँबा एवं मैग्नेसियम के साथ अत्यंत मजबूत मिश्रधातु का निर्माण करता है। यह बहुत ही हल्के वजन की मिश्रधातु है, पर इसके बावजूद इसमें मजबूती बहुत अधिक होती है। एल्यूमिनियम - जिंक मिश्रधातु की गिनती आज उलपब्ध सबसे मजबूत मिश्रधातुओं में की जाती है एवं ऑटोमोबाइल एवं एयरोस्पेस उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

हल्के वजन, टिकाऊ एवं अनंत रूप से पुनः इस्तेमाल योग्य, मूल्य-वर्धित एल्यूमिनियम उत्पाद दर्जनों प्रयोगों में ऊर्जा लागत एवं कार्बन निस्सरण को कम कर सकते हैं। लेपित एल्यूमिनियम की छतें 95 प्रतिशत तक सूरज की किरणों को परावर्तित कर सकती हैं, जिससे मकान की ऊर्जा सुदक्षता में प्रभावशाली वृद्धि आती है। जबरदस्त पुनः इस्तेमाल योग्य एवं हल्के वजन की एल्यूमिनियम पैकेजिंग से पेय निर्माताओं के लिए समुद्री जहाज से भेजने की लागत एवं कार्बन निस्सरण में कमी आती है। वाहन निर्माता वाहन की ईंधन दक्षता को बढ़ाने के लिए मजबूती और सुरक्षा को बरकरार रखते हुए बहु-सामग्री मिश्रण के अंश के रूप में एल्यूमिनियम के प्रयोग पर जोर दे रहे हैं। दुर्घटना घटने की स्थिति में क्रैश एनर्जी को अवशोषित करने, यात्रियों को सुरक्षित रखने में एल्यूमिनियम बहुत ही प्रभावी धातु है। हल्के वजन वाले एल्यूमिनियम वाहन बेहतर संचालन सुविधा सुनिश्चित करते हैं एवं कम दूरी पर ठहरने की क्षमता से ड्राइवर को दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

भारतीय एल्यूमिनियम की मांग 10% के सी.ए.जी.आर. पर बढ़ रही है एवं सरकार की दूरदर्शी पहलों जैसे कि मेक इन इंडिया. स्मार्ट सिटी, 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, देशी अंतरिक्ष कार्यक्रम, घरेलू सुरक्षा क्षेत्र के पुनः प्रवर्तन आदि के जरिए वर्ष 2030 तक 4 गुना से अधिक बढ़ने की अपेक्षा की जाती है, इससे देशीय निर्माण एवं मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

एल्यूमिनियम विद्युत पारेषण एवं वितरण का एक प्रमुख घटक है (भारत में कुल एल्यूमिनियम खपत के 98% में भागीदारी) लड़ाकू एयरक्राफ्ट एवं हेलिकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बी के लिए वायु संरचनाओं एवं वायु फ्रेम, इंजन, रडार, मिसाइल आदि के लिए घटकों में विशेष अत्याधुनिक एल्यूमिनियम मिश्रधातु के रूप में देशीय रक्षा क्षेत्र में एल्यूमिनियम की मांग बढ़ रही है।

खतरे

हाल के समय में वैश्विक एल्यूमिनियम मूल्यों में प्रदर्शित अस्थिरता एल्यूमिनियम उद्योग के संभावित खतरों में से एक है। पूरे विश्व में, विशेषकर चीन में प्रद्रावक क्षमता के तीव्र विस्तार के कारण गोदामघरों में एल्यूमिनियम-धातु की उपलब्धता पर्याप्त परिमाण में बढ़ी है, जिससे धातु के मूल्यों पर दबाब बढ़ा है।

इसके अलावा, कई प्रमुख अर्थ-व्यवस्थाओं ने अपने देशीय उद्योग के सुरक्षार्थ संरक्षणवादी शुल्क की प्रथा चालू की है, इससे व्यापार युद्ध छिड़ गया है और इस प्रकार अन्य खुले बाजारों जैसे कि भारत में स्टॉक के सैलाब आने का खतरा बढ़ गया है एवं भारतीय एल्यूमनियम निर्यातकों के लिए बाजार में भी कमी आएगी। एल्यूमिनियम के प्रमुख उपभोक्ता चीन की मंद अर्थ-व्यवस्था भी एल्यूमिनियम उद्योग के लिए एक चिंता का विषय है, इससे पूरे विश्व में एल्यूमिनियम के अधिशेष स्टॉक जमा होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

प्राथमिक एल्यूमिनियम निर्माताओं को हर वर्ष बढ़ रहे एवं प्राथमिक उत्पादकों के बाजार की भागीदारी को हजम कर रहे द्वितीय वर्ग के एल्यूमिनियम उत्पादकों से स्क्रैप के आयात में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

भविष्य के लिए दृष्टिकोण

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

एल्यूमिनियम के लिए भूमण्डलीय दृष्टिकोण कुछ प्रधान अर्थ-व्यवस्थाओं द्वारा शुरू की गई संरक्षणवादी व्यवसाय नीतियों एवं व्यवसाय युद्धों में आशावान बना रहा है, जो कि दूसरे राष्ट्रों में प्रतिकारात्मक उपाय के रूप में तेजी से पैर पसार रहा है। एल्यूमिनियम की भूमण्डलीय खपत वर्ष 2018 में 66.7 मिलियन टन पहुँचने की अपेक्षा है, इससे वर्ष-दर-वर्ष पर 4.7% की वृद्धि दर्ज होगी। अपेक्षित आर्थिक मंदी के तहत चीन में इस वर्ष 5.9% एल्यूमिनियम खपत के बढ़ने की संभावना है, जो कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अपेक्षित रूप से कम है।

इसी दरमियान, वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादन इस वर्ष सामान्य 3.3% पर बढ़कर 65.7 मिलियन टन पहुँचने की संभावना है, चीन में इस वर्ष 37.7 मिलियन टन के साथ 3.6% की शुद्ध वृद्धि का अनुमान है। समग्र रूप से 1 मिलियन टन कमी की संभावना है, जो मूल्यों के समर्थन हेतु अपेक्षित है।

चीन में, मुख्य रूप से शीतकालीन वायु प्रदूषण नियंत्रण की वजह से पहली तिमाही की मंदी के उपरांत निर्माण स्थलों की सामान्य स्थिति में आने से मांग की गति में वृद्धि आयी है। बीते वर्षों में चीनी वाहन निर्माताओं ने भी धीमी शुरूआत महसूस की। वर्ष 2018 के पहले दो महीनों के दौरान, चीन का कुल ऑटोमोटिव उत्पादन 4.39 मिलियन यूनिट था, वर्ष-दर-वर्ष 3% की कमी आई है जो कि वर्ष 2017 में उच्च पूल एवं 1 जनवरी 2018 से पूर्णतया 10% पर लौट आने से संबंधित खरीदी क्रय दर का संयुक्त द्योतक है। वर्ष 2018 में वाहन उत्पादन में सामान्य वृद्धि का पूर्वानुमान है। तथापि, नए ऊर्जा वाहन बाजार की दो अंकों में वृद्धि के साथ कार में निरंतर हल्के वजन लाने से ऑटो उद्योग में एल्यूमिनियम खपत की वृद्धि को समर्थन प्राप्त होगा।

वर्ष 2017 में अमेरिकी प्राथमिक कपत में 1.0% (54,000 टन) की वृद्धि हुई एवं उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2018 में खपत में अतिरिक्त 3.0% (1,62,000 टन) की वृद्धि होगी। यह भी उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2018 में एल्यूमिनियम खपत की वृद्धि समूचे उद्योग में परिलक्षित होगी, जो कि निर्माण क्षेत्र और साथ ही ट्रक एवं ट्रेलर बाजारों में मांग के सुदृढ़ रहने से बंधी है। एकमात्र पैकेजिंग के बाजार में बढ़ोतरी आने की अपेक्षा नहीं की जाती है, जो कि वर्ष-दर-वर्ष पर स्थिर बना रहेगा।

पहली तिमाही में यूरो जोन के लिए निराशाजनक आर्थिक आँकड़ों के बावजूद वर्ष 2018 के लिए यूरोपियन प्राथमिक मांग सुदृढ़ बनी रही है।

वर्ष 2018 में, यूरोप के लिए प्राथमिक एल्यूमिनियम खपत वर्ष-दर-वर्ष पर 3% की वृद्धि के साथ 9.5 मिलियन टन पहुँचने की उम्मीद की जाती है। अधिकांश देशों में परिवहन क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी एवं अभियांत्रिकी बाजारों में वृद्धि से अर्ध खपत को प्रोत्साहन बरकरार रहेगा।

इस वर्ष एल.एम.ई. एल्यूमिनियम के मूल्य बहुत ही अस्थिर रहे हैं, अल्प समयावधि में तेज बढ़ोतरी एवं दुरुस्ती नजर आई है। यह मूलतः अमेरिका द्वारा व्यापार शुल्क लगाए जाने एवं इससे प्रभावित दूसरे देशों द्वारा तत्पश्चात प्रतिकारात्मक कदम उठाए जाने के कारण हुई है। समग्र रूप से मूल्यों में सुदृढ़ता परिलक्षित हुई है एवं धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2018 की पहली तिमाही के दौरान एलएमई नकद मूल्य औसत की दृष्टि से यू.एस. डॉलर 2.159 प्रति मे.ट. रहा जो वर्ष 2018 की दूसरी तिमाही में बढ़कर यू.एस.डॉलर 2.259 पहुँच गया।

देशीय परिदृश्य

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (आई.एम.एफ.) के पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2018 में 7.4% की वृद्धि दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था होगा जिसकी वर्ष 2019 में वृद्धि दर 7.8% होगी एवं मध्यम श्रेणी की संभावना आशावान बनी रहेगी। आई.एम.एफ. ने कहा कि भारत नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर आरंभ किए जाने के प्रभावों से उबर रहा था एवं अल्पकालिक आघातों के उपरांत सकारात्मक प्रतिक्रिया द्वारा एवं सुदृढ़ निजी क्षेत्र की खपत के सहयोग से स्थिति में सुधार की अपेक्षा की जाती है।

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में एल्यूमिनियम का कुल उत्पादन 18.1% की भारी वृद्धि के साथ 3.4 मिलियन टन था, इसी अवधि के दौरान, एल्यूमिनियम की खपत 9.8% बढ़ी है, जिसमें से एल्यूमिनियम आयातों का अंशदान 54.1% था। एल्यूमिनियम निर्यात प्राथमिक उत्पादकों द्वारा 1.72 मिलियन टन था, जिससे वर्ष-दर-वर्ष पर 31.5% वृद्धि दर्ज की गई।

भारतीय निर्यातों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापार शुल्कों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव को जान पाना अभी अपेक्षित है। तथापि, देश में वर्धित औद्योगिक गतिविधियों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि मेक इन इंडिया एवं स्मार्ट सिटी के समर्थन से देशीय बाजार में सुदृढ़ वृद्धि आने की अपेक्षा की जाती है। मांग में वृद्धि के आसार को देखते हुए प्राथमिक उत्पादक पिछले वर्ष की तुलना में अपने उत्पादन में बढ़ोतरी ला रहे हैं, इस वर्ष भी इसे जारी रहने की अपेक्षा की जाती है।

जोखिम एवं चिन्ताएँ

एल.एम.ई. मूल्यों में अस्थिरता, विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव, एल्यूमिनियम धातु के वैश्विक उत्पादन में उतार-चढ़ाव, वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में सुस्ती एवं मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए देशीय बाजार में द्वितीयक उत्पादकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा नियमित चिन्ताएँ बन चुकी हैं। निविष्टियों विशेषकर कास्टिक सोड़ा, सी.पी.कोक, सीं.टी. पिच, एल्यूमिनियम फ्लूराइड के मूल्यों में वृद्धि एवं लिंकेज एवं ई-नीलामी कोयले की उपलब्धता कुछ प्रमुख चिन्ताएँ हैं।

जोखिम प्रबन्धन

इस कम्पनी की एक जोखिम प्रबन्धन नीति है, जिसमें अन्य विषयों के साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देश शामिल हैं। जोखिम प्रबन्धन को सामान्य व्यावसायिक अभ्यासों के अधीन लिया जाता है और निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में होता है।

कम्पनी की निदेशक-मंडल स्तर पर जोखिम प्रबन्धन समिति है। यह समिति आपवादिक जोखिम रिपोर्टों की समीक्षा करती है एवं समय समय पर उपचारी उपायों की राय देती है। जोखिम कम करने के उपायों की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि कार्यपालक प्रबन्धन एक उचित पारिभाषिक ढाँचे के माध्यम से जोखिम पर नियन्त्रण रखना सुनिश्चित कर सकें। न्यूनीकरण योजनाओं के साथ नए जोखिम क्षेत्रों की पहचान के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है। पहचाने गए जोखिम के लिए मनोनीत जोखिम अधिकारी निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर रखते हैं जिनकी कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा और साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर समीक्षा की जाती है। विचलन, यदि कोई हो, तो इसकी रिपोर्ट जोखिम प्रबन्धन समिति और निदेशक-मंडल को दी जाती है। अभी तक कंपनी में वर्ष के दौरान कोई जोखिम प्रचलित रहने का पता नहीं चला है जो कंपनी के व्यवसाय की कार्यप्रणाली के लिए संकट बन जाए।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतिरक नियंत्रण की एक यथा प्रतिष्ठित एवं पर्याप्त प्रणाली है। कम्पनी की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निम्नोक्त को प्रदान करने के लिए तैयार की गई है:

- प्रयोज्य विधानों, नीतियों एवं कार्य प्रक्रियाओं, नियमों और अधिनियमों तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी का अनुपालन।
- लागू लेखाकरण मानकों और नीतियों का पालन।
- लेनदेनों को समुचित रूप से रिकॉर्ड करना एवं यथा समय रिपोर्ट करना।
- संसाधनों का प्रभावी उपयोग एवं कुशल प्रचालन।
- परिसंपत्तियों की हिफाजत।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5)(ड.) के अनुसार, यह पूर्ण दायित्व निदेशकगणों का है कि वे सुनिश्चित करें कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली एवं ढाँचे का कार्यान्वयन किया है, जो पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से परिचालित हैं।

कम्पनी के पास अपने व्यवसाय परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों के नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और दिशा-निर्देश हैं। इसमें कंपनी द्वारा समय समय पर निर्धारित अधिकारों का प्रत्यायोजन, विभिन्न नियमावलियाँ, कायदे कार्यनीतियाँ और मार्गनिर्देश शामिल हैं। कंपनी के व्यवसाय सम्पादन में, अनुमोदित नीतियों, पद्धतियों एवं अनुदेशों का प्रभावी एवं दायित्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कम्पनी ने अंकेक्षण समिति द्वारा यथा अनुमोदित एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढाँचा विकसित और कार्यान्वित किया है जिसमें अंदरूनी संस्था स्तर की नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और प्रचालन स्तर की मानक प्रचालन पद्धतियाँ शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कंपनी के मामलों से जुड़े अधिकारियों में जागरूकता लाना है ताकि निर्दिष्ट नीतियों, पद्धतियों, अनुदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके जिनके प्रभावी नियंत्रण के लिए अभिकल्पित एवं व्यवस्थित हैं। इससे निर्देशकों को रिपोर्टिंग, प्रचालन एवं अनुपालन जोखिमों के विषय में नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालनीय कार्यकारिता के बारे में यथा संगत आश्वासन प्राप्त होता है।

वित्तीय विवरणों को लेखा-परीक्षा समिति एवं बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कंपनी द्वारा गृहीत प्रयोज्य लेखांकन मानकों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुपालन में तैयार किया जाता है। पूरी कंपनी भर में इन नीतियों को एक समान लागू किया जाता है। मानक प्रचालन पद्धतियों द्वारा समर्थित लेखांकन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। यह कम्पनी एक व्यवसायी सक्षमकर्ता के रूप में और साथ ही अपनी लेखा बहियों को व्यवस्थित करने के लिए ईआरपी प्रणालियों का प्रयोग करती है। ईआरपी प्रणालियों में निर्मित मानक प्रचालन पद्धतियाँ और लेनदेन संबंधी नियंत्रण, समुचित अभिलेखन, कार्यविधियों का अनुमोदन एवं अभिलेखों का व्यवस्थापन सुनिश्चित करते हैं। इन प्रणालियों, मानक प्रचालन पद्धतियों और नियंत्रणों की प्रबंधन द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचे में वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले सभी संबंधित क्षेत्रों से संश्लिष्ट की विस्तृत जाँच-सूची संलग्न किया है।

कंपनी ने सभी स्थानों एवं कार्य क्षेत्रों में लेखा-परीक्षा के निष्पादन हेतु अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य वाह्य सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपा है। आन्तरिक अंकेक्षक संगठन में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि मुख्यतया पूरे संगठन में ईआरपी कार्यान्वयन द्वारा सरलीकृत हुई है। लेखा-परीक्षा के फलस्वरूप आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की समय-समय पर उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाती है एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षकों के भौतिक अवलोकन लेखापरीक्षा समिति के पास जमा कराए जाते हैं ताकि इनकी समीक्षा एवं विश्लेषण हो सके और आंतिरक नियंत्रण प्रणाली को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सलाह दी जा सके। इस प्रकार प्राप्त कार्रवाई रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के पास समय-समय पर जमा की जाती है।

वर्ष के दौरान, नियन्त्रणों को जाँचा-परखा गया था एवं रूपरेखा एवं कार्यकारिता में रिपोर्ट करने लायक कोई भौतिक कमजोरी नजर नहीं आई थी जो कि आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित है एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में कथित है। कम्पनी यह निर्दिष्ट करती है कि किसी भी आंतरिक नियंत्रण ढांचे की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी एवं इसमें संशोधन किया जाएगा, ताकि बदलते व्यावसायिक परिवेश के साथ सामंजस्य बैठाते हुए प्रगतिशील आधार पर ऐसी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जा सके। संसाधनों के प्रभावी उपयोग एवं सुदक्ष प्रचालनों से, आपकी कंपनी ने अपने उत्पादन मापदंडों में चतुर्दिक सुधार उपलब्ध किए है। वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सेवानिवर्तन के कारण जनशक्ति में पर्याप्त कमी आने के बावजूद खान में बॉक्साइट परिवहन 68.25 लाख मे.ट. से बढ़कर 70.25 लाख मे.ट., परिशोधक में हाईड्रेट उत्पादन 21.00 लाख मे.ट. से 21.06 लाख मे.ट. एवं निस्तप्त

हाईड्रेट 20.3 लाख मे.ट. से 21.11 लाख मे.ट., प्रद्रावक में धातु उत्पादन 3.87 लाख मे.ट. से 4.26 लाख मे.ट., ग्र.वि.सं. में विद्युत उत्पादन 6.066 मि.यू. से 6.547 मि.यू. तथा पवन विद्युत 206 मि.यू. से 252 मि.यू. पहुँच गए।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, परिशोधक में कास्टिक सोड़ा की विशिष्ट खपत 109.83 कि.ग्रा/ट. से घटकर 100.21 कि.ग्रा/ट., परिशोधक में विद्युत ऊर्जा 320 से घटकर 316 कि.वा.घं./ट. एवं कोयले की खपत 653 कि.ग्रा./ट. से कम हो कर 647 कि.ग्रा./ट. आ गई। निष्कर्षण दक्षता भी 2016-17 के 97.51% की तुलना में सुदृढ़ होकर 98.31% हो गई। प्रद्रावक में शुद्ध विशिष्ट कार्बन खपत 432 से घटकर 430 कि.ग्रा/मे.ट., भट्टी तेल 68 से घटकर 65 ली./ट., पॉट की उत्पादकता 1.36 ट./पॉट/दिन से सुदृढ़ होकर 1.367/ट./पॉट/दिन तक पहुँच गई। ग्र.वि.सं. के अपने पी.एल.एफ. एवं एस.एच.आर. (स्टेशन हीट रेट) बढ़कर क्रमशः 65.35% से 70.27% एवं 2.793 से 2.741 कि. कैल./कि.प्र.घं. तक पहुँच गए।

प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

क. वित्तीय प्रचालन

I. प्रचालन से राजस्व

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	परिवर्तन %
निर्यात कारोबार	4,075.46	3,624.99	12
देशीय कारोबार	5,429.66	4,308.00	26
सकल कारोबार	9,505.12	7,932.99	20
अन्य प्रचालन आय	113.19	117.03	(3)
कुल	**9,618.31**	**8,050.02**	**19**

यहाँ उल्लेख किया जाता है कि 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी पेश किए जाने के फलस्वरूप, बिक्री पर उत्पाद शुल्क जिसे सकल कारोबार में सम्मिलित किया गया था, को अलग रखा गया है। अतएव, वर्ष 2016-17 के लिए सकल देशीय कारोबार जिसमें पूरे वर्ष के लिए बिक्री पर उत्पाद शुल्क सम्मिलित है एवं 2017-18 के लिए जिसमें केवल पहली तिमाही के लिए उत्पाद शुल्क सम्मिलित है वो तुलना योग्य नहीं हैं।

वर्ष के दौरान शुद्ध देशीय बिक्री कारोबार पिछले वर्ष के ₹ 7,438 करोड़ की तुलना में ₹ 9,376 करोड़ है, जिससे लगभग 26% की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान बिक्री कारोबार, बिक्री उपलब्धि और बिक्री के परिमाण में वृद्धि के संयुक्त प्रभाव के कारण पिछले वर्ष से इस वर्ष के दौरान बढ़ा है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 13.37 लाख मे.ट. एल्यूमिना की बिक्री उपलब्धि की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 12.95 लाख मे.ट. उपलब्धि हुई थी। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 4.26 लाख मे.ट. एल्यूमिनियम धातु बिक्री उपलब्धि की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 3.86 लाख मे.ट. उपलब्धि हुई थी। एल्यूमिनियम धातु और एल्यूमिना की औसत बिक्री उपलब्धि क्रमशः लगभग 15% एवं 21% बढ़ी है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम धातु और एल्यूमिना का बिक्री परिमाण क्रमशः लगभग 11% एवं 3% बढ़ा है।

अक्षय विद्युत ऊर्जा पर अधिक प्रोत्साहन किए जाने के बावजूद, वर्ष के दौरान अन्य प्रचालन आय पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हुई है, जो कि15 नवम्बर, 2016 से प्रभावी मूलतः एल्यूमिना पर शुल्क में 1.4% से 1.1% एवं एल्यूमिनियम पर शुल्क में 1.9% से 1% तक शुल्क घटने के फलस्वरूप निर्यात प्रोत्साहन घटने के कारण ऐसा हुआ है।

II. अन्य आय (गैर प्रचालनगत)

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	परिवर्तन %
अन्य आय	299.65	408.27	(27)

सितम्बर, 2016 में शेयरों की वापस-खरीदी के कारण निवेशयोग्य अधिशेष के घटने के बाद मुख्यतः अधिशेष निधि के निवेश से कम आय होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में अन्य प्रचालन आय कम हुई है। उपर्युक्त के अलावा लब्धि में कमी के परिणामस्वरूप अन्य आय कम हुई।

आय का विभाजन: वित्त वर्ष 2017-18

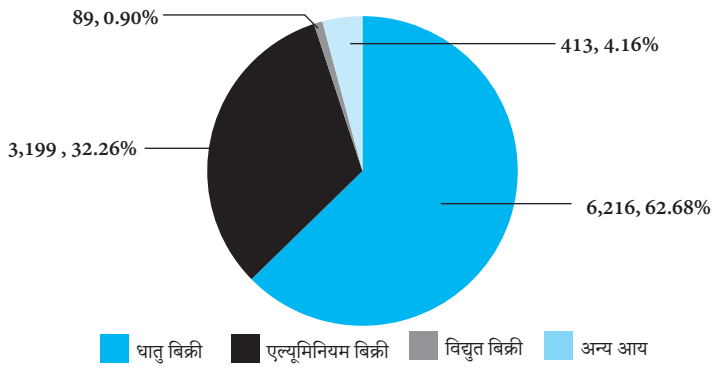

टिप्पणी : अन्य आय में प्रचालन आय शामिल है, अर्थात् निर्यात प्रोत्साहन और अक्षय ऊर्जा के सृजन पर प्रोत्साहन तथा गैर- प्रचालन आय अर्थात् अधिशेष निधियाँ के निवेश से आय और अन्य विविध आय।

III. **खर्च** ₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	परिवर्तन %
खपत किया हुआ कच्चा माल	1,465.31	1,181.79	24
विद्युत और ईंधन	2,747.92	2,212.53	24
कर्मचारी परिलाभ व्यय	2,261.20	1,537.44	47
स्टॉक अभिवृद्धि/अवक्षय	47.43	(96.59)	(–149)
अन्य व्यय	1,590.14	1,628.22	(–2)
वित्त लागत	1.95	2.69	(–28)
मूल्यह्रास	480.40	480.36	0
उत्पाद शुल्क	108.86	506.98	(–79)
कुल	**8,703.21**	**7,453.42**	**17**

- पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल व्ययों में वृद्धि मूलतः सी.पी. कोक, सी.टी. पिच और कॉस्टिक सोड़ा जैसे कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि एवं एल्यूमिनियम धातु के परिमाण में वृद्धि के कारण हुई है। तथापि, कॉस्टिक सोड़ा की न्यूनतर विशिष्ट खपत के कारण व्यय में आंशिक कमी आई है।
- विद्युत एवं ईंधन लागत में वृद्धि मूलतः निम्नोक्त पर आरोपयोग्य हैः कोयला मिश्र में परिवर्तन, एचएफओ के मूल्य में वृद्धि एवं 12 मई, 2017 से प्रभावी विद्युत शुल्क की दर में प्रति इकाई 30 पैसे से 55 पैसे तक प्रति इकाई वृद्धि के कारण ग्र.वि.सं. एवं परिशोधक में उच्चतर प्रभावी मूल्य।
- कर्मचारी लाभ व्ययों में वृद्धि मूलतः 1 जनवरी 2017 से प्रभावी जनवरी 2018 के दौरान कार्यान्वित कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन संशोधन एवं गैर कार्यपालक कर्मचारियों के लिए देयता प्रावधान के कारण हुई है जिसके लिए दीर्घकालीन मजदूरी समझौता प्रतीक्षारत है। इसके अलावा, उपदान भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 की सूचना के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को देय उपदान की वर्धित उच्चतम सीमा के कारण भी कर्मचारी लाभ व्यय में वृद्धि हुई है।
- सांविधि द्वारा आबन्ध के प्रतिशत में वृद्धि के कारण अक्षय क्रय आबन्ध बाबत व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा, उच्चतर एल.एम.ई. एवं परिमाण में वृद्धि के कारण बॉक्साइट उत्पादन पर राजस्व, डी.एम.एफ. एवं एन.एम.ई.टी. के अंशदान में वृद्धि हुई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त व्ययों में वृद्धि के बावजूद वर्ष के दौरान अन्य व्ययों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है जो कि ओड़िशा सरकार के साथ एककालीन बन्दोबस्त के फलस्वरूप विभाजित पानी शुल्क पर गैर-प्रावधानीकरण ब्याज के कारण हुई है।

व्यय का विभाजन: वित्त वर्ष 2017-18

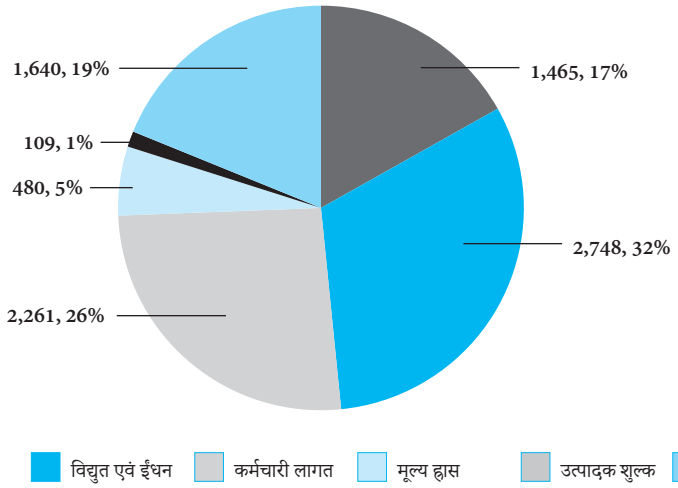

टिप्पणी : अन्य व्यय में मरम्मत एवं अनुरक्षण, स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत, अन्य निर्माण व्यय, साधारण प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय और उत्पाद शुल्क शामिल हैं।

IV. **विशिष्ट मदें**

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18
क.	पानी शुल्क पर विवादित ब्याज हेतु प्रावधान प्रतिलेखन	(785.71)
ख.	डीएमएफ में अंशदान के लिए देनदारी/दावे का प्रतिलेखन	(40.69)
ग.	खराब एवं संदिग्ध प्रावधान का शुद्ध रोजगार लाभ व्यय	2.32
	कुल	**(824.08)**

विशिष्ट मद ₹ 824.08 करोड़ में, ओड़िशा सरकार के साथ ₹ 785.71 करोड़ का विवादित पानी शुल्क बंदोबस्त एवं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उपरांत ₹ 40.69 करोड़ की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन देनदारी का व्युत्क्रमण शामिल है।

V. **कर पश्चात लाभ और प्रति शेयर आय**

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
कर-पूर्व लाभ	2,038.83	964.72
कर व्यय	696.42	296.19
कर-पश्चात लाभ	1,342.41	668.53
प्रति शेयर आय (₹ 5 प्रत्येक का)	6.94	2.98

VI. **लाभांश विवरण**

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
अंतरिम लाभांश (%)	94	56
अंतिम लाभांश (%)	20	--
कुल (%)	**114**	**56**

B. **वित्तीय स्थिति**

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18 (₹ करोड़ में)	वित्त वर्ष 2016-17 (₹ करोड़ में)	परिवर्तन %
परिसम्पत्तियाँ			
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	7,845.21	7,533.28	4
अमूर्त	209.47	177.15	18
निवेश	710.57	1,260.68	(-44)
मालसूची	1,194.08	1,155.93	3
व्यापारिक प्राप्य	258.13	184.25	40
नकद एवं बैंक	2,768.95	2,287.23	21
ऋण	104.25	117.30	(-11)
अन्य वित्तीय लागत	165.69	167.26	(-1)
वर्तमान कर परिसम्पत्तियाँ	32.13	34.12	(-6)
अन्य परिसम्पतियाँ	1,325.32	1,584.45	(-16)
कुल	**14,613.80**	**14,501.65**	
इक्विटी एवं देनदारियाँ			
इक्विटी शेयर पूँजी	966.46	966.46	–
आरक्षित एवं अधिशेष	9,538.35	9,239.33	3
आस्थगित कर देनदारियाँ	1,151.45	1,245.58	(-8)
व्यापारिक देय	977.37	864.07	13
उधारी	44.99	51.09	(-12)
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	515.72	471.46	9
प्रावधान	811.97	445.18	82
अन्य देनदारियाँ	607.49	1,218.48	(-50)
कुल	**14,613.80**	**14,501.65**	

- सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के वहन मूल्य में वृद्धि कायाथर, चैन्ने में लिए गए नए पवन विद्युत संयंत्र की बाबत प्रगति पर पूँजी कार्य, ए.एम.आर. मदों और विस्तार परियोजनाओं पर व्यय के कारण घटी है।
- म्युचुअल फंड में मूलतः दीर्घकालीन निवेशों की परिपक्तता के कारण म्युचुअल फंड में निवेश घटा है। तथापि, वर्ष के दौरान स.उ. कंपनियों में ₹ 78.05 करोड़ का इक्विटी अंशदान किया गया है।
- पिछले वर्ष की तुलना में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों में मुख्यतः गैर-वसूल हुए बिलों में वृद्धि के कारण व्यापार प्राप्य बढ़ा है।
- आरक्षित एवं अधिशेष में वृद्धि प्रधानतः विनियोग के पश्चात अवशिष्ट लाभ के कारण हुई है। वार्षिक साधारण बैठक में अंतिम लाभांश यदि अनुमोदित होता है, तो इसमें कमी आएगी।
- गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के आसन्न वेतन संशोधन के लिए प्रदत्त देनदारी एवं अन्य कर्मचारी लाभ देनदारी के कारण प्रोद्भूत मजदूरी एवं तनख्वाह की वजह से व्यापार प्राप्य बढ़ा है।
- प्रावधान में वृद्धि मूलतः ग्रेच्युटी की उच्चतम सीमा में वृद्धि एवं पी.आर.एम. बी.एस. योजना के संशोधन के कारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ की देनदारी से घटी है।
- अन्य मौजूदा देनदारियों में कमी मुख्यतः ओड़िशा सरकार के साथ विवादित जल शुल्क के एककालीन बंदोबस्त के कारण घटी है।

ग. मुख्य वित्तीय अनुपात :

क्रम सं.	विवरण	2017-18	2016-17
1	कर-पश्चात लाभ/शुद्ध सम्पत्ति	12.78%	6.55 %
2	ईबीआईटी/शुद्ध बिक्री	12.98%	13.55%
3	ईबीआईटी/नियोजित पूँजी	12.32%	10.74%

घ. खण्डवार सूचना

क्रम सं.	विवरण	रसायन (एल्यूमिना)		एल्यूमिनियम		अनाबंटनीय		कुल
		₹ करोड़ में	अंश (%)	₹ करोड़ में	अंश (%)	₹ करोड़ में	अंश	₹ करोड़ में
1	सकल बिक्री	3,199	33.66	6,220	65.44	86	0.90	9,505
2	पीबीआईटी (विशिष्ट मद पूर्व)	1,521	125.00	(367)	(30.17)	63	5.17	1,217
3	नियोजित पूँजी #	3,000	25.74	3,511	30.12	5,145	44.14	11,656
4	आरओसीई (%) (2/3)	-	50.69		(10.46)	-	1.22	10.44
5	पीबीआईटी सीमान्त (%) (2/1)	-	47.54		(5.90)	-	-	12.80

'अनाबंटित सामान्य' के अधीन नियोजित पूँजी में नकद शेष और पवन विद्युत संयंत्र एवं विस्तार एककों की परिसम्पत्तियाँ शामिल हैं।

लागत कम करने के उपाय और महत्वपूर्ण कच्चे माल की विशिष्ट खपत कम करने के प्रयास

प्रचालन कुशलता को बढ़ाना एवं विशिष्ट खपत को कम करना एक प्राथमिकता का क्षेत्र है और इसके माध्यम से ऊर्जा, कच्चे माल आदि की खपत में कमी होती है, परिणामस्वरुप लागत में कमी आई है। ऐसी अनेक पहल हाथ में ली गई जिनमें से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निम्न परियोजनाओं से लाभ प्राप्त हुए हैं।

- **प्रद्रावक:**
  - वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 121 पॉट को ग्रैफिटाइज किया गया एवं इस ग्रैफिटाइजेशन के फलस्वरुप 1,26,70,240 कि.वा.प्र.घं. (1089.64 टीओई) की ऊर्जा बचत हुई है।
- **ग्र.वि.सं.:**
  - एकक 1 में जनवरी, 2018 में मेसर्स भेल के सहयोग से 24 सेक्टर के साथ दोहरी सीलबंदी व्यवस्था वाले एयर प्रिहीटर के संशोधित संस्करण प्रारंभिक एकल सीलबंदी, 12 सेक्टर एपीएच के स्थान पर संयोजित किए गए। इससे वायु रिसाव में कमी आने एवं ऊष्मा स्थानांतरण में वृद्धि होने के कारण बॉयलर की कुशलता में 1.14% की वृद्धि हुई है।
  - एकक 1,8 एवं 10 कन्डेन्सर शून्य में सुधार आने के कारण कुल खपत में बचत लगभग 16,371 मे.ट./वर्ष प्रति एकक हुई है।
- **एल्यूमिना परिशोधक:**
  - बैटरी ए, बी, सी एवं डी में 50 अदद वी.एफ.डी. के क्रय, संस्थापन एवं आरंभ करने का कार्य 30.12.2017 को पूरा किया गया एवं पिछले चार महीने में 3,637,000 कि.वा.घं. की विद्युत ऊर्जा बचत हुई है।
  - एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजना के रूप में "सभी समतल वाशर्स में गेहूँ की भूसी का कृत्रिम फ्लोक्यूलैंट द्वारा प्रतिस्थापन" का संयंत्र स्तर का परीक्षण सफल रहा। इससे लगभग ₹ 20/- प्रति मे.ट. हाइड्रेट उत्पादन की बचत हुई।

- 96 एस 2 से 109 एस 2 तक तीन वाशर में रेक ड्राइव सिस्टम का उन्नतीकरण। वाशर रेक ड्राइव की भुजाओं के सहयोग हेतु एक नई प्रणाली भी संगठन में ही विकसित की गई।
- कोल मिल परिवर्तन के दौरान समर्थन ईंधन (एचएफओ) को कम करने के लिए नियंत्रण सिद्धांत का विकास एवं मानकीकरण किया गया एवं 171 केएल एचएफओ की बचत हुई।

- **खान :**
  - अपशिष्ट में ह्रास लाने एवं निस्तार योग्य मदों के पुनः उपयोग के लिए 2007 पॉली पुली हब का पुनरुद्धार पूरा किया गया।
  - अपशिष्ट को कम करने एवं क्रशिंग खण्डों के जीवन को बढ़ाने के उपाय-स्वरूप एसएमसीपी क्रशर के क्रशिंग खण्डों के पुनःनिर्माण का कार्य पूरा किया गया।

लेखाकर उपचार का प्रकटन

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड ए.एस. और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों को अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं। 1, 8 एवं 10 के कन्डेन्सर की रसायन सफाई से लगभग 84 कि. कैलोरी/कि.वा.घं. द्वारा एकक ऊष्मा दर में कमी आई है।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये वित्तीय विवरण एतिहासिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं (संदर्भः स्वचलित एवं समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 3)।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के पक्ष में वास्तविक विकास

मानव संसाधन :

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी की जनशक्ति 6,776 थी, जबकि पिछले वर्ष की अंतिम तिथि को यह संख्या 6,938 थी. विस्तृत विभाजन निम्नोक्त है:

क्रम सं.	पद*	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
क.	कार्यपालक	1,812	1,807
ख.	पर्यवेक्षक	680	754
ग.	कुशल/उच्च कुशल	3,691	3,736
घ.	अकुशल/अर्धकुशल	593	641
	कुल	**6,776**	**6,938**

*स्नातक अभियंता प्रशिक्षु/ प्रबंधन प्रशिक्षु/वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु/कनिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं।

प्रशिक्षण एवं विकास

उत्पादन, उत्पादकता को बढ़ाने और संगठन की व्यवसाय संस्कृति में सुधार लाने के लिए, संगठन के व्यावसायिक लक्ष्य के साथ अपने कर्मचारियों की कार्यकारी और व्यावहारिक सक्षमता को उन्नत करने एवं व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप बनाने के उद्देश्य हेतु कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कौशल विकास एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किये जाते रहे हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व एवं अच्छे निगमित शासन की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, कंपनी ठेका कामगार, प्रशिक्षुओं, प्रबंधकीय और तकनीकी संस्थाओं को छात्रों और साथ ही स्थानीय जनता को भी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है।

नियमित कर्मचारियों के मामले में, कंपनी ने वर्ष 2017-18 के लिए 16,244.5 प्रशिक्षण मानव दिवस की उपलब्धि की है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एक्स.एल.आर.आई, जमशेदपुर एवं टीआईएसएस, मुंबई के फैकल्टी सहयोग से संगठन में ही पाँच दिनों के लिए प्रतिभा प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन किया गया था एवं 7.5% कार्यपालकों अर्थात 136 कार्यपालकों के लक्ष्य के लिए उक्त प्रशिक्षण में 139 कार्यपालक शामिल किए गए थे। इसके अलावा, प्रतिभा प्रबंधन के अंतर्गत 17 कर्मचारी पाँच दिनों के कार्यक्रम के लिए, आईआईएम, एएससीआई, आईआईटी एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्सड स्टडीज, बैंगलोर में भी भेजे गए थे। वर्ष 2016-17 के दौरान नियुक्त 789 प्रशिक्षुओं की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 870 अप्रेन्टिस प्रशिक्षु नियुक्त किए गए। निगम उत्तरदायित्व एवं उद्योग शैक्षिक अंतरापृष्ठ के अंश के तौर पर, वर्ष 2016-17 के दौरान 2,049 विद्यार्थियों की तुलना में, पूरे देश से तकनीकी एवं प्रबंध संस्थानों से 2017-18 के दौरान एककों एवं निगम कार्यालय में विभिन्न कार्यात्मक विषय विभागों में 2,544 विद्यार्थियों ने ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिया। वर्ष 2016-17 के दौरान 4,421.5 मानव-दिवस की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी भर में 4,425.5 मानव-दिवसों के साथ सुरक्षा कार्मिकों, ठेका श्रमिकों, यातायात स्वयंसेवियों और प्रशिक्षुओं के लिए आंतरिक कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

भारत सरकार के कुशल भारत अभियान के समान, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान बॉक्साइट खान में विभिन्न ठेकेदारों के अधीन कार्यरत 420 कामगारों को आरपीएल (रेकोग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग) प्रमाणपत्र प्रशिक्षण प्रदान करने सहित प्रासंगिक शिक्षागत योग्यता पैकज (क्यूपी) से 1,620 प्रत्याशियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एन.एस.डी.सी.)/नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड (एन.एस.डी.एफ.) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। तदनुसार, 12 दिसम्बर, 2016 से तीन जिलों अर्थात कोरापुट, अनुगुल एवं खुर्दा में रिटेल, स्वास्थ्य-देखभाल, सौन्दर्य एवं तंदुरुस्ती और आतिथ्य जैसे विभिन्न कौशलों में रोजगारोन्मुखता तथा आय सृजन को बढ़ाने के लिए कौशल

विकास प्रशिक्षण कक्षाएँ शुरू हो चुकी हैं। 31 मार्च, 2018 को यथा, 630 प्रत्याशी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं एवं 30 प्रत्याशी खुर्दा में प्रशिक्षण ले रहे हैं। आर.पी.एल. प्रमाणपत्रण कार्यक्रम 27.02.2017 को 21 कामगारों की पहली बैच के साथ शुरू किया गया एवं मार्च 2018 के दौरान 21 बैच में 420 कामगारों के लिए पूरा हो चुका है।

गोठपाठणा, भुवनेश्वर में नालको के नालको रिसर्च एण्ड टेक्निकल सेंटर (एनआरटीसी) भवन मे एससीएमएस/एनएसडीसी के अपेक्षित दिशानिर्देशों के अनुपालन में अनुकरण सुविधा के साथ खनन क्षेत्र के लिए एक निगम उत्कर्ष केन्द्र की स्थापना की जाएगी जो ₹ 20 करोड़ की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा और कंपनी की नि.सा.उ. निधि से इसका वित्तपोषण किया जाएगा। सिमुलेटर या नमूना आधारित प्रशिक्षण इस केन्द्र में दिया जाएगा एवं दामनजोड़ी में कंपनी की खुली खदानों में कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, उत्कर्ष केन्द्र की स्थापना के विषय में एससीएमएस द्वारा जमा की जानेवाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए दिनांक 10.10.2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। एससीएमएस ने दिनांक 10.01.2018 को सभी हितधारकों अर्थात नालको, ओड़िशा माइनिंग कॉर्पोरेशन (ओ.एम.सी); ई.जेड.एम.ए. (ईस्टर्न जोन माइनिंग एसोसिएशन) एवं सी.एस.आई.आर.-सी.आई.एम.एफ.आर., धनबाद (सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एवं फुएल रिसर्च) के प्रतिनिधियों के साथ नालको, दामनजोड़ी के खान मण्डल में एक कार्यशाला का आयोजन किया। ताकि एक विशद डीपीआर प्रस्तुत किया जा सके एवं केन्द्र के शीघ्र प्रतिस्थापन हेतु निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रक्रिया का सरलीकरण हो सके।

निगम योजना

नालको ने एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के क्षेत्र में वृहद घराने की अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए एक नई दीर्घावधि निगम योजना आरंभ की है, कंपनी के प्रगतिशील विकास के लिए, इस योजना में 3 वर्षों की कार्य योजना, 7 वर्षों की रणनीति एवं 15 वर्षों की परिकल्पना पर विचार किया गया है। कंपनी को एक प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए चिह्नित उपायों के माध्यम से कार्यात्मक क्षमताओं का समुन्नयन एवं विभिन्न कार्यों का वर्धन इस योजना के कुछ प्रमुख घटक के रूप में लिए गए हैं। भावी अवसरों को उपयोग में लाने हेतु प्रत्येक विभाग की शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से सुकेन्द्रित कार्यात्मक पहल की परिकल्पना की गई है।

एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए, कंपनी की एक नई संकल्पना, मिशन और मूल्य निरूपित किए गए हैं जो कंपनी के सुस्थिर विकास को सुनिश्चित करेंगे एवं लाभकारिता पर वस्तु चक्र के प्रतिकूल प्रभाव को निम्नतम करेंगे। इस नई व्यवसाय पहल में, मूल व्यवसाय के विस्तार के माध्यम से विकास, मूल्य वर्धन, अनुप्रवाह सुविधाओं, चुने गए विविधीकरण के माध्यम से अग्रस्थ एकीकरण, उद्योगों के गहन अध्ययन पर आधारित कच्चे माल के प्रतिभूतिकरण के लिए पश्चगामी एकीकरण, आर्थिक परिदृश्य, उभरते व्यवसाय परिदृश्य एवं कंपनी की मूल क्षमताओं के फलस्वरुप उत्पन्न अवसर शामिल हैं। कंपनी द्वारा ग्रहीत नई परिकल्पना और मिशन लिंक **http://www.nalcoindia.com** पर उपलब्ध है।

व्यापार विकास

- गुजरात अल्कालिज एंड केमिकल्स लि. (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में कॉस्टिक सोड़ा परियोजना : आपकी कंपनी ने गुजरात के दाहेज में जीएसील के साथ संयुक्त उद्यम में 2.7 लाख टन प्रति वर्ष कॉस्टिक सोड़ा संयंत्र के साथ 130 मेगावाट के ग्रहीत विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए "जीएसीएल - नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि." (जी.एन.ए.एल.) कंपनी गठित की है। गुजरात के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति को दे दी है। परियोजना के लिए जमीन का अंतरण जी.एन.ए.एल के नाम में किया गया है। तीन प्रधान पैकेज प्रदान किए गए हैं। परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर ली गई है। वित्तीय समापन की प्रक्रिया प्रगति में है। परियोजना का निष्पादन जोर-शोर से चल रहा है।

- 50 (2X25) मे. वा. पवन ऊर्जा परियोजना :
  आपकी कंपनी ने सितम्बर, 2017 में तमिलनाडु के तुतिकोरिन जिले के कायाथार में 25.5 मे.वा. पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए कार्यादेश जारी किया। इसके अलावा कंपनी ने मई, 2018 में तमिलनाडु के तुतिकोरिन जिले के विलिसेरी में 25.2 मे.वा. पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए कार्यादेश जारी किया । तमिलनाडु में प्रथम 25 मे.वा. का निर्माण प्रगति में है। दूसरे 25 मे.वा. के लिए, पीपीए के लिए टीएएनजीईडीसीओ से एनएफआर प्रतीक्षारत है।

- **एन.आई.एन.एल. के साथ सं.उ. में कोल तार पिच संयंत्र :**
  आपकी कंपनी ने एन.आई.एन.एल. के कोक ओवन संयंत्र में सृजित कोलतार के आधार पर 20,000 ट.प्र.व. क्षमता के कोल तार डिस्टिलेशन संयंत्र की स्थापना के लिए नीलाचल इस्पात निगम लि. (एन.आई.एन.एल.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नालको बोर्ड ने सं.उ. अनुबंध के मसौदे को अनुमोदित कर दिया है। प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता के लिए एफ.ओ.आई. को अंतिम रूप दे दिया गया है एवं प्रवाहित की गई है। सं.उ. कंपनी द्वारा तैयार कोल तार पिच आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त की जाएगी।

- **विदेशों में रणनीतिक खनिज :**
  नालको, एच.सी.एल. और एम.ई.सी.एल. ने विदेशी स्थानों में रणनीतिक खनिजों को चिह्नित, अर्जित, विकसित, प्रक्रियागत एवं वाणिज्यिक इस्तेमाल करने और भारत में आपूर्ति करने के लिए सं.उ.कं. के गठन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संबंधित बोर्ड द्वारा सं.उ. अनुबंध का अनुमोदन कर दिया गया है एवं आगे के कार्य हेतु मंत्रालय के पास स.उ. के गठन के लिए प्रस्ताव जमा किया गया है। चयनित सूची वाली खनिज परिसम्पत्तियों के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन एवं व्यवसाय मॉडल तैयार करने हेतु सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा जारी करने की गतिविधियाँ प्रगति में हैं (आदेश देने के चरण में)।

- **ओड़िशा में ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रद्रावक :**
  कंपनी प्रस्तावित एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाओं के लिए साइट चयन के साथ ओड़िशा में किसी उपयुक्त स्थान पर प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रद्रावक के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पी.एफ.आर.) तैयार कर रही है।

- **एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाएँ :**
  आपकी कंपनी ओड़िशा में किसी उपयुक्त स्थान में एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाओं की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर रही है।

- **हाई एंड एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्र :**
  आपकी कंपनी ने रक्षा, एयरोस्पेस एवं स्वचालित क्षेत्रों के लिए सं.उ. के माध्यम से हाई एंड एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्र की स्थापना के लिए अप्रैल, 2017 में मेसर्स मिश्र धातु निगम

लिमिटेड (मिधानी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपकी कंपनी के बोर्ड द्वारा सं.उ. अनुबंध के मसौदे को अनुमोदित कर दिया गया है। आंध्रप्रदेश की सरकार ने परियोजना के लिए 120 एकड़ जमीन का आबंटन किया है।

सहायक उद्योग विकास

आपकी कंपनी ने सहायक उद्योग एककों और सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एम-एस.ई.) के विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। सहायक उद्योग एककों तथा सूक्ष्म, लघु उद्यमों के विकास के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उठाए गए कदम निम्नवत हैं :

1. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ओड़िशा के सहायक उद्योग एककों सहित सूक्ष्म, लघु उद्यमों (माइक्रो एण्ड स्मॉल इन्टरप्राइजेस) द्वारा उत्पादित उत्पादों और दी जा रही सेवाओं की खरीदी ₹ 296.11 करोड़ की हुई है (पिछले वित्त वर्ष के ₹ 285.88 करोड़ के मुकाबले)। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एककों (ओड़िशा के बाहर के सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की कुल खरीदी ₹400.13 करोड़ की हुई है (वित्त वर्ष 2016-17 के ₹ 414.95 करोड़ के मुकाबले) एवं यह न्यूनतम 20% के सरकारी लक्ष्य की तुलना में आपकी कंपनी द्वारा कुल वस्तु एवं सेवाओं की खरीदी का 26.19% होता है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की खरीदी का लक्ष्य ₹ 400.70 करोड़ रखा गया है।
2. आपकी कंपनी ने चाउलियागंज क्लब फील्ड, कटक में 17 से 19 दिसम्बर, 2017 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित "एम.एस.एम.ई. एक्सपो ओड़िशा 2017" में तीन दिवसीय राष्ट्रीय विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-औद्योगिक प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन कार्यक्रम में मदर प्लांट संवर्ग में "श्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार" प्राप्त किया।
3. भुवनेश्वर में 5 से 10 मार्च, 2018 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा आयोजित ओड़िशा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2018 में "श्रेष्ठ लोक क्षेत्र उपक्रम के रूप में उत्कर्ष प्रमाणपत्र" आपकी कंपनी को प्रदान किया गया।
4. आपकी कंपनी ने 12 अप्रैल, 2017 को जयपुर, कोरापुट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग संस्थान, कटक एवं सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग, ओड़िशा सरकार के सहयोग से ओ.ए.एस.एम.ई. द्वारा आयोजित मदर प्लांट के साथ राज्य स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-क्रेता विक्रता सम्मेलन में हिस्सा लिया।
5. राष्ट्रीय स्तर का एक "विक्रेता सम्मेलन" 27.06.2017 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में आयोजित किया गया जिसमें ओड़िशा के अंदर और बाहर दोनों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के मसौदे में आपकी कंपनी के जी.एस.टी, व्यवसाय उत्कर्ष एवं ई-खरीदी आवश्यकता को रखा गया था।
6. वर्ष 2017-18 के लिए सब-प्लैक (संयंत्र स्तरीय सलाहकार उप-समिति) सम्मेलन का आयोजन 22.09.2017 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामजोड़ी में डी.आई.सी., कोरापुट के सहयोग से किया गया, जिसके बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, रायगड़ा के सहयोग एक "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विक्रेता सम्मेलन" का आयोजन किया गया।
7. एक "अ.जा-अ.ज.जा.उद्योमों के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन" का आयोजन 22.09.2017 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में किया गया।
8. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से "शून्य त्रुटि एवं शून्य प्रभाव (जे.ई.डी.)" पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 11.10.2017 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के द्वारा किया गया।
9. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए उद्योग समस्या समाधान शिविर (यू.एस.एस.एस.)-सह-क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन नालको, प्रद्रावक एवं विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र, अनुगुल में 23.11.2017 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल द्वारा किया गया।
10. वर्ष 2017-18 के लिए सब-प्लैक (संयंत्र स्तरीय सलाहकारो उप-समिति) सम्मेलन का आयोजन 22.12.2017 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में किया गया।
11. नालको, अनुगुल के साथ विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन 27.02.2018 को डी.आई.सी. अनुगुल के सहयोग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास संस्थान, कटक में किया गया।
12. आपकी कंपनी के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम.एस.ई.) से खरीदी ऑकड़े मासिक आधार पर "लक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंध" सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, भारत सरकार के एप्प में अपलोड की जा रही है।

नालको द्वारा सूक्ष्म, लघु उद्यमों से की गई खरीदी

खान मंत्रालय/नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड-नालको

(क) एकक का नाम : निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा
नोडल अधिकारी : श्री रवि नारायण महापात्र, महाप्रबंधक (सामग्री)
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751013
मोबाइल : 9437476660, ई-मेल: rabi.mohapatra@nalcoindia.co.in

(ख) एकक का नाम : प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल, ओड़िशा
नोडल अधिकारी : श्री प्रभात कुमार विश्वास, महाप्रबंधक (सामग्री)
प्रद्रावक संयंत्र : नालको नगर, अनुगुल- 759145
मोबाइल : 9437083779, ई-मेल: pravat.biswas@nalcoindia.co.in

(ग) एकक का नाम : खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी, ओड़िशा
नोडल अधिकारी : श्री प्रशांत कुमार षड़ंगी, महाप्रबंधक (सामग्री)
एल्यूमिना परिशोधक, नालको, दामनजोड़ी- 763008
मोबाइल : 9437962248, ई-मेल: prasanta.sarangi@nalcoindia.co.in

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्य
I.	कुल वार्षिक खरीदी (मूल्य में)(*)	1,975.30	1,527.70	1,530
II.	सूक्ष्म, लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों सहित) से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	414.95	400.13	400.70
III.	केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	9.36	नहीं**	61.2
IV	कुल खरीदी में से सूक्ष्म, लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों सहित) से खरीद का %	21	26.19	26.19
V	कुल खरीदी में से केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीद का %	0.47	0	4
VI	सूक्ष्म, लघु उद्यमों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	9	9	10
VII	क्या सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीदी के लिए वार्षिक खरीदी योजना सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है?	हाँ	हाँ	अपलोड की गई है।
VIII	क्या वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्य दर्ज हैं	हाँ	हाँ	रिपोर्ट में दर्ज किए जाएंगे

* यह मूल्य कोयला, ईंधन तेल, कॉस्टिक सोड़ा, एएलएफ3, कृत्रिम फ्लोक्यूलेंट, इस्पात, सीमेंट, बेयरिंग, लुब्रिकेन्ट, स्वामित्व वाले मद, आयातित सामग्री एवं पेशागत सेवाओं के लिए संविदाएँ/सलाहकारी सेवाएँ/प्रधान टर्न की संविदाएँ/संविदाएँ जो विशिष्ट प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, को छोड़कर है।

** उ. नहीं - उपलब्ध नहीं।

जिला उद्योग केन्द्र, अनुगुल, जिला उद्योग केन्द्र, कोरापुट और शूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम डीआई, कटक, ओड़िशा के सहयोग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व में सूक्ष्म, लघु उद्यमों की पहचान एवं पंजीकरण किया जा रहा है।

सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

आपकी कंपनी, जिम्मेदार निगम नागरिक होने के कारण, हमेशा सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को सर्वोपरि महत्व देती आयी है एवं अपने सभी उत्पादन एककों में संधारणीय कार्य पर्यावरण को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय विनियमों के अधीन सभी लागू विधान अग्र सक्रिय रूप से संकलित हैं। सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए, आपकी कंपनी शून्य दुर्घटनाओं, बीमारियों, घटनाओं, अपशिष्ट सृजन और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य के साथ कार्मिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य वातावरण के निरंतर सुधार हेतु पुरजोर प्रयास करती है। सभी उत्पादन एकक निवर्तमान क्षमताओं के लिए वायु और जल अधिनियम के अंतर्गत वैध "प्रचालन हेतु सहमति (सीटीओ)" के साथ संचालित हैं और सभी 4 प्रचालन एककों के पास यथा लागू, वैध फैक्टरी लाइसेंस है।

खान

पर्यावरण

1. वर्ष के दौरान, 1,00,000 वृक्षों के लक्ष्य की तुलना में खान में 1,00,536 वृक्ष लगाए गए एवं 19.67 हेक्टेयर पुनः उद्धरित भूमि को वृक्षारोपण से प्रतिस्थापित किया गया।
2. वर्ष के दौरान, फल धारण करने वाले 11,100 पौधे गाँववासियों में वितरित किए गए ताकि इस क्षेत्र की हरियाली को बेहतर बनाने में सहयोग मिल सके।
3. पंचपटमाली दक्षिण प्रखण्ड बॉक्साइट खान के लिए 3.15 मे.ट. प्र.व. की क्षमता हेतु प्रचालन की सहमति(सीटीओ) एस.पी.सी.बी, ओड़िशा से प्राप्त की जा चुकी है।
4. 256 वर्ग मी. के फ्लोर क्षेत्रफल को खान नर्सरी में एक पॉलिहाउस (ग्रीन हाउस) की स्थापना की गई।
5. खान नर्सरी (पौधे रोपने का स्थान) में सृजित सूखी पत्तियों के व्यवस्थापन एवं निपटान हेतु कृमि-खाद प्रणाली विकसित की गई।
6. पंचपटमाली खान को वर्ष 2016-17 के लिए 20 मार्च, 2018 को आई.बी.एम द्वारा नई दिल्ली में आयोजित खान एवं खनिज पर तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में संधारणीय विकास ढांचे के कार्यान्वयन हेतु इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स की सितारा श्रेणी प्रणाली के अंतर्गत 5 सितारा दर-निर्धारण पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
7. पंचपटमाली बॉक्साइट खान को कोलकाता में 8 अगस्त, 2017 को सीआईआई पूर्वी क्षेत्र कार्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सीआईआई ईस्टर्न रीजन एसएच एण्ड ई एक्सीलेंस अवार्ड 2016-17 का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

1. पंचपटमाली बॉक्साइट खान में 05.06.2017 से 06.06.2017 तक अर्ध-वार्षिकी सुरक्षा सप्ताह की सफलतापूर्वक मेजबानी की गई एवं इसे मनाया गया।
2. वार्षिक सुरक्षा सप्ताह 2017-18 का सफलतापूर्वक पालन 13.11.2017 से किया गया जिसमें डीजीएमएस के भुवनेश्वर क्षेत्र के अधीन 32 खानों के मालिकों, एजेंटों, वरिष्ठ

अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उक्त कार्यक्रम में डीजीएमएस एवं डीडीएमएस, भुवनेश्वर क्षेत्र ने हिस्सा लिया। आपकी कंपनी की प्राथमिक चिकित्सा टीम ने यंत्रचालित खान श्रेणी में प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता।

3. वर्ष के दौरान सभी अनुसूचित सांविधिक प्रशिक्षणों का संचालन किया गया।
4. सभी योग्य कर्मचारियों के पी.एम.ई. का निष्पादन वर्ष के दौरान किया गया।
5. सभी सांविधिक प्रतिफल (रिटर्न) समय पर दाखिल किए गए।
6. वर्ष के दौरान ओ.एच.एस.एम.एस. 18001:2007 के संस्करण में ओ.एच.एस.ए.एस. की पुनःप्रमाणन लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित की गई।
7. मेसर्स मेकॉन, राँची के द्वारा खान के लिए अग्नि लेखा परीक्षा का संचालन किया गया।

एल्यूमिना परिशोधक

पर्यावरण

1. वित्तीय वर्ष के दौरान उड़नशील राख उपयोगिता 103.5% रही।
2. 19,000 पौध (बाल वृक्ष) का रोपण उपलब्ध हुआ, जबकि लक्ष्य 15,000 था।
3. ओ.एस.पी.सी.बी. के अधिकारियों के सहयोग से नालको अस्पताल के परिसर में संशोधित "जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
4. बॉयलर-2 ईएसपी के पुनः निर्माण कार्य का निष्पादन किया गया।
5. मेसर्स मिशन एनर्जी फाउंडेशन, नई दिल्ली से उड़नशील राख की श्रेष्ठ उपयोगिता के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ।

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

1. ठेका कामगारों के लिए सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1,048 ठेका कामगारों को सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिए गए।
2. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1,708 नियमित कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा जाँच (पी.एम.ई.) की गई। 1,494 ठेका कामगारों के लिए स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल का भी निष्पादन किया गया।
3. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर जागरूकता फैलाने के लिए संयंत्र के अंदर ए-30 (मुख्य सड़क) में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइनेज स्थापित किए गए।
4. कम्प्रेशर के लिए 3 अदद ट्रान्सफॉर्मर हेतु एक नई नाट्रोजन आधारित अग्नि सुरक्षा प्रणाली आरंभ की गई।
5. एल्यूमिना पिरशोधक में मेसर्स मेकॉन द्वारा व्यापक अग्नि लेखा परीक्षा पूरी की गई।
6. एल्यूमिना परिशोधक में एचएफओ स्टोरेज एवं संचालन क्षेत्र में पीईएसओ (पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गेनाइजेशन) लेखा परीक्षा का भी सम्पादन किया गया।
7. वर्ष 2016 के लिए न्यूनतम औसत दुर्घटना संख्या हेतु कारखाना एवं बॉयलर निदेशालय, ओड़िशा से राज्य सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ।
8. वर्ष 2017-18 में ओड़िशा राज्य सुरक्षा सम्मेलन की ओर से कलिंग सुरक्षा पुरस्कार-2016 भी प्राप्त हुआ।
9. वर्ष के दौरान कारखाना एवं बॉयलर निदेशालय, ओड़िशा से वर्ष 2016 के लिए राज्य का श्रेष्ठ सुरक्षा अधिकारी पुरस्कार प्राप्त हुआ।

प्रद्रावक

पर्यावरण

1. ओ.एस.पी.सी.बी. को की गई प्रतिबद्धता के अनुसार 31 मई, 2017 के निर्धारित समय से पहले ही, एमिरिऑन नैनो प्रौद्योगिकी आधारित डि-फ्लूराईडेशन संयंत्र को स्थापित करने एवं आरंभ करने का कार्य पूरा हो चुका है।
2. एस.पी.एल. के 873.49 मे.ट. कार्बन अंश को ओ.एस.पी.सी.बी/सी.पी.सी.बी. प्राधिकृत रि-प्रोसेसर्स में निपटाया गया।
3. तृतीय पक्ष की खतरनाक अपशिष्ट लेखा परीक्षा का निष्पादन किया जा चुका है एवं रिपोर्ट 3 सितम्बर, 2017 को ओ.एस.पी.सी.बी. के पास जमा की जा चुकी है।
4. कार्बन एरिया के 2,600 मे.ट. खतरनाक अपशिष्ट (एच. डब्ल्यू.) को सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार भंडारण निपटान सुविधा (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ) जाजपुर में निपटाया गया।
5. स्क्रैप एवं सैल्वेज एरिया में 15, अप्रैल, 2017 को द्वितीय तेल संचयन शेड का निर्माण पूरा किया गया।
6. 10,000 संख्यक लक्ष्य की तुलना में, 10,040 बाल वृक्षों का रोपण किया गया।

व्यवसाय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

1. पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में अग्नि-दुर्घटना में 72% तक कमी आई। सभी अग्नि-दुर्घटनाओं की जाँच पड़ताल, मूल कारणों की तहकीकात एवं सिफारिशों का सख्त अनुपालन ही इस उपलब्धि की मूल वजह रही थी।
2. प्रद्रावक संयंत्र में यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई एवं सांविधिक प्राधिकारियों को अवगत कराया गया।
3. किसी अप्रिय अग्नि-दुर्घटना को रोकने के लिए, शून्य मूल्य स्क्रैप प्रबंधन की मानक प्रचालन पद्धति तैयार की गई एवं कार्यान्वित की गई।
4. प्रद्रावक संयंत्र में अग्नि लेखा परीक्षा मेसर्स मेकॉन राँची के द्वारा की गई।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र

पर्यावरण

1. निवर्तमान पुराने ईएसपी (एकक-1,2,3,4,5 के एवं 6) के ईएसपी (विद्युत-अपघटनीय अवक्षेपक) के पुनः निर्माण और एक अतिरिक्त मार्ग के संस्थापन द्वारा पुनः संयोजन के पूरा होने का बाद चिमनी से उत्सर्जन अनुमेय सीमा अन्दर रखा जा रहा है।

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा सहमति शर्त द्वारा निर्धारित मानक को पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार अमोनिया डोजिंग की गई।

3. ग्र.वि.सं. के सभी एककों में ऑनलाइन सतत वहिःस्राव निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई है एवं वहिःस्राव के डेटा को ओ.एस.पी.सी.बी. एवं सी.पी.सी.बी. सर्वर से हूक किया गया है।

4. डिजिटल डिसप्ले सहित 4 संख्यक सी.ए.ए.क्यू.एम.एस. की संस्थापना के बाद, परिवेशी वायु गुणवत्ता की ऑनलाइन निरंतर निगरानी की जा रही है तथा ओ.एस.पी.सी.बी. के सर्वर को डेटा का प्रसारण किया जा रहा है। सभी 4 स्टेशनों के उपर्युक्त सी.ए.ए.क्यू.एम.एस. डेटा को भी सी.पी.सी.बी. से हूक किया गया है।

5. आई.डी. डब्ल्यू.आर.एस. के मुहाने पर ऑनलाइन बहिःस्राव गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की स्थापना के बाद बहिःस्राव गुणवत्ता की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है एवं बहिःस्रावों के डेटा एस.पी.सी.बी. एवं सी.पी.सी.बी के सर्वर में हूकिंग हो रही है।

6. 50,000 घन मीटर एवं 2 संख्यक पम्प (250 घनमीटर/घं.) की क्षमता के साथ वर्षा जल को दोहन करने एवं पुनः चक्रण की प्रणाली ग्र.वि.सं. में चालू की गई, इससे जल संरक्षण में सुधार हुआ है एवं ब्राह्मणी नदी से ताजा जल लेने में कमी हुई है। पुनःचक्रित जल एकक 7 से 10 में फायर हाइड्रेंट सिस्टम के मेक-अप के रूप में उपयोग किया जाता है। पुनःचक्रित जल का कच्चे जल जलाशय में निर्वहन हेतु पाइपिंग नेटवर्क का भी विस्तार किया गया है। वर्ष 2017-18 में, वर्षा के जल की दोहन प्रणाली से लगभग 8,58,586 घनमीटर एवं निकास बिन्दु से लगभग 2,64,912 घनमीटर जल को पुनःचक्रित और पुनःप्रयुक्त किया गया।

7. राख का उपयोग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम:

   i) राख के तालाब-II के ऊपर राख के टीले के द्वितीय चरण का कार्य पूरा हो चुका है (111 एम.आर.एल. से 115 एम.आर.एल. तक)।

   ii) राख के तालाब-I के तटबंध को ऊँचा करने का कार्य पूरा हो चुका है (110 एम.आर.एल. से 113 एम.आर.एल. तक) एवं प्रचालन में है।

   iii) राख के साथ खान के रिक्त स्थान के भराव की पतले घोल परियोजना का कार्य प्रगति में है।

   iv) आपकी कंपनी, धूल प्रदूषण को रोकने एवं जल संरक्षण के लिए राख के तालाब-IV में उड़नशील ख़ाख के निपटान हेतु एकक-7 से 10 में उच्च संकेन्द्रित घोल विसर्जन प्रणाली अपना रही है।

8. एसटीपी (मल-जल उपचार संयंत्र)-I को सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित हाल के मानदंडों को पूरा करने के लिए फाइटोरॉइड फिल्टर एवं बेहतर वातन प्रणाली की स्थापना द्वारा समुन्नत किया जा रहा है एवं वर्ष भर प्रचालन में रखा गया। उपचारित एसटीपी जल का केवल बागवानी उद्देश्य से उपयोग किया गया। वर्ष 2017-18 में, लगभग 65,000 घनमीटर उपचारित एसटीपी जल बागवानी के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया।

9. सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में निगरानी हेतु एसटीपी-I के मुहाने एवं औद्योगिक नाली जल पुनःचक्रण प्रणाली (आईडीडब्ल्यूआरएस) के मुहाने पर नवम्बर, 2017 में फ्लो मीटर व वेब कैमरा स्थापित किए गए हैं।

10. वर्ष 2017-18 के दौरान संयंत्र परिसर के आसपास लगभग 3,650 वृक्षों का रोपण किया गया। अभी तक, आपकी कंपनी अपने प्रारंभिक दिन से लगभग 12.05 लाख वृक्ष लगा चुकी है जो कि ग्र.वि.सं. के कुल क्षेत्र का लगभग 34.80% हैं ।

11. राख घोल पाइप (हेडर) गलियारा : राख घोल खन्दक में 80 एन.बी. पाइप लाइन पूरे खन्दक में बिछाते हुए वृहद रूपांतरण कार्य किया गया है ताकि हेडर से रिस रहे राख को वापस राख घोल हौदी में पम्प किया जा सके, इससे निकटवर्ती क्षेत्र में राख के विसर्पण को रोका जा सकेगा।

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

1. आवधिक मेडिकल परीक्षा (पी.एम.ई.) स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम के अंतर्गत 1,206 कर्मचारी एवं 1,982 ठेका कामगार सम्मिलित किए गए हैं।.

2. संयंत्र के अंदर विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा जागरूकता नारे, सुरक्षा संदेशों से युक्त पोस्टर की प्रदर्शनी की गई है।

3. वाहन की गति को बनाए रखने, वाहनों को पार्क करने, लादने/खाली करने एवं यातायात के नियमों को मानने के संबंध में वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए ग्र.वि.सं. में यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

4. दो चक्के वाले वाहनों की सवारी के दौरान इस्तेमाल करने के लिए ग्र.वि.सं. के सभी कर्मचारियों को क्रैश हेल्मेट प्रदान किए गए एवं कार्यकारिता 100% है।

5. ग्र.वि.सं. के विभिन्न क्षेत्रों में संस्थापित अग्नि सुरक्षा प्रणाली की पर्याप्तता उपायों के आकलन हेतु मेसर्स मेकॉन, राँची के द्वारा बड़े स्तर पर अग्नि लेखा परीक्षा की गई।

2017-18 के दौरान नर्सरी गतिविधियाँ

आपकी कम्पनी कुल पाँच नर्सरी प्रचालित कर रही है अर्थात् प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में तीन हैं और खान में एक (जो ऊँचाई के स्थान पर स्थित नर्सरी है,) सहित खान एवं परिशोधन संकुल में दो हैं। ये नर्सरियाँ वनीकरण, सजावटी उपयोग, फलदार मौसमी विविध पौधों और गमलों में उगाए पौधों के लिए विविध प्रकार के नवांकुर उगाती हैं, जो वृक्षारोपण की आंतरिक जरूरत को पूरा करने के लिए आंशिक योगदान भी कर रही है। वर्ष के दौरान खान की नर्सरी में 1,00,000 पौधों को लगाया गया। परिधीय क्षेत्रों में पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया जाता है ताकि क्षेत्र की हरियाली को बेहतर बनाया जा सकें। प्राकृतिक स्थलाकृति के संरक्षण के लिए उत्खनित क्षेत्रों में भराई करके महत्वपूर्ण वनीकरण गतिविधियों के प्रति खान में स्थित नर्सरी महत्त्वपूर्ण योगदान करती है। इस वर्ष के दौरान 16.67 हेक्टर उत्खनित क्षेत्र का वृक्षारोपण से पुनर्वास किया गया।

सतर्कता से संबंधित विवरण

कंपनी के उद्देश्यों, प्रायोजनाओं, दृष्टिकोण, प्रत्याशाओं, अनुमानों एवं अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में किए गए कतिपय विवरण प्रयोज्य नियमों एवं विनियमों के दायरे में "अग्रदर्शी विवरण" हो सकते हैं। ऐसी प्रत्याशाओं, चाहे व्यक्त हो या अंतर्निहित, से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों में कई कारक महत्वपूर्ण अन्तर ला सकते हैं। इनमें मांग और आपूर्ति को प्रभावित करनेवाली जलवायु एवं आर्थिक स्थितियाँ, सरकारी विनियम एवं कराधान, प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, जिन पर कंपनी का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

अनुलग्नक-III

अनुभाग क: कंपनी के बारे में साधारण सूचना

क्रम सं॰	विवरण	कंपनी सूचना
1	कंपनी का कोर्पोरेट आईडेंटिफिकेशन नम्बर (सीआईएन)	L27203OR1981GOI000920
2	कंपनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
3	पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय	नालको भवन प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली भुवनेश्वर - 751013, ओड़िशा, भारत
4	वेबसाइट	www.nalcoindia.com
5	ई-मेल आईडी:	investorservice@nalcoindia.co.in
6	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	वित्तवर्ष 2017-18
7	क्षेत्र जिनमें कंपनी संलग्न है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि)	बॉक्साइट खान : औद्योगिक समूह कोड 07292
		एल्यूमिना परिशोधक : औद्योगिक समूह कोड 20119
		एल्यूमिनियम प्रद्रावक : औद्योगिक समूह कोड 24202
		विद्युत सृजन : औद्योगिक समूह कोड 35102
8	तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची जिनको कंपनी निर्माण करती है/ प्रदान करती है	**1. एल्यूमिना** • निस्तप्त एल्यूमिना • एल्यूमिना हाईड्रेट • विशेष एल्यूमिना एवं हाईड्रेट **2.** एल्यूमिनियम • मानक पिण्ड • शिलिका पिण्ड • टी-पिण्ड • तार-छड़ें • लट्ठे • समतल वेल्लित उत्पाद (कुंडलियाँ, चद्दरें एवं चारखानेदार चद्दर) **3.** विद्युत
9	क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	शून्य
	ख) भारत में अवस्थिति	क) पंजीकृत एवं निगम कार्यालय , भुवनेश्वर – 751013, ओड़िशा ख) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी-763008, ओड़िशा ग) प्रद्रावक संयंत्र, नालको नगर-759145, अनुगुल, ओड़िशा घ) ग्रहीत विद्युत संयंत्र, अनुगुल-759122, ओड़िशा ङ) पत्तन सुविधाएँ, पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम्-530035, आन्ध्र प्रदेश च) पवन विद्युत संयंत्र i) पवन विद्युत संयंत्र-I : गंडीकोट्टा, आन्ध्र प्रदेश ii) पवन विद्युत संयंत्र-II : लुडर्वा, राजस्थान iii) पवन विद्युत संयंत्र-III : देवीकोट, राजस्थान iv) पवन विद्युत संयंत्र-IV : जाथ, महाराष्ट्र छ) बन्दरगाह कार्यालयों की संख्या : 03 (विशाखापत्तनम्, कोलकाता, पारादीप) ज) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या: 04 (नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता) झ) शाखा कार्यालय : 01 (बेंगलूरु) ञ) स्टॉकयार्डों की संख्या: 09 (जयपुर, फरीदाबाद, बद्दी, कोलकाता, चेन्नै, विशाखापत्तनम्, भिवण्डी, सिलवासा, वड़ोदरा, दिल्ली)
10	कम्पनी के द्वारा सेवारत बाजार	वित्तवर्ष 2017-18 के दौरान, कम्पनी के द्वारा सेवारत निम्नलिखित एल्यूमिनियम बाजार हैं (भारत के अतिरिक्त) : बांगलादेश, मलेशिया, सिंगापुर। कंपनी की निजी जरूरत से अधिक उत्पादित निस्तप्त एल्यूमिना का निर्यात किया जाता है। वित्तवर्ष 2017-18 के दौरान, कम्पनी के द्वारा सेवारत निम्नलिखित एल्यूमिना बाजार हैं (भारत के अतिरिक्त) : चीन, मिश्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतार और मलेशिया।

अनुभाग ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1	31.03.18 को प्रदत्त पूँजी	966.46 करोड़ भारतीय रुपये
2	कुल कारोबार	सकल कारोबार : 9,505.12 करोड़ भारतीय रुपये
3	कुल कर पश्चात लाभ	1,342.41 करोड़ भारतीय रुपये
4	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) पर कुल खर्च	क) ₹29.01 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च की गई। 2017-18 के दौरान नि.सा.उ. पर किए जानेवाला आवश्यक खर्च था ₹27.88 करोड़।
	क) भारतीय रुपये में :	
	ख) तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में (%):	ख) ऊपर सूचित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वास्तविक खर्च पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के औसत शुद्ध लाभ का 2.08% हुआ है।
5	उन गतिविधियों की सूची, जिनमें उपर्युक्त नि.सा.उ. पर खर्च किया गया है।	नि.सा.उ. पर खर्च मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में हुआ है:
		क) शिक्षा
		ख) सुरक्षित पेय जल
		ग) स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ
		घ) पर्यावरणीय संधारणीयता
		ङ) कौशल विकास
		च) स्वच्छता
		छ) आधारभूत संरचना विकास
		ज) खेलकूद एवं क्रीड़ा, कला व कारीगरी को प्रोत्साहन
		झ) समुदाय विकास

अनुभाग ग - अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं?
   नहीं।
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियाँ मूल कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें।
   लागू नहीं।
3. क्या अन्य प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों (यथा- आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसे प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों का प्रतिशत बताएँ? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]
   कोई अन्य प्रतिष्ठान अर्थात आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार आदि बीआर प्रयासों के वित्तपोषण में शामिल नहीं हैं। व्यवसाय दायित्व (बीआर) के सभी प्रयास संगठन द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किए जाते हैं।

अनुभाग घ - व्यवसाय उत्तरदायित्व (बीआर) सूचना

1. 31.3.2018 को यथा बीआर के लिए निदेशक/निदेशकों के दायित्व का विवरण:

   क) 31.03.2018 को यथा निदेशक-मंडल स्तरीय नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति में पाँच स्वतन्त्र निदेशक और तीन कार्यकारी निदेशक हैं, जो बी.आर. के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति की तीन बैठकें आयोजित हुईं। 31.03.2018 को यथा समिति के सदस्य हैं :

नाम	पदनाम	डीआईएन संख्या
श्री डी महन्त	स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष	01583516
श्री एस. शंकररमन	स्वतंत्र निदेशक	07346454
श्री महेश्वर साहु	स्वतंत्र निदेशक	00034051
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र निदेशक	07726477
श्री एन. एन. शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	02888318
श्री के. सी. सामल	निदेशक (वित्त)	03618709
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)	06965313
श्री बी. के. ठाकुर	निदेशक (मानव संसाधन)	07557093

ख) बी.आर. प्रमुख का विवरण

i) **संधारणीय विकास का नेतृत्व निदेशक (उत्पादन) द्वारा किया जा रहा है**

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	06965313
2	नाम	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन)
4	टेलीफोन नम्बर	0674-2300660
5	ई-मेल आईडी	dirprod@nalcoindia.co.in

ii) **नि.सा.उ. का नेतृत्व निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा किया जा रहा है**

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	07557093
2	नाम	श्री बी. के. ठाकुर
3	पदनाम	निदेशक (मानव संसाधन)
4	टेलीफोन नम्बर	0674-2300430
5	ई-मेल आईडी	dirhr@nalcoindia.co.in

2. **सिद्धान्त वार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के अनुसार) बी.आर. नीति/ नीतियाँ**

नौ सिद्धान्त हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

सिद्धान्त 1(पी1)	:	व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।
सिद्धान्त 2(पी2)	:	व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हों और अपने जीवनचक्र में संधारणीयता में योगदान दें।
सिद्धान्त 3(पी3)	:	व्यवसाय सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित करे।
सिद्धान्त 4(पी4)	:	व्यवसाय सभी पक्षों के हित के अनुकूल हो एवं सभी हितधारिकों विशेषकर उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित व सीमांत (कमजोर) वर्गों के लिए हितकारी हो।
सिद्धान्त 5(पी5)	:	व्यवसाय से मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन प्राप्त हो।
सिद्धान्त 6(पी6)	:	व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करे।
सिद्धान्त 7(पी7)	:	व्यवसाय सार्वजनिक हित एवं विनियमन नीति के प्रति जिम्मेदारी का रुख रखे।
सिद्धान्त 8(पी8)	:	व्यवसाय समावेशी एवं समान विकास का पक्षधर हो।
सिद्धान्त 9(पी9)	:	व्यवसाय का अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ संबंध रहे और उन्हें उत्तरदायी रूप से मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

(क) अनुपालन का विवरण (हाँ/ना में)

उपर्युक्त 9 राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) सिद्धान्त (पी1 से पी9) के संबंध में प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :

क्रम. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या 9 एन.वी.जी. सिद्धान्तों के लिए आपके पास कोई नीति/नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो उल्लेख करें? (50 शब्दों में) *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित है? *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	यदि हाँ, तो क्या इस पर प्रबंध-निदेशक/मालिक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उपयुक्त निदेशक-मंडल के निदेशक के हस्ताक्षर हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या कम्पनी के पास निदेशक-मंडल/ निदेशक/ अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है, जो इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करती है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक क्या है? **	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

क्रम. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
7.	क्या सभी प्रासंगिक आन्तरिक और बाहरी हितधारकों को इस नीति का औपचारिक रूप से संप्रेषण किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या कंपनी में इस नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आन्तरिक तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी में इस नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई शिकायत निवारण मशीनरी है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी ने किसी आन्तरिक या बाहरी एजेन्सी द्वारा इस नीति के कार्य-संचालन का स्वतन्त्र *लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

हाँ से "हाँ" स्वीकृति सूचित है

* संधारणीय विकास (एस.डी.) नीति सभी नौ एन.वी.जी. सिद्धान्तों के सार को धारण करती है। **यह एस.डी. नीति निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित और अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है** और अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात् **आई.एस.ओ. 9001, आई.एस.ओ. 14001, आई.एस.ओ. 50001, ओ.एच.एस.ए.एस. 18001 एवं एस.ए. 8000 मानक की संपुष्टि करते हुए प्रचालन प्रबंधन प्रणालियों द्वारा इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।** परिकल्पना, मिशन एवं प्रमुख मूल्य परक मान विवरण संगठन में संधारणीयता को संचालित करने के लिए अपेक्षित अनिवार्य विषयवस्तुओं के संस्पर्श में होते हैं। सभी पाँचों प्रबन्धन प्रणालियों नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षा के साथ साथ स्वतंत्र प्रमाणन संस्थाओं द्वारा आवधिक बाहरी लेखापरीक्षा के शर्ताधीन हैं। वित्तीय पहलुओं की भी आन्तरिक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जाती हैं।

** एस.डी. नीति की लिंक : **http://www.nalcoindia.com/download/SD_Policy[HI].pdf**

कुछ अन्य विशिष्ट नीतियों, कंपनी की नियमावलियों और दस्तावेज हैं जो नौ एन.वी.जी. सिद्धान्तों के सार और भाव को सुदृढ़ करते हैं। इनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

एन.वी.जी. सिद्धान्त	नीतियाँ, नियमावली, दस्तावेज
सिद्धान्त 1 : नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व	1. निदेशक-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता : **http://www.nalcoindia.com/CodeofConduct.pdf**
	2. धोखाधड़ी रोकथाम नीतिः **http://www.nalcoindia.com/NALCOFRAUDPREVENTIONPOLICY.pdf**
	3. सचेतक नीति : **http://www.nalcoindia.com/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf**
	4. अधिकार का प्रत्यायोजन
	5. सतर्कता नियमावली
	6. विपणन मार्गनिर्देशिका
	7. क्रय नियमावली
	8. संविदा नियमावलीः **http://www.nalcoindia.com/download/Contract-Manual-2013.pdf**
	9. भंडार नियमावली
	10. स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक नीति
सिद्धान्त 2 : उत्पाद के जीवन चक्र में संधारणीयता	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति : **http://www.nalcoindia.com/download/OHS_Policy.pdf**
सिद्धान्त 3 : कर्मचारी कल्याण	मानव संसाधन नियमावली
सिद्धान्त 4 : हितधारकों का हित	गुणवत्ता नीतिः **http://www.nalcoindia.com/download/QualityPolicty.pdf** प्रमुख मूल्यमान "श्रेष्ठ": **http://www.nalcoindia.com (होम पेज)**
सिद्धान्त 5: मानवाधिकारों को प्रोत्साहन	सामाजिक उत्तरदायित्व नीतिः **http://www.nalcoindia.com/download/SA8000_POLICY_Revised_2014[Hindi].pdf**
सिद्धान्त 6: पर्यावरणीय संरक्षण	पर्यावरण नीति : **http://www.nalcoindia.com/download/Environment Policy[HI].pdf**
सिद्धान्त 7: दायित्वशील सार्वजनिक नीति की वकालत	प्रमुख मूल्यमान "श्रेष्ठ" : **http://www.nalcoindia.com** (Home Page)
सिद्धान्त 8: समावेशी विकास	नि.सा.उ. नीतिः **http://www.nalcoindia.com/CSR_Policy_new.pdf**
सिद्धान्त 9: मूल्य परक ग्राहक सेवा	गुणवत्ता नीतिः **http://www.nalcoindia.com/download/QualityPolicy[HI].pdf**

(ख) **क्रम सं. 1 के अन्तर्गत 2(क) में किसी सिद्धांत का उत्तर "नहीं" है, तो कृपया कारण स्पष्ट करें : (2 विकल्पों तक टिक लगाएँ)**

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है									
2.	कंपनी अभी इस स्थिति में नहीं है कि यह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन कर सके									
3.	कंपनी में इस कार्य के लिए वित्तीय या मानव संसाधन उपलब्ध नहीं हैं					लागू नहीं				
4.	आगामी 6 महीने के अन्दर इसे कर लेने की योजना है									
5.	आगामी 1 वर्ष के अन्दर इसे कर लेने की योजना है									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

चूंकि सभी नौ एन.वी.जी. सिद्धांतों के लिए उपर्युक्त क्रम सं. 1 के 2(क) में दिए गए प्रश्नों का उत्तर हाँ है, अतः 2(ख) के प्रश्न लागू नहीं हैं।

3. व्यवसाय दायित्व से संबंधित अभिशासन (बीआर)

3.1 कंपनी के बी.आर. कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ बैठक कितनी बार की जाती है। 3 महीने के अन्दर, 3-6 महीने में, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, बी.आर. निष्पादन अर्थात् संगठन में नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास गतिविधियों की समीक्षा करने एवं सलाह देने के लिए निदेशक-मण्डल की नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति की बैठकें 21.04.2017, 21.07.2017 एवं 10.11.2017 को हुई। 2016-17 की बी.आर. रिपोर्ट के मसौदा की समीक्षा, 21.07.2017 की बैठक में हुई एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया। 2017 के दौरान, बैठकों की आवृत्ति तीन वर्ष में दो बार हुई है।

3.2 क्या यह कंपनी बी.आर. या संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट के अवलोकन के लिए हाईपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होती है?

हाँ, व्यवसाय उत्तरदायित्व (बी.आर) रिपोर्ट और संधारणीय विकास रिपोर्ट दोनों वार्षिक रूप से तैयार की जाती हैं एवं वेबसाइट में उपलब्ध है।

व्यवसाय दायित्व (बी.आर.) रिपोर्ट जो सेबी की अर्हताओं के अनुसार अधिदेशात्मक है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के आधार पर प्रस्तुत है और वार्षिक आधार पर वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित होती है। 2016-17 के लिए रिपोर्ट की वेबलिंक है :
http://www.nalcoindia.com/investor/36th%20Annual%20Report%20(2016-17)-Hindi.pdf

2011-12 से एक संधारणीय विकास (एस.डी) रिपोर्ट भी राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय मार्गनिर्देशों के आधार पर तैयार की जाती है एवं वे वेबसाइट में उपलब्ध करायी गई है। वर्ष 2016-17 के लिए, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जेनरेशन 4 (जीआरआई जी4) के समरूप में प्रस्तुत एक विस्तृत संधारणीय रिपोर्ट भी पूरी की गई है एवं वेब पर प्रकाशित की गई। वेबलिंक है :
http://www.nalcoindia.com/download/FINAL%20SD%20REPORT%202016-17%20(PRINTER%20COPY%207(B)).pdf

अनुभाग ङः सिद्धान्त-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धान्त 1 : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

1.1 क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति केवल कंपनी को शामिल करती है ?

जी नहीं।

क्या वह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों के प्रति भी विस्तारित है ?

जी हाँ, नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन से शुरू करते हुए सुदृढ़ निगरानी एवं तदुपरान्त गतिविधियों द्वारा सभी स्तरों पर नैतिकता विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। संधारणीय विकास नीति एवं प्रमुख मूल्यमान, ईमानदारी, नैतिक अभ्यासों और पारदर्शिता के प्रति हमारी वचनबद्धता को प्रतिबिम्बित करती है। अतिरिक्त दिशानिर्देशों जैसे कि "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता", "धोखाधड़ी रोकथाम नीति", सचेतक नीति", अनिधकृत व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता", सभी कार्यपालकों पर लागू सीडीए नियम, सभी कर्मचारियों पर लागू प्रमाणित स्थायी आदेश द्वारा व्यवसाय अभ्यासों में नैतिक आचरण को और भी सुदृढ़ किया जाता है। किसी उल्लंघन, अनियमितता, कथित धोखाधड़ी आदि, जब भी व्यवसाय लेनदेन में सूचित होती हैं, का निपटारा नालको सतर्कता मैनुअल तथा सी.वी.सी. के मुख्य तकनीकी परीक्षक, सेबी आदि द्वारा परिचालित मार्गनिर्देशों एवं निदेशावलियों के आधार पर किया जाता है।

पारदर्शिता अभियान को आगे सहारा देने के लिए, ₹ 50 लाख और ऊपर के सभी ठेके के लिए इंटिग्रिटी पैक्ट का भी कार्यान्वयन किया गया है। भारत सरकार की सार्वजनिक सूचना प्रकटन और सूचित करनेवाले के परिरक्षण (पीआईडीपीआई) योजना के अधीन किसी बाहरी शिकायतकर्ता को परिरक्षण भी दिया जाता है।

1.2 विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं जिनका प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया ?

i) वर्ष के दौरान, 27 सतर्कता संबंधी **शेयरधारक शिकायतें** प्राप्त हुई थी, जिनमें से 3 शिकायतें पिछले वर्ष से अग्रेनीत थी। कुल 30 शिकायतों में से, 20 शिकायतों को विश्लेषण के पश्चात् बंद कर दिया गया, जबकि 10 शिकायतें आवश्यक कार्यवाहियों के साथ जाँच-पड़ताल के विभिन्न चरणों में हैं। अनियमितता और अपराध के स्तर के आधार पर, नालको सतर्कता मैनुअल एवं सी.वी.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कार्यवाही की गई है। वर्ष के दौरान निरोधक सतर्कता के उपाय के रूप में, संविदा निष्पादन, कच्चे माल की खरीद, प्रतिदर्शन एवं परीक्षण, निःशुल्क निर्गत सामग्री आदि पर कुछ महत्वपूर्ण प्रणालीगत सुधारों के लिए सुझाव भी दिए गए। वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा लिए कुछ प्रमुख पहल हैं।

नालको ई-लर्निंग पोर्टल का विकास, सीवीसी एवं आईआईएमए के सहयोग से इंटिग्रिटी इंडेक्स का विकास एवं नालको वेबसाइट में सतर्कता प्रशासन पर वेब पेज का सृजन।

ii) **निवेशक की शिकायतें**

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 709 संख्यक **शिकायतें** प्राप्त हुई और सभी का संतोषजनक समाधान किया गया। निवेशकों से संबंधित शिकायतों का विस्तृत विभाजन नीचे दिया गया है :

विवरण	वर्ष के दौरान प्राप्त	समाधान की गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
स्कोर्स	06	06	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज	01	01	शून्य
व्यक्ति विशेष	702	702	शून्य
कुल :	**709**	**709**	शून्य

iii) सूचना का अधिकार अधिनियम (सू.का.अ.)**:**

लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेट प्राधिकारी के रूप में पदनामित वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर दो अधिकारी संगठन में सूचना के अधिकार का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, पिछले वर्ष के 26 लंबित आवेदनों के अलावा कुल 219 आवेदन प्राप्त हुए। 31.03.2018 को यथा, सूचना के 153 अनुरोधों को स्वीकार किया गया एवं जवाब भेजे गए, जबकि ऐसे 74 अनुरोध रद्द किए गए। 31.03.2018 को यथा, सूचना के 18 अनुरोध लंबित हैं।

iv) 2017-18 के दौरान, बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अस्वैच्छिक मजदूरी; भेदमूलक नियोजन; यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई एवं 31.03.2018 के अनुसार उपर्युक्त के संबंध में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

सिद्धान्त 2 : व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हो और अपने जीवनचक्र में संधारणीयता में योगदान दे।

2.1 आपकी 3 वस्तुओं या सेवाओं की सूची दें, जिनकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को सम्मिलित किया गया है।

ये तीन प्रमुख उत्पाद हैं : **निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, विद्युत।**

उत्पादन एककों एवं खानों में, परियोजना चरणों के दौरान व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन का निष्पादन किया जाता हैं एवं उत्पादों और सेवाओं से पर्यावरण या सामाजिक जोखिमों को दूर करने के लिए विभिन्न चरणों में लिए गए अग्रसक्रिय कदमों के साथ नियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित लागू योजनाओं जैसे कि पर्यावरण प्रबंधन योजना, खनन योजना, खान बंदी योजना आदि का कार्यान्वयन किया गया है। पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं, जोखिमों एवं अवसरों के निवारण के लिए आवधिक समीक्षाओं के साथ स्थिति प्रभाव अध्ययन, आपदा निशानोही एवं जोखिम मूल्यांकन और आपातकाल प्रबंधन योजनाएँ बनायी गई हैं।

हमारे उत्पादों के लिए पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों, अवसरों पर नीचे तालिका - क में निर्दिष्ट अनुसार ध्यान रखा जाता है :

तालिका - क				
एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
एल्यूमिना परिशोधक	निस्तप्त एल्यूमिना	क. वायु प्रदूषण ख. जल प्रदूषण ग. भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण** i) चिमनी से बहिःस्राव ii) निस्तप्त एल्यूमिना, बॉक्साइट, कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र में धूल	**1. <u>वायु प्रदूषण:</u>** i) वॉयलर के फ्लू गैस से विविक्त वस्तुओं के संग्रह के लिए बॉयलर में इलेक्टो स्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स (ईएसपी) प्रदान किए गए। ii) निस्तप्तीकरण प्रक्रिया में सृजित एल्यूमिना धूल के संचय हेतु निस्तप्तक में ईएसपी प्रदान किया गया है। • धूल के बहिःस्राव को रोकने के लिए एल्यूमिना के लदान एवं उतराई में बैग फिल्टर एवं धूल रोधी प्रणाली प्रदान किए गए हैं। • अस्थायी निस्सरण पर नियंत्रण रखने के लिए चूना गिट्टी, लाल पंक, राख, कोयला एवं बॉक्साइट संचालन क्षेत्रों में छिड़काव एवं धूल-रोधी प्रणाली प्रदान किए गए हैं।

तालिका - क				
एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
			2. जल प्रदूषण i) अपशिष्ट बहिःस्राव ii) मलजल एवं अपशिष्ट जल iii) सतह के बहाव जल	**2. <u>जल प्रदूषण:</u>** i) उपचार सुविधाओं में मलजल का उपचार किया जाता है। ii) राख तालाब में ऊपर बह रहे जल एवं लाल पंक तालाब में ऊपर बह रहे जल के लिए अपशिष्ट जल उपचार, पुनःचक्रण एवं पुनःप्रयोग का निष्पादन किया जाता है : • राख घोल बनाने के लिए राख तालाब से प्रत्यागमन जल के पुनःचक्रण का पुनःप्रयोग किया जाता है। • लाल पंक तालाब का प्रत्यागमन जल लाल पंक घोल बनाने एवं पंक धोने के लिए पुनःप्रयोग किया जाता है, इस प्रकार कॉस्टिक का पुनःचक्रण होता है। • मल अपशिष्ट जल मलजल उपचार संयंत्र में व्यवहार किया जाता है एवं बागवानी उद्देश्यों के लिए इसका पुनःचक्रण एवं पुनःप्रयोग किया जाता है। iii) सतह पर वाहित जल शबरी झील में संचित होता है एवं जरूरत पड़े तो आवश्यक उपचार के बाद इसका बाहर निपटान किया जाता है।
			3. भूमि संदूषण i) चूना गिट्टी ii) लाल पंक iii) राख	**3. <u>भूमि संदूषण</u>** i) ईंट या अन्य सम्बद्ध उत्पाद के निर्माण के लिए चूना गिट्टी को रिसाइक्लर में निपटाया जाता है। ii) लाल पंक से लौह सान्द्र एवं गैलियम के निष्कर्षण के लिए लाल पंक के उपयोग का अन्वेषण चल रहा है। iii) इन क्षेत्रों में उड़नशील राख के उपयोग हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए उड़नशील राख का उच्चतर उपयोगः उड़नशील राख की ईंटों, सीमेंट के निर्माण में, सड़क निर्माण, तटबंध बनाने, निचले क्षेत्रों को भरने आदि में उड़नशील राख का उपयोग।
प्रद्रावक	**एल्यूमिनियम**	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण:** i) पॉट प्रचालन के कारण एफटीपी चिमनियों से फ्लूओराइड एवं विविक्त निस्सरण ii) एनोड प्रभाव के दौरान पीएफसी का सृजन, नीचे विस्तार में*	**1. <u>वायु प्रदूषण</u>** i) एफटीपी में शुष्क मार्जन विधि द्वारा प्राथमिक एल्यूमिना में फ्लूओराइड गैस का अवशोषण। एफटीपी चिमनियों में निस्सरण की ऑनलाइन सतत निगरानी की गई। ii) प्रद्रावक संयंत्र को ए.एल.पी.एस.वाई.एस. पॉट नियंत्रण प्रणाली से समृद्ध किया गया है, जो समय पर एल्यूमिना को खुराक देते हुए एनोड के प्रभाव को कम करता है।
			2. जल प्रदूषण: i) फ्लूओराइड संदूषित सतह से बहाव का सृजन	**2. <u>जल प्रदूषण:</u>** i) निर्दिष्ट नालियों के माध्यम से तीन एचडीपीई कतारयुक्त धारक तालाबों में सतह के बहाव को एकत्रित किया जाता है। फ्लूओरिनेटेड सतह के बहाव का उपचार डीफ्लूओराइडेशन संयंत्रों में किया जाता है। (आयन विनिमय प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम एमिरिऑन नैनो प्रौद्योगिकी पर प्रचालित)। इसके बाद उपचारित जल शीतलीकरण, बागवानी एवं अन्य संयंत्र उपयोग के लिए पुनःचक्रित होता है।
			3. भूमि संदूषण: संकटजनक अपशिष्ट का सृजन जैसे कि: i) एसपीएल ii) ड्रॉस iii) शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट इत्यादि	**3. <u>भूमि संदूषणः</u>** i) भूमि संदूषण की रोकथाम के लिए अभेद्य पंक्तिबद्ध संरक्षित इंजीनियर्ड लैण्डफिल में और साथ ही कंक्रीट युक्त फ्लोर शेड में एसपीएल संचित होता है। पृथक्करण के उपरांत अर्ध-पृथकीकृत कार्बन एवं एसपीएल के दुर्दम्य अंश की कुछ मात्रा कंक्रीट युक्त फ्लोर शेड में पृथक रूप से संचित होती है। ii) एल्यूमिनियम ड्रॉस का पॉट में पुनःचक्रण किया जाता है। ओ.एस.पी.सी.बी. से पंजीकृत प्राधिकृत रिसाइक्लर में उपलब्ध ड्रॉस का निपटान कार्याधीन है। iii) सुकिन्दा, जाजपुर के आम संकटजनक अपशिष्ट लैंडफिल में शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट आदि का निपटान किया जा रहा है।

तालिका - क				
एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
ग्र.वि.सं.	**विद्युत**	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण** i) बॉयलर से निस्सरण ii) कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र से अस्थायी धूल iii) फ्लू गैस में ताप निस्सरण **2. जल प्रदूषण** i) बहिःस्राव अपशिष्ट जल ii) मलजल एवं अपशिष्ट जल iii) सतह के बहाव जल **3. भूमि संदूषण** i) मिल अस्वीकार्य ii) राख iii) स्क्रैप (धात्विक एवं गैर-धात्विक स्क्रैप)	**1. <u>वायु प्रदूषण:</u>** i) विविक्त वस्तुओं के निष्कर्षण हेतु बॉयलर फ्लू गैस निस्सरण मार्ग में ई.एस.पी. प्रदान की जाती है। ii) अस्थायी धूल पर नियंत्रण के लिए कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र में धूल निष्कर्षण एवं फुहारा प्रणाली प्रदान की जाती है। iii) बॉयल की दक्षता को बढ़ाने एवं कोयले की खपत को कम करने के लिए एयर प्री-हीटर एवं इकोनोमाइजर के माध्यम से फ्लू गैस ताप पुनः प्राप्त कियाा जाता हैं। **2. <u>जल प्रदूषण:</u>** i) औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार हेतु बहिःस्राव उपचार संयंत्र प्रदान किया गया है। उपचारित जल का प्रयोग राख घोल बनाने के लिए किया जाता है। ii) राख के तालाब से निस्तारित जल का राख घोल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है: • मल अपशिष्ट जल के उपचार हेतु मलजल उपचार संयंत्र प्रदान किया जाता है। उपचार के पश्चात मल अपशिष्ट जल का बागवानी एवं वृक्षारोपण उद्देश्यों के लिए पुनःप्रयोग किया जाता है। iii) सतह का बहाव जल अग्निशमन के लिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। **3. <u>भूमि संदूषण</u>** i) मिल अस्वीकृतियाँ सीमांकित निचले क्षेत्रों में संचित होती है ताकि पुनःप्रयोग के लिए अधिकृत पक्षों को निपटाया जा सके। ii) राख के तालाब में घोल रूप में राख का निपटान किया जाता है। उत्खनित क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु खान के रिक्त स्थानों में पतले घोल के निपटान की परियोजना प्रगति में है। शुष्क राख को निचले क्षेत्र को भरने, स्टोन क्वैरी के रिक्त स्थानों को भरने में प्रयोग किया जाता है, राख ईंट निर्माण के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद निर्माताओं को निपटाया जाता है एवं आर्थिक सहायक योजना के अंतर्गत एस्बेस्टस, सीमेंट आदि में प्रयोग किया जाता है। iii) स्क्रैप रिसाइक्लर्स को बेचे जाते है।
खान	**बॉक्साइट**	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • ध्वनि प्रदूषण • ठोस अपशिष्ट प्रदूषण	**1. वायु प्रदूषण** i) भारी वाहनों से निस्सरण ii) बॉक्साइट खनन संचलन, क्रशर में संदलन एवं कन्वेयर में वहन के दौरान अस्थायी धूल का निस्सरण	**1. <u>वायु प्रदूषण:</u>** i) वाहनों से निस्सरण को कम करने के लिए वाहनों का यथोचित चयन एवं रखरखाव। ii) 5 संख्यक 28 कि.ली. सचल फुहारे एवं ढुलाई सड़क पर अचल स्थायी फुहारों के साथ ढुलाई सड़कों एवं भंडार संचय क्षेत्र में जल का छिड़काव: • धूल उत्पादन को कम करने के लिए एन.ओ.एन.ई.एल. प्रस्फोटक का प्रयोग करते हुए उपयुक्त ब्लास्ट डिजाइन एवं विलंबित ब्लास्टिंग। • क्रशर एवं कन्वेयर में धूल के दमन एवं संपूर्ण आच्छादित कन्वेयर में धूल के उत्पादन को रोकने के लिए, शुष्क धूम प्रणाली का कार्यान्वयन। • सभी ड्रिल मशीनों में वैक्यूम सक्शन/नम ड्रिलिंग अपनाना। • धूल कणों को रोकने के लिए वृक्षारोपण के साथ 7.5 मी. चौड़ा परिधीय घेरा।

तालिका - क				
एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
			2. **जल प्रदूषणः** i) कैन्टीन, वाहन की धुलाई से निकले अपशिष्ट जल एवं शौचालयों से मलजल	2. **जल प्रदुषण:** i) गाद लदे बरसाती जल को बाहर निकलने से रोकने के लिए सक्रिय खनन क्षेत्र में चारों ओर इन-सिटु परिधीय घेराः • खनन क्षेत्रों से पंकयुक्त जल, यदि है, के छनन हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर रोकबाँध। • हौदी में खनन क्षेत्र में बरसात के जल का संग्रह एवं एकत्रित जल का भूमि में अन्तःस्रवण। • शौचालय से जल सेप्टिक टैंक में प्रयोग होता है एवं सोखाई गड्ढों में निपटाया जाता है, कैन्टीन के अपशिष्ट जल जैविक उपचार एकक में उपचारित होता है। वाहन धुलाई क्षेत्र से धुलाई जल, तेल जल सेपरेटर में व्यवहृत होता है। कैन्टीन और वाहन धुलाई क्षेत्र से व्यवहृत जल धूल दमन एवं वृक्षारोपण के लिए संपूर्ण रूप से पुनः उपयोग किया जाता है।
			3. **ध्वनि प्रदूषण:** i) विस्फोट एवं भारी वाहनों के प्रचालन के दौरान ध्वनि	3. **ध्वनि प्रदुषण:** i) ध्वनि सृजन को कम करने के लिए एनओएनईएल प्रस्फोटक का प्रयोग करते हुए विलंबित विस्फोट समेत उपयुक्त ब्लास्ट डिजाइनः • ध्वनि के गमन को रोकने के लिए परिधीय वृक्षारोपण। • एचईएमएम में ध्वनि कम उत्पन्न करने वाले उपयुक्त उपकरण का चयन, ध्वनिरोधी केबिन का प्रावधान एवं कामगारों के लिए पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) का प्रावधान।
			4. **ठोस अपशिष्ट प्रदूषण:** i) खनिज लवणों के उत्खनन से ओवरबर्डन सामग्री	4. **ठोस अपशिष्ट प्रदुषण:** i) ऊपरी मिट्टी एवं ओवरबर्डन का 100% पुनःउपयोग जो खनन किए हुए क्षेत्रों की पुनः भराई के लिए पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है।
			5. **भूमि निम्नीकरण:** i) विस्फोट द्वारा एवं मशीनरी के प्रयोग से ओवरबर्डन एवं अयस्क सामग्री का उत्खनन	5. **भूमि निम्नीकरण:** i) समवर्ती खनन एवं खोदे गए क्षेत्रों की पुनः भराई : • विस्तृत पौधरोपण के साथ खोदे गए क्षेत्र का पुनर्वासन, इस तरह बंजर क्षेत्र का वन में रूपांतरण।

* एनोड प्रभाव के दौरान प्रद्रावक में प्राथमिक एल्यूमिनियम लघुकरण प्रक्रिया में उत्पादित परफ्लूरोकार्बन (पी.एफ.सी.) अर्थात् टेट्राफ्लूरोमिथेन (सीएफ$_4$) एवं हेक्साफ्लूरोइथेन (सी$_2$एफ$_6$) निस्सरण पर बहुत बारीकी से निगरानी रखी जाती है। प्रद्रावक संयंत्र का अति उन्नत ए.एल.पी.एस.वाई.एस. पॉट नियंत्रण प्रणाली से सज्जित है, जो पॉट में सही समय पर एल्यूमिन की खुराक देते हुए एनोड प्रभाव की आवृत्ति एवं अवधि को कम करने में मदद करती है। वर्ष 2017-18 के लिए, ए.पी. (एल्यूमिनियम पचिनी) ओवरवोल्टेज विधि के प्रयोग से प्रद्रावक पॉटलाइन से पी.एफ.सी. निस्सरण का आकलन किया गया है एवं उनके मूल्यमान नीचे दिए गए हैं :

पीएफसी के प्रकार	वास्तविक निस्सरण
सीएफ$_4$ (केजी/टी एएल)	0.0367
सी$_2$एफ$_6$ (केजी/टी एएल)	0.0044

2.2 प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति एकक के संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री) के सम्बंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक)।

i) पूरी मूल्य शृंखला पर पिछले वर्ष से हासिल प्राप्ति/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती।

निम्नलिखित **तालिका ख** में पिछले वित्त वर्ष के दौरान हासिल कटौती दर्शायी गयी है :

तालिका ख				
प्रति इकाई उत्पादन की विशिष्ट खपत	माप की इकाई	मानक	पूर्ववर्ती वर्ष (वि.व. 2016-17)	वर्तमान वर्ष (वि.व. 2017-18)
बॉक्साइट खानों में विस्फोटक की खपत	ग्राम/मे.टन	160	143	128
एल्यूमिना परिशोधक के एसपीपी में वाष्प उत्पन्न करने के लिए कोयला	टन/टन	0.650	0.653	0.647
एल्यूमिना परिशोधक में विद्युत ऊर्जा	कि.वा.घ./टन	335	320.45	316
एल्यूमिनियम फ्लूओराइड की खपत	कि.ग्रा./मे.टन	19	21	19
प्रद्रावक में तप्त धातु के लिए शुद्ध कार्बन की खपत	कि.ग्रा./मे.टन	430±10	432	430
ग्र.वि.सं. में ईंधन तेल की खपत	मि.ली./कि.वा.घं.	1.0	0.49	0.42

ii) ग्राहकों द्वारा प्रयोग के दौरान कटौती (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से हासिल की गई है।

वस्तु क्षेत्र में होने के कारण, ग्राहकों की ओर से ऊर्जा एवं जल के प्रयोग की निगरानी संभव नहीं है। तथापि, यातायात क्षेत्र में एल्यूमिनियम के बढ़ते उपयोग ने ईंधन/ऊर्जा खपत में कटौती का अच्छा अवसर प्रदान किया है।

2.3 क्या कंपनी के पास संधारणीय आपूर्ति स्रोत (परिवहन समेत) के लिए कार्य-पद्धतियाँ हैं ?

हाँ।

हमारी सबसे महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री, बॉक्साइट के संधारणीय आपूर्ति स्रोत ग्रहीत खानों के होने से एवं संधारणीय खनन अभ्यासों को अपनाते हुए सुनिश्चित किया गया है। प्रद्रावण के लिए विद्युत प्रद्रावक के पास ही स्थित ग्रहीत विद्युत संयंत्र से प्राप्त किया जाता है, जिससे न्यूनतम पारेषण क्षति के साथ विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। हमारे ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) के लिए कोयले की थोक खरीद कुछ किलोमीटर दूर स्थित महानदी कोलफील्ड्स के खानों से की जाती है। दीर्घमियादी ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। कोयले की आपूर्ति में उत्पन्न किसी भी कमी को ई-नीलामी मार्ग के जरिए कोयले की खरीद करते हुए पूरी की जाती है। अन्य प्रमुख कच्ची सामग्रियाँ जैसे कि एल्यूमिनियम फ्लूओराइड, कॉस्टिक, पिच एवं सी पी कोक आदि बहु विक्रेताओं के माध्यम से क्रय की जाती है। पूर्ण रूप से यंत्रचालित लदान एवं उतराई प्रणाली से परिपूर्ण हमारी निजी रेलवे साइडिंग एवं पोर्ट सुविधा उपर्युक्त निविष्ट कच्ची सामग्रियों के आपूर्ति स्रोत में सुविधा प्रदान करती है। महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों के लिए बहु-आपूर्तिकर्ताओं की नियुक्ति अभाव के समय क्रांतिक कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। हमारी उत्पादन सुविधाओं के निकट बॉक्साइट खान एवं कोयला खानों के अवस्थान एवं निर्दिष्ट परिवहन प्रणालियाँ जैसे कि बॉक्साइट के लिए केबल बेल्ट एवं कोयले के लिए मेरी गो राउण्ड रेलवे सिस्टम परिवहन में संधारणीयता मसले का निवारण करते हैं।

2.4 कार्यस्थल के आसपास के समुदायों समेत स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए क्या कंपनी द्वारा कदम उठाए गए हैं ? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं समर्थता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संगठन की अनुषंगी विकास नीति स्थानीय विक्रेताओं के विकास को प्रोत्साहित करती है। एककों में एमएसएमई सरलीकरण प्रकोष्ठ इन विक्रेताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए तकनीकी, वाणिज्यिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए नीति को कार्यान्वित करते हैं। एमएसएमई एककों द्वारा प्रस्तावित वस्तु एवं सेवाएँ सूचीबद्ध की जाती हैं एवं प्रमुखता के साथ प्रदर्शनी की जाती है और हमारी वेबसाइट में वेब प्रकाशित की जाती है ताकि व्यापक प्रचारण एवं जागरूकता सुनिश्चित हो पाए। खान एवं परिशोधन संकुल और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के प्रदर्शनी हॉल में तकनीकी जानकारी के साथ उत्पादों की प्रदर्शनी की गई है ताकि वार्षिक आवश्यकता के संबंध में उत्पाद एवं सूचना का विकास हो पाए एवं एमएसएमई उद्यमियों को अंतिम क्रय मूल्य आदि प्रदान किए जाते हैं। ऐसे एककों को बोली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निविदाकारी प्रक्रिया में रियायत जैसे कि बयाना राशि जमा एवं निविदा शुल्क से मुक्ति आदि में विस्तार किया गया है। एमएसएमई एककों को उनके लिए निर्दिष्ट उत्पादों और सेवाओं के लिए न्यूनतम उद्धृत मूल्य के 15% की सीमा में उद्धृत करते हुए क्रय प्राथमिकता प्रदान करते हुए हमारी क्रय पुस्तिका में उपयुक्त संशोधन किया गया है। एमएसई से प्राप्त की जानेवाली वस्तुओं और सेवाओं की सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अनुषंगी एककों समेत ओड़िशा के एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की खरीद ₹ 296.11 करोड़ रही (पिछले वित्त वर्ष के ₹ 285.88 करोड़ की तुलना में)। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एमएसई एककों (ओड़िशा के बाहर के समेत) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की कुल खरीद ₹400.13 करोड़ रही (वित्त वर्ष 2016-17 के ₹414.95 करोड़ की तुलना में) एवं न्यूनतम 20% के सरकारी लक्ष्य की तुलना में नालको द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद का 26.19% है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की खरीद का लक्ष्य ₹400.70 करोड़ रखा गया है।

नालको ने चाउलियागंज क्लब फील्ड, कटक में 17 से 19 दिसंबर, 2017 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्था, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-औद्योगिक प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन कार्यक्रम "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एक्सपो ओड़िशा-2017" में मदर प्लांट श्रेणी में "श्रेष्ठ प्रदर्शनी पुरस्कार" प्राप्त किया।

नालको को युनिट-III एग्जिबिशन ग्राउंड भुवनेश्वर में 5 से 10 मार्च, 2018 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा आयोजित ओड़िशा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2018 में "श्रेष्ठ पीएसयू के रूप में उत्कर्ष प्रमाणपत्र" का पुरस्कार दिया गया।

नालको ने 12 अप्रैल, 2017 को जयपुर, कोरापुट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्था, कटक एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास, ओड़िशा सरकार के सहयोग से ओएएसएमई द्वारा आयोजित राज्य स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में हिस्सा लिया।

27.06.2017 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में राष्ट्रीय स्तर का एक "विक्रेता सम्मेलन" का आयोजन किया गया था जिसमें ओड़िशा के अंदर एवं बाहर के दोनों सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के मसौदे जीएसटी, व्यवसाय उत्कर्ष एवं नालको की ई-खरीदी आवश्यकता थे।

22.09.2017 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में डीआईसी, कोरापुट के सहयोग से वर्ष 2017-18 के लिए सब-प्लैक (संयंत्र स्तरीय सलाहकारी उप-समिति) सम्मेलन का संचालन किया गया, जिसके बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्था, रायगढ़ा के सहयोग से "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विक्रेता" सम्मेलन का आयोजन किया गया।

खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में 22.09.2017 को एक "अनु. जाति - अनु-जनजाति उद्यमियों के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन" का संचालन किया गया।

प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल द्वारा 11.10.2017 को सूक्ष्म, लघु, उद्यम उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से "शून्य त्रुटि एवं शून्य प्रभाव (जेड.ई.डी.)" पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल द्वारा 23.11.2017 को नालको, प्रद्रावक एवं विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र, अनुगुल में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए उद्योग समस्या समाधान शिविर (यू.एस.एस.एस.) सह क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में 22.12.2017 को वर्ष 2017-18 के लिए सब-प्लैक (संयंत्र स्तरीय सलाहकारी उप-समिति) सम्मेलन का संचालन किया गया।

डीआईसी, अनुगुल के सहयोग से 27.02.2018 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्था, कटक द्वारा नालको के साथ विक्रय विकास कार्यक्रम सह क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया।

एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) से नालको की खरीद डेटा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास, भारत सरकार के "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंध" एप्प में मासिक आधार पर अपलोड किया जा रहा है।

2.5 उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण की प्रणाली क्या कंपनी के पास है ? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है ?

हाँ।

हम प्रक्रिया अपशिष्ट, धातु रद्दी और अपशिष्ट उत्पादों, बहिःस्रावों और औद्योगिक नाले के जल, राख के तालाब एवं लाल पंक के तालाब से निस्तारित जल का अधिकतम संभव सीमा तक पुनर्चक्रण करते हैं। हम हमारे एककों में वर्षा जल का दोहन, भूमिगत जल को प्रभारित करना और मल जल के उपचार को भी कार्यान्वित करते हैं। **वर्ष 2017-18 के दौरान, ग्र.वि.सं. राख तलाब से 15,258,445 घन मीटर जल; परिशोधक राख तालाब से 8,601,715 घन मीटर जल एवं परिशोधक लाल पंक तालाब से 2,792,866 घन मीटर जल का पुनर्चक्रण किया गया था।** इस विषय में हमारी कुछ प्राप्तियाँ नीचे **तालिका ग** में वर्णित है :

तालिका ग : अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग		
एकक	उपयोग	प्रतिशत
बॉक्साइट खान	उत्खनित क्षेत्रों के समवर्ती पुनरुद्धार हेतु ओवरबर्डन का उपयोग	100%
एल्यूमिना परिशोधक	अपशिष्ट लाल पंक से पुनर्चक्रित कॉस्टिक सोड़ा	6.31%
	राख का उपयोग	104.8%
	राख के तालाब जल का पुनर्चक्रण	93.96%
प्रद्रावक	एल्यूमिनियम स्क्रैप का पुनर्चक्रण	100%
	प्रक्रियागत निविष्ट के रूप में पुनर्चक्रित एल्यूमिनियम ड्रॉस	78.5%
	व्ययित एनोड का पुनर्चक्रण	100%
ग्र.वि.सं.	राख का उपयोग	46.77%

सिद्धान्त 3 : व्यवसाय से सभी कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत होना चाहिए

3.1 कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं :

31.03.2018 को यथा, नियमित नियोजन में कर्मचारियों की कुल संख्या 6,776 है।

3.2 कृपया 31.03.2018 को यथा, अस्थायी/अनुबंध पर/आकस्मिक आधार पर किराए पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं :

नालको द्वारा कोई अनुबंधित/अस्थायी/आकस्मिक कर्मचारी नियोजित नहीं किए गए। आतिथ्य, रखरखाव, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था एवं परियोजना गतिविधियों आदि क्षेत्रों में कार्यरत कार्य ठेकेदारों ने उनके अनुबंधित दायित्वों के निष्पादन के लिए 10,372 ठेका कामगारों को नियुक्त किया गया है।

3.3 कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं:

31.03.2018 को यथा, कुल 366 स्थायी महिला कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

3.4 कृपया विसक्षम स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं:

31.03.2018 को नियमित नियोजन पर विसक्षम जनों की कुल सं. 89 है।

3.5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संघ है ?

विभिन्न एककों और कार्यालयों में कुल 29 पंजीकृत यूनियन विद्यमान हैं। किसी भी एकक में बहुसंख्यक सदस्यता वाले यूनियन को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा किया जाता है। वर्तमान में, केवल प्रद्रावक संयंत्र के पास मान्यताप्राप्त यूनियन है। अन्य एककों में मान्यता देने की प्रक्रिया जुलाई, 2018 तक पूरा होने के लिए अपेक्षित है। कुछ अन्य कर्मचारी संघ जैसे कि अजा एवं अजजा कल्याण संघ एवं अधिकारी संघ प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, खान एवं परिशोधन संकुल में तथा निगम कार्यालय में परिचालित हैं।

3.6 इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य के रूप में आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है ?

लगभग 4,900 कर्मचारी पंजीकृत यूनियनों के सदस्य हैं। सभी एककों में मान्यताकरण प्रक्रिया पूरी होने पर, अधिकांश कामगार मान्यताप्राप्त यूनियनों द्वारा सूचित किए जाएंगे।

3.7 कृपया गत वित्तीय वर्ष में बाल मजदूर, जबरन मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं एवं वित्तीय वर्ष के अंत में इन पर लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।

वस्तुस्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2018 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	**बाल मजदूर/जबरन मजदूर/गैर-स्वैच्छिक मजदूर**	शून्य	शून्य
2	**यौन उत्पीड़न**	शून्य	शून्य
3	**पक्षपाती नियोजन**	शून्य	शून्य
4	**कोई अन्य शिकायत**	शून्य	शून्य

3.8 नीचे वर्णित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था ?

स्थायी कर्मचारियों, स्थायी महिला कर्मचारियों, अनियमित/अस्थायी/अनुबंधित कर्मचारियों, विसक्षम कर्मचारी।

उपर्युक्त प्रशिक्षण से संबंधित वस्तुस्थिति नीचे वर्णित है :

कर्मचारियों की श्रेणी	मौजूदा शक्ति	सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल व्यक्ति	सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत
स्थायी कर्मचारी (महिलाएँ एवं शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को छोड़कर)	6,321	3,172	**46.66**
स्थायी महिला कर्मचारी	366	137	**37.43**
अनियमित/अस्थायी/अनुबंधित कर्मचारी	10,372	4,286	**41.32**
विसक्षम कर्मचारी	89	25	**28.08**

सिद्धान्त 4: व्यवसाय सभी हितधारकों, विशेषकर सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों के हित में हो।

4.1 क्या कंपनी ने अपने आन्तरिक एवं वाह्य हितधारकों की सुव्यवस्था की है ?

जी हाँ, आन्तरिक शेयरधारकों अर्थात कर्मचारियों एवं बाहरी शेयरधारकों अर्थात ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, निवेशकों, सरकार एवं उनके प्रतिनिधियों और समितियों, स्थानीय समुदायों नियामक प्राधिकारियों, सेवा प्रदाताओं एवं कार्यठेका कामगारों का मानचित्रण किया गया है। विनियोजन के औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों से हितधारकों की अपेक्षाएँ प्रार्थनीय है एवं प्रक्रियाओं को सरल एवं सहज बनाते हुए हितधारकों की चिंताओं पर ध्यान दिया जाता है।

4.2 उपर्युक्त में से, क्या आपकी कंपनी ने सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों की पहचान की है ?

जी हाँ, हमारे संयंत्र और खानों के परिधीय क्षेत्रों में सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक आधारीय सर्वेक्षण किया गया है।

4.3 सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों से जुड़ने के लिए क्या कंपनी ने कोई विशेष प्रयास किया है ?

सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों के विकास एवं उनके सामाजिक-आर्थिक पोषण मसले पर कंपनी हमेशा जोर देती है। समुदाय की मांग एवं विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों के परिणाम के आधार पर दीर्घमियादी वृहद स्तर के विकासशील परियोजनाओं एवं अल्पमियादी मसला आधारित मध्यस्थताओं समेत हमने कई पहल हाथ में ली है। रिपोर्टिंग वर्ष में हमारे कुछ प्रमुख प्रयास हैं :

i. सचल स्वास्थ्य एकक (एमएचयू) और ओपीडी सेंटर के माध्यम से परिधीय गाँवों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ।

ii. कोरापुट, जयपुर एवं भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित विद्यालयों के सहयोग से दामनजोड़ी में परिधीय गाँवों के आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा।

iii. **"नालको की लाड़ली"** योजना के अन्तर्गत संयंत्र संचालन के परिधीय क्षेत्रों से **गरीबी रेखा से नीचे वर्ग की 277 मेधावी कन्या छात्राओं** को शैक्षणिक मदद उपलब्ध कराती है।

iv. परिधीय गाँवों में पेय जल सुविधा का प्रावधान।

v. स्थानीय युवाओं एवं ठेका कामगारों की रोजगार योग्यता वृद्धि के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

सिद्धान्त 5 : व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान एवं प्रोत्साहन करे।

5. 1 क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी को या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्य को शामिल करती है ?

मानवाधिकार सिद्धान्त केवल हमारे सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि बाहरी स्रोतों से प्राप्त सभी कार्यों के सेवा प्रदाताओं पर भी लागू रहते हैं। प्रयोज्य विनियमों जैसे कि कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, खान अधिनियम, 1972, ठेका मजदूर (आर एण्ड ए) अधिनियम, 1970, उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972 के माध्यम से अधिदेशित मानवाधिकार अभ्यास कंपनी में सख्ती से पालन किए जाते हैं। साथ ही, कार्यठेका परिस्थितियों में आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों के लिए, महत्वपूर्ण मानवाधिकार मसले अर्थात बाल मजदूर, जबरन एवं अनिवार्य मजदूर, पक्षपात, अनुशासनिक अभ्यास, मजदूरी एवं कार्य अनुसूची का यथा उपयुक्त ध्यान एसए 8000:2014 आवश्यकताओं के माध्यम से रखा जाता है ताकि कोई उल्लंघन न होने पाए। हमारे उत्पादन एककों, खान एवं निगम कार्यालय में एसए 8000:2014 मानक का कार्यान्वयन किया जाता है।

5.2 गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद समाधान किया गया ?

हितधारकों से शिकायतों की वस्तुस्थिति 1.2 में वर्णित है।

सिद्धान्त 6: व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान, रक्षा करे एवं बनाए रखने का प्रयास करे।

6.1 क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को या फिर समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठन/अन्य को भी शामिल करती है ?

अनूमोदित पर्यावरण नीति आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों पर भी लागू है। हमारे आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों द्वारा सुदृढ़ पर्यावरणीय अभ्यासों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हमारे एनआईटी एवं कार्यादेश में उपयुक्त खण्ड शामिल किए गए हैं।

6.2 क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय विषयों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) आदि के समाधान के लिए रणनीतियाँ/प्रयास आदि हैं? हाँ/ना। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंक आदि बताएं।

वैश्विक पर्यावरण के विषय जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि के समाधान के लिए किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं:

- *चार पवन विद्युत परियोजनाएँ - i) गण्डीकोटा, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा., ii) जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा., iii) देवीकोट, राजस्थान में 50 मे.वा. और iv) जत, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. वाणिज्यिक प्रचालन में हैं।*
- *तीन रूफ टॉप सौर फोटोवोल्टिक - 160 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक), 100 केडब्ल्यूपी एवं 50 केडब्ल्यूपी क्षमता के वोल्टीय संयंत्र निगम कार्यालय, नालको टाउनशिप एवं एचआरडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआरटीसी, भुनवेश्वर में परिचालित हैं। तमिलनाडु में एक और 50.7 मे.वा. पवन विद्युत परियोजनाएँ और एनआरटीसी में 320 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना की योजना बनायी गई है।*
- *एनआरटीसी, भुवनेश्वर में 320 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर पीवी प्रणाली के संस्थापन के लिए कार्यादेश जारी किया गया है।*
- *दामनजोड़ी, अनुगुल एवं विशाखापत्तनम में नालको के विभिन्न स्थानों में रूफटॉप सौर संयंत्रों को स्थापित करने से संबंधित व्यवहार्यता/उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु अध्ययन कार्य जारी है।*
- *वर्ष के दौरान, उत्पादन एककों के विभिन्न स्थानों में 1,33,226 संख्यक पौधे लगाए गए। खानों में 1,00,536 पौधों का रोपण किया गया एवं 19.67 हेक्टेयर पुनःउद्धारित क्षेत्र वृक्षारोपण से पुनर्वासित किया गया।*
- *वर्ष के दौरान, खानों में 11,100 संख्यक फल धारण करनेवाले पौध गाँववासियों को वितरित किए गए ताकि यहाँ के क्षेत्र की हरियाली को बेहतर बनाने में उन्हें सहयोग मिल सके।*
- *खान नर्सरी में 256 वर्ग मी. क्षेत्र में एक पोलीहाउस (हरित घर) की स्थापना की गई।*
- *वर्ष के दौरान, खान नर्सरी में 1,00,000 संख्यक पौधे लगाए गए हैं। खानों में नर्सरी, जो कि अति ऊँचाई पर स्थित नर्सरी है, ने प्राकृतिक स्थलाकृति को संरक्षित रखने में उत्खनित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण वनरोपण गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।*

6.3 क्या कंपनी संभावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान एवं आकलन करती है ?

हाँ, व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन, अवस्थिति प्रभाव अध्ययन, संकट पहचान एवं जोखिम आकलन और आपातकालीन प्रबंधन योजनाएँ आदि के माध्यम से संभावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान की गई है। पर्यावरण चिंताएँ, जोखिम, हमारे उत्पादों के लिए अवसर के समाधान अनुच्छेद 2.1, तालिका - क में वर्णित है।

6.4 क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हाँ, तो इसका विवरण दें। साथ ही, यदि हाँ है, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है ?

हाँ, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्वेन्शन (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) के अन्तर्गत गण्डीकोटा में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र एवं लुडर्वा, जैसलमेर में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र ली गई हैं। दोनों ही परियोजनाओं को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संत्रालय, भारत सरकार, भारत में निर्दिष्ट राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए) से मेजबान देश अनुमोदन (एचसीए) प्राप्त हुआ है।

6.5 क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षत ऊर्जा पर कोई अन्य प्रयास किया है? यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक बताएँ।

अक्षत ऊर्जा पर निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

- *चार पवन विद्युत परियोजनाएँ: गण्डीकोटा, कदप्पा, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा., लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा., देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50 मे.वा. एवं जत, सांगली, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. प्रचालन में हैं।*
- *नालको ने तूतिकोरिन जिला, तमिलनाडु के कायाथर में 25.5 मे.वा. एवं तूतिकोरिन जिला, तमिलनाडु के विलिसेरी में 25.2 मे.वा. की पवन विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का आदेश जारी किया है।*
- *नालको निगम कार्यालय, नालको टाउनशिप एवं एचआरडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआरटीसी), भुवनेश्वर में 160 केडब्ल्यूपी, 100 केडब्ल्यूपी एवं 50 केडब्ल्यूपी क्षमता के तीन रूपटॉप सौर विद्युत संयंत्र प्रचालन में हैं।*
- *कंपनी ने एनआरटीसी, भुवनेश्वर में 320 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर पीवी प्रणाली की स्थापना हेतु कार्यादेश जारी किया है।*
- *दामनजोड़ी, अनुगुल एवं विशाखापत्तनम में नालको के विभिन्न स्थानों में रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना की व्यवहार्यता/उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु अध्ययन जारी है।*

6.6 रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी द्वारा उत्पादित निस्सरण/अपशिष्ट क्या सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अन्दर है?

कंपनी के प्रचालन एककों द्वारा उत्पादित सभी निस्सरण/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अंदर है। इस सूचना से संलग्न पर्यावरणीय विवरण प्रत्येक वर्ष नियामक प्राधिकरण के पास जमा किया जाता है।

6.7 वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिस की संख्या जो लंबित है (अर्थात जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ)।

शून्य।

सिद्धान्त 7 : सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, दायित्वपूर्ण रूप में किए जाए।

7.1 क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेम्बर या संघ का सदस्य है ? यदि हाँ, तो केवल कुछ प्रमुख संघ का नाम बताएँ जिनसे आपका व्यवसाय जुड़ा है :

हाँ। प्रमुख संघ हैं :

1. *भारतीय एल्यूमिनियम संघ।*
2. *सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), नई दिल्ली।*
3. *भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई), नई दिल्ली।*
4. *राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई।*
5. *भारतीय गुणवत्ता मण्डल मंच, सिकन्दराबाद।*
6. *भारतीय सेरामिक सोसाइटी, कोलकाता।*
7. *भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली।*
8. *उत्कल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, भुवनेश्वर।*
9. *इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकाता।*
10. *भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली।*
11. *इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, दिल्ली।*
12. *रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकाता*

7.2 क्या आपने सार्वजनिक वस्तु की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से पैरवी की है/समर्थन प्राप्त किया है ? यदि हाँ, तो विस्तार से निर्दिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख करें (उदाहरण, अभिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संधारणीय व्यवसाय सिद्धान्त, अन्य) ?

जी हाँ, सार्वजिनक वस्तु हेतु लिए गए निर्दिष्ट क्षेत्र हैं :

- *उड़नशील राख का उपयोग*
- *जल पुनर्चक्रण एवं संरक्षण*
- *जलवायु परिवर्तन कार्य योजना*
- *पर्यावरण का संरक्षण*
- *नि.सा.उ. एवं परिधीय विकास*
- *कौशल विकास एवं रोजगार उत्पत्ति*
- *ऑटोमोबाइल, विद्युत पारेषण, निर्माण एवं पैकेजिंग क्षेत्र में एल्यूमिनियम का वर्धित उपयोग*
- *संघारणीय खनन*
- *ऊर्जा, जल, खनिज संरक्षण*
- *कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं परिस्थिति विज्ञान*
- *उद्यगों की उन्नति द्वारा आर्थिक नेतृत्व*
- *भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना के माध्यम से अनुप्रवाह एल्यूमिनियम उद्योगों का विकास*

सिद्धान्त 8 : व्यवसाय समावेशी विकास और समान उन्नति का पक्षधर है।

8.1 क्या कंपनी के पास सिद्धान्त 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएँ हैं ? यदि हाँ, तो इनका विवरण दें।

हाँ, वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित एक व्यापक नि.सा.उ. नीति निम्नलिखित क्षेत्र में विशिष्ट प्रयासों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करती है : स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ, शिक्षा को प्रोत्साहन, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छता में सुधार, पेय जल प्रावधान, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सहयोग, कौशल विकास, पर्यावरण संधारणीयता, सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास, संस्कृति को प्रोत्साहन आदि।

8.2 क्या आन्तरिक टीम/निजी प्रतिष्ठान/बाहरी गैर-सरकारी प्रतिष्ठान/सरकारी तंत्रों/किसी अन्य संगठन के जरिए कोई कार्यक्रम/परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है ?

कंपनी की नि.सा.उ. गतिविधियाँ i) नालको फाउंडेशन, नालको की नि.सा.उ. शाखा, ii) नालको द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एवं (iii) पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकारी परिषद (आरपीडीएसी) के माध्यम से की गई हैं ।

8.3 क्या आपने अपने प्रयासों का कोई मूल्यांकन किया है ?

वर्ष 2017 में नालको द्वारा कार्यान्वित नि.सा.उ. परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा कार्यान्वित किया गया।

8.4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है - भारतीय रुपये में राशि एवं ली गई परियोजनाओं का विवरण ?

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, नि.सा.उ. गतिविधियों पर कुल ***₹29.01 करोड़ व्यय किए गए। कुछ प्रमुख गतिविधियाँ हैं :***

i) *दामनजोड़ी और पोट्टांगी खान क्षेत्रों के आसपास के गाँवों से कुल 812 छात्रों को 3 आवासीय विद्यालयों जैसे कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस), भुवनेश्वर, आदर्श विद्यालय, जयपुर एवं विकास विद्यालय, कोरापुट में औपचारिक शिक्षा के लिए प्रायोजित किया गया।*

ii) *भारत सरकार की* ***"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ"*** *योजना के अनुरूप नालको ने परिधीय गाँवों से "नालको की लाड़ली" कार्यक्रम के अन्तर्गत 277 कन्या छात्राओं की शिक्षा को प्रायोजित किया है।*

iii) *इसके अलावा, नालको ने सुनाबेड़ा डीफ स्कूल, मानस (मानसिक विसक्षम व्यक्तियों के लिए विद्यालय) के आधारभूत संरचनात्मक विकास को वित्तीय सहयोग एवं एचआईवी प्रभावित बच्चों के लिए कार्यरत विशाखापत्तनम में "डिजायर सोसाइटी" को वित्तीय सहयोग प्रदान किया है।*

iv) *एमएचयू सेवाएँ : नालको ने सचल स्वास्थ्य एककों के संचालन द्वारा संयंत्र क्षेत्रों के आसपास के सबसे निर्धन लोगों के मसलों का सफलतापूर्वक समाधान किया है। खान एवं परिशोधन संकुल में और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में कुल 3,191 सचल स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की गई, जिसके जरिए 1.38 लाख रोगियों का उपचार किया गया।*

v) *एल्मिको के सहयोग से नालको ने 447 विसक्षम व्यक्तियों को सहायक यंत्र प्रदान किए।*

vi) *नालको ने सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एसवीनिरतार (स्वामी विवेकानंद नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च), ओलटपुर, कटक में सॉकेट के निर्माण एवं आवश्यक आधारभूत संरचना के रूपांतरण हेतु आंतरिक सीएडी/सीएएम सॉफ्टवेयर के साथ 7-अक्षीय रोबोटिक मशीन की स्थापना की बाबत अंशदान किया है।*

vii) *खान एवं परिशोधन संकुल के 6 परिधीय गाँवों में, 611 आईएचएचएल एकक (व्यक्तिगत घरेलू लैट्रिन) के निर्माण से गाँवों को खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) बनाया जाना।*

viii) *स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) कार्यक्रम के अंतर्गत हाल के वर्षों में, नालको ने 479 शौचालयों का निर्माण किया है। 128 विद्यालयों अर्थात अनुगुल में 54 एवं दामनजोड़ी में 74 विद्यालयों में शौचालयों में पानी आपूर्ति का प्रबंध किया गया है।*

ix) *भारत सरकार के स्वच्छ आइकोनिक प्लेस प्रोग्राम के अंतर्गत, प्रतिष्ठित शहर पुरी में निम्नलिखित कदम उठाए गए : गांधी पार्क का सुन्दरीकरण एवं अनुरक्षण, स्वच्छ पेयजल के लिए जल केन्द्रों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों एवं निःशक्त जनों के लिए रेलवे स्टेशन पर बैटरी परिचालित वाहन का प्रबंध।*

x) *आजीविका की सृष्टि के लिए पुरी, खुर्दा एवं कोरापुट जिले की महिलाओं में यंत्रचालित चरखे वितरित किए गए हैं। नालको ने कोरापुट जिले के पोट्टांगी प्रखंड के दूरवर्ती गाँव में मशरूम की खेती द्वारा आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण को भी प्रोत्साहित किया है एवं महिला उद्यमी बनाने में सहयोग दिया है।*

xi) एनएसडीसी एवं सर्टिफाइड स्किलिंग पार्टनर्स के माध्यम से भारत सरकार की "कौशल भारत पहल" के अंतर्गत 720 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बॉक्साइट खानों के 420 ठेका कामगारों को शिक्षण पूर्व प्रशिक्षण अभिज्ञान प्रदान किया गया है।

8.5 क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि इस सामुदायिक विकास प्रयास को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है ?

सरकारी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) की साझेदारी में अधिकतम प्रभाव के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में हम विविध प्रयासों की योजना बनाते हैं एवं उनका कार्यान्वयन करते हैं।

सिद्धान्त 9 : व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़ा रहे एवं दायित्वशील रूप में मूल्य परक लाभ प्रदान करे।

9.1 वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं ?

पर्याप्त समीक्षा एवं प्रभावी सुधारात्मक कार्यवाहियों के लिए प्रावधान के साथ आईएसओ 9001 आवश्यकताओं पर आधारित एक कार्यपद्धति के माध्यम से ग्राहकों की ओर से प्राप्त शिकायतों का निवारण किया जाता है। ग्राहक से शिकायतें जब भी जरूरत पड़ती हैं, शिकायत की प्रकृति के आधार पर , क्षेत्रीय कार्यालयों से विपणन कार्मिक या उत्पादन सुविधाओं से तकनीकी कार्मिक को नियुक्त करते हुए ग्राहक के परिसर में जाँच-पड़ताल की जाती है। क्षतिपूरक दावा के मामले में, एक अनुमोदित समिति द्वारा इसका विस्तार से मूल्यांकन किया जाता है एवं आवश्यक क्षतिपूरक की सिफारिश वाले प्रस्ताव, यदि कोई है, को अनुमोदन के लिए दाखिल किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात इसका भुगतान ग्राहक को किया जाता है।

***31.03.2018 को यथा लंबित** ग्राहक शिकायतें **केवल एक** है, जो कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित एवं इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कुल ग्राहक शिकायत का **7.69% है अर्थात् इनकी संख्या 13** है। 31.03.2018 को यथा ग्राहक शिकायतों की वस्तुस्थिति पर रिपोर्ट इस प्रकार है :*

31.03.2017 को यथा लंबित शिकायतें	4
वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त शिकायतें	9
वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	12
31.3.18 को यथा लंबित शिकायतें	1
31.3.18 को लंबित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत	7.69%

9.2 स्थानीय नियमों के अनुसार, अनिवार्य पहलुओं के अलावा उत्पाद के लेबल पर क्या कंपनी उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है?

नहीं।

कानूनी तौर पर केवल अनिवार्य पहलू से संबंधित सूचना उत्पाद के लेबल पर दी जाती है।

एल्यूमिनियम धातु के लिए, उत्पाद के लेबल पर उत्पाद के ग्रेड, स्टैक की सं., बंडल की सं., शुद्ध वजन की प्रदर्शनी की जाती है। रोल्ड (वेल्लित) उत्पादों के मामले में, कंपनी का नाम एवं उत्पादन एकक एवं स्थान, कॉइल की सं., ग्रेड, माप (मोटाई x चौड़ाई) मि.मी. में, शुद्ध वजन (कि.ग्रा. में), निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर, पैकेजिंग की तिथि, सब-स्टैक की संख्या एवं प्रति पैकेट शीट (चादर) की कुल सं. (केवल वेल्लित चादरों के लिए) उत्पाद के लेबल पर प्रदर्शित रहते हैं।

9.3 क्या किसी हितधारक ने गत पाँच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी-विरोधी व्यवहार की शिकायत की है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित हैं। यदि है, तो इसका विवरण दें।

नहीं।

9.4 क्या आपकी कंपनी उपभोक्ता समीक्षा/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियाँ अपनाती है ?

हाँ।

हमारे प्रमुख मूल्य सृजन एवं गुणवत्ता नीति हमारे व्यवसाय सिद्धान्त के अभिन्न पहलू के रूप में ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने पर जोर देती हैं। ग्राहकों से विभिन्न पारस्परिक वार्तालाप के दौरान प्राप्त औपचारिक ग्राहक प्रतिक्रियाओं के अलावा वर्ष में दो बार एक संरचित ग्राहक संतुष्टि समीक्षा का संचालन किया जाता है ताकि लक्ष्य आधारित ग्राहक धारणाओं का मूल्यांकन हो सके। प्रत्येक वर्ष सितम्बर और मार्च में ग्राहक संतुष्टि समीक्षाओं का संचालन किया जाता है, उत्पाद और सेवा गुणवत्ता के विभिन्न मानदंडों के संबंध में ग्राहकों के मूल्यांकन का अभिग्रहण किया जाता है। वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा इन मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है एवं जब भी जरूरत पड़े, पद्धति वार सुधार के लिए प्रयास योजनाबद्ध किए जाते हैं।

अनुलग्नक-IV

क. ऊर्जा संरक्षण:

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव :

आपकी कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण को हमेशा सबसे अधिक महत्व दिया है एवं अपने सभी उत्पादन एककों में अधिकतम ऊर्जा दक्षता हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करती रही है। आपकी कंपनी अपनी विभिन्न गतिविधियों और प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता बढ़ाते हुए एवं प्रौद्योगिकी उन्नति के पथ पर चलते हुए पूँजी मरम्मत समूह एवं लघु समूह गतिविधियों (एसजीए) के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं ऊर्जा संरक्षण के उपाय कर रही है।

विभिन्न एककों में ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

बॉक्साइट खान :

1. 230 अदद पुराने पारंपरिक 250 वॉट एचपीएसवी लैम्प, 110 अदद पुराने 250 वॉट एचपीएसवी फिक्सचर्स, 300 अदद 70 वॉट वेल ग्लास एचपीएसवी फिक्सचर्स, 110 अदद 70 वॉट वेल ग्लास फिक्सचर्स, 80 अदद 250 वॉट एचपीएसवी फ्लड लाइट फिक्सचर्स को इनके अनुरूपी समकक्ष एलईडी ल्यूमिनेरी से बदला गया।
2. ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रकाशीय परिपथ में डिजिटल टाइमर के स्थान पर 10 अदद एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर लगाए गए हैं।

एल्यूमिना रिफाइनरी :

1. बैटरी ए, बी, सी एवं डी में 50 अदद वीएफडी की खरीद, संस्थापन एवं आरंभ किया जाना 30.12.2017 को पूरा कर लिया गया एवं पिछले चार महीने में 3,637,000 कि.वा.घं. की विद्युत ऊर्जा की बचत हुई।
2. ईंधन तेल खपत में कटौती के लिए, निस्तप्तक में फीड हाईड्रेट की नमी में कमी लाने के लिए पानी निकालने वाले यंत्र का उपयोग।
3. एल्यूमिनेट पम्पों के निस्सरण दबाव को कम करने के लिए स्ट्रीम 3 एवं 4 सीड फिल्टर शूट में एल्यूमिनेट लिकर पाइप का रूपांतरण, इस प्रकार विद्युत ऊर्जा की बचत हुई।
4. वाष्प ऊर्जा बचत के लिए स्ट्रीम 1 एवं 2 अवक्षेपक हेतु रासायनिक मार्जन औषध जल (लिकर) का अप्रत्यक्ष तापीकरण।
5. पुराने एल्यूमिनेट लिकर पम्पों को ऊर्जा सुदक्ष पम्पों से बदलते हुए विद्युत ऊर्जा की बचत।
6. पंक वाशर के लिए गेहूँ की भूसी के स्थान पर कृत्रिम फ्लोक्यूलेंट का इस्तेमाल, वाष्प ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा में कटौती उपलब्ध हुई।
7. तीन संख्यक डिस्क फिल्टर के लिए ब्लोअर क्षमता के आकार को घटाते हुए विद्युत ऊर्जा की बचत।
8. उच्चतर वाष्प किफायत हासिल करने के लिए निर्वात को बनाये रखने हेतु, वाष्पकों के वाष्प निष्कासक लाइन में रूपांतरण कार्य, इससे वाष्प की बचत हुई।
9. विद्युत ऊर्जा संरक्षण के उपाय के रूप में, बॉयलर 1, 2 एवं 3 के दो अदद सात चरण के बॉयलर फीड पम्प को छह चरण में रूपांतरण।
10. कोल मिल परिवर्तन के दौरान सहायक ईंधन (एचएफओ) को कम करने हेतु नियंत्रण सिद्धान्त का विकास एवं मानकीकरण पूरा कर लिया गया है एवं 171 कि.ली. एचएफओ की बचत हासिल हुई है।
11. सभी प्रमुख सड़कों एवं सार्वजनिक भवनों में ट्यूब लाइट एवं इन्कैन्डेसेंट बल्ब को एलईडी ट्यूब एवं बल्ब से बदला गया।

प्रद्रावक संयंत्र :

1. वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 121 संख्यक पॉट ग्राफिटाइज्ड किए गए एवं ग्राफिटाइजेशन के फलस्वरूप ऊर्जा की बचत 1,26,70,240 कि.वा.घं. (1089.64 टीओई) है।
2. वर्ष के दौरान विद्युत ऊर्जा कटौती में योगदान देनेवाली अन्य ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएँ निम्नानुसार हैं :
   - क) 102 संख्यक मानक एलटी मोटर को उच्च ऊर्जा दक्ष आईई-2 क्लास मोटर 7,46,055 कि.वा.घं. (64.16 टीओई) से बदला गया।
   - ख) कम्प्रेशर हाउस 2 एवं रॉडिंग शॉप नियंत्रण कक्ष की खिड़की और दरवाजे के शीशे पर सन फिल्म लगाई गई : 49,990 कि.वा.घं./वर्ष (4.30 टीओई)।
   - ग) कूलिंग टावर 1 एवं 2 में एफआरपी ब्लेड द्वारा एल्यूमिनियम ब्लेड को बदला गया : 75,346 कि.वा.घं. (6.48 टीओई)।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) :

1. जनवरी, 2018 में मेसर्स भेल के सहयोग से एकक #1 में मूल एकल सीलबंदी 12 सेक्टर एपीएच के स्थान पर 24 सेक्टर के साथ दोहरी सीलबंदी व्यवस्था वाले एयर प्रिहीटर के उन्नत संस्करण संयोजित किये गए। इसके कारण वायु रिसाव में कमी आने से एवं ताप स्थानांतरण बढ़ने से लगभग 1.14% तक बॉयलर दक्षता में वृद्धि हुई है।
2. एकक 1, 7, 8 एवं 10 के कन्डेन्सर की रसायन द्वारा सफाई से प्रायः 84 कि.कैल/कि.वा.घं. द्वारा एकक ताप दर की कमी हुई है एवं कन्डेंसर निर्वात में सुधार के कारण 16,371 मे.टन/वर्ष प्रति एकक की कोयला खपत में बचत हुई है।
3. संयंत्र में ऊर्जा की सटीक निगरानी एवं मापन हेतु फाइबर ऑप्टिक केबल के एक वृहद नेटवर्क के माध्यम से संयोजित बहु-कार्यसक्षम मीटर (600 संख्यक) से संलग्न संयंत्र

व्यापी ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली आरंभ की गई थी। वास्तविक समय के आधार पर ऊर्जा डेटा को प्रदर्शित करने हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर मॉनिटर स्थापित किए गए हैं। अधिक ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों में सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए संयंत्र की गौण विद्युत खपत(एपीसी) में उल्लेखनीय सुधार की अपेक्षा की जाती है।

4. सितम्बर, 2017 में एकक #7 एवं #8 कम्प्रेशर हाउस में 43 एनएम3/मिनट क्षमता के एक नए ऊर्जा दक्ष स्क्रू कम्प्रेशर से सेन्टैक कम्प्रेशर को बदला गया। इससे सम्पीड़ित वायु प्रणाली की विश्वसनीयता हासिल होगी।

5. ऊर्जा सुदक्ष लाइट फिटिंग्स की खरीद एवं स्थापना :

   क. कॉपर ब्लास्ट के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब लाइट ब्लास्ट : 883 संख्यक।

   ख. पारंपरिक लाइट के स्थान पर कुल एलईडी लाइट फिटिंग स्थापित की गई : 1,871 संख्यक।

2017-18 के दौरान प्रस्तावित या प्रगतिशील ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएँ

खान :

डीओएल शुरू किए जाने के दौरान प्रवाह के भारी अन्तर्वाह को रोकने के लिए वैरिएबल फ्रीक्वेन्सी ड्राइव (वीएफडी), इससे स्ट्रीम 2 क्रशर के शुरू होने/बंद होने की सं. संबंधी बाधा दूर हुई। स्थापना एवं आरंभ किए जाने का अपेक्षित समय अक्टूबर, 2018 है।

एल्यूमिना परिशोधक :

1. बॉयलर सं. 1 एवं 3 में एयर प्रीहीटर (एपीएच) की बदली। खरीद पूरी हो चुकी है। बॉयलर 3 में स्थापना/संस्थापन जारी है। बॉयलर 1 में स्थापना/संस्थापन अगले वर्ष किया जाएगा।

2. पुराने निकास वाष्प नियंत्रण वाल्व को नए एवं उन्नत डिजाइन के वाल्व से बदलने की योजना बनायी गई है। खरीद कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. 18 वॉट के एलईडी ट्यूब एवं सीएफएल से ट्यूबलाइट एवं 07 वॉट और 09वॉट एलईडी बल्ब से इन्कैनडेसेंट बल्ब की बदली। जून, 2018 तक संयंत्र की सड़कों में 50% शेष लाइट एवं मार्च, 2019 तक संयंत्र के प्रक्रिया क्षेत्रों में 75% शेष लाइट को बदलने की योजना है।

4. कैल्सिनर में ईंधन की आवश्यकता को कम करने के लिए निस्पदन क्षेत्र में पानी निकालने वाले यंत्र का इस्तेमाल।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) : शून्य

सीलबंदी व्यवस्था के साथ नए प्रकार के एयर प्रीहीटर को बदले जाने की योजना बनायी गई है जिनका निष्पादन और 5 एककों में किया जाएगा।

प्रद्रावक:

1. रॉडिंग शॉप - II में एनोड स्लॉट कटिंग मशीन की स्थापना द्वारा पॉट लाइनों में विद्युत ऊर्जा की खपत में कमी।

2. जीएपी-1 में बेक भट्टी-1 एवं स्लॉट कटिंग मशीन-1 में उत्पादित कोक धूल के पुनर्चक्रण द्वारा कच्ची सामग्री की खपत में कमी, जो जीएपी-1 में हरे एनोड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाएगा।

3. रोलिंग संयंत्र के मेल्टिंग फर्नेस - 1 (गलन भट्टी-1) में रिक्यूपरेटर के प्रयोग से अपशिष्ट ताप की पुनःप्राप्ति।

4. 5,127 संख्यक टीएफएल ट्यूब एवं 284 संख्यक एचपीएसवी/एमएच लैम्प को एलईडी लैम्प से बदला गया।

5. अंतःस्थापित प्रौद्योगिकी एवं जीपीआरएस के इस्तेमाल द्वारा सम्पीड़ित वायु नेटवर्क के दबाव एवं तापमान की निगरानी।

6. रियो टिन्टो एल्कैन (आरटीए) के सहयोग से प्रद्रावक संयंत्र (एपी2एक्सएन) के लिए न्यून ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी का विकास प्रगति में है ताकि पॉट लाइनों में विद्युत ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके।

7. 6,000 सीरीज में स्ट्रॉन्टियम के संयोजन द्वारा बेहतर सतह परिपूर्णता के साथ बिलेट की गुणवत्ता को बेहतर बनाना परीक्षाधीन है।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम :

आपकी कंपनी निम्नलिखित पवन एवं सौर विद्युत उत्पादन एककों का वाणिज्यिक रूप से संचालन कर रही है :

1. गण्डीकोटा, कडप, आन्ध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।

2. लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।

3. देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।

4. जत, सांगली, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।

5. नालको भवन, नालको नगर एवं एनआरटीसी बिल्डिंग में 310 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पवन विद्युत संयंत्रों से 252.148 मि.यू. एवं सौर विद्युत संयंत्रों से 0.344 मि.यू. का उत्पादन किया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने सितम्बर, 2017 में ₹163 करोड़ की परियोजना लागत पर तमिलनाडु के कायाथर, तूतिकोरिन जिले में 25.5 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु आदेश दिया। परियोजना के लिए उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य प्रगति पर है। अक्टूबर, 2018 तक परियोजना आरंभ होने के लिए निर्धारित है।

आपकी कंपनी ने मई, 2018 में ₹147 करोड़ की परियोजना लागत पर तमिलनाडु के वेलिसेरी, तूतिकोरिन जिले में 25.2 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु आदेश दिया था। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले टीएएनजीईडीसीओ (तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड) से एनएफआर (नोटेड फॉर रिकॉर्ड) अनुमोदन प्राप्त करने के लिए गतिविधियाँ प्रगति में हैं। मार्च, 2019 तक परियोजना आरंभ किया जाना अपेक्षित है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश :

खान :

2017-18 में खान में ऊर्जा संरक्षण उपायों के तौर पर ₹63.5 लाख की राशि खर्च की गई है।

एल्यूमिना परिशोधक :

1. कंट्रोल वाल्व के स्थान पर प्रवाह नियंत्रण के लिए वैरिएबल फ्रीक्वेन्सी ड्राइव (वीएफडी) : ₹900.00 लाख।
2. स्ट्रीम - 3 एवं 4 सीड फिल्टर में एल्यूमिनेट लिकर पाइप का रूपांतरण : ₹3.00 लाख।
3. स्ट्रीम 1 एवं 2 प्रिसिपिटेटर के लिए रसायन मार्जन लिकर से सफाई का अप्रत्यक्ष तापन : ₹70.00 लाख।
4. ऊर्जा सुदक्ष पम्पों से एल्यूमिनेट लिकर पम्पों की बदली : ₹40.00 लाख।
5. तीन संख्यक डिस्क फिल्टर के लिए ब्लोअर क्षमता के आकार को कम करना : ₹33.00 लाख।

प्रद्रावक :

1. पॉट लाइनों में 121 पॉट का ग्रैफिटाइजेशन : ₹65.08 करोड़।
2. कार्बन संयंत्र में कोक धूल का न्यूमेटिक वहन एवं पुनर्चक्रण : ₹1.76 करोड़।
3. एपी 2एक्सएन प्रौद्योगिकी का तकनीकी सह-विकास : ₹1.8 करोड़।
4. पॉट लाइन में गलन भट्टी : ₹0.75 करोड़।

ग्र.वि.सं. :

1. एयर प्रिहीटर : ₹4.95 करोड़।
2. स्क्रू कम्प्रेशर: ₹0.82 करोड़।
3. एलईडी लाइट एवं इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब लाइट बैलस्टः ₹0.388 करोड़।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकरण एवं अभिनवता :

क्रम सं..	प्रौद्योगिकी	उसके लाभ
1	संयंत्र में स्थापित वाशर में प्रयुक्त प्राकृतिक फ्लोक्यूलेंट गेहूँ की भूसी का कृत्रिम फ्लोक्यूलेट से बदली	– गेहूँ की भूसी की बदली जो कि एक प्राकृतिक चारा सामग्री है। – संपूर्ण प्रक्षालन परिपथ में प्रयोग किया जा सकता है। – खराब गुणमान के बॉक्साइट से भी प्रचालन में स्थिरता। – ऊर्जा की बचत एवं सामग्री की लागत में बचत।
2	प्रयोगशाला में परीक्षणों के पश्चात लाल पंक के शुष्क निपटान के लिए प्रेशर फिल्ट्रेशन स्वीकार किया गया एवं संयंत्र में स्थापना के अधीन है	– मौजूदा 56% से 75% से बेहतर लाते हुए लाल पंक घोल ठोस में सुधार। – पंक के साथ सोड़ा क्षति में न्यूनतम 36% की कमी। – लाल पंक के तालाब के अपेक्षित जीवन काल में वृद्धि अगले अध्ययन के बाद मूल्यांकित की जाएगी।
3	एसपीपी के बॉयलर-2 ईएसपी का उन्नयन	नवीनतम कणाकार निस्सरण मानदंडों के संगत रखना।
4	ग्रीन एनोड संयंत्र (जीएपी) 2 में बोरिक एसिड का संयोजन शुरू हुआ	एनोड की गुणवत्ता में सुधार
5	रॉडिंग शॉप-2 में कार्बन पुनर्चक्रण प्रणाली के पीएलसी प्रोसेसर प्रणाली का पीएलसी -5 परिवार से अत्याधुनिक कंन्ट्रोल लॉजिक्स मंच में उन्नतीकरण	स्पेयर एवं सपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण प्रौद्योगिकी का उन्नतीकरण।
6	सेंट्रल रिपेयर शॉप में प्लेनो मिलिंग मशीन के लिए पीएलसी प्रणाली (प्रोसेसर, आई/ओ,. विद्युत आपूर्ति एवं प्रचालक नियंत्रण पैनल से संलग्न) का अप्रचलित एस7-200 प्रणाली से अत्याधुनिक सीमेन्स एस7-1200 प्रणाली में उन्नतीकरण।	प्रौद्योगिकी अप्रचलन को ध्यान रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नतीकरण।
7	एबीएफ-3 की ताप नियंत्रण प्रणाली के वायरलेस संचार प्रणाली का उन्नतीकरण	प्रौद्योगिकी का उन्नतीकरण
8	सीपी कोक गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए वाइब्रेटेड बल्क डेन्सिटी (वीबीडी) परीक्षण सुविधा का सम्पादन	प्रौद्योगिकी का उन्नतीकरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी का विवरण :

आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी	आयात/प्रोन्नति वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी समाहित हुई है	यदि पूरी समाहित नहीं हुई है, जिन क्षेत्रों में नहीं घटी है, उसके कारण एवं भावी कार्य योजनाएँ
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निरंतर डेटा अपलोड करने के लिए सीएच(बी) ढेरियों, एफटीपी 7 एवं 8 ढेरियों के लिए आरटीडीएएस (वास्तविक समय डेटा अर्जन प्रणाली)	2013-14	हाँ	—
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निरंतर डेटा अपलोड करने के लिए चालू किए गए टाउनशिप में ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन।	2013-14	हाँ	—
कार्बन संयंत्र के रॉडिंग शॉप 2 की बाथ हैण्डलिंग प्रणाली में नई बाथ बाइ पास प्रणाली	2013-14	हाँ	—
8", 9" और 10" बिलेट की ढलाई के लिए एल्यूमिनियम बिलेट ढलाई सुविधा।	2013-14	हाँ	—
डीसी ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एनोड स्टब होल की गहराई बढ़ाई गई।	2013-14	हाँ	—
रॉडिंग शॉप-1 में स्वचालित बाथ ब्रेकिंग एम/सी की शुरुआत।	2013-14	हाँ	—
पॉटलाइनों के एफटीपी में छह अदद ऑनलाइन कणाकार पदार्थ (पीएम) विश्लेषक स्थापित एवं चालू किए गए।	2014-15	हाँ	—
प्रद्रावक संयंत्र के अंदर तीन अदद ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन चालू किए गए।	2014-15	हाँ	—
बहिःस्रावी उपचार संयंत्र के मुहाने में ऑनलाइन बहिःस्रावी निगरानी स्टेशन चालू किए गए।	2014-15	हाँ	—
रॉडिग शॉप-1 में क्रश्ड बाथ संयंत्र के लिए स्वचालित एल्यूमिना मिश्रण प्रणाली।	2014-15	हाँ	—
जीएपी-I में सी.पी. कोक ब्लेन्डिंग प्रणाली स्थापित की गई।	2014-15	हाँ	—
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निगरानी डेटा निरंतर अपलोड करने के लिए एफटीपी 1-6 ढेरियों, बेक ओवन ढेरियों, 3 अदद नए परिवेशी वायु निगरानी स्टेशनों एवं बहिःस्रावी निगरानी स्टेशन के लिए आरटीडीएएस (वास्तविक समय डेटा अर्जन प्रणाली)।	2015-16	हाँ	—
एनोड बेकिंग फर्नेस (भट्ठी) -1 में धूम उपचार केन्द्र का स्थापन।	2015-16	हाँ	—
10 विभिन्न संयंत्रों (एफटीपी5 से 8, साइलो 5 से 8, एचडीपीएस-1 व 2) की स्थिति पर निगरानी हेतु एफटीपी-5 में केन्द्रीकृत एससीएडीए प्रणाली की शुरुआत	2016-17	हाँ	—
बिलेट कास्टिंग मशीन के एससीएडीए व एचएमआई प्रणाली का औद्योगिक की पैड आधारित वर्क-स्टेशन का नवीनतम टच स्क्रीन आधारित वर्क-स्टेशन से बदलाव कर उन्नतीकरण	2016-17	हाँ	—
नए उत्पाद, सीएच-90 ग्रेड बिलेट (हाई स्पीड एक्सट्रूजन बिलेट) विकसित और वाणिज्यीकृत	2016-17	हाँ	—
ईएमआरआईओएन नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रद्रावक बहि-स्रावी जल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया	2016-17	हाँ	—
जीएपी-II में सीपी कोक मिश्रण प्रणाली स्थापित की गई	2016-17	हाँ	—
रॉडिंग शॉप-2 में कार्बन पुनर्चक्रण प्रणाली की पीएलसी प्रोसेसर प्रणाली का पीएलसी-5 परिवार से अत्याधुनिक कंट्रोल लॉजिक्स मंच में उन्नतीकरण	2017-18	हाँ	—
सेन्ट्रल रिपेयर शॉप में प्लेनो मिलिंग मशीन के लिए पीएलसी प्रणाली (प्रोसेसर, आई/ओ, विद्युत आपूर्ति एवं प्रचालक नियंत्रण पैनल से संलग्न) का प्रौद्योगिकी अप्रचलन के कारण अप्रचलित एस7-200 प्रणाली से अत्याधुनिक सीमेन्स एस7-1200 प्रणाली में उन्नतीकरण।	2017-18	हाँ	

आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी	आयात/प्रोन्नति वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी समाहित हुई है	यदि पूरी समाहित नहीं हुई है, जिन क्षेत्रों में नहीं घटी है, उसके कारण एवं भावी कार्य योजनाएँ
एबीएफ-3 की ताप नियंत्रण प्रणाली की वायरलेस संचार प्रणाली का उन्नतीकरण।	2017-18	हाँ	
भेल द्वारा आपूर्ति कराए डीसीएस की अत्याधुनिक एमईटीएसओ प्रणाली से एकक #8 को पुनः संयोजित किया गया है एवं अप्रचलित वर्तमान प्रणाली का ध्यान रखने एवं टर्बाइन कंट्रोल, बॉयल कंट्रोल एवं संयंत्र कंट्रोल के अवशेष के लिए एकल प्लेटफॉर्म हेतु सफलतापूर्वक आरंभ किया गया। नई प्रणाली के आरंभ होने से, संपूर्ण कंट्रोल अब एकल प्लेटफॉर्म पर है एवं अनियमितता विश्लेषण का निष्पादन प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।	2017-18	नहीं	एकक #7 में डीसीएस का पुनः संयोजन वर्तमान में प्रगति अधीन है।
आंतरिक इंजीनियरिंग से, एसटीपी-I का नवीनीकृत किया गया एवं फाइटोरॉयड फिल्टर एवं उन्नत वातन प्रणाली की स्थापना द्वारा प्रचालन में रखा गया ताकि सीपीसीबी द्वारा निर्धारित हाल के मानदंड पूरा हो सके और साथ ही सीटीओ स्थिति का अनुपालन हो सके। उपचारित एसटीपी जल बागवानी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।	2017-18	हाँ	—

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

₹ लाख में

प्रकृति	2017-18	2016-17
पूंजी	1,886	2,772
राजस्व	909	1,980
कुल	2,795	4,752
कारोबार के % के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.30	0.60

ग. वर्ष 2017-18 के लिए विदेशी मुद्रा आय 2016-17 में ₹3,277.32 करोड़ की तुलना में ₹3,573.75 करोड़ है। रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा व्यय पिछले वर्ष में ₹288.80 करोड़ की तुलना में ₹547.67 करोड़ था।

अनुलग्नक V

अभिशासन संहिता की धारणा

निगमित अभिशासन उन सिद्धान्त का एक स्वरूप है जो एक निगम (कॉर्पोरेट) द्वारा विधिक, नैतिक एवं संधारणीय आधार पर अपने हितधारकों के लिए मूल्यों के सृजन एवं वर्धन हेतु पालन किया जाता है। ये सिद्धान्त विवेक, निष्कपटता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता एवं जवाबदेही पर आधारित है।

नालको में, निगमित अभिशासन उद्देश्यों का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र से हितधारकों के हितों के अनुरूप ढलना। इससे संगठन, इसकी संरचना, नीतियों एवं गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक समझ में सुधार आता है। आंतरिक नियंत्रण की मज़बूत प्रणाली, हितधारकों को यथा समय एवं निरंतर वास्तविक सूचना प्रवाह, विधियों के अनुपालन ने पिछले कई वर्षों से नालको में अभिशासन अभ्यासों को सुदृढ़ किया है। पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही एवं निष्पक्षता कंपनी की कार्यप्रणालियों के अभिन्न अंग हैं।

I. निदेशक मंडल

प्रबुद्ध, यथा सूचित एवं स्वतंत्र पेशेवर बोर्ड उच्चतम श्रेणी के अभिशासन अभ्यासों की सुनिश्चितता की बुनियाद होता है। कंपनी के प्रबंधन, सामान्य मामले, दिशानिर्देश एवं प्रदर्शन के मूलभूत दायित्व का भार बोर्ड को सौंपा जाता है। बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, नवरत्न कंपनियों की कार्यवाहियों पर डीपीई दिशानिर्देशों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों से अधिकार प्राप्त होता है। कंपनी हितधारकों की आकांक्षाओं एवं सामाजिक प्रत्याशा को पूरा कर पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए भी बोर्ड दिशानिर्देश एवं उपयुक्त नियंत्रण को अमल में लाती है।

(क) बोर्ड यानी निदेशक मंडल का गठन

बोर्ड की स्वीकृत शक्ति निम्नानुसार है :

i. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक (कार्यपालक) निदेशकगण।

ii. दो अंशकालिक सरकारी निदेशकगण।

iii. आठ अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण।

उपर्युक्त स्वीकृत बल के तहत, 31 मार्च, 2018 को यथा, बोर्ड का गठन, श्रेणी वार निम्नानुसार है :

डीआई एन के साथ निदेशक का नाम	प्रभावी तिथि	पदनाम
डॉ. तपन कुमार चान्द 01710900	27.07.2015	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री कृष्ण चन्द्र सामल 03618709	03.01.2014	निदेशक (वित्त)
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम 06965313	01.01.2015	निदेशक (उत्पादन)
श्री बसन्त कुमार ठाकुर 07557093	04.07.2016	निदेशक (मानव संसाधन)
श्री संजीव कुमार रॉय 06756812	03.02.2017	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
डॉ. के. राजेश्वर राव 08071005	19.02.2018	अंशकालिक सरकारी निदेशक
श्री अनिल कुमार नायक 08097669	27.03.2018	अंशकालिक सरकारी निदेशक
श्री दीपंकर महन्त 01583516	21.11.2015	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
श्री एस. शंकररमण 07346454	21.11.2015	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
श्री प्रभात केशरी नायक 07346756	21.11.2015	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
प्रो. दामोदर आचार्य 06817842	21.11.2015	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
श्री महेश्वर साहु 00034051	21.11.2015	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
श्रीमती किरण घई सिन्हा 07726477	03.02.2017	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा 02888318	06.09.2017	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
श्रीमती अचला सिन्हा 07932932	08.09.2017	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

निदेशक (वाणिज्य) का पद जो 1 मार्च, 2017 से रिक्त था, को 23.04.2018 को भरा गया।

उपर्युक्त गठन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रावधानों की आवश्यकता को पूरा करता है।

हालांकि वर्ष के शुरू में, बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आवश्यकताओं के अनुपालन में था, परंतु, यह 5 सितम्बर, 2017 तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अन्तर्गत आवश्यकताओं एवं निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं था। बोर्ड में क्रमश 06.09.2017 एवं 08.09.2017 को दो और स्वतंत्र निदेशकों के नियोजन पर, बोर्ड का गठन 06.09.2017 से कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत आवश्यकताओं एवं निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में था।

(ख) बोर्ड की बैठकें एवं निदेशकों की उपस्थिति

- बोर्ड की बैठकों एवं साधारण बैठकों के आयोजन हेतु भारतीय कंपनी सचिवालय संस्था (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का पालन किया जाता है।
- न्यूनतम 7 दिनों की अग्रिम सूचना पर बोर्ड की बैठकें आयोजित हुई हैं। व्यवसाय की अत्यावश्यकता पर, परिपत्र प्रस्तावों, यदि विधि के अंतर्गत अनुमन्य है, तो बोर्ड का अनुमोदन लिया जाता है।
- बैठक में तात्पर्यपूर्ण एवं सुविज्ञ चर्चा के लिए बैठक की निर्धारित तिथि के कम से कम एक सप्ताह पूर्व विस्तृत मसौदा टिप्पणियों के साथ मसौदे आमतौर पर प्रचारित किए जाते हैं। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुछ मसौदा टिप्पणियाँ सात दिन से कम समय में भेजी गई थी।
- जब कभी मसौदा अग्रिम में प्रचारित किया जाना संभव नहीं होता है, तो बैठक के दौरान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अनुमति एवं कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित बैठक में उपस्थित अधिकांश निदेशकों की सहमति से इसे बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।
- निदेशक मण्डल की बैठकें एवं अन्य समिति की बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं।
- कंपनी सूचीकरण विनियम की अनुसूची II के भाग ए के साथ पठित विनियम 17 में निर्धारित सूचना बोर्ड के समक्ष उनकी विवेचना के लिए रखती है।

(ग) बोर्ड की बैठकों एवं बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

बोर्ड की बैठक की सं. एवं तिथि	उपस्थित निदेशकगणों की सं.					
	बोर्ड की शक्ति	कार्यात्मक	अंशकालिक सरकारी	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र)	कुल उपस्थिति	शक्ति पर उपस्थिति का %
299/10.05.2017	13	5	2	4	11	85
300/27.05.2017	13	5	2	5	12	92
301/22.07.2017	13	5	1	5	11	85
302/09.08.2017	13	5	1	5	11	85
303/22.09.2017	15	5	1	6	12	80
304/11.11.2017	15	5	1	5	11	73
305/09.02.2018	15	4	0	8	12	80

- बोर्ड की दो बैठकों के बीच न्यूनतम समयान्तर 16 दिन था एवं बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम समयान्तर 89 दिन था।
- वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की सभी बैठकों के लिए आवश्यक कोरम उपस्थित था।

नीचे की तालिका 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशकगणों की उपस्थिति एवं अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है :

नाम एवं पदनाम	बोर्ड की बैठकें		23.09.2017 को 36 वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद की सं.	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
डॉ. टी.के. चान्द अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री के. सी. सामल निदेशक (वित्त)	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम निदेशक (उत्पादन)	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री बी.के. ठाकुर निदेशक (मानव संसाधन)	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस.के. रॉय निदेशक (परियोजना एवं तकनीक)	7	6	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य

नाम एवं पदनाम	बोर्ड की बैठकें		23.09.2017 को 36 वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद की सं.	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
डॉ. के. राजेश्वर राव (1) अंशकालिक सरकारी निदेशक	शून्य	उ.नहीं	उ.नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए.के. नायक (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक	शून्य	उ.नहीं	उ.नहीं	01	शून्य	शून्य
श्री दीपंकर महन्त स्वतंत्र निदेशक	7	6	नहीं	01	शून्य	शून्य
श्री एस शंकररमण स्वतंत्र निदेशक	7	5	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पी.के. नायक स्वतंत्र निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
प्रो. दामोदर आचार्य स्वतंत्र निदेशक	7	7	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री महेश्वर साहु स्वतंत्र निदेशक	7	4	नहीं	5	1	1
श्रीमती किरण घई सिन्हा स्वतंत्र निदेशक	7	4	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन.एन. शर्मा (3) स्वतंत्र निदेशक	3	3	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अचला सिन्हा (4) स्वतंत्र निदेशक	3	2	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री सुभाष चन्द्र (5) अंशकालिक सरकार निदेशक	7	6	नहीं	2	शून्य	शून्य
डॉ. एन.के.सिंह (6) अंशकालिक सरकार निदेशक	7	2	नहीं	3	1	शून्य

(1) 19.02.2018 से प्रभावी (2) 27.03.2018 से प्रभावी (3) 06.09.2017 से प्रभावी
(4) 08.09.2017 से प्रभावी (5) 16.02.2018 तक (6) 26.03.2018 तक

- कोई भी निदेशक दस से अधिक बोर्ड स्तरीय समितियों के सदस्य या पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं, जिसके वे सदस्य हैं।
- कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा नहीं देते हैं।
- अन्य निदेशक पद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों एवं सेक्शन 8 कंपनियों के निदेशक पद शामिल नहीं है।
- बोर्ड समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता में केवल लेखा परीक्षा समिति एवं हितधारक संबंध समिति शामिल है।
- कोई भी निदेशक कंपनी में एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

(घ) गैर-कार्यपालक निदेशकगण

i) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशकगण हैं जो बोर्ड का हिस्सा हैं।

ii) 31 मार्च, 2018 को यथा बोर्ड की कुल शक्ति में 66.67% हिस्सा गैर-कार्यपालक निदेशकगणों का है।

iii) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से की जाती है एवं नियम और शर्तें प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं। उनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाती है।

iv) 31 मार्च, 2018 को यथा बोर्ड की कुल शक्ति में 53.33% हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों का है जो अधिनियम के अनुपालन में है।

v) सभी स्वतंत्र निदेशकगण वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं जो उस वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में प्रस्तुत की जाती है।

vi) स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पर नियुक्ति का औपचारिक पत्र जारी किया जाता है। नियुक्ति पत्र में अन्य बातों के साथ कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, कार्य, दायित्व एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख रहता है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की वेबसाइट : http://www.nalcoindia.com/investor/appt_letters.pdf में उपलब्ध है।

vii) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर उनके लिए अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में वे एएसएसओसीएचएएम, सीआईआई, स्कोप, डीपीई द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न अनुकूलन कार्यक्रम में भी नामित किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति में हुए ऐसे कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध हैं ; **http://www.nalcoindia.com/investor/Familiarisation-Programme-for-Directors.pdf**

viii) किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास कंपनी में कोई शेयर नहीं है।

ix) स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी में स्टॉक विकल्प के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।

(ङ) बोर्ड सदस्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

— कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में आवश्यकता से निगम मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 के परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को मुक्त रखा गया है।

— धारा 134(3)(पी) के प्रावधान जिसमें बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड, समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख करने की आवश्यकता पड़ती है, को भी सरकारी कंपनियों के लिए विमुक्त रखा गया है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

— स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक के अभिप्राय से, सभी निदेशकों के विचारों को लेने के उपरांत कंपनी के अध्यक्ष के कार्य-निष्पादन की समीक्षा को दिनांक 20.06.2013 के ओएम के माध्यम से डीपीई द्वारा हटा ली गई है।

— दिनांक 05.07.2017 के परिपत्र के माध्यम से एमसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में वर्णित अनुसार सरकारी कंपनियों के गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं अध्यक्ष के मूल्यांकन कार्यविधि को भी हटा लिया है।

— तथापि, सेबी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को कोई विमुक्ति नहीं दी है। बल्कि, सेबी ने सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को बोर्ड मूल्यांकन पर कोई रियायत/छूट नहीं देते हुए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को प्रयोज्य बोर्ड मूल्यांकन के विषय में मार्गदर्शन टिप्पणी पर दिनांक 05.01.2017 के माध्यम से एक परिपत्र पेश किया।

II निदेशकों को पारिश्रमिक

— सरकारी नामित निदेशकों को कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

— स्वतंत्र निदेशकों को उनके द्वारा उपस्थित प्रत्येक बोर्ड बैठक/समिति के लिए ₹ 20,000/- के बैठक शुल्क का भुगतान किया गया है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की निर्धारित सांविधिक सीमा के अंदर है।

— बैठकों में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए फुटकर व्यय की प्रतिपूर्ति की गई।

— दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के माध्यम से एमसीए ने सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अधीन आवश्यक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के गठन से मुक्त रखा है।

— वर्तमान डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन, हितलाभ एवं भुगतान से संबंधित प्रदर्शन (पीआरपी) से संलग्न पारिश्रमिक का भुगतान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों को किया गया।

— अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित सभी कार्यकारी निदेशक भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यभार लेने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए या सेवा-निवर्त्तन की उम्र होने तक या भारत सरकार की ओर से अगला आदेश नहीं मिलने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किए जाते हैं।

— सभी कार्यवाहक निदेशक नई पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य हैं।

— कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

— किसी भी निदेशक के लिए पृथक्करण शुल्क के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कार्यवाहक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गयी है :

नाम	वर्ष 2017-18 के लिए पारिश्रमिक (₹)		
	पारिश्रमिक के सभी घटक	अन्य लाभ	कुल
डॉ. टी.के.चान्द अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	46,72,530	—	46,72,530
श्री के.सी. सामल निदेशक (वित्त)	53,45,378	—	53,45,378
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम निदेशक (उत्पादन)	48,15,478	3,15,267	51,30,745
श्री बी.के. ठाकुर निदेशक (मानव संसाधन)	42,54,081	1,05,192	43,59,273
श्री एस.के. रॉय निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	56,13,390	—	56,13,390

2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :

नाम	बैठक शुल्क (₹)*		कुल (₹)
	बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
श्री दीपंकर महन्त	1,20,000	4,00,000	5,20,000
श्री एस. शंकररमण	1,00,000	3,20,000	4,20,000
श्री पी.के. नायक	1,40,000	3,40,000	4,80,000
प्रो. दामोदर आचार्य	1,40,000	3,40,000	4,80,000
श्री महेश्वर साहु	80,000	2,40,000	3,20,000
श्रीमती किरण घई सिन्हा	80,000	2,20,000	3,00,000
श्री एन.एन. शर्मा	60,000	-	60,000
श्रीमती अचला सिन्हा	40,000	-	40,000

*बैठक शुल्क के भुगतान से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटा गया है।

III. बोर्ड की विभिन्न समितियाँ

— विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एवं कारगर निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु समितियों का गठन किया जाता है।

— हालांकि कुछ समितियाँ विभिन्न विधियों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से गठित होती हैं, जबकि कुछ अन्य समितियों का गठन ऐसी किसी कानूनी आवश्यकताओं के बिना स्वैच्छिक रूप से होता हैं।

— सांविधिक समितियों का गठन विधियों की आवश्यकताओं का पालन करता है। स्वैच्छिक समितियों में कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का विवेकपूर्ण मेल होता है।

— बोर्ड बैठक से संबंधित सचिवीय मानक समिति की बैठकों पर समान रूप से लागू हैं।

— प्रत्येक समिति के संदर्भ की शर्तें बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

— बोर्ड स्तर की 9 समितियाँ हैं जिनमें से 6 समितियाँ सांविधिक एवं 3 समितियाँ स्वैच्छिक प्रकृति की हैं।

— इसके अलावा, 4 और समितियाँ हैं, जिनमें केवल कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं एवं ये समितियाँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित संदर्भ की शर्तों के साथ कुछ कार्यवाही गतिविधियों का ख्याल रखती हैं।

क. लेखापरीक्षा समिति

i) यह एक सांविधिक समिति है जो कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधान और निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश के अंतर्गत गठित है।

ii) वर्ष के दौरान 10.05.2017, 26.05.2017, 21.07.2017, 09.08.2017, 11.11.2017, 25.11.2017, 09.02.2018 एवं 28.03.2018 को लेखापरीक्षा समिति की आठ बैठकें आयोजित हुई। कोई दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 93 दिन था।

iii) 31.03.2018 की स्थिति को प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति में समिति एवं बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था :

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री पी.के. नायक	स्वतंत्र	अध्यक्ष	8	8
श्री डी. महन्त	स्वतंत्र	सदस्य	8	8
श्री एस. शंकररमण	स्वतंत्र	सदस्य	8	6
प्रो. डी.आचार्य	स्वतंत्र	सदस्य	8	8
निदेशक (उत्पादन)	कार्यकारी	सदस्य	8	8
निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यकारी	सदस्य	8	7

निदेशक (वित्त) हमेशा समिति के आमंत्रित व्यक्ति होते हैं।

iv) लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करती है जो जब भी जरूरत पड़े, बैठकों में उपस्थित होते हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

v) शेयरधारकों की पूछताछ का जवाब देने के लिए 36वीं वार्षिक साधारण बैठक के दौरान लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

vi) लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें विस्तार में निम्नानुसार हैं :

लेखापरीक्षा समिति के अधिकार

- संदर्भ की शर्तों के अंदर किसी भी गतिविधि की जाँच करना।
- किसी कर्मचारी से सूचना मांगना।
- बाह्य कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति संरक्षित करना, यदि आवश्यक हो।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल है :

- कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच करना और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं।
- बोर्ड को लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करना एवं यदि अपेक्षित हो, तो प्रतिस्थापन या निष्कासन के बारे में कहना, लेखापरीक्षा शुल्क एवं नियुक्ति की अन्य शर्तों का निर्धारण।
- लागत लेखापरीक्षकों सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए जमा देने से पहले निम्नलिखित विशेष संदर्भ में प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करनाः
  - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु निदेशक के दायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले।
  - लेखांकन नीतियों एवं पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई है एवं इसके कारण।
  - प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया के आधार पर आकलनों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
  - लेखापरीक्षा निष्कर्षों के फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन।
  - वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीयन एवं अन्य कानूनी अर्हताओं का अनुपालन।
  - संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटन।
  - मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।
- तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास जमा देने से पहले प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।
- इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रिफरेंशियल इश्यू आदि) द्वारा प्राप्त निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग विवरण, प्रस्ताव कागजात/ विवरणिका/नोटिस में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण एवं पब्लिक या राइट इश्यू की प्रक्रिया के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा दाखिल रिपोर्ट का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना एवं इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन एवं प्रभावकारिता का पुनरीक्षण करना एवं निगरानी करना।
- सम्बन्धित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या तदुपरांत कोई रूपांतरण।
- अंतर-निगमित ऋण एवं निवेश, यदि कोई है, की जाँच करना।
- कंपनी के वचनपत्रों या परिसंपत्तियों का, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- लागत लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों समेत सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण।
- आतंरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई है, की पर्याप्तता की समीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग प्रमुख कर्मचारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज एवं आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
- किन्ही महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उन पर परवर्ती कार्यवाही के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किन्ही आंतरिक जाँचों के निष्कर्षों की उन मामलों में पुनरीक्षा करना जहाँ संदिग्ध धोखाधड़ी हो अथवा अनियमितता हो अथवा भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में विफलता हो और मामले की सूचना बोर्ड को देना।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व, लेखापरीक्षा के स्वरूप एवं क्षेत्र के बारे में, साथ ही किसी चिंता क्षेत्र का पता लगाने के लिए तत्पश्चात लेखापरीक्षा चर्चा के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों के गैर-भुगतान के मामले में) एवं लेनदारों के भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई है, के लिए कारणों की जाँच करना।
- सचेतक प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा।
- ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कि कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा समिति को विशेष रूप से भेजे गए हों।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य पुनरीक्षाः

- वित्तीय स्थिति की प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम,
- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित पक्ष के महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण,
- प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरी के पत्र,
- आंतरिक नियंत्रण कमजोरी से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और
- आंतरिक लेखापरीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक की शर्तें।
- व्यतिक्रमों का विवरणः

  क) निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि प्रयोज्य हो, समेत व्यतिक्रम के तिमाही विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 32(1) की शर्तों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा किए गए।

  ख) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 32 (7) की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव कागजात/विवरणिका/नोटिस में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण।

लेखापरीक्षा समिति की कार्यवाहियों में ये भी शामिल हैं;

क) लागत नियंत्रण कार्यवाही के आकार के अनुसार पर्याप्त और अनुपातित होने की जाँच करना।

ख) आय बढ़ाए जा सकने वाले एवं लागत कम किए जा सकने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करना।

ग) उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली और बोर्ड को इसकी संस्तुति देना।

ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 और निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत गठित यह एक सांविधिक समिति है।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में संलग्न प्रावधानों के अनुसार है।

iii) एमसीए ने दिनांक 05.06.2015 एवं 05.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कुछ निश्चित प्रावधानों जैसे कि बोर्ड और इसके व्यक्तिगत निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन, योग्यता, सकारात्मक अभिरुचि, निदेशकों की स्वतंत्रता हेतु नीति के निर्धारण एवं निदेशकों के पारिश्रमिक हेतु बोर्ड को दी गई नीति की संस्तुति से छूट दी है। तथापि, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत अभी तक सेबी द्वारा ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

iv) 22.09.2017 को एक बैठक का आयोजन हुआ।

v) 31.03.2018 को प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से समिति एवं बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार हुआ था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
श्री महेश्वर साहु	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री पी.के. नायक	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री एस. शंकररमण	स्वतंत्र	सदस्य	1	शून्य
प्रो. दामोदर आचार्य	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	1	1

निदेशक (मानव संसाधन) एवं निदेशक (वित्त) समिति में आमंत्रित व्यक्ति होते हैं।

vi) श्री महेश्वर साहु, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष कुछ पूर्व वादों के कारण 36वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थित नहीं हो सके थे एवं बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने के लिए श्री पी.के. नायक, स्वतंत्र निदेशक एवं नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य को प्राधिकृत किया था।

ग. हितधारक संबंध समिति

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अंतर्गत गठित यह एक सांविधिक समिति है।

ii) यह समिति शेयरों के अंतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने एवं अन्य संबंधित विषयों से जुड़ी निवेशकों की शिकायतों का समाधान करती है।

iii) प्रत्यक्ष या सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के द्वारा पणधारियों को प्राप्त सभी शिकायतों पर विचार करने एवं समाधान करने हेतु मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि. को रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। निवेशकों को संतुष्ट करते हुए इन शिकायतों का संभावित समय में शीघ्रतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

iv) वर्ष के दौरान 27.05.2017, 09.08.2017, 11.11.2017 एवं 09.02.2018 को चार बैठकें हुई।

v) 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार समिति एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार हुआ था:

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
श्री एस. शंकररमण	स्वतंत्र	अध्यक्ष	4	4
श्री दीपंकर महन्त	स्वतंत्र	सदस्य	4	4
श्री पी.के. नायक	स्वतंत्र	सदस्य	4	4
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	4	3
श्री एन.एन. शर्मा (22.03.2018 से प्रभावी)	स्वतंत्र	सदस्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अचला सिन्हा (22.03.2018 से प्रभावी)	स्वतंत्र	सदस्य	शून्य	शून्य
निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यकारी	सदस्य	4	4
निदेशक (वाणिज्य)*	कार्यकारी	सदस्य	—	—

*यह पद 01.03.2017 से रिक्त था एवं 31.03.2018 तक रिक्त रहा था।

vi) श्री एस. शंकररमण, हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष कुछ पूर्व वादों के कारण 36वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थित नहीं हो सके थे एवं श्री पी.के. नायक, स्वतंत्र निदेशक और हितधारक संबंध समिति के सदस्य को अपने प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत किया था।

vii) 2017-18 के दौरान प्राप्त हुई एवं समाधान की गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार हैं :

	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान हुए समाधान	अंतिम शेष
सेबी	शून्य	6	6	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज	शून्य	1	1	शून्य
व्यक्तिगत	शून्य	702	702	शून्य
कुल	शून्य	**709**	**709**	शून्य

viii) निवेशकों की संतुष्टि के तहत प्राप्त हुई एवं समाधान की गई विभिन्न प्रकार की शिकायतों का विभाजन निम्नलिखित है:

शिकायतों के प्रकार	शिकायतों की संख्या
सिक्योरिटी का प्राप्त न होना	41
लाभांश का प्राप्त न होना	603
वार्षिक रिपोर्ट का प्राप्त न होना	65
कुल	**709**

घ. जोखिम प्रबंधन समिति

i) यह एक सांविधिक समिति है जिसका गठन सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 21 के अनुसार हुआ है। समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

- प्रचालनात्मक, कार्यनीतिक एवं बाह्य पर्यावरण जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण के संबंध में उत्तरदायित्वों के निरीक्षण में निदेशक मण्डल को सहयोग देना।
- कंपनी की जोखिम नीतियों एवं सम्बंधित पद्धतियों पर निगरानी रखने एवं अनुमोदित करने के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी।
- किसी भी सार्वजनिक कागजात या प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरणियों की समीक्षा करना एवं अनुमोदित करना।

ii) समिति जोखिम आकलन योजना की समीक्षा एवं निगरानी करती है, आकलित जोखिम एवं उठाए जानेवाले आवश्यक कदम के बारे में समय-समय पर बोर्ड को सूचित करती है। मालूम हुए जोखिम का विवरण भी प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिया जाता है।

iii) वर्ष के दौरान 27.05.2017, 09.08.2017 एवं 25.11.2017 को समिति की तीन बार बैठकें हुई।

iv) 31.03.2018 की स्थिति को समिति एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
प्रो. दामोदर आचार्य	स्वतंत्र	अध्यक्ष	3	3
श्री एस शंकररमण	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
निदेशक (वित्त)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
निदेशक (उत्पादन)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
निदेशक (वाणिज्य)*	कार्यकारी	सदस्य	—	—

*पद 01.03.2017 से रिक्त था एवं 31.03.2018 तक रिक्त रहा था।

ङ. नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन का अधिदेश देती है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2) (एफ) पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन परिप्रेक्ष्य से उनके द्वारा किए गए प्रयासों की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च 500 सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट हेतु अधिदेशित करता है।

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की नि.सा.उ. गतिविधियों एवं संधारणीयता विकास कार्यक्रमों से संबंधित विषयवस्तुओं की जाँच के लिए एक नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति का गठन किया गया है।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं :

क. संबंधित पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकारी समिति (आरपीडीएसी) एवं एमएमडीआर अधिनियम के अधीन स्वीकार किए जानेवाले प्रस्ताव के जरिए कंपनी द्वारा ली जा रही परिधीय विकास गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।

ख. नालको फाउंडेशन।

ग. पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण

iii) वर्ष के दौरान 21.04.2017, 21.07.2017 एवं 10.11.2017 को समिति की तीन बार बैठकें हुई।

iv) 31.03.2018 की स्थिति को समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक(कों) निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
श्री डी. महन्त	स्वतंत्र	अध्यक्ष		
श्री एस. शंकररमण	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री महेश्वर साहु	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	3	1
श्री एन. एन. शर्मा (22.03.2018 से प्रभावी)	स्वतंत्र	सदस्य	शून्य	शून्य
निदेशक (वित्त)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
निदेशक (उत्पादन)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यकारी	सदस्य	3	3

च. प्रौद्योगिकी समिति

i) डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था।

ii) समिति कंपनी के प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों का आकलन करने की निगरानी करती है एवं विशेष ध्यान देती है और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों के अर्जन एवं समावेशन के साथ-साथ प्रद्रावक, परिशोधक आदि के संबंधित विशेष खपत मानकों का पुनरीक्षण एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संधारणीय शक्ति को बनाए रखने हेतु अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर ध्यान देती है।

iii) वर्ष के दौरान 21.07.2017 एवं 25.11.2017 को दो बार समिति की बैठकें हुई।

iv) 31.03.2018 को यथा समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
प्रो. डी. आचार्य	स्वतंत्र	अध्यक्ष	2	2
श्री महेश्वर साहु	स्वतंत्र	सदस्य	2	1
निदेशक (वित्त)	कार्यकारी	सदस्य	2	2
निदेशक (उत्पादन)	कार्यकारी	सदस्य	2	2
निदेशक (परि. एवं तक.)	कार्यकारी	सदस्य	2	2
निदेशक (वाणिज्य)*	कार्यकारी	सदस्य	—	—

*पद 01.03.2017 से रिक्त था एवं 31.03.2018 तक रिक्त रहा था।

छ. मानव संसाधन समिति

i) यह एक गैर-सांविधिक समिति है जिसका गठन कंपनी की मानव संसाधन विषयवस्तु की जाँच के लिए किया गया।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें अध्ययन करके बोर्ड के अनुमोदन हेतु सलाह देने के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्ताव देने के लिए है :

क. बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के विषय में भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियम और विनियम तैयार करना और उसमें परिवर्तन करना।

ख. गैर-कार्यपालकों का मजदूरी ढांचा एवं वेतनमान और उनमें कोई परिवर्तन।

ग. जनशक्ति योजना के साथ संगठन की तालिका।

घ. बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत कोई अन्य संदर्भ।

iii) वर्ष के दौरान 21.04.2017, 21.07.2017, 22.09.2017, 10.11.2017 एवं 29.01.2018 को समिति की पाँच बार बैठकें हुई।

iv) 31.03.2018 को यथा समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
श्री महेश्वर साहु	स्वतंत्र	अध्यक्ष	5	5
श्री डी. महन्त	स्वतंत्र	सदस्य	5	4
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	5	3
निदेशक (वित्त)	कार्यकारी	सदस्य	5	5
निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यकारी	सदस्य	5	5
निदेशक (परि. एवं तक.)	कार्यकारी	सदस्य	5	5

ज. नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति

i. यह एक गैर-सांविधिक समिति है जिसका गठन कंपनी में अभ्यास किए जा रहे नैतिक मानक एवं सुशासन की जाँच के लिए किया गया है।

ii. समिति के संदर्भ की शर्तों में शामिल है :

क. हर स्तर पर निगम अभिशासन का पालन करना एवं जहाँ कहीं भी आवश्यक पड़े, सुधार के उपायों का सुझाव देना।

ख. कंपनी की प्रतिष्ठा एवं नेकनामी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए मीडिया को सही निविष्टियाँ का प्रावधान।

ग. निवेशकों, संस्थानों एवं व्यापक रूप से जनता को वास्तविक तौर पर सही जानकारी का प्रचार।

घ. मौजूदा एवं भावी एफआईआई एवं रेटिंग एजेंसियों आदि के साथ आपसी वार्तालाप।

ङ. परामर्शदाताओं/सलाहकारों के सहयोग से, यदि आवश्यक हो, कंपनी की ओर से महत्वपूर्ण निगम संचार की जाँच स्थापित करना।

च. उच्च स्तर की अनुशासित भागीदारी के सुविधार्थ पूरी कंपनी में आंतरिक संचरणों के मानकीकृत माध्यमों का प्रवर्तन।

छ. सेबी की शर्तों एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार गठित निम्नलिखित का अनुपालन :

- वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता
- अंतरंगी व्यवसायी विनियम
- संबंधित पक्ष के लेनदेन
- सतर्कता संबंधित मुद्दे
- सचेतक नीति

iii. वर्ष के दौरान 21.07.2017 को समिति की एक बार बैठक हुई।

iv. 31.03.2018 को यथा, समिति एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
श्री दीपंकर महन्त	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री पी.के. नायक	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्रीमती अचला सिन्हा (22.03.2018 से प्रभावी)	स्वतंत्र	सदस्य	शून्य	शून्य
निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यकारी	सदस्य	1	1
निदेशक (परि. एवं तक.)	कार्यकारी	सदस्य	1	1
निदेशक (वाणिज्य)*	कार्यकारी	सदस्य	-	-

*पद 01.03.2017 से रिक्त था एवं 31.03.2018 तक रिक्त रहा था।

झ. परियोजना एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

i) यह एक गैर-सांविधिक समिति है जिसका गठन परियोजना से संबंधित गतिविधियों की जाँच करने एवं नई परियोजनाओं में निवेश की सलाह देने के लिए किया गया है।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें संयुक्त उद्यमों पर नई परियोजनाओं/पूंजी व्यय पर जाँच करके बोर्ड को सलाह देना है :

क) डीपीआर को तैयार करने सहित नई परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के संबंध में प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं का मूल्यांकन एवं अनुमोदन।

ख) भारत और विदेश में प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक लागत की नई परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रस्ताव का अध्ययन एवं बोर्ड को सिफारिश करना।

ग) प्रत्येक ₹ 100 करोड़ से अधिक लागत की पूँजी परियोजनाओं की वस्तुस्थिति की समीक्षा करना।

iii) वर्ष के दौरान 10.05.2017, 22.09.2017 एवं 11.11.2017 को तीन बार समिति की बैठक हुई।

iv) 31.03.2018 को यथा, समिति एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थित बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
डॉ. तपन कुमार चान्द	कार्यवाहक	अध्यक्ष	3	3
श्री पी.के. नायक	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
प्रो. डी. आचार्य	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री एम. साहु	स्वतंत्र	सदस्य	3	2
श्री ए. के. नायक (27.03.2018 से प्रभावी)	सरकारी नामित	सदस्य	शून्य	शून्य
निदेशक (वित्त)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
निदेशक (उत्पादन)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
निदेशक (परि. एवं तक.)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
निदेशक (वाणिज्य)*	कार्यकारी	सदस्य	—	—

*पद 01.03.2017 से रिक्त था एवं 31.03.2018 तक रिक्त रहा था।

ञ. **अन्य समितियाँ**

बोर्ड द्वारा अनुमोदित संदर्भ की शर्तों के साथ कुछ नियमित गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए केवल कार्यकारी निदेशकों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है :

क. निवेश समिति

ख. विक्रय हेतु निदेशकों की समिति

ग. खरीदी हेतु निदेशकों की समिति

घ. शेयर अंतरण समिति

ट. **स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक**

कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता के आकलन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुरूप 28 मार्च, 2018 को स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक का आयोजन किया गया था जो कि बोर्ड के लिए उनके दायित्वों के प्रभावी एवं यथा संगत निष्पादन हेतु जरूरी था। सभी आठ स्वतंत्र निदेशक बैठक में उपस्थित हुए थे।

कंपनी सचिव ने स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त निर्देश पर ऐसी बैठक के संयोजन एवं आयोजन की सुविधा प्रदान की।

बोर्ड की जानकारी एवं पृथक बैठक में स्वतंत्र निदेशकों के अवलोकनों पर आवश्यक कदम उठाने के लिए बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड की तदुपरांत बैठक में रखे गए।

IV. निदेशकों के लिए परिचितीकरण कार्यक्रम

बोर्ड में नए निदेशकों के आगमन पर निदेशक को संगठन की संरचना, व्यवसाय योजना, नई परियोजनाओं, उत्पाद के स्वरूप, संयुक्त उद्यमों आदि से अवगत रखने के लिए अनुकूलन/परिचितीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसके अलावा, संस्थानों जैसे कि डीपीई, आईआईसीए, एएसएसओसीएचएएम आदि द्वारा आयोजित विभिन्न अवस्थिति निर्धारण कार्यक्रम के लिए निदेशकगण एवं विशेष रूप से स्वतंत्र निवेशकगण नामित किए गए हैं। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा उपस्थित हुए विभिन्न परिचितीकरण कार्यक्रम वेबसाइट **http://www.nalcoindia.com/investor/Familiarisation-Programme-for-Directors.pdf** पर उपलब्ध है।

V. साधारण निकाय बैठक

i) **अंतिम तीन वार्षिक साधारण निकाय बैठकें जो आयोजित हुई, का विवरण :**

वित्तीय वर्ष	एजीएम की तिथि	समय	विशेष संकल्प, यदि कोई हो	स्थान
2014-15	26.09.2015	सुबह 11.00 बजे	नहीं	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013
2015-16	30.09.2016	सुबह 11.00 बजे	नहीं	
2016-17	23.09.2017	सुबह 11.00 बजे	नहीं	

ii) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मतदान के जरिए कोई संकल्प पारित नहीं हुआ।

iii) 23 सितम्बर, 2017 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) के दौरान शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई। एजीएम वाले स्थान पर ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना मतदान न कर पाने वाले सदस्यों को हाथ उठाकर मत देने की सुविधा प्रदान की गई।

iv) कंपनी ने 14 जुलाई, 2016 को शेयरों की पुनः खरीद हेतु डाक मतदान के जरिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया। कंपनी के अन्तर्नियमों के संशोधन से संबंधित एवं कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी में इक्विटी शेयरों की कुल संख्या के अधिकतम 25% इक्विटी शेयरों की पुनःखरीद हेतु विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से प्रस्तावित किए गए।

v) सीएस. सविता ज्योति, अभ्यासरत कंपनी सचिव (एफसीएस: 3738, सीपी: 1796) एवं मेसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, कंपनी सचिव के साझेदार को डाक मतदान प्रक्रिया के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

vi) मतदान स्वरूप का विवरण निम्नानुसार था :

श्रेणी	मतदान की विधि	मद 1:कंपनी के अन्तर्नियम का संशोधन		मद 2: कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी में इक्विटी शेयरों की कुल संख्या के अधिकतम 25% इक्विटी शेयरों की पुनःखरीद	
		पक्ष में मतदान का %	विरुद्ध में मतदान का %	पक्ष में मतदान का %	विरुद्ध में मतदान का %
प्रवर्तक	ई-वोटिंग	100	0	100	0
सार्वजनिक संस्थानिक धारक	ई-वोटिंग	100	0	99.9987	0.0012
सार्वजनिक गैर संस्थान	ई-वोटिंग एवं डाक मतदान	99.9678	0.0322	99.9532	0.0468

VI. संचार के साधन

i) कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचना के आवधिक प्रचार, साधारण बैठकों एवं अपनी वेबसाइट में विभिन्न प्रकटन के माध्यम से अपने शेयरधारकों को सूचित करती है।

ii) विश्लेषक विवरण, व्यक्तिगत चर्चा और साथ ही समय-समय पर निवेशक सम्मेलनों में हिस्सा लेते हुए संस्थानिक शेयरधारकों को सूचित किया जाता है।

संस्थानिक निवेशकों/विश्लेषक को किये गये प्रस्तुतीकरण स्टॉक एक्सचेंज में भेजे जाते हैं एवं कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर अपलोड किए जाते हैं।

शेयरधारकों से संबंधित जानकारी, कंपनी के बारे में नवीनतम अद्यतन एवं घोषणाएँ नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** में निवेशक के पृष्ठ में अद्यतन किए जाते हैं।

iii) कंपनी के तिमाही, छमाही एवं वार्षिक परिणाम निर्धारित समय के अंदर एनएसई के एनईएपीएस एवं बीएसई के सूचीयन केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपलोड किए जाते हैं। परिणाम तुरंत कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा, अग्रणी समाचार पत्रों में परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं। 2017-18 के दौरान तिमाही परिणाम के प्रकाशन के विवरण नीचे दिए गए हैं :

तिमाही	आयोजित बैठक	समाचारपत्र	प्रकाशन की तिथि
तिमाही 1	09.08.2017	समाज (ओड़िआ), बिजनेस लाइन (अंग्रेजी)	10.08.2017
तिमाही 2	11.11.2017	प्रमेय (ओड़िआ), बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी व अंग्रेजी)	13.11.2017
तिमाही 3	09.02.2018	धरित्री (ओड़िआ), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी)	10.02.2018

iv) कंपनी ने अपने शेयरधारकों को सूचित करने के लिए, ई-संचार अभ्यास को अंगीकार किया है। सभी प्रकार के पत्र/सूचनाएँ/रिपोर्ट शेयरधारकों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाते हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी एवं डाउनलोड किए जाने के रूप में भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत नहीं किया है, ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि ई-मेल के माध्यम से सभी ऐसे दस्तावेजों/सूचनाओं को प्राप्त कर सकें।

v) अध्यक्ष के सम्बोधन की मुद्रित प्रतिलिपि वार्षिक साधारण बैठकों में शेयरधारकों में वितरित की गई। इसे कंपनी की वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।

vi) जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने लाभांश पर दावा नहीं किया है / नकदीकरण नहीं किया है, उन्हें ई-मेल/डाक के माध्यम से अनुस्मारक भेजा जाता है। अदत्त/दावाहीन लाभांश की वस्तुस्थिति वर्ष के आधार पर, कंपनी की वेबसाइट में, 'निवेशक सेवाएँ' पृष्ठ में फोलियो सं./डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी भरकर प्राप्त की जा सकती है।

VII. साधारण शेयरधारक संबंधी सूचना

i) कंपनी पंजीकरण का विवरण

निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	: **L27203OR1981GOI000920**
पंजीकरण की तिथि	: 7 जनवरी, 1981
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	: नालको भवन, पी/1, नयापल्ली-751 013 भुवनेश्वर, ओड़िशा

ii) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक साधारण बैठक

दिन एवं तिथि	बुधवार, 29 अगस्त, 2018
समय	सुबह 11.00 बजे
स्थान	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013

iii) **2018-19 के लिए वित्तीय कैलेंडर**

गतिविधियाँ	अनुमानित तिथि
प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	संबंधित तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर
4थी तिमाही के परिणाम समेत वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक	सितम्बर, 2019 तक

iv) **लाभांश नीति**

कंपनी ने लाभांश वितरण नीति का गठन किया है एवं यह कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है :

http://www.nalcoindia.com/download/Dividend%20Policy.pdf

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी हाल के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन कर पश्चात लाभ के 30% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश या शुद्ध योग का 5%, जो भी अधिक है, का भुगतान करेगी।

v) **लाभांश का भुगतान**

- वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, 09.02.2018 को निदेशक मंडल द्वारा घोषित @ 4.70 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 5 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 94%) अंतरिम लाभांश सभी शेयरधारकों को 28.02.2018 को भुगतान किया गया।
- वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, निदेशक मंडल द्वारा 26.05.2018 को आयोजित उनकी बैठक में प्रस्तावित @ ₹1/- प्रति इक्विटी शेयर (₹ 5 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 20%) अंतरिम लाभांश, आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, बैठक के 30 दिनों के अंदर सभी शेयरधारकों को चुकाया जाएगा।
- वर्ष 2017-18 के लिए भुगतान का कुल लाभांश वर्ष 2016-17 में चुकाए गए ₹541.22 करोड़ की तुलना में अंतिम लाभांश ₹1101.77 करोड़ रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश समेत चुकाया गया कुल लाभांश भुगतान कर-पश्चात लाभ (पीएटी) का 82.07% एवं शुद्ध-योग का 10.49% निर्दिष्ट हुआ है। इसमें लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है।
- 2017-18 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश एवं लाभांश वितरण कर समेत कुल लाभांश भुगतान ₹1326.06 करोड़ निर्दिष्ट हुआ है।
- यह कंपनी द्वारा घोषित सभी तक का उच्चतम लाभांश है।

vi) **पिछले 5 वर्षों के लाभांश का इतिहास**

वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (₹)	भुगतान तिथि	कुल लाभांश (₹करोड़ में)	कर पश्चात लाभ (पैट) पर लाभांश का %
2012-13	(आई)- ₹ 0.75 (एफ)- ₹ 0.50	(आई)- 30.03.2013 (एफ)-23.10.2013	322.15	54.34
2013-14	(आई)- ₹ 1.10 (एफ)- ₹ 0.40	(आई)-25.03.2014 (एफ)-15.10.2014	386.59	60.18
2014-15	(आई)- ₹ 0.50 (एफ)- ₹ 1.25	(आई)-30.03.2015 (एफ)-19.10.2015	451.02	34.12
2015-16	(आई)- ₹ 1.25 (एफ)- ₹ 0.75	(आई)-31.03.2016 (एफ)-25.10.2016	467.13	63.90
2016-17	(आई)- ₹ 2.80 (एफ)- शून्य	(आई)-23.03.2017	541.22	80.96

- अंतरिम **(आई), अंतिम (एफ)**

vii) सूचीयन विवरण

नालको शेयरों का सूचीयन विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.**
पता	फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - **400 001**	एक्सचेंज प्लाजा, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा पूर्व, मुंबई - **400 051**
स्क्रिप कोड	532234	NATIONALUM
से व्यापारित	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आईएसआईएन)	आईएनई 139A01034	आईएनई 139A01034
2018-19 के लिए सूचीयन शुल्क का भुगतान	21.04.2018	21.04.2018

वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक परिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क कंपनी द्वारा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को भुगतान किया गया है।

viii) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बाजार मूल्य आंकड़े

माह	शेयर मूल्य (बीएसई) (राशि ₹में)			शेयर मूल्य (एनएसई) (राशि ₹में)			बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)	
	उच्च	न्यून	औसत कारोबार	उच्च	न्यून	औसत कारोबार	एनएसई	बीएसई
अप्रैल, 2017	77.35	66.65	5,53,041	77.40	66.65	41,79,922	13,787.58	13,794.04
मई	71.40	64.50	2,80,956	71.40	64.60	24,46,222	13,008.00	13,002.54
जून	67.90	61.30	1,69,534	67.90	61.35	13,76,230	12,519.76	12,518.81
जुलाई	74.80	64.50	4,43,441	74.70	64.20	35,57,447	13,405.23	13,388.79
अगस्त	73.25	62.35	4,22,114	73.30	62.15	31,38,987	13,346.51	13,343.66
सितम्बर	85.40	71.10	11,28,910	85.40	71.05	67,04,324	15,237.83	15,226.80
अक्टूबर	96.85	78.30	11,78,520	96.70	78.15	86,61,209	16,545.58	16,536.41
नवम्बर	97.65	77.80	8,54,423	97.60	77.65	73,38,800	16,639.71	16,636.84
दिसम्बर	87.75	72.50	6,07,850	87.75	71.50	68,51,416	15,460.14	15,452.50
जनवरी, 2018	89.45	74.45	8,80,966	89.80	74.10	80,80,745	15,799.06	15,787.02
फरवरी	78.95	64.55	12,09,655	78.90	64.60	72,18,865	13,653.40	13,649.73
मार्च	70.20	60.75	8,52,247	70.25	60.70	84,81,934	12,603.92	12,607.20

उच्च=उच्चतम, न्यून=न्यूनतम स्रोत: बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट

ix) व्यापक-आधारित सूचियों की तुलना में प्रदर्शन

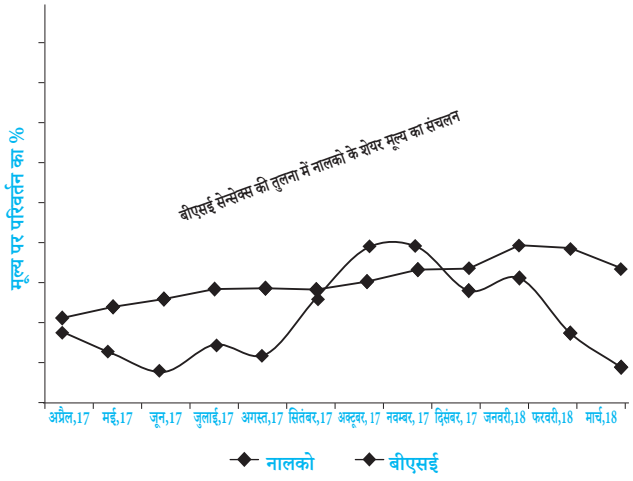

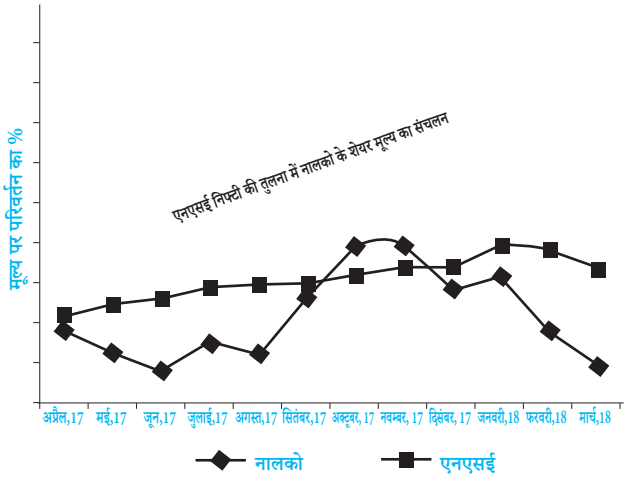

x) **रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट**

क) मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) हैं जो शेयर से संबंधित गतिविधियों जैसे कि शेयरों के अंतरण, शेयरों के संचरण, शेयरों के स्थानांतरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, नाम हटाने, पता बदलने, बैंक के विवरण, खत्म हो चुके लाभांश समादेश के बदले डीडी जारी करने, बैंक के साथ लाभांश खाते के समन्वय, आईईपीएफ संबंधी गतिविधियों का ध्यान रखने, नामांकितों के पंजीकरण/शेयरों के अभौतिकीकरण/पुनःभौतिकीकरण आदि का निष्पादन करते हैं। आरटीए का विवरण लिंक : **http://www.nalcoindia.com/invdefault.aspx में उपलब्ध है।**

ख) कंपनी सचिव शेयरों के अंतरण/संचरण एवं अभौतिकीकरण से संबंधित सभी अनुरोधों/मामलों को अनुमोदित करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं। तथापि, फटे/विकृत/विरूपित/गुम हो चुके/पुनः भौतिकीकरण के मामले में नए शेयर सर्टिफिकेट जारी करने से संबंधित मामले शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित होते हैं।

xi) **31.03.2018 को शेयरधारिता का स्वरूप**

क्रम सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %
1.	प्रोमोटर (भारत सरकार)	1	1163717107	60.2
2.	म्यूच्युअल फंड	83	189959452	9.83
3.	बैंक / वित्तीय संस्थान	22	220071816	11.39
4.	बीमा कंपनियाँ	2	1600	0.00
5.	एफआईआई	24	612252	0.03
6.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	142	123261362	6.38
6.	निगम निकाय	1419	126685292	6.55
7.	भारतीय जनता	124598	94214280	4.87
8.	अन्य	5858	14405723	0.75
	कुल	**1,32,149**	**1932928884**	**100**

श्रेणी-वार शेयरधारिता

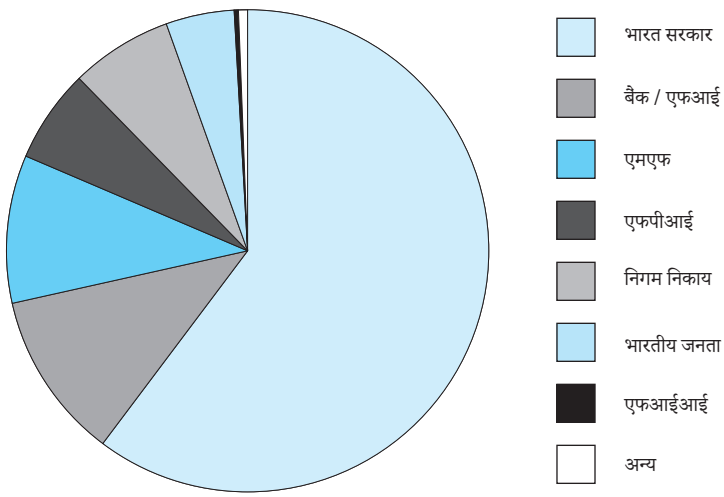

31.03.2018 को शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारकों का %	शेयरों की सं.	शेयर पूंजी का %
1-200	74597	56.45	6833807	0.35
201-500	26973	20.41	10255850	0.53
501-1000	13665	10.34	11337240	0.59
1001-50000	16526	12.51	66355408	3.43
50001-100000	116	0.09	7993807	0.41
100001 और अधिक	272	0.20	1830152772	94.69
कुल	**132149**	**100**	**1932928884**	**100**

31.03.2018 को कंपनी के शीर्ष के 10 इक्विटी शेयरधारक

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की सं.	धारिता का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	158431120	8.20
2.	भारत 22 ईटीएफ	47768312	2.47
3.	सरकारी पेंशन निधि वैश्विक	28529841	1.48
4.	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	21084563	1.09
5.	हिंडालको इंडस्ट्रीज लि.	18385327	0.95
6.	यूटीआई-एमआईडी कैप फंड	16464258	0.85
7.	रेणुका इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनैंस लिमिटेड	16418964	0.85
8.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	14636302	0.76
9.	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	14350874	0.74
10.	रेणुकेश्वर इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनैंस लिमिटेड	12814264	0.66
	कुल	**348883825**	**18.05**

xii) सूचीबद्ध शेयरों का अभौतिकीकरण/पुनः भौतिकीकरण एवं नकदीकरण

नालको के शेयर व्यापार के लिए अनिवार्य रूप से अभौतिकीकृत क्षेत्र में हैं। 31 मार्च, 2018 को कंपनी शेयर पूँजी का 99.88% अभौतिकीकृत है।

31.03.2018 की स्थिति को भौतिक एवं अभौतिकीकरण रूप में धारित शेयरों की कुल सं. :

	शेयरों की सं.	कुल शेयरों में %	शेयरधारकों की सं.
एनएसडीएल के पास डिमैट शेयर	1,854,609,178	95.95	77,313
सीडीएसएल के पास डिमैट शेयर	76,072,648	3.93	51,414
भौतिक रूप में शेयर	2,247,058	0.12	3,422
कुल	**193,29,28,884**	**100**	**1,32,149**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 73,164 शेयरों से संश्लिष्ट 165 अभौतिकीकरण अनुरोध की पुष्टि की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान 200 शेयरों के लिए एक पुनः भौतिकीकरण अनुरोध की भी पुष्टि की है एवं भौतिक शेयर प्रमाणपत्र निर्धारित समय के अंदर शेयरधारकों के पास भेज दिए गए।

xiii) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई अन्य परिवर्तनीय साधन, परिवर्तन की तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय साधन जारी नहीं किया है।

xiv) उचन्त खाते में इक्विटी शेयर

विनियम 34(3) एवं सेबी सूचीयन विनियम की अनुसूची V पार्ट एफ के अनुपालन में उचन्त खाते में कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

xv) आईईपीएफ में अप्रदत्त/दावाहीन लाभांश का अंतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए दावाहीन अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹ 3,87,504/-, वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए दावाहीन अंतिम लाभांश से संबंधित ₹ 2,97,980/- एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए दावाहीन अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹ 5,37,968/- की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित किए गए हैं।

अदत्त/दावाहीन लाभांश से संबंधित डेटा शेयरधारक वेबसाइट से निम्नलिखित लिंक में पुनः प्राप्त कर सकते हैं :

https://kosmic.karvy.com/IEPF/IEPFInfo.aspx

xvi) आईईपीएफ में शेयरों का अंतरण

आईईपीएफ नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के अनुसार, कंपनी को उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में अंतरित करने की आवश्यकता पड़ेगी जिसके विषय में लाभांश का लगातार 7(सात) वर्षों या अधिक समय के लिए भुगतान नहीं किया गया है/दावा नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने व्यक्तिगत रूप से सूचना भेजते हुए एवं समाचारपत्रों में विज्ञापित कराते हुए शेयरधारकों को सूचित किया जिन्होंने लगातार सात वर्षों या अधिक समय के लिए अपने लाभांश पर दावा नहीं किया था/नकदीकरण नहीं किया था। इसके बाद, कंपनी ने निम्नलिखित अवधि से संबंधित भुगतान नहीं किए गए लाभांश एवं तदनुरूपी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में अंतरित किया।

विवरण	लाभांश (₹)	शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	अंतरण की तिथि
वित्त वर्ष 2009-10 के लिए अंतिम लाभांश	2,97,980/-	1,48,267	474	18.12.2017
वित्त वर्ष 2010-11 के लिए अंतरिम लाभांश	5,37,968/-	1,012	23	08.03.2018

आईईपीएफ में अंतरित शेयरों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी लिंक **http://www.nalcoindia.com/investor/Logo.pdf** पर उपलब्ध है।

कोई भी व्यक्ति जिनके शेयर और/या लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया गया है, वह आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के साथ फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन जमा करते हुए अधिनियम की धारा 124(6) के अंतर्गत शेयरों पर दावा कर सकता है या धारा 125(3) के अंतर्गत वापस पाने के लिए आवेदन कर सकता है, जैसे मामले हो। फॉर्म आईईपीएफ-5 को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध लिंक आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट से निम्नलिखित लिंक में दी गई है

http://www.nalcoindia.com/IEPF/3.IEPF-Information.pdf

xvii) शेयर पूंजी का पुनर्मिलान

कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के माध्यम से तिमाही आधार पर शेयर पूँजी लेखापरीक्षा के पुनर्मिलान का निष्पादन किया गया था। रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल निर्गत/प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल सं. एवं एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ डिमेट रूप में शेयरों की संख्या के अनुरूप में है। रिपोर्ट सेबी द्वारा अधिदेशित अनुसार बीएसई एवं एनएसई के पास जमा की गई है।

इसके अलावा, सचिवीय लेखापरीक्षक से प्राप्त शेयर अंतरण औपचारिकताओं के अनुपालन पर छमाही प्रमाणपत्र भी सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 40(10) के अनुसार दिए गए समय में स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा की गई है।

VIII. अन्य प्रकटन

क) कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेनों पर एक नीति का गठन किया है जो निम्नलिखित वेब लिंक में उपलब्ध है :

http://www.nalcoindia.com/download/NEW-RPT-NALCO.pdf

संबंधित पक्ष एवं संबंधित पक्ष के लेनदेन वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के स्वचालित वित्तीय विवरण एवं समेकित वित्तीय विवरण दोनों की टिप्पणी सं. 38 में प्रकट किए गए हैं। वित्त वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया गया था। निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष के लेनदेन निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोई आलोचना कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है एवं सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी विषय के गैर-अनुपालन के लिए कोई जुर्माना आरोपित नहीं किया गया है।

ग) कंपनी के पास निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'सचेतक नीति' एवं 'धोखाधड़ी रोकथाम नीति' है जो प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन या नैतिक नीति से संबंधित चिंताओं की रिपोर्ट करती है। यह नीति कर्मचारियों को अत्याचार के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करती है जो इस कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं।

यह भी पुष्टि की जाती है कि कंपनी के किसी भी कार्मिक को अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति के पास पहुँचने से वंचित नहीं किया गया था। दोने ही नीतियाँ कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध हैं :

http://www.nalcoindia.com/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf , और

http://www.nalcoindia.com/NALCOFRAUDPREVENTIONPOLICY.pdf

घ) कंपनी ने 01.04.2017 से 05.09.2017 तक बोर्ड के गठन (विनियम 17(1)(ख) को छोड़कर सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 का अनुपालन किया है।

ङ) कंपनी के पास अभी तक कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतएव, कंपनी ने भौतिक सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु किसी नीति का गठन नहीं किया है।

च) कंपनी में वर्तमान में एक मुद्रा बचाव नीति की व्यवस्था है जिसकी नियामक प्रावधान में बदलावों, यदि कोई हो, एवं बाजार की गतिशीलता पर ध्यान रखते हुए पुनरीक्षा की जाती है। यद्यपि कंपनी के पास विक्रय पर कोई बचाव नीति नहीं है।

यह विषयवस्तु प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट के अंतर्गत पृथक रूप से निपटायी जाती है।

छ) विभिन्न नीतियों के लिए वेब लिंक संबंधित शीर्षक के अधीन किए गए हैं।

ज) **भीतरी ट्रेडिंग से जुड़ी संहिता**

बोर्ड ने इस उद्देश्य के साथ अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटन हेतु कार्यपद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की संहिता निर्देशित की है कि कंपनी का कोई भी भीतरी व्यक्ति अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के सार्वजनिक किए जाने से पूर्व, इसकी पहुँच एवं स्वामित्व से कोई लाभ प्राप्त न करे या दूसरे को लाभ प्राप्त करने में सहयोग न करे। इस संहिता के लिए कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी है।

इसी प्रकार, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक और आचार संहिता इसके कर्मचारियों एवं अन्य संयोजित व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यापार को नियंत्रित, निगरानी एवं रिपोर्ट करती है। भीतरी व्यक्ति के पास इनसाइडर ट्रेडिंग कोड (अंतरंगी व्यापार संहिता) में वर्णित कुछ शर्तों तथा अनुपालन अधिकारी के अनुमोदन के अधीन व्यापार योजना बनाने का अधिकार होता है।

यह व्यापार योजना अनिवार्य रूप से कार्यान्वित होगी। मनोनीत व्यक्ति एवं उनके नजदीकी संबंधी को ट्रेडिंग विण्डो (व्यवसाय अवसर) बंद रहने पर सिक्योरिटीज में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। निश्चित सीमा के बाहर सिक्योरिटीज से संबंधित कार्य हेतु अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। सभी निदेशक/मनोनीत कर्मचारियों को भी संहिता में परिभाषित अनुसार समय-समय पर संबंधित सूचना का प्रकटन आवश्यक है।

यह संहिता कंपनी की वेबसाइट **http://www.nalcoindia.com/download/NALCO_Code_of_Conduct_new.pdf** पर प्रदर्शित की जाती है।

झ) **डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रकटन**

i. लेखा बहियों में उन व्यय को नहीं घटाया गया है, जो व्यवसाय से सम्बन्धित न हो।

ii. कोई व्यय ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो एवं निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया गया है।

iii. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय एवं कार्यालय व्यय बनाम वित्तीय व्यय का विवरण और बढ़ोतरी के कारण निम्नवत हैं :

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2017-18	2016-17
प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	**109.90**	97.74
कुल व्यय	**8703.21**	7453.42
कुल व्यय के % के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	**1.26**	1.31
वित्तीय व्यय	**1.95**	2.69

iv. कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट तिमाही आधार पर जमा कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 'उत्कर्ष' दर्जा प्रदान किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नलिखित वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है :
http://www.nalcoindia.com/investor/Guidelines%20of%20C.G.%20for%20CPSEs.pdf

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान एवं गत तीन वर्षों के दौरान जारी अध्यक्षीय दिशासूचकों का अनुपालन किया है।

IX. कंपनी के संयंत्र स्थान

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालयः नालको भवन प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर – 751 013 (ओड़िशा)	**प्रद्रावक संयंत्र** नालको नगर अनुगुल – 759 145 (ओड़िशा)
खान एवं परिशोधक खान एवं परिशोधन संकुल दामनजोड़ी – 763 008, जिला – कोरापुट (ओड़िशा)	**ग्रहीत विद्युत संयंत्र** अनुगुल – 759 122, (ओड़िशा)
पत्तन सुविधाएँ ओर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के सामने पत्तन एरिया, विशाखापत्तनम् – 530 035, आंध्र प्रदेश	**जैसलमेर 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम – लुडर्वा, कहेला, खदेरो-की-ढाणी, तावारिया, चातरेल मंडल/तालुक/जिला - जैसलमेर, राजस्थान – 345001
गण्डीकोटा 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम - गण्डीकोटा, मंडल - प्रोदात्तुर तालुका - जम्मालमाड्डगु जिला - कडप, आंध्र प्रदेश	**सांगली 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. ग्राम - मेंधीगिरी, तालुक - जत जिला - सांगली, महाराष्ट्र - 416404

X. पत्राचार के लिए पता

अनुपालन अधिकारी

कंपनी सचिव
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751 013
ई-मेल: company_secretary@nalcoindia.co.in

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
एकक : नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
कार्वी सेलिनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32
गचीबोअली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा
हैदराबाद–500032. तेलांगाना
दूरभाष नं. 040-67161500, टोल फ्री नं. 18003454001,
ईमेल : einward.ris@karvy.com

XI. गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

सेबी (एलओडीआर) विनियम की अनुसूची - II के भाग ई के साथ पठित विनियम 27(1) के अंतर्गत विवेकाधीन अर्हताओं के अनुपालन की वस्तुस्थिति निम्नवत है:

क. कंपनी कार्यपालक अध्यक्ष के नेतृत्व में है।

ख. कंपनी को सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं सी एण्ड एजी से पिछले कई वर्षों से गैर-योग्यताप्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो रही है जो गैर-योग्यताप्राप्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की सूचक है।

ग. कंपनी के पास एक कार्यपालक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है, जो कंपनी के सीईओ भी हैं।

घ. अंदरूनी लेखापरीक्षा के प्रधान को अंदरूनी लेखा-परीक्षक रिपोर्ट करते हैं एवं फिर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को अंदरूनी लेखा-परीक्षा के प्रधान रिपोर्ट करते हैं।

XII. आचार संहिता

कंपनी ने व्यवसाय संचालन एवं नैतिकता की एक प्रतिमान संहिता ('संहिता') को अंगीकार किया है, जो कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे) पर लागू है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है :

http://www.nalcoindia.com/CodeofConduct.pdf

बोर्ड में सभी निदेशकों को उनके नियोजन पर, संहिता की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है जो इसे प्राप्त होने की स्वीकृति देते हैं। इसके अलावा, बोर्ड के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आधार पर संहिता की पुष्टि करते हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के अधीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

घोषणा

बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

हस्ता./-
(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

XIII. सीइओ/सीएफओ प्रमाणन

डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त) द्वारा यथा हस्ताक्षरित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अधीन सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र 26.05.2018 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
भुवनेश्वर

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के विनियम 46 के उप-नियम (2) के विनियम 17 से 27, खंड (ख) से (झ) एवं अनुसूची V के अनुच्छेद सी. डी एवं ई तथा वर्ष के दौरान प्रयोज्य सीमा तक लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिए दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी निगमित अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार हमने जाँच कार्य किया था एवं निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित था। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा है और न ही मत प्रकाश।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुरूप और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित के अधीन :

कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल, 2017 से 5 सितम्बर, 2017 तक निदेशक मंडल के गठन में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है।

हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित अभिशासन की अन्य शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह व्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन देता है और न ही प्रभावकारिता या कार्यकुशलता का जिसके तहत प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए बी.के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए राजेन्द्र पात्र)
साझेदार
सदस्यता सं. 019423

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 12 जुलाई, 2018

फार्म नं. एओसी – 2

अनुलग्नक-VI

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा(3) के खंड (ज) एवं कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित ठेकाओं/व्यवस्थाओं जिसमें उस पर तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछेक असंबंधित लेनदेन शामिल हैं, के विवरण के प्रकटन हेतु फॉर्मः

1. **संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन जो सम्बन्धित पक्ष के आधार पर हैं, का विवरणः**
   - (क) सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूपः **शून्य**
   - (ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूपः **लागू नहीं**
   - (ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदन की अवधिः **लागू नहीं**
   - (घ) मूल्य यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख शर्तें **लागू नहीं**
   - (ङ) ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन में शामिल होने का औचित्यः **लागू नहीं**
   - (च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ): **लागू नहीं**
   - (छ) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हैः **लागू नहीं**
   - (ज) धारा 188 के उपयुक्त प्रथम उपबंध के अंतर्गत आवश्यकतानुसार साधारण बैठक में जिस तिथि को विशेष प्रस्ताव पारित हुआ थाः **लागू नहीं**

2. **भौतिक संविदाओं या व्यवस्था या लेनदेन जो निष्पक्ष आधार पर नहीं हैं, का विवरणः**
   - (क) सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूपः **शून्य**
   - (ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूपः **लागू नहीं**
   - (ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधिः **लागू नहीं**
   - (घ) मूल्य, यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख शर्तें **लागू नहीं**
   - (ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ) यदि कोई हैः **लागू नहीं**
   - (च) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हैः **लागू नहीं**

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता.

(डॉ. तपन कुमार चान्द)

अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

फॉर्म नं. एमजीटी-9

अनुलग्नक-VII

वार्षिक रिटर्न (प्रतिफल) का सार
31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i) सीआईएन:- **L27203OR1981GOI000920**

ii) पंजीकरण की तिथि : **7 जनवरी, 1981**

iii) कंपनी का नाम : नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी : शेयरों के तहत पब्लिक सेक्टर कम्पनी लिमिटेड

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण : नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओड़िशा, भारत

vi) क्या सूचीबद्ध कम्पनी है : हाँ

vii) रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण

मेसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलिनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबोअली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032, तेलंगाना, दूरभाषः 040-67161500, फैक्स नं. 040-23420814. ईमेलः einward.ris@karvy.com

II. कंपनी के प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप

कंपनी के कुल कारोबार के 10% या अधिक का अंशदान करनेवाले सभी व्यावसायिक कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा :

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	एल्यूमिना	201	32.26
2	एल्यूमिनियम	242	62.68
3	पावर	351	0.90

III. नियंत्रक (होल्डिंग), सहायक एवं सम्बद्ध कंपनियों के ब्यौरे

क्रम. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/सहायक/सम्बद्ध	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि., 16वाँ तल, सेंटर-1, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005	U40300MH2012GOI227632	सम्बद्ध	26	2(6)
2	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि. इडको टावर, जनपथ, भुवनेश्वर-751022	U27203OR2010PTC012284	सम्बद्ध	49	2(6)
3	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. जीएसीएल कॉर्पोरेट बिल्डिंग, डाकघर पेट्रोकेमिकल्स, वडोदरा, गुजरात-391346	U24100GJ2015PTC085247	सम्बद्ध	40	2(6)

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी का विभाजन)

i) श्रेणी-बार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च 2017 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च 2018 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ									
ख) केंद्र सरकार	1,44,14,82,490	—	1,44,14,82,490	74.58	1,16,37,17,107	—	1,16,37,17,107	60.20	(14.38)
ग) राज्य सरकार (रों)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च 2017 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च 2018 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
घ) निगमित निकाय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) बैंक/एफआई	—	—	—	—	—	—	—	—	—
च) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप-योग (क) (1):-	**1,44,14,82,490**	**—**	**1,44,14,82,490**	**74.58**	**1,16,37,17,107**	**—**	**1,16,37,17,107**	**60.20**	**(14.38)**
(2) विदेशी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क) एनआरआई - व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) अन्य - व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) निगमित निकाय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बैंक/एफआई	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप-योग (क) (2):-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
प्रोमोटर (क) की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	**1,44,14,82,490**	**—**	**1,44,14,82,490**	**74.58**	**1,16,37,17,107**	**—**	**1,16,37,17,107**	**60.20**	**(14.38)**
ख. पब्लिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचअल फंड	2,26,69,470	88,600	2,27,58,070	1.18	18,99,07,852	88,600	18,99,96,452	9.83	8.65
ख) बैंक/एफआई	23,16,09,087	—	23,16,09,087	11.98	22,00,71,816	—	22,00,71,816	11.39	(0.59)
ग) केन्द्र सरकार									
घ) राज्य सरकार (रों)									
ङ) उद्यम पूँजी निधि									
च) बीमा कंपनियाँ	—	1,600	1,600	—	—	1,600	1,600	—	—
छ) एफआईआई	7,72,46,858	30,200	7,72,77,058	4	12,38,46,814	26,800	12,38,73,614	6.41	2.41
ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधि									
झ) अन्य (उल्लेख करें)									
उप-योग (ख)(1):	**33,15,25,415**	**1,20,400**	**33,16,45,815**	**17.16**	**53,38,26,482**	**1,17,000**	**53,39,43,482**	**27.62**	**10.47**
2. गैर-संस्थान									
क) निगमित निकाय									
i) भारतीय	10,23,63,062	17,200	10,23,80,262	5.30	12,66,71,092	14,200	12,66,85,292	6.55	1.25
ii) विदेशी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयरधारक जो ₹ 1 लाख तक सामान्य शेयर पूँजी रखते हैं	3,85,64,017	15,30,930	4,00,94,947	2.07	7,41,45,598	13,30,858	7,54,76,456	3.90	1.83
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक जो ₹ 1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूँजी रखते हैं	1,12,58,013	—	1,12,58,013	0.58	2,38,02,771	—	2,38,02,771	1.23	0.65
ग) अन्य (उल्लेख करें)	52,80,957	7,86,400	60,67,357	0.31	85,18,776	7,85,000	93,03,776	0.48	0.17
उप-योग (ख) (2):-	**15,74,66,049**	**23,34,530**	**15,98,00,579**	**8.27**	**23,31,38,237**	**21,30,058**	**23,52,68,295**	**12.17**	**3.90**
कुल पब्लिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	**48,89,91,464**	**24,54,930**	**49,14,46,394**	**25.42**	**76,69,64,719**	**22,47,058**	**76,92,11,777**	**39.80**	**14.38**
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सकल योग (क+ख+ग)	**1,93,04,73,954**	**24,54,930**	**1,93,29,28,884**	**100**	**1,93,06,81,826**	**22,47,058**	**1,93,29,28,884**	**100**	**—**

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधकीकृत/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधकीकृत/भारग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	1,44,14,82,490	74.58	—	1,16,37,17,107	60.20	—	(14.38)
	कुल	1,44,14,82,490	74.58	—	1,16,37,17,107	60.20	—	(14.38)

(iii) प्रोमोटर की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

क्रम सं.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	1,44,14,82,490	74.58		
1	19.04.2017 – बिक्री के लिए प्रस्ताव	14,24,55,941	7.37	1,29,90,26,549	67.21
2	20.04.2017 – बिक्री के लिए प्रस्ताव	3,56,13,986	1.85	1,26,34,12,563	65.36
3	21.11.2017 – कर्मचारी प्रस्ताव	76,17,057	0.40	1,25,57,95,506	64.96
4	21.11.2017 – भारत 22 ईटीएफ	9,20,78,399	4.76	1,16,37,17,107	60.20
5	वर्ष के अंत में			1,163,7,17,107	60.20

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रोमोटरों एवं जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर):

क्रम सं.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	17,71,23,674	9.16	15,84,31,120	8.2
2	भारत 22 ईटीएफ	—	—	4,77,68,312	2.47
3	सरकारी पेंशन वैश्विक निधि	1,18,51,369	0.61	2,85,29,841	1.48
4	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी रिलायंस ग्रोथ फंड	—	—	2,10,84,563	1.09
5	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2,83,84,938	1.47	1,83,85,327	0.95
6	यूटीआई-एमआईडी सीएपी फंड	—	—	1,64,64,258	0.85
7	रेणुका इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनेंस लिमिटेड	—	—	1,64,18,964	0.85
8	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	62,48,500	0.32	1,46,36,302	0.76
9	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,92,18,221	1.51	1,43,50,874	0.74
10	रेणुकेश्वर इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेंस लि.	—	—	1,28,14,264	0.66
11	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	1,00,00,000	0.52	1,14,00,000	0.58
12	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस I ग्रोथ फंड	99,87,308	0.52	99,87,308	0.51
13	एलआईसी ऑफ इंडिया प्रॉफिट प्लस ग्रोथ फंड	93,24,184	0.48	77,46,544	0.40
14	वेनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड, एसिरीज़ ऑफ वेनगार्ड इंटरनैशनल इक्विटी फंड	62,21,247	0.32	76,07,445	0.39
15	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	60,39,876	0.31	1,18,39,876	0.61

कंपनी के शेयरों का व्यापार दैनिक आधार पर होता है, अतः शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/ह्रास सूचित नहीं किया गया है।

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता :

क्रम सं.	निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	डॉ. टी.के. चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	—	—	—	—
2	श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त)	400	—	400	—
3	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)	—	—	3016	—
4	श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)	—	—	—	—
5	श्री एस. के. रॉय, निदेशक (परि. एवं तक.)	5659	—	8275	—
6	श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	—	—	—	—
7	श्री एन.के. महान्ति, कंपनी सचिव	—	—	3016	—

V. ऋणग्रस्तता

बकाया / उद्भूत ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता मगर भुगतान के लिए देय नहीं

	जमाराशियों को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) ब्याज देय मगर अदा नहीं किया गया iii) ब्याज उद्भूत मगर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • जोड़ • घटाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) ब्याज देय मगर अदा नहीं किया गया iii) ब्याज उद्भूत मगर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक7पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल धनराशि (₹)
	नाम	डॉ. तपन कुमार चान्द	श्री के.सी. सामल	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्	श्री बी.के. ठाकुर	श्री एस. के. रॉय	
	पदनाम	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (उत्पादन)	निदेशक (मा.सं.)	निदेशक (परि. एवं तक.)	
1.	सकल वेतन	46,72,530	53,45,378	48,15,478	42,54,081	56,13,390	24,700,857
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में संलग्न प्रावधानों के अनुसार वेतन	—	—	3,15,267	1,05,192	—	4,20,459
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	—	—	—	—	—	—
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ						

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक7पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल धनराशि (₹)
	नाम	डॉ. तपन कुमार चान्द	श्री के.सी. सामल	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्	श्री बी.के. ठाकुर	श्री एस. के. रॉय	
	पदनाम	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (उत्पादन)	निदेशक (मा.सं.)	निदेशक (परि. एवं तक.)	
2.	स्टॉक विकल्प	—	—	—	—	—	—
3.	उद्यम इक्विटी	—	—	—	—	—	—
4.	कमीशन-लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें	—	—	—	—	—	—
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	—	—	—	—	—	—
	कुल (क)	**46,72,530**	**53,45,378**	**51,30,745**	**43,59,273**	**56,13,390**	**2,51,21,316**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा						

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम								कुल राशि (₹)
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री दीपंकर महन्त	श्री एस. शंकररमण	श्री पी.के. नायक	प्रो. डी. आचार्य	श्री महेश्वर साहु	श्रीमती किरण घई सिन्हा	श्री एन. एन. शर्मा	श्रीमती अचला सिन्हा	
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	5,20,000	4,20,000	4,80,000	4,80,000	3,20,000	3,00,000	60,000	40,000	26,20,000
	• कमीशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल (1)	5,20,000	4,20,000	4,80,000	4,80,000	3,20,000	3,00,000	60,000	40,000	26,20,000
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	• कमीशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल (2)									
	योग (ख) = (1 + 2)	**5,20,000**	**4,20,000**	**4,80,000**	**4,80,000**	**3,20,000**	**3,00,000**	**60,000**	**40,000**	**26,20,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक									
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा									

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक				कुल (₹)
			सीईओ	कंपनी सचिव		सीएफओ	
				श्री के.एन. रवीन्द्र (31-05-2017 तक)	श्री एन.के. महान्ति (01-06-2017 से प्रभावी)		
1.	सकल वेतन						
	(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में संलग्न प्रावधानों के अनुसार वेतन	—	15,90,584	40,39,697	—	56,30,281
	(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	—	1,03,026	70,510	—	1,73,536
	(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	—	—	—	—	—

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक				कुल (₹)
		सीईओ	कंपनी सचिव		सीएफओ	
			श्री के.एन. रवीन्द्र (31-05-2017 तक)	श्री एन.के. महान्ति (01-06-2017 से प्रभावी)		
2.	स्टॉक विकल्प	—	—	—	—	—
3.	उद्यम इक्विटी	—	—	—	—	—
4.	कमीशन					
	लाभ के % के रूप में		—	—	—	—
	अन्य, उल्लेख करें					
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	—	—	—	—	—
	कुल	—	16,93,610	41,10,207	—	58,03,817

VII. शास्ति/दंड/अपराध शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	आरोपित शास्ति/दंड/ शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/ न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है, (विवरण दें)
क. कंपनी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
शमन					
ख. निदेशकगण					
शास्ति					
दंड			शून्य		
शमन					
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
शमन					

फॉर्म नं. एमआर-3
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अनुलग्नक VIII

[(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)]

सेवा में

सदस्यगण

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली

भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

हमने मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (जिसे आगे "कम्पनी" कहा जाएगा) के प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में एवं अच्छे निगम अभ्यासों के तहत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी जिससे हमें निगमित संचालन/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए और उस पर हमारे मत प्रकाश के लिए यथा उपयुक्त आधार प्राप्त हुआ।

कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर किए गए रिटर्न और कम्पनी द्वारा व्यवस्थित अन्य अभिलेखों और साथ ही सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मत में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी के पास आगे उल्लिखित तरीके एवं रिपोर्ट के लिए उचित सीमा में यथोचित कार्यप्रक्रियाएँ एवं अनुपालन तंत्र है:

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा व्यवस्थित बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके तहत गठित नियमावलियाँ;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 और अधिनियम में निर्दिष्ट धाराओं की सीमा में उसके तहत बने नियम, अभी अधिसूचित नहीं;

(iii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं उसके तहत बने नियम;

(iv) न्यासी अधिनियम, 1996 एवं उसके तहत बने विनियम एवं उप-नियम;

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा में उसके तहत बने नियम एवं विनियम;

(vi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित अनुबंध, विनियम एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गए:-

- क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
- ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त रूप में अधिग्रहण एवं अधीनीकरण) विनियम, 2011;
- ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेधन) विनियम, 2015;
- घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2009;
  (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)
- ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
  (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)
- च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम, 2008;
  (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)
- छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीयन) विनियम, 2009;
  (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी को प्रयोज्य नहीं)
- ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998,

(vii) अन्य कानून जैसा कम्पनी पर विशेष रूप से लागू हो:

- क. खान अधिनियम, 1952;
- ख. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957;
- ग. विस्फोटक अधिनियम, 1984;

घ. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986;

ङ. वन संरक्षण अधिनियम, 1980;

च. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

छ. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

ज. भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923।

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित समरूप सूचीयन अनुबंध।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि का पालन किया है।

बोर्ड का गठन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की सूची

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	धारित पद	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
	पूर्णकालिक निदेशकगण			
1.	डॉ. तपन कुमार चान्द	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	27.07.2015	—
2.	श्री के.सी. सामल	निदेशक (वित्त)	03.01.2014	—
3.	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)	01.01.2015	—
4.	श्री बी. के. ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)	04.07.2016	—
5.	श्री एस. के. रॉय	निदेशक (परि. एवं तक.)	03.02.2017	—
	अंशकालिक सरकारी निदेशकगण			
1.	श्री सुभाष चन्द्र	निदेशक	20.10.2016	16.02.2018
2.	डॉ. के. राजेश्वर राव	निदेशक	19.02.2018	—
3.	श्री एन.के. सिंह	निदेशक	15.03.2017	26.03.2018
4.	श्री अनिल कुमार नायक	निदेशक	27.03.2018	—
	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण			
1.	श्री दीपंकर महन्त	निदेशक	21.11.2015	—
2.	श्री एस. शंकररमण	निदेशक	21.11.2015	—
3.	श्री प्रभात केशरी नायक	निदेशक	21.11.2015	—
4.	प्रो. दामोदर आचार्य	निदेशक	21.11.2015	—
5.	श्री महेश्वर साहु	निदेशक	21.11.2015	—
6.	सुश्री किरण घई सिन्हा	निदेशक	03.02.2017	—
7.	श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा	निदेशक	06.09.2017	—
8.	सुश्री अचला सिन्हा	निदेशक	08.09.2017	—

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी के बोर्ड में पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक), दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं छह (6) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे।

दो अंशकालिक सरकारी निदेशकों, यथा श्री सुभाष चन्द्र एवं श्री एन.के. सिंह का कार्यकाल क्रमशः 16.02.2018 एवं 26.03.2018 को समाप्त हो गया एवं उनके स्थान पर डॉ. के. राजेश्वर राव एवं श्री अनिल कुमार नायक को क्रमशः 19.02.2018 एवं 27.03.2018 को नियुक्त किया गया था।

श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा एवं सुश्री अचला सिन्हा को क्रमशः 06.09.2017 एवं 08.09.2017 को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किया गया। अतः कंपनी में 31 मार्च, 2018 को बोर्ड में पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं आठ (8) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे।

वर्ष के अंत में, बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों एवं सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के अनुपालन में हुआ था। हालांकि वर्ष के प्रारंभ में, बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुपालन में हुआ था, परन्तु 5 सितम्बर, 2017 तक सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) का अनुपालन नहीं हुआ था।

गैर-अनुपालन :

1. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) ("सूचीयन विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर-कार्यपालक निदेशक है, बोर्ड के निदेशकों में कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे और जहाँ सूचीबद्ध कंपनी में नियमित गैर-पालक अध्यक्ष नहीं है, निदेशक मंडल में कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में भी निदेशकों के गठन से संबंधित समरूप प्रावधान है।

   चूँकि, कंपनी का अध्यक्ष एक कार्यपालक निदेशक है, बोर्ड के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

   वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी में 5(पाँच) कार्यपालक निदेशक, 2(दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं 6(छह) स्वतंत्र निदेशक रहे थे। इसके अलावा, 31 मार्च, 2018 को, 5(पाँच) कार्यपालक निदेशक, 2(दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं 8(आठ) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक थे।

   बोर्ड का गठन वर्ष के प्रारंभ में, सूचीयन विनियम के विनियम 17(1)(ख) एवं डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं हुआ था।

बोर्ड की बैठक

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की सात(7) बैठकें अर्थात् 299 वीं से 305वीं का आयोजन क्रमशः 10.05.2017, 27.05.2017, 22.07.2017, 09.08.2017, 22.09.2017, 11.11.2017 एवं 09.02.2018 को किया गया। बोर्ड की सभी बैठकों के लिए, सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ सभी निदेशकों को भेजी गई थी एवं कंपनी के पास बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

बोर्ड की बैठक में सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया एवं बैठक की कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किया गया।

स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक 28.03.2018 को आयोजित हुई।

बोर्ड की सांविधिक समितियाँ

(i) लेखापरीक्षा समिति :

कंपनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य
- श्री एस. के. रॉय, निदेशक (परि. एवं तक.) - सदस्य

निदेशक (वित्त) समिति के स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं।

वित्त वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की आठ (8) बैठकें अर्थात 106वीं. से 113वीं. तक 10.05.2017, 26.05.2017, 21.07.2017, 09.08.2017, 11.11.2017, 25.11.2017, 09.02.2018 एवं 28.03.2018 को आयोजित हुई।

(ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

कंपनी के निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (मानव संसाधन) बैठकों में आमंत्रित व्यक्ति हैं।

वित्त वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक (1) बैठक अर्थात द्वितीय का आयोजन 22.09.2017 को हुआ।

(iii) हितधारक संबंध समिति :

कंपनी के निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- सुश्री अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.) - सदस्य
- निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य - अवधि के दौरान पद रिक्त रहा था

श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा और सुश्री अचला सिन्हा 22.03.2018 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए।

वित्त वर्ष के दौरान, हितधारक संबंध समिति की चार(4) बैठकों अर्थात 10वीं से 13वीं का आयोजन 27.05.2017, 09.08.2017, 11.11.2017 एवं 09.02.2018 को हुआ।

(iv) नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति:

कंपनी के निदेशक मंडल की नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
- श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य
- श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.) - सदस्य

श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा 22.03.2018 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये।

वित्त वर्ष के दौरान, नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति की तीन(3) बैठकों अर्थात 10वीं. से 12वीं. का आयोजन 21.04.2017, 21.07.2017 एवं 10.11.2017 को हुआ।

(v) जोखिम प्रबंधन समिति :

कंपनी के निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
- श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
- श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य
- निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य - अवधि के दौरान पद रिक्त रहा था

वित्त वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की तीन(3) बैठकों अर्थात 7वीं से 9वीं का आयोजन 27.05.2017, 09.08.2017 एवं 25.11.2017 को हुआ।

डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत गठित अन्य समितियाँ :

(i) प्रौद्योगिकी समिति :

कंपनी की प्रौद्योगिकी समिति में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हैं :

1. प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
4. श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य
5. श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परि. एवं तक.) - सदस्य
6. निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य - अवधि के दौरान पद रिक्त रहा था।

वित्त वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी समिति की दो(2) बैठकों अर्थात 29वीं एवं 30वीं का आयोजन 21.07.2017 एवं 25.11.2017 को हुआ।

(ii) मानव संसाधन (मा.सं.) समितिः

कंपनी के मानव संसाधन (मा.सं.) समिति में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हैं :

1. श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
4. श्री के.सी.सामल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
5. श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.) - सदस्य
6. श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परि. एवं तक.) - सदस्य

वित्त वर्ष के दौरान, मानव संसाधन (मा.सं.) समिति की पाँच(5) बैठकों अर्थात 34वीं से 38वीं का आयोजन 21.04.2017, 21.07.2017, 22.09.2017, 10.11.2017 एवं 29.01.2018 को हुआ।

(iii) परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी) :

कंपनी की परियोजनाओं एवं नई उद्यम समिति के लिए सीओडी में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1. डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
4. श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
5. श्री अनिल कुमार नायक, संयुक्त सचिव - सदस्य
6. श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
7. श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) - सदस्य
8. श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.) - सदस्य
9. श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परि. एवं तक.) - सदस्य
10. निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य - अवधि के दौरान पद रिक्त रहा था।

श्री अनिल कुमार नायक निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद 27.03.2018 से समिति के सदस्य बने।

वित्त वर्ष के दौरान, परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की तीन(3) समिति बैठकों अर्थात 15वीं से 17वीं का आयोजन 10.05.2017, 22.09.2017 एवं 11.11.2017 को हुआ।

(iv) नौतिक एवं निगमित अभिशासन समिति :

कंपनी की नैतिक एवं निगमित अभिशासन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1. श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
4. सुश्री अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
5. श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.) - सदस्य
6. श्री एस. के रॉय, निदेशक (परि. एवं तक.) - सदस्य
7. निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य - अवधि के दौरान पद रिक्त रहा था।

सुश्री अचला सिन्हा 22.03.2018 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त की गई।

वित्त वर्ष के दौरान, नैतिक एवं निगमित अभिशासन समिति की एक(1) बैठक अर्थात 9वीं का आयोजन 21.07.2017 को हुआ।

सभी समिति की बैठकों के लिए सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत के टिप्पणियाँ अग्रिम में भेजी गई थी। समिति बैठकों के सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे एवं संबंधित समिति बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किए गए।

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंन्टः

मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) हैं।

हम आगे यह सूचित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों पर निगरानी रखने एवं इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ एवं कार्य-प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

सांविधिक अभिलेखों का रखरखावः

कंपनी अधिनियम, 2013, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के विभिन्न प्रावधानों एवं इन पर बने नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी सांविधिक रजिस्टर, अभिलेख एवं अन्य रजिस्टर कंपनी द्वारा इनमें दी गई सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ समुचित प्रस्तुत एवं अनुरक्षित हैं।

सांविधिक रिटर्न (प्रतिफल) दायर करनाः

कंपनी के रजिस्ट्रार के पास निर्धारित समय-सीमा में अपेक्षित / निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ विभिन्न ई-फॉर्म एवं रिटर्न दायर करने के सिलसिले में अधिनियम के सभी प्रावधान एवं अन्य विधियों का समुचित अनुपालन किया गया था।

विभिन्न विधियों / सूचीयन विनियमों / व्यवसाय नियमों के तहत सभी कागजात / सूचनाएँ नियमित रूप से निर्धारित नियत तिथियों में स्टॉक एक्सचेंज एवं डिपॉजिटरी (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) के पास दर्ज किए गए थे।

निवेशक शिकायतों का निवारणः

शेयर अंतरण, शेयरों के संचरण, अभौतिकीकरण, पुनः भौतिकीकरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने, लाभांश के भुगतान आदि से संबंधित सभी शिकायतों/अभियोगों पर ध्यान दिया गया एवं निर्धारित समय-सीमा में समाधान प्रस्तुत किए गए।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को 709 शिकायतें प्राप्त हुई और उन सभी को निर्धारित समय सीमा के भीतर हल किया गया।

लाभांश का भुगतानः

निदेशक मंडल ने अपनी 305वीं. बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए @ ₹ 4.70 प्रति शेयर अर्थात कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के 94% अंतरिम लाभांश के भुगतान की घोषणा की।

बोर्ड ने @₹ 1 प्रति शेयर अर्थात कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के 20% अंतिम लाभांश की संस्तुति की है जो आगामी 37वीं वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

शेयरधारकों को की गई घोषणा एवं लाभांश भुगतान से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी प्रावधान कंपनी द्वारा पालन किए गए हैं।

आईईपीएफ को अदत्त/दावाहीन लाभांश का अंतरणः

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में निम्नलिखित लाभांश अंतरित किए गए हैं :

वर्ष	अंतरण की तिथि	राशि (₹)
2009-10 (अंतरिम)	22.04.2017	387504/-
2009-10 (अंतिम)	04.11.2017	297980/-
2010-11 (अंतरिम)	08.03.2018	537968/-

आईईपीएफ में शेयरों का अंतरण :

आईईपीएफ नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के अनुसार, कंपनी द्वारा उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित करने की आवश्यकता पड़ेगी जिसके विषय में लाभांश का 7(सात) लगातार वर्षों या अधिक समय के लिए भुगतान नहीं किया गया है ।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने व्यक्तिगत रूप से सूचना भेजते हुए एवं समाचार पत्रों में विज्ञापित कराते हुए शेयरधारकों को सूचित किया था जिन्होंने सात लगातार वर्षों या अधिक समय के लिए अपने लाभांश पर दावा नहीं किया था/नकदीकरण नहीं किया था। इसके बाद, कंपनी ने निम्नलिखित अवधि से संबंधित भुगतान नहीं किए गए लाभांश एवं तदनुरूपी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किया गया थाः

विवरण	लाभांश (₹)	शेयरों की सं.	अंतरण की तिथि
वित्त वर्ष 2009-10 के लिए अंतिम लाभांश	2,97,980/-	1,48,267	18.12.2017
वित्त वर्ष 2010-11 के लिए अंतरिम लाभांश	5,37,968/-	1,012	08.03.2018

हम आगे यह सूचित करते हैं कि ;

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियाँ घटीं जिनका कंपनी के मामलों पर वृहद प्रभाव पड़ा है :

1) भारत सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज कार्यप्रणाली पर ओएफएस के माध्यम से क्रमशः 19.04.2017 एवं 20.04.2017 को 14,24,55,941 इक्विटी शेयर गैर-खुदरा निवेशकों एवं 3,56,13,986 इक्विटी शेयर खुदरा निवेशकों को निपटाया। ओएफएस के उपरांत, भारत सरकार की शेयरधारिता घट कर 65.36% हो गई।

2) इसके अलावा, भारत सरकार ने 16.11.2017 और 21.11.2017 के बीच दो वित्तांशों में 9,20,78,399 इक्विटी शेयर भारत-22 ईटीएफ स्कीम में अंतरित किया। भारत सरकार ने ओएफएस के अंश के तौर पर, 21.11.2017 को कंपनी के पात्र एवं इच्छुक कर्मचारियों के पक्ष में भी 76, 17, 057 इक्विटी शेयर अंतरित किया जो अप्रैल, 2017 में हुआ था।

समीक्षाधीन वर्ष के अंत में, भारत सरकार के पास 1,163,717,107 इक्विटी शेयर है जो कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी का 60.20% है।

हम आगे यह सूचित करते हैं कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए कागजातों एवं स्पष्टीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रिया लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों पर निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के विद्यमान आकार एवं प्रचालन के अनुरूप हैं।

कृते सरोज राय एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस सरोज कुमार राय, एफसीएस
वरिष्ठ साझेदार
सीपी: 3770, एफसीएस: 5098

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28.05.2018

(इस रिपोर्ट को समदिनांकित हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है एवं इस रिपोर्ट का अभिन्न अंश माना जाएगा)

अनुलग्नक क

सेवा में
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्डों का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर मत प्रकाश करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने उन्हीं लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तुओं की सटीकता के बारे में सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। परीक्षण आधार पर जाँच की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रदर्शित हैं। हमें विश्वास है कि कम्पनी द्वारा अनुपालित पद्धतियाँ और कार्य-प्रक्रियाएँ हमारे मत के लिए यथोचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।
4. जहाँ भी अपेक्षित हो, हमने विधियों, नियमों, विनियमों और घटित घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभिवेदन प्राप्त किया है।
5. निगम के प्रावधानों एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर कार्य-प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते सरोज राय एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस सरोज कुमार राय, एफसीएस
वरिष्ठ साझेदार
सीपी: 3770, एफसीएस: 5098

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28.05.2018

सचिवीय लेखापरीक्षक की मान्य टिप्पणियों पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट में अधिसूचित मान्य टिप्पणियाँ और प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण नीचे सारणीबद्ध है :

क्रम सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की मान्य टिप्पणियाँ	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
01.	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कंपनी में 5 (पाँच) कार्यपालक निदेशक, 2(दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं 6(छह) स्वतंत्र निदेशक थे। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2018 को 5(पाँच) कार्यपालक निदेशक, 2(दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं 8(आठ) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक थे। वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड का गठन सूचीयन विनियम के विनियम 17(1)(ख) एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं था।	कंपनी की संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति निदेशकों के नियुक्तिकारी प्राधिकारी हैं। वित्त वर्ष के प्रारंभ में गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुपालन में था, परन्तु 05.09.2017 तक सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के अनुपालन में नहीं था। कंपनी के बोर्ड में क्रमशः 06.09.2017 एवं 08.09.2017 से प्रभावी दो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए थे। इसी अनुसार, बोर्ड का गठन 06.09.2017 से सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के अनुपालन में नहीं था।

कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

हस्ता/-

(डॉ. टी. के. चान्द)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के प्रति

स्वचलित वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न स्वचलित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य विशद आय समेत), नकद प्रवाह विवरण, इक्विटी परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) ("अधिनियम") में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत, इसके उपरांत जारी संबंधित नियमों के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य विशद आय सहित वित्तीय निष्पादन, नकद प्रवाह तथा इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन शामिल है जो कंपनी की संपत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग के लिए; तर्क एवं आकलन देने, जो यथासंगत एवं विवेकपूर्ण हैं; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं एवं भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षण मानकों और विषयवस्तुओं का ध्यान रखा है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें एवं उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना करें एवं निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण गलत बयानबाजी से मुक्त है।

लेखापरीक्षा में राशियों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने एवं वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिमों का आकलन शामिल है चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो। उन जोखिम आकलनों को तैयार करते समय, लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को निरूपित करने के सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन आकलन के औचित्य और साथ ही वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा पर राय देने के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत उक्त स्वचलित वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षानुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की समरूपता में, 31 मार्च, 2018 की स्थिति को कंपनी के मामलों की यथा स्थिति एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य विशद आय सहित इसके लाभ, इसके नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अन्य कानूनी एवं नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षानुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" में एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के अनुदेशों के अनुपालन में, हम वहाँ विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" में एक विवरण देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क. हमने वो सभी जानकारी और व्याख्या मांगी है एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

ख. हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार कंपनी द्वारा यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।

ग. इस रिपोर्ट से सम्बंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण एवं इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों के सुसंगत हैं।

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133एवं इसके अंतर्गत बने संबंधित नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

ङ. निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के सूचनार्थ अनुलग्नक "ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिकः

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –स्वचलित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 25 देखें, वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव निर्धारणयोग्य नहीं है, क्योंकि विषयवस्तु विचाराधीन है।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ नहीं हैं, जिसके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थी।

iii. निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा कोई राशि अंतरित किए जाने में कोई देर नहीं हुईः है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए बी.के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए राजेन्द्र पात्र)
साझेदार
सदस्यता सं. 019423

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26.05.2018

अनुलग्नक - क

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 के संदर्भ में)

i) (क) अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरण एवं अचल परिसंपत्तियों की स्थिति समेत कंपनी संपूर्ण विवरण दर्शाने वाले समुचित रिकॉर्डों का रखरखाव कर रही है;

(ख) प्रबंधन द्वारा हर वर्ष कम्पनी की सभी चल परिसंपत्तियों की भौतिक रूप से जाँच की जाती है। हमारी राय में सत्यापन की संख्या सुसंगत है। वर्ष के दौरान संचालित ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक या महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गई थीं;

प्रबंधन द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया जाता है, जो कि हमारी राय में, कंपनी के आकार एवं परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार यथोचित हैं।

बहियों में दर्ज रिकॉर्ड एवं भौतिक परिसंपत्तियों के बीच कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं पायी गई हैं;

(ग) हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार एवं कम्पनी के रिकॉर्डों की हमारी जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों का अधिकार पत्र कंपनी के नाम में है। कम्पनी द्वारा धारित 8022.63 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली भूमि एवं 9878.52 एकड़ की पट्टाधारी भूमि में से, क्रमशः 66.92 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली एवं 2244.55 एकड़ की पट्टे वाली भूमि के विषय में अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी को उक्त भूमि पर अपने कार्य-प्रचालन के लिए अनुमति दी गई है। कोलकाता में 6459 वर्गफीट के लिए कार्यालय स्थल के विषय में पंजीकरण औपचारिकताएँ भी पूरी नहीं हुई हैं।

ii) विस्तार परियोजना से संबंधित स्टॉक, तीसरे पक्ष के पास पड़े हुए स्टॉक एवं मार्गस्थ स्टॉक के सिवाय सभी मालसूचियों का इस प्रयोजन हेतु वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियुक्त सनदी लेखापाल के फर्मों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन की संख्या सुसंगत है। भौतिक स्टॉक एवं बही रिकॉर्ड के बीच भौतिक सत्यापन पर पायी गई विसंगतियों में कमी को लेखा बहियों में यथोचित निपटाया गया है जबकि अधिशेष पर ध्यान नहीं दिया गया है;

iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii)(क), (ख) एवं (ग) लागू नहीं है;

iv) निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों को ऋण के विषय में अधिनियम की धारा 185 कंपनी पर लागू नहीं है। हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने दिए गए ऋण एवं निवेश के विषय में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

v) कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vi) विनिर्माणी कार्यकलापों के विषय में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी द्वारा रखी गई बहियों एवं रिकॉर्ड की हमने विस्तृत समीक्षा की है एवं राय व्यक्त करते हैं कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लेखा एवं रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं एवं रखे गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि क्या ये सटीक एवं संपूर्ण हैं।

vii) (क) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हमारी राय में कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), उप कर, विद्युत शुल्क एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारियों के पास आमतौर पर जमा करती है एवं 31 मार्च, 2018 को देय तिथि से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या के अनुसार, निम्नलिखित सांविधिक देयताओं को विवादित होने के कारण कम्पनी द्वारा जमा नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

संविधि का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि	जमा की गई राशि	फोरम जहाँ विषयवस्तु लम्बित है
बिक्री कर	बिक्री कर	122.80	24.20	आयुक्त
		162.23	55.52	अधिकरण
		81.13	4.02	उच्च न्यायालय
		366.16	**83.75**	

(₹ करोड़ में)

संविधि का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि	जमा की गई राशि	फोरम जहाँ विषयवस्तु लम्बित है
प्रवेश कर	प्रवेश कर	36.05	8.17	आयुक्त
		133.02	55.55	अधिकरण
		60.55	9.38	उच्च न्यायालय
		229.62	73.11	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	2.96	0.11	आयुक्त
		96.94	0.57	अधिकरण
		0.79	0.59	उच्च न्यायालय
		100.69	1.27	
सेवा कर	सेवा कर	2.91	1.84	आयुक्त
		15.17	1.13	अधिकरण
		18.08	2.97	
सीमा कर अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	1.44	0.18	आयुक्त
		101.33	1.66	अधिकरण
		102.77	1.84	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	81.70	229.39	आयुक्त
		592.78	315.61	अधिकरण
		31.92	52.14	उच्च न्यायालय
		706.40	597.14	
ओड़िशा स्टाम्प अधिनियम	स्टाम्प शुल्क	204.53	0.00	उच्च न्यायालय
सड़क कर	सड़क कर	2.65	0.00	आयुक्त
		2.65	0.00	
	कुल:	1,730.89	760.08	

viii) बैंकों के साथ बिल छूट करार के अलावा, कंपनी का किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या ऋणपत्रधारकों से कोई ऋण या उधार बकाया नहीं है। कम्पनी ने बिल छूट सुविधा के तहत प्राप्त ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया नहीं रखा है।

ix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक जन प्रस्ताव या आगे जन प्रस्ताव (ऋणपत्रों समेत) कोई राशि एवं मियादी ऋण नहीं लिया है।

x) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के प्रति धोखाधड़ी नहीं की गई है या रिपोर्ट की गई है।

xi) निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विषय में अधिनियम की धारा 197 कम्पनी पर लागू नहीं है।

xii) हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है।

xiii) हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, संबंधित पक्ष के लेनदेन जहाँ भी प्रयोज्य है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं एवं प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अपेक्षानुसार ऐसे लेनदेनों का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्रों (डिबेंचर) का अधिमान्य आबंटन या गैर-सरकारी व्यवस्थापन नहीं किया है।

xv) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने किसी निदेशक या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए बी.के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए राजेन्द्र पात्र)
साझेदार
सदस्यता सं. 019423

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26.05.2018

अनुलग्नक "ख"

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 के संदर्भ में)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत निर्देशों पर रिपोर्ट

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कम्पनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व वाली एवं पट्टे पर ली गई जमीन का स्पष्ट अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध है, जहाँ कहीं भी अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन किया गया है। 8022.63 एकड़ की पूर्ण स्वामित्व वाली एवं 9878.52 एकड़ की पट्टा युक्त जमीन है, जिनमें से 66.92 एकड़ की पूर्ण स्वामित्व वाली एवं 2244.55 एकड़ की पट्टे वाली जमीन के सिलसिले में अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, कम्पनी को उक्त जमीन पर सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा कार्य-प्रचालन जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है।
2. अग्रिम, देनदारों, दावों को बट्टे खाते डालने के 7 मामले हैं, जिनकी राशि नीचे विवरण अनुसार ₹ 31.98 लाख है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बट्टे खाते में डालने का कारण है कि ये लम्बे समय से पड़े हुए गैर-समायोजित/गैर वसूलीकृत पुरानी शेष राशि हैं, एवं समय-बाधित हो चुकी हैं और वसूली/समायोजन की संभावना क्षीण है।

बट्टेखाते/अधित्याग का प्रकार	मामले की सं.	राशि लाख ₹ में
अग्रिम	1	0.22
दावे	6	31.76
योग	7	**31.98**

3. (क) तीसरे पक्ष के साथ पड़ी हुई मालसूचियों के लिए यथोचित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

   (ख) कम्पनी ने वर्ष के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए बी.के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए राजेन्द्र पात्र)
साझेदार
सदस्यता सं. 019423

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26.05.2018

अनुलग्नक "ग"

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 18 की स्थिति को नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के स्वचलित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") एवं लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर प्रयोज्य है एवं दोनों ही भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित हैं एवं कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वसान प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाले मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणओं के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कम्पनी के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त, आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2018 को यथा, प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए बी.के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए राजेन्द्र पात्र)
साझेदार
सदस्यता सं. 019423

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26.05.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकगण अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 26 मई, 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा
लेखापरीक्षक और उनकी ओर से

(सुपर्ण देव)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड – I
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 जून, 2018

तुलन पत्र 31 मार्च, 2018 को यथा

राषि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणियाँ	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
परिसंपत्तियाँ			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5	7,019.38	7,018.63
(ख) पूँजी कार्य-प्रगति में	6	825.83	514.65
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	120.08	125.80
(घ) विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	89.39	51.35
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	117.61	39.55
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	-	-
(iii) ऋण	11	74.96	80.60
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	13.14	10.77
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	739.51	1,004.51
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**8,999.90**	**8,845.86**
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) मालसूची	15	1,194.08	1,155.93
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	592.96	1,221.13
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	258.13	184.25
(iii) नकद और नकद समतुल्य	16	25.35	24.83
(iv) ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	16	2,743.60	2,262.40
(v) ऋण	11	29.29	36.70
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	152.55	156.49
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	32.13	34.12
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	585.81	579.94
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**5,613.90**	**5,655.79**
कुल परिसंपत्तियाँ		**14,613.80**	**14,501.65**
इक्विटी एवं देनदारियाँ			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	966.46	966.46
(ख) अन्य इक्विटी	18	9,538.35	9,239.33
कुल इक्विटी		**10,504.81**	**10,205.79**
देनदारियाँ			
(2) गैर-चालू देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) व्यापारिक देय	20	15.63	19.61
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	2.85	2.36
(ख) प्रावधान	22	436.09	328.11
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	23	1,151.45	1,245.58
(घ) अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	24	62.04	48.27
कुल गैर-चालू देनदारियाँ		**1,668.06**	**1,643.93**
(3) चालू देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधारी	19	44.99	51.09
(ii) व्यापारिक देय	20	961.74	844.46
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	512.87	469.10
(ख) अन्य चालू देनदारियाँ	24	545.45	1,170.21
(ग) प्रावधान	22	375.88	117.07
कुल चालू देनदारियाँ		**2,440.93**	**2,651.93**
कुल देनदारियाँ		**4,108.99**	**4,295.86**
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ		**14,613.80**	**14,501.65**

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-39) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस. एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ. टी के चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए बी के सरावगी)
साझेदार (एम. नं. :054894)

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए. राजेन्द्र पात्र)
साझेदार (एम. नं.:019423)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26 मई, 2018

लाभ और हानि का विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

		टिप्पणियाँ	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालन से राजस्व	27	9,618.31	8,050.02
II	अन्य आय	28	299.65	408.27
III	**कुल आय (I + II)**		**9,917.96**	**8,458.29**
IV	**व्यय**			
	(क) खपत हुए कच्चे माल की लागत	29	1,465.31	1,181.79
	(ख) कुल खपत हुए विद्युत एवं ईंधन	29	2,747.92	2,212.53
	(ग) तैयार माल की मालसूची एवं चालू कार्य में परिवर्तन	30	47.43	(96.59)
	(घ) कर्मचारी परिलाभ व्यय	31	2,261.20	1,537.44
	(ङ) वित्त लागत		1.95	2.69
	(च) मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	5 & 7	480.40	480.36
	(छ) उत्पाद शुल्क		108.86	506.98
	(ज) अन्य व्यय	32	1,590.14	1,628.22
	कुल व्यय (IV)		**8,703.21**	**7,453.42**
V	**विशिष्ट मदों और कर-पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)**		**1,214.75**	**1,004.87**
VI	विशिष्ट मद	33	**(824.08)**	**40.15**
VII	**कर-पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)**		**2,038.83**	**964.72**
VIII	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर	34	793.18	219.52
	(2) आस्थगित कर	34	(96.76)	76.67
IX	**इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)**		**1,342.41**	**668.53**
X	**अन्य विशद आय**			
	(i) लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मद			
	- परिभाषित परिलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)		52.66	13.88
	(ii) लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदों से संबंधित आयकर	34	2.63	4.80
	इस अवधि के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध) (X)		**50.03**	**9.08**
XI	**इस अवधि के लिए कुल विशद आय (IX+X) (लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य विशद आय को समाविष्ट करके)**		**1,392.44**	**677.61**
XII	**प्रति इक्विटी शेयर आय**			
	(1) मूल (₹ में)	36	6.94	2.98
	(2) मंदित (₹ में)	36	6.94	2.98

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-39) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस. एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ. टी के चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए बी के सरावगी)
साझेदार (एम. नं. :054894)

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए. राजेन्द्र पात्र)
साझेदार (एम. नं.:019423)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26 मई, 2018

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

क. इक्विटी शेयर पूँजी

31.03.2016 को यथा शेष	**1,288.62**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद	(322.16)
31.03.2017 को यथा शेष	**966.46**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	—
31.03.2018 को यथा शेष	**966.46**

ख. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

	आरक्षित एवं अधिशेष			
अन्य इक्विटी	**पूंजी मोचन आरक्षित**	**सामान्य आरक्षित**	**प्रतिधारित आय**	**कुल**
31.03.2016 को यथा शेष	—	**11,461.10**	**445.03**	**11,906.13**
वर्ष के लिए लाभ	—	—	668.53	668.53
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	9.08	9.08
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**677.61**	**677.61**
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर प्रीमियम		(2,512.81)	—	(2,512.81)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर व्यय		(5.72)	—	(5.72)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	322.16	(322.16)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(144.97)	(144.97)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(29.51)	(29.51)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(541.22)	(541.22)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(110.18)	(110.18)
31.03.2017 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.41**	**296.76**	**9,239.33**
वर्ष के लिए लाभ	—	—	1,342.41	1,342.41
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	50.03	50.03
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**1,392.44**	**1,392.44**
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(908.48)	(908.48)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(184.94)	(184.94)
31.03.2018 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.41**	**595.78**	**9,538.35**

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस. एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ. टी के चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए बी के सरावगी)
साझेदार (एम. नं. :054894)

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए. राजेन्द्र पात्र)
साझेदार (एम. नं.:019423)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26 मई, 2018

नगदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	अवधि के लिए लाभ	**1,342.41**	**668.53**
	निम्न के लिए समायोजन:		
	लाभ या हानि में मान्य आय कर व्यय	696.42	296.19
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	1.95	2.69
	लाभ या हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(184.79)	(292.64)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(33.65)	(8.78)
	चालू निवेशों की बिक्री से शुद्ध (लाभ)/हानि	(13.91)	-
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	(0.44)	(0.10)
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर	(2.96)	(77.81)
	अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ) / हानि		
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	13.43	56.93
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	15.98	27.96
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	480.40	480.36
	शुद्ध विदेशी मुद्रा (लाभ/हानि)	2.55	7.90
	कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**2,317.39**	**1,161.23**
	कार्यकारी पूँजी में संचलन:		
	माल-भंडार में (वृद्धि)/कमी	(54.62)	(129.56)
	व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(73.88)	50.96
	ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	14.62	17.75
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(23.02)	(49.52)
	व्यापारिक देय में (वृद्धि)/कमी	110.75	200.31
	अन्य वित्तीय देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	6.25	21.25
	अन्य देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	(766.01)	315.21
	प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	417.56	66.74
	प्रचालनों से सृजित (में प्रयुक्त) नगदी	**1,949.04**	**1,654.37**
	भुगतान किया गया आय कर	**(482.49)**	**(218.43)**
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**1,466.55**	**1,435.94**
ख.	**निवेशन गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(420.00)	(184.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	1,065.03	49.96
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(78.05)	(38.47)
	बैंक के पास सावधि जमा में निवेश	(326.27)	2,183.02
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	33.65	8.78
	बैंकों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	184.79	292.64
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(790.78)	(757.98)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	11.82	16.53
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(46.57)	(20.14)
	निवेशन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(366.38)**	**1,550.34**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	-	(2,834.97)
	शेयर वापस-क्रय लागत के लिए भुगतान	-	(5.72)
	अल्पावधि उधारी से आमदनी	(6.10)	51.09
	भुगतान की गई वित्तपोषण लागत	(0.13)	(0.39)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(908.48)	(686.19)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर	(184.94)	(139.69)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(1,099.65)**	**(3,615.87)**
	नगद या नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि या(कमी)	**0.52**	**(629.59)**
	वर्ष के आरम्भ में नगद और नगद समतुल्य	**24.83**	**654.42**
	वर्ष के अन्त में नगद और नगद समतुल्य [टिप्पणी सं. 16.क देखें]	**25.35**	**24.83**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े नगदी बहिर्प्रवाह/आय हैं, जैसा कि मामला हो।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस. एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ. टी के चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए बी के सरावगी)
साझेदार (एम. नं. :054894)

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए. राजेन्द्र पात्र)
साझेदार (एम. नं.:019423)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26 मई, 2018

टिप्पणी सं. 1 निगम पृष्ठभूमि

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (के.सा.क्षे.उ.) है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हुई है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। यह कंपनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। कंपनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र और ओड़िशा के अनुगुल में 4.60 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत तापज विद्युत संयंत्र है। साथ ही, कंपनी के अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित हैं जो आन्ध्रप्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (जैसलमेर और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित है।

कंपनी ने एक सहयोगी एवं दो संयुक्त उद्यम कंपनियों में भी रणनीतिक निवेश किया है।

टिप्पणी सं. 2. अनुपालन का विवरण

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 (संशोधित अनुसार) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों और जो कंपनी पर वर्ष के लिए लागू एवं प्रासंगिक हैं, को कंपनी के स्वचलित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय बिना किसी अपवाद के विवेचित किया गया है एवं अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी सं. 3. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

3.1 तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़ कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोग

ये वित्तीय विवरण इंड एएस के मान्य और मापन सिद्धांतों की संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं, जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, के प्रयोग से तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अन्तर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में, यदि कोई संशोधन है, तो उनका संशोधन के वर्ष में लेखाकरण किया गया है।

आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत जो परिसंपत्तियोँ और देनदारियों की मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित है।

3.3 सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक की वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन इन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार है। संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तक ही मौजूद रहती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है।

सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश को इंड एएस 109 - वित्तीय साधनों के अनुसार लागत में मापा जाता है।

संयुक्त उद्यमों के खातों में जहाँ भी नकारात्मक रिजर्व के संकेत हो, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश हानि के अधीन होता है। हालांकि, ऐसी हानि निवेश के मूल्य तक ही सीमित है।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हेतु लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.4.1 आरंभिक मापन

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, उधारी लागत, यदि कोई हो, संपत्ति को अपने स्थान पर वापस लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए किया हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और किसी भी परिसंपत्ति के पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमानों या अनिवार्य रूप से बंद करने और विखण्डन लागत शामिल है।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूँजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आबंटन एवं सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पूर्जे, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए धारित हैं एवं एक से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए अपेक्षित हैं, के संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हों, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹ 1 लाख से अधिक प्रति एकक मूल्य के हों, वे भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.4.2 परवर्ती व्यय

परिसंपत्तियों के पुर्जों को बदलने की लागत एवं संपूर्ण जाँच-मरम्मत लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संदर्भ हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान कंपनी को उपलब्ध होंगे, का पूँजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों की धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.4.3 पूँजी कार्य-प्रगति में

निर्माण चरण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों को प्रगति में पूँजीगत कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यताप्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूँजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं।

निवेश के निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पूँजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूँजीकरण किया जाता है।

3.4.4 मूल्यह्रास और ऋणशोधन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उनके उपयोगी जीवनकाल के आधार पर एक सीधी रेखा के तहत प्रदान किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II या जहाँ भी आवश्यक विवेचित हो, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है। यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के घटन से अलग होता है। कंपनी ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹ 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जो कि इसकी निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है एवं परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई है, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित हैं :

(क) बॉक्साइट खान में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण खान की पट्टा अवधि तक है।

(ख) ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) वाष्प विद्युत संयंत्र (वा.वि.सं.) को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक के तालाब एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन अवधि-वार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है।

जो भूमि कंपनी के स्वामित्व की नहीं है, उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षानुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लम्बे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहरास किया जाता है जिसमें उसका इस्तेमाल करना है।

ऊपर उल्लिखित के अलावा, अन्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रम सं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	वर्षों में उपयोगी जीवनकाल की सीमा
1	भवन	30 - 60
2	संयंत्र और मशीनरी	15 - 40
3	वाहन	08 - 10
4	फर्नीचर और जोड़नार	08 - 10
5	कम्प्यूटर उपकरण	06

3.4.5 परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की उसके निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द होने पर होने वाले किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.6 पुर्जे अलग करने की लागत:

सतह खनन में पुर्जे अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे अयस्क तक महत्वपूर्ण उन्नत पहुँच का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि पुर्जे अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़ी, पुर्जे अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई पुर्जे अलग करने की लागत को "पुर्जे अलग करने की लागत परिसंपत्ति" में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के पुर्जे अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित पुर्जे अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

पुर्जे अलग करने की गतिविधि की संपत्ति का बाद में, पुर्जे अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.5.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.5.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान और विकास व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माना गया पूँजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, "इंड ए.एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों।

3.5.3 खनन अधिकार

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित उच्चतम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.5.4 खान विकास व्यय

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात, भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम नहीं हो।

3.5.5 उपयोगकर्ता अधिकार:

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.5.6 सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस, ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत हुए हैं।

3.5.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइज

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है।

3.5.8 अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं हो। निपटान/गैर-मान्यता के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि को, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5.9 ऋणशोधन

अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं एवं उक्त अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च को आरक्षित की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता हैं।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में परिशोधित होता है।

3.6 मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और और उपयोग-में-मूल्य) का

अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की वसूली योग्य अनुमानित राशि वहन राशि से कम कम होती है, तो सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 कार्यात्मक और विदेशी मुद्राएँ

वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात् भारतीय रुपये जिसमें कंपनी का संचालन होता है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं, को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर, को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.8 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.8.1 प्रावधान

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाह का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है।

3.8.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वास और डीकमिशनिंग

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। कंपनी ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और निधि देनदारी को मान्यता दी है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूँजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल भर में मूल्यह्रास और रियायती दायित्व को खोलने के माध्यम से और लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमान या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.8.3 पर्यावरणीय देनदारियाँ

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होती है।

3.8.4 कानूनी दायित्व

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.8.5 प्रासंगिक देनदारियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि हो, जो से पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हों या वर्तमान दायित्व परंतु भुगतान संभाव्य नहीं है या राशि विश्वसनीय रूप से नहीं मापी जा सकती है। प्रासंगिक देनदारियाँ वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

3.8.6 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई हैं, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.9 पट्टे

किसी पट्टे के आरम्भ के समय, पट्टा-व्यवस्था की विषय-वस्तु के आधार पर पट्टे की व्यवस्था या तो वित्त पट्टा या ऑपरेटिंग पट्टा के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

3.9.1 वित्त लीज पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्तीय पट्टे वे हैं जो पट्टेदार को परिसंपत्तियों के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कार को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करते हैं।

वित्त पट्टों को पट्टा के प्रारंभ में, संपत्ति के उचित मूल्य के निचले हिस्से में या न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य में पूँजीकृत किया जाता है। पट्टादाता के लिए, अनुरूपी कम वाली देयता को वित्तीय पट्टा दायित्व के रूप में तुलन-पत्र में शामिल किया गया है।

पट्टे के भुगतान को वित्त प्रभार और पट्टे के दायित्व में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष अंश पर ब्याज की निरंतर दर उपलब्ध हो सके। वित्त प्रभार सीधे पट्टे की अवधि के दौरान आय के विरुद्ध प्रभारित किए जाते हैं।

3.9.2 परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्त पट्टों के अलावा अन्य पट्टे, प्रचालन पट्टे होते हैं और उन पट्टा परिसंपत्तियों को कंपनी के तुलन-पत्र में मान्यता नहीं दी गई है। प्रचालन पट्टों के तहत किए जाने वाले अपफ्रंट पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि पर विभाजित किया जाता है एवं लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। परिचालन पट्टों पर ली गई संपत्ति / सुविधाओं के लिए किराया और रखरखाव प्रभार का भुगतान उस अवधि में राजस्व के लिए लिया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

3.10 माल-भंडार

कोयला और ईंधन तेल जैसी थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट की लागत नेट में कम मूल्य पर एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट के लागत-नेट में मूल्यांकन किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, प्लांट और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकन किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत या उससे अधिक पर बिक्री होने की आशा हो।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित इनकी लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का मालभंडार, शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.11 व्यापारिक प्राप्य

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशि हैं। यदि बकाया रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर भुगतान के लिए नियत है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.12 वित्तीय उपस्करण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनती है। व्यापारिक प्राप्य एवं देय को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं(लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क. नकद या नकद समतुल्य:

कंपनी सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि को नकद और नकद समकक्ष मानती है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक बैलेंस के रूप में माना जाता है।

ख. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक होते हैं, वो तदुपरांत परिशोधित लागत पर किए गए माप के अनुसार वर्गीकृत होती हैं एवं इसी अनुसार प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह में वृद्धि लाती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

ग. अन्य विशद आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य विशद आय के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक कारोबारी मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना है एवं इन वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे अन्य विशद आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.12.2 वित्तीय देनदारियाँ

व्यापारिक देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसमें संविदा में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्यपरक समायोजन संलग्न न किया जाए।

व्यापारिक देय सहित वित्तीय देनदारियाँ जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक संलग्न है, को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर तदुपरांत मापा जाता है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की केवल तब मान्यता रद्द होती है, जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह में अनुबंधित अधिकार समाप्त होते हैं या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित होते हैं।

3.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है या नहीं।

यदि एक वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.12.5 वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करना

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द होती है जब और केवल जब दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

नकदीकृत क्षतियों के लिए बहाली के मामले में, ठेका अंतिम रूप से तय कर लिए जाने/समाप्त होने पर, यदि नकदीकृत क्षति आरोप्य है, तो बहाल की गई राशि वापस ली जाती है एवं पूँजी संविदाओं को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ नकदीकृत क्षति सीधे परिसंपत्ति के मूल्य में बढ़ती/वृद्धि में आरोप्य है। ऐसे मामले में, बहाल की गई राशि परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

3.12.6 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यताप्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है एवं शुद्ध आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यापार के सामान्य क्रम में अवश्य लागू होना चाहिए।

3.13 संजात

संजात साधन यथा-आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.14 उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उन संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

3.15 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अनुदान प्राप्त हो पाएगा।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक स्थिति यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

आय से जुड़े सरकारी अनुदान उन समयावधि पर लागत के साथ मिलान करने के लिए क्रमबद्ध आधार पर होते हैं, जिसके लिए वे आय के रूप में स्वीकृत क्षतिपूर्ति हेतु अभीष्ट हैं।

3.16 कर्मचारी लाभ

3.16.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभों के लिए एक दायित्व या देनदारी मान्य है जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट-रहित भुगतानयोग्य लाभ की राशि पर किया जाता है।

3.16.2 नियुक्ति-पश्चात् और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

3.16.3 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित योगदान में अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ एक व्यय के रूप में मान्य होती हैं, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.16.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती है। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज छोड़कर व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा घटा हुआ होता है।

3.16.5 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य में मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग की गई एक ही लेखांकन पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत, रोजगार

की अवधि में उपार्जित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.17 राजस्व मान्यता

प्राप्त होने वाले या प्राप्ति के उचित मूल्य पर राजस्व को मापा जाता है। अनुमानित छूट और अन्य तत्समान भत्ते से राजस्व कम हो गया है।

3.17.1 माल की बिक्री

जब सभी निम्नलिखित मानदंड संतुष्टि से पूरे हों तभी कंपनी राजस्व मान्य करती है:

(क) ग्राहक को स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) आमतौर पर स्वामित्व से जुड़े सामानों के साथ कोई भी जारी प्रबंधन शामिल नहीं किया जाता है, और बेचे जाने वाले सामानों पर प्रभावी नियंत्रण भी नहीं रखा गया है;

(ग) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(घ) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के पास प्रवाहित होंगे;

3.17.2 ऊर्जा की बिक्री

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जिसमें परिशोधक को व्हीलिंग करने को छोड़कर, लेकिन उचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कीमत पर अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन भी शामिल है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर

(क) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के पास प्रवाहित होंगे;

(ग) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.17.3 लाभांश और ब्याज से आय

3.17.3.1 लाभांश

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

3.17.3.2 ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, ब्याज आय समय के आधार पर अर्जित किया जाता है।

3.17.4 सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आय

प्रभार वापस लेने की प्रकृति में सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन और निर्यात पर भारतीय पण्य निर्यात योजना (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन में संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.18 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की योग राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.18.1 वर्तमान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.18.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर-व्यय या आय वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर-संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजन किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.19 असाधारण मद

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरूरी है।

3.20 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकद प्रवाह के विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.21 महत्वपूर्ण भूल/चूक का पुनःविवरण

भूलों और चूकों को इस अभिप्राय में लिया जाता है कि यदि पूर्वावधि आय/व्यय का कुल प्रभाव 50 करोड़ ₹ से अधिक हो गया है तो परिसंपत्तियों और देनदारियों एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्व्यक्त किया जाए।

टिप्पणी सं.4. महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं,जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय:

निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय है, उन अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है: प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और कंपनी के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.2 अनिश्चितता के आकलन के मुख्य स्रोत:

भविष्य के बारे में निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है:

4.2.1 क्षति

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों, पुनर्वास व संचालन की लागत और पूंजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात् लाभ के लिए देनदारी

नियक्ति पश्चात् लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की देनदारी, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होती है, जो कि यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ:

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज, शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिक के जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान हैं। कंपनी अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करती है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया:

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उचित मूल्य माप के लिए अपने स्वरूप में पूरी तरह उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व समझकर एवं इनपुट के विचारयोग्य आकलन की डिग्री पर आधारित होते हैं, निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में भाव बोली के मूल्य (असंजित) हैं, जिन तक माप की तारीख पर कंपनी की पहुँच हो सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियां वे इनपुट हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल बोली लगाई गई कीमतों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; तथा;
- स्तर 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं की जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

5. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
निम्न की राशि को लेकर :		
पूर्ण स्वामित्व की भूमि	84.33	84.33
भवन	591.68	564.63
संयंत्र और उपकरण	6,245.74	6,300.69
फर्नीचर और जोड़नार	8.91	7.65
कार्यालय उपकरण	23.64	7.32
वाहन	13.06	8.93
रेलवे साइडिंग	52.02	45.08
	7,019.38	**7,018.63**

	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और जोड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
लागत या मानी हुई लागत								
31.03.2016 को यथा शेष	**71.33**	**597.24**	**6,113.86**	**9.47**	**11.45**	**12.73**	**53.68**	**6,869.76**
जोड़	13.03	41.27	982.44	2.62	4.18	1.81	—	1,045.35
निपटान	(0.03)	—	(17.38)	(0.06)	(0.12)	(0.10)	—	(17.69)
31.03.2017 को यथा शेष	**84.33**	**638.51**	**7,078.92**	**12.03**	**15.51**	**14.44**	**53.68**	**7,897.42**
जोड़	—	63.78	372.57	3.97	20.54	6.75	10.67	478.28
निपटान	—	(0.03)	(33.06)	—	(0.04)	(0.03)	—	(33.16)
31.3.2018 को यथा शेष	**84.33**	**702.26**	**7,418.43**	**16.00**	**36.01**	**21.16**	**64.35**	**8,342.54**
संचित मूल्यह्रास और क्षति								
31.03.2016 को यथा शेष	—	**36.76**	**361.91**	**2.04**	**4.48**	**2.97**	**4.53**	**412.69**
मूल्यह्रास व्यय	—	37.12	417.45	2.38	3.79	2.55	4.07	467.36
निपटान	—	—	(1.13)	(0.04)	(0.08)	(0.01)	—	(1.26)
31.03.2017 को यथा शेष	—	**73.88**	**778.23**	**4.38**	**8.19**	**5.51**	**8.60**	**878.79**
मूल्यह्रास व्यय		36.73	416.18	2.71	4.21	2.59	3.73	466.15
निपटान		(0.03)	(21.72)	—	(0.03)	—	—	(21.78)
31.03.2018 को यथा शेष	—	**110.58**	**1,172.69**	**7.09**	**12.37**	**8.10**	**12.33**	**1,323.16**

टिप्पणियाँ :

5.1. 66.92 एकड़ भूमि को छोड़कर ओड़िशा सरकार के माध्यम से अधिग्रहीत पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के स्वत्वाधिकार विलेख कार्यान्वित हो चुके हैं। कंपनी पूर्ण-स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है और इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

5.2. ₹ 5.50 करोड़ मूल्य के कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोलकाता में खरीदे गए 6,459 वर्गफीट के कार्यालय स्थान के संबंध में पंजीकरण औपचारिकताएँ प्रगति में हैं।

5.3. वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने कोल खान प्रभाग के लिए ₹ 105.95 करोड़ की लागत पर 715.89 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि अधिग्रहीत की है। एक प्रचालन पट्टा होने के कारण, ऐसे अधिग्रहण की लागत को पट्टे की अवधि में परिशोधित किए जाने हेतु पूर्व-प्रदत्त व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, बॉक्साइट खानों के लिए पूर्ण-स्वामित्व की भूमि हेतु स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क बाबत ₹ 17.12 करोड़ का भुगतान किया गया है।

6 . पूंजी कार्य - प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
पूंजी कार्य - प्रगति में	702.91	473.33
मार्गस्थ समेत निर्माण सामग्री	124.16	42.10
	827.07	**515.43**
घटाएं : क्षति का प्रावधान	(1.24)	(0.78)
कुल पूँजी कार्य - प्रगति में	**825.83**	**514.65**

6.1. प्रगति में पूंजी कार्य की राशि में कोयला खान प्रभाग को प्रत्यक्ष आरोप्य आधारभूत संरचनात्मक विकास व्यय की बाबत ₹ 43.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 41.40 करोड़) की राशि शामिल है।

7. अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
निम्न की राशि को लेकर :		
उपभोक्ता अधिकार	9.99	11.81
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2.08	1.68
खनन अधिकार [टिप्पणी 8.1 का संदर्भ लें]	103.58	105.94
लाइसेंस	4.43	6.37
	120.08	**125.80**

राशि करोड़ ₹ में

	उपभोक्ता अधिकार	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त आस्तियाँ
लागत या मानी हुई लागत					
31.03.2016 को यथा शेष	**15.43**	**4.47**	**121.11**	**10.25**	**151.26**
जोड़		0.19	—	—	0.19
निपटान	—	—	—	—	—
31.03.2017 को यथा शेष	**15.43**	**4.66**	**121.11**	**10.25**	**151.45**
जोड़	—	2.32	6.21	—	8.53
निपटान	—	—	(0.35)	—	(0.35)
31.3.2018 को यथा शेष	**15.43**	**6.98**	**126.97**	**10.25**	**159.63**
संचित मूल्यह्रास और क्षति					
31.03.2016 को यथा शेष	**1.81**	**1.56**	**7.34**	**1.94**	**12.65**
मूल्यह्रास व्यय	1.81	1.42	7.83	1.94	13.00
निपटान	—	—	—	—	—
31.03.2017 को यथा शेष	**3.62**	**2.98**	**15.17**	**3.88**	**25.65**
मूल्यह्रास व्यय	1.82	1.92	8.57	1.94	14.25
निपटान	—	—	(0.35)	—	(0.35)
31.3.2018 को यथा शेष	**5.44**	**4.90**	**23.39**	**5.82**	**39.55**

टिप्पणियाँ :

7.1 कंपनी ओड़िशा सरकार द्वारा मंजूरीप्राप्त पट्टे पर आधारित पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। भूमिपट्टा नवीकरण के संबंध में, कंपनी ने एन.पी.वी. एवं प्रासंगिक भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकारों के अन्तर्गत अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया और कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार पर ऋण परिशोधन किया गया।

7.2 उपभोक्ता अधिकार में एक समूह परियोजना अर्थात् लक्ष्मीपुर, कोरापुट में 220 किलोवोल्ट सबस्टेशन और साथ ही सुविधा के इस्तेमाल का समान अधिकार साझा करनेवाली दो और लाभार्थी कंपनियों की समान भागीदारी के समानुपातिक मूल्य शामिल है।

8. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
खनन अधिकार	39.49	26.34
उपभोक्ता अधिकार	49.90	25.01
	89.39	**51.35**

टिप्पणियाँ :

8.1 विकासाधीन खनन अधिकार में कोयला ब्लॉक के आबंटन के लिए भुगतान की गई राशि शामिल है।

8.2 विकासाधीन उपभोक्ता अधिकार में परिशोधन संयंत्र से लक्ष्मीपुर, कोरापुट में 220 किलोवोल्ट के स्विचिंग स्टेशन तक 220 किलोवोल्ट ट्रान्समिशन (पारेषण) लाइन के लिए किया गया खर्च शामिल है।

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
क. गैर-चालू		
क.1 इक्विटी साधनों में निवेश		
क.1.1 सहयोगियों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड (पूर्ण प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के 26,000 शेयर)	0.03	0.02
सहयोगियों में कुल निवेश	**0.03**	**0.02**

सहयोगियों के विवरण

अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक सहयोगी का विवरण निम्नवत् है :

सहयोगी का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	नामिकीय विद्युत का विकास, काकरापाड़ा, गुजरात	26%	26%

टिप्पणी : न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के बोर्ड एवं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के बोर्ड ने सहयोगी कंपनी को भुगतान करने के लिए क्रमशः 20 मार्च, 2017 एवं 2 मार्च, 2017 को आयोजित बैठक में बोर्ड की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया है। जारी संस्था गैर-महत्वपूर्ण होने के कारण सहयोगी कंपनी का वित्तीय प्रभाव जारी नहीं रहा है।

क.1.2 संयुक्त उद्यमों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2018 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2017 को यथाः ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 9,90,000 शेयर)	16.22	0.99
₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,37,10,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि	—	13.71
कुल	**16.22**	**14.70**
वर्ष के दौरान अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को ₹ 10 प्रत्येक के 1,52,33,900 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी किए है।		
जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने (31.03.2018 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 10,13,30,934 शेयर, 31.03.2017 को यथाः ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 20,00,000 शेयर)।	101.33	2.00
₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 2,28,00,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि	-	22.80
कुल	**101.33**	**24.80**
वर्ष के दौरान जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को ₹ 10 प्रत्येक के 9,93,30,934 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी किए।		
संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	**117.55**	**39.50**

संयुक्त उद्यमों के विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक **संयुक्त उद्यम** का विवरण निम्नवत् है :

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह को ओड़िशा, भुवनेश्वर एवं ओड़िशा में प्रोत्साहन देना	49.00%	49.50%
(ख) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कास्टिक सोड़ा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	40.00%

क.1.3 अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
ओड़िशा कैपिटल मार्केट एण्ड एन्टरप्राइजेस लिमिटेड (₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 2,89,000 शेयर)	0.03	0.03
कुल - अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश	**0.03**	**0.03**
कुल - इक्विटी साधनों में निवेश	**117.61**	**39.55**
कुल गैर-चालू निवेश	**117.61**	**39.55**
अतिरिक्त सूचना		
उद्धृत निवेशों का सकल बही मूल्य एवं इसका बाजार मूल्य	—	—
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	117.61	39.55
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि	—	—

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

ख.	चालू		31.03.2018 को यथा		31.03.2017 को यथा
	म्युचुअल फंड में निवेश	'000 में एकक	राशि करोड़ ₹ में	'000 में एकक	राशि करोड़ ₹ में
	उद्धृत निवेश	—	—	—	—
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – X	—	—	20,000	25.44
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – XII	—	—	40,000	50.81
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – XIII	—	—	40,000	50.74
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – I	—	—	25,000	31.64
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – III	—	—	75,000	94.65
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IV	—	—	25,000	31.53
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – VI	—	—	50,000	62.87
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – VIII	—	—	35,000	43.96
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IX	—	—	100,000	125.58
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – X	—	—	10,000	12.54
	यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – XI	—	—	60,000	75.18
	एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-22	—	—	50,000	63.58
	एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-24	—	—	50,000	63.56
	एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-27	—	—	30,000	37.87
	एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-28	—	—	50,000	63.04
	एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-31	—	—	40,000	50.22
	एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-32	—	—	35,000	43.88
	एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-34	—	—	25,000	31.31
	एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-35	—	—	50,000	62.69
	बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड	899	90.09	499	50.01
	बीओआई एएक्सए टीए फंड	2,012	202.61	—	—
	केनेरा रोबेको लिक्विड	747	75.08	298	30.00
	आईडीबीआई लिक्विड फंड	998	100.06	299	30.01
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	—	—	299	30.01
	यूनियन केबीसी लिक्विड	450	45.05	300	30.00
	यूटीआई मनी मार्केट फंड	798	80.07	299	30.01
	कुल - अन्य चालू निवेश		**592.96**		**1,221.13**
	अतिरिक्त सूचनाएँ				
	उद्धृत निवेशों का सकल बही मूल्य और इनका बाजार मूल्य	—	592.96	—	1,221.13
	अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	—	—	—	—
	निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि	—	—	—	—

संवर्ग-वार वर्गीकरण

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से परिमित (एफवीटीपीएल)	592.96	1,221.13
	592.96	**1,221.13**

10 . व्यापारिक प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	असुरक्षित, अच्छा माना गया	—	—
(ख)	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	37.11	37.11
	घटाएँ : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते (अपेक्षित ऋण हानि भत्ते)	37.11	37.11
	निवल गैर-चालू व्यापारिक प्राप्य	—	—

ख.	चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	असुरक्षित, अच्छा माना गया	258.13	184.25
(ख)	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	—	—
	घटाएँ : संदिग्ध वसूली के भत्ते	—	—
	निवल चालू व्यापारिक प्राप्य	**258.13**	**184.25**

टिप्पणियाँ :

10.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरुद्ध की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को सामग्री-की आपूर्ति पर समायोजित किया जाता है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग की तिथि से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है। ग्रहीत विद्युत संयंत्र में सृजित अनिश्चित तापज विद्युत की बिक्री के लिए कोई व्यावसायिक व्यवस्था नहीं है। यह संयंत्र की जरूरत की दृष्टि से चक्रीय व्यवस्था के साथ जोड़ी गई है। ऐसी विद्युत बिक्री के खाते में प्राप्त राशि को निपटाने में लंबी अवधि लगती है। ऐसी बिक्री के लिए कोई प्राप्य नहीं है क्योंकि उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए ग्रिड से आहरित विद्युत की क्रय लागत ऐसी बिक्री की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक है।

10.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2018 को यथा कुल व्यापारिक प्राप्य के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं :

	ग्राहक	व्यापारिक प्राप्य का %	ग्राहक की श्रेणी
क.	हाइड्रो एल्यूमिनियम इंटरनेशनल एसए	60%	एल्यूमिना
ख.	जी-स्टीलमेट पीटीई लि.	7%	एल्यूमिनियम
ग.	आरडीपीपीसी, देवीकोट, राजस्थान	5%	पवन विद्युत

10.3 मामले से मामले के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए आशान्वित ऋण हानि भत्ते के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है। चूँकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है। कंपनी ने उधारी हानि अनुभव के आधार पर और अग्रदर्शी सूचना के आधार पर भत्तों का प्रावधान किया है।

10.4 **प्राप्यों की आयु**

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
एल्यूमिना और एल्यूमिनियम		
0-30 दिन	225.30	144.13
30 दिनों से अधिक	37.11	37.11
	262.41	**181.24**
पवन विद्युत		
उधारी अवधि के अन्दर	13.05	6.79
देय तारीख पश्चात 1-30 दिन	2.55	4.84
देय तारीख पश्चात् 30 दिन से अधिक	17.23	28.49
	32.83	**40.12**

11. ऋण

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) कर्मचारियों को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	64.44	68.62
असुरक्षित, अच्छा माना गया	10.12	11.69
(ख) अन्य को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.40	0.29
कुल गैर-चालू ऋण	**74.96**	**80.60**

ख. चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) कर्मचारियों को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	18.74	20.57
असुरक्षित, अच्छा माना गया	10.27	15.58
(ख) संबंधित पार्टियों को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया [टिप्पणी 11.2 का संदर्भ लें]	0.01	0.04
(ग) अन्य को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.27	0.51
कुल चालू ऋण	**29.29**	**36.70**

टिप्पणी :

11.1 कर्मचारियों और अन्य को ऋण परिशोधित लागत पर लिए गए हैं।

11.2 प्रासंगिक पार्टियों से बकाया ऋण की राशि कंपनी के निदेशकों द्वारा उनके निदेशक-पद में योग के पूर्व कर्मचारी के रूप में लिए गए गृह निर्माण ऋण की राशि है। इन ऋणों पर आगे टिप्पणी-38-प्रासंगिक पार्टी प्रकटन में निर्दिष्ट है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
प्रतिभूति जमा	13.14	10.77
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**13.14**	**10.77**

ख. चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) प्रतिभूति जमा [टिप्पणी 12.2 का संदर्भ लें]	151.00	151.00
(ख) कर्मचारियों को अग्रिम [टिप्पणी 33.2 का संदर्भ लें]	—	44.35
(ग) बीमा दावा प्राप्य और अन्य	10.00	12.66
सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**161.00**	**208.01**
घटाएं : खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए		
(क) कर्मचारियों को अग्रिम [टिप्पणी 33.2 का संदर्भ लें]	—	44.35
(ख) बीमा दावे	8.45	7.17
कुल खराब और संदिग्ध-अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते	**8.45**	**51.52**
कुल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**152.55**	**156.49**

टिप्पणी :

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई है।

12.2 गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जीएमडीसी) के साथ जमा किए गए ₹ 151 करोड़ की राशि 2011-12 सेवादत्त पाना बकाया है, पूँजि जीएमडीसी ने कंपनी के साथ संयुक्त रूप से गुजरात में एल्यूमिना परिशोधक की स्थापना की योजना रद्द कर दी है। लौटाने की प्रक्रिया जीएमडीसी द्वारा शुरू कर दी गई है एवं गुजरात सरकार से अनुमोदन प्रतीक्षा में है। जमा पर कोई ब्याज दावा मान्य नहीं है जब तक कि यह निश्चित न हो जाए कि ब्याज वसूला जाएगा।

13. चालू कर आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
आय कर	32.13	34.12
कुल चालू कर आस्तियाँ	**32.13**	**34.12**

14. अन्य आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क. **गैर-चालू**

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) पूँजी अग्रिम	153.83	114.88
(ख) पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम		
(1) सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	230.68	250.27
(2) आयकर प्राधिकारी के पास जमा	294.80	603.50
(3) अन्य सरकारी प्राधिकारी	4.59	4.01
(ग) अन्य		
पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
(1) पट्टा-युक्त भूमि के लिए प्रीमियम	30.22	5.26
(2) आस्थगित कर्मचारी लाभ	25.66	26.86
सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	**739.78**	**1,004.78**
घटाएँ : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते		
(क) पूँजी अग्रिम	0.27	0.27
कुल खराब एवं संदिग्ध अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते	**0.27**	**0.27**
कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	**739.51**	**1,004.51**

ख. **चालू**

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे		
(1) निर्यात प्रोत्साहन दावे	34.23	27.16
(2) नवीकरणीय स्रोतों से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	7.27	4.09
(3) वैट, सेनवैट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूलीयोग्य	258.27	266.81
(4) सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे	33.62	10.29
(ख) पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
(1) पट्टायुक्त भूमि के लिए प्रीमियम	113.63	17.39
(2) आस्थगित कर्मचारी लाभ	4.57	5.37
(3) अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	4.12	4.43
(ग) हाथ में स्वर्ण मुद्राएँ एवं डाक टिकटें	0.07	0.08
(घ) अन्य प्राप्य	1.90	1.70
(ङ) अन्य अग्रिम		
(i) कर्मचारियों को अग्रिम	23.91	23.06
(ii) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	312.51	391.49
(iii) अन्य	5.72	30.13
सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**799.82**	**782.00**
घटाएँ : खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		
(क) वैट एवं सेनवैट क्रेडिट वसूलीयोग्य	200.27	188.83
(ख) सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे	7.74	7.74
(ग) अन्य प्राप्य	0.98	0.38
(घ) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	2.38	2.45
(ङ) अन्य	2.64	2.66
खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते	**214.01**	**202.06**
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**585.81**	**579.94**

टिप्पणी

14.1 पट्टायुक्त भूमि के अधिग्रहण पर पूर्व प्रदत्त पट्टा प्रीमियम की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

	प्रारंभिक अपरिशोधित ऋण राशि	वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पट्टा प्रीमियम	वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन	अंतिम अग्रेनीत अपरिशोधित ऋण राशि
निगम कार्यालय	1.58	—	0.02	1.56
बॉक्साइट खान	3.87	17.12	1.29	19.70
परिशोधक	1.48	—	0.02	1.46
प्रद्रावक	1.24	—	0.02	1.22
कोयला खान	—	105.95	—	105.95
डब्ल्यूपीपी	14.48	—	0.52	13.96
	22.65	**123.07**	**1.87**	**143.85**

14.2 कंपनी के पास 2245.55 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि है, जिसके लिए पट्टा अधिकार-पत्र का निष्पादन किया जाना है। हालांकि कंपनी को उक्त भूमि पर अपने प्रचालन को जारी रखने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति दी गई है।

14.3 01.07.2017 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर कानून शुरू किए जाने के फलस्वरूप, संक्रमण की तिथि, को यथा, ₹ 95.78 करोड़ की अप्रत्यक्ष कर क्रेडिट (सेनवैट, सेवा कर, सीवीडी, ओवीएटी) की अविवादित राशि जीएसटी देयता के साथ समायोजित की गई है। कुल ₹ 209.99 करोड़ की पूर्व जीएसटी व्यवस्था के टैक्स क्रेडिट की विवादित राशि बहियों में चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिया जाना जारी है जिसमें से वसूली की संदिग्ध स्थिति में ₹ 200.27 करोड़ की राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

15. मालसूचियाँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	कच्चा माल	161.07	75.69
(ख)	प्रगति में कार्य	284.33	236.37
(ग)	कार्बन एनोड	77.76	93.62
(घ	तैयार माल	143.21	222.72
(ड)	कोयला और ईंधन तेल	188.64	186.71
(च)	भंडार और कल-पुर्जे	319.48	328.60
(छ)	स्क्रैप और निपटान योग्य वस्तुएँ	19.59	12.22
कुल मालसूचियाँ		**1,194.08**	**1,155.93**
ऊपर शामिल, मार्गस्थ माल :			
(i)	कच्चा माल	17.23	9.80
(ii)	कोयला और ईंधन तेल	8.47	32.44
(iii)	भंडार और कलपुर्जे	12.88	15.81
कुल मार्गस्थ माल		**38.58**	**58.05**

टिप्पणी :

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹ 4,143.52 करोड़ है (पिछला वर्ष : ₹ 3,403.89 करोड़)।

15.2 व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹ 5.47 करोड़ (पिछला वर्ष : ₹ 13.02 करोड़) शामिल है।

15.3 ये मालसूचियाँ कैश-क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध है।

15.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति टिप्पणी 3.10 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में वर्णित है।

16.क-नकद और नकद समतुल्य

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	बैंक में शेष		
	(1) अनुसूचित बैंकों में शेष		
	(i) चालू खाते में	25.35	24.83
कुल नकद एवं नकद समतुल्य		**25.35**	**24.83**

16.ख-बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	2,586.88	2,260.61
(ख)	अनुसूचित बैंक में निश्चित किए गए शेष	156.72	1.79
कुल अन्य बैंक शेष		**2,743.60**	**2,262.40**

टिप्पणी :

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों में निश्चित किए गए शेष, विवादित विद्युत प्रभार के लिए न्यायालय के अनुदेश के तहत ₹ 1.70 करोड़ की दावाहीन लाभांश राशि एवं ₹ 155.02 करोड़ की जमा (प्रोद्भूत ब्याज समेत) बाबत जमा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक की शिक्षण और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

17. शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
अधिकृत शेयर पूँजी :		
₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	**3,000.00**
जारी और अभिदत्त पूँजी में शामिल है :		
₹ 5 प्रत्येक के 1,93,29,28,884 पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर (31.03.2017 को यथा: ₹ 5 प्रत्येक 1,93,29,28,884 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	966.46	966.46
	966.46	**966.46**

17.1 इक्विटी शेयरों का पुनर्मिलान

	शयरों की संख्या	राशि करोड़ ₹ में
31.03.2016 को यथा शेष	**2,57,72,38,512**	**1,288.62**
शेयरों की वापस खरीद	(64,43,09,628.00)	(322.16)
31.03.2017 को यथा शेष	**19,32,928,884**	**966.46**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2018 को यथा शेष	**19,32,928,884**	**966.46**

(i) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिसके प्रत्येक का मूल्य ₹ 5 के समान है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास एक मत प्रति शेयर का अधिकार है एवं उनकी धारिता पर आधारित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का समानुपातिक अधिकार इस पर है।

(ii) 2016-17 के दौरान, ₹ 5 प्रत्येक के 64,43,09,628 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की, जिसमें इक्विटी शेयर पूँजी ₹ 1,288.62 करोड़ से घटकर ₹ 966.46 करोड़ रह गई।

(iii) भारत सरकार ने 27,77,65,383 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर का विनिवेश किया है (ओएफएस के माध्यम से 17,80,69,927 संख्यक, कर्मचारी प्रस्ताव के माध्यम से 76,17,057 संख्यक एवं ईटीएफ के माध्यम से 9,20,78,399 संख्यक), जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2017 को 1,44,14,82,490 संख्यक (74.58%) से घटकर 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.20%) रह गई।

17.2 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा		31.03.2017 को यथा	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	1,16,37,17,107	60.20%	1,44,14.82,490	74.58%
भारतीय जीवन बीमा निगम	15,84,31,120	8.20%	20,43,84,512	10.57%

18. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	पूँजी मोचन आरक्षित	322.16	322.16
(ख)	सामान्य आरक्षित	8,620.41	8,620.41
(ग)	प्रतिधारित आय	595.78	296.76
कुल		**9,538.35**	**9,239.33**

18.1 अन्य इक्विटी में संचलन

राशि करोड़ ₹ में

	आरक्षित एवं अधिशेष			
अन्य इक्विटी	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
31.03.2016 को यथा शेष	**—**	**11,461.10**	**445.03**	**11,906.13**
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	668.53	668.53
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	9.08	9.08
वर्ष के लिए कुल विशद आय	**—**	**—**	**677.61**	**677.61**
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	—	(2,512.81)	—	(2,512.81)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय	—	(5.72)	—	(5.72)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	322.16	(322.16)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(144.97)	(144.97)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(29.51)	(29.51)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(541.22)	(541.22)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(110.18)	(110.18)
31.03.2017 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.41**	**296.76**	**9,239.33**
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	1,342.41	1,342.41
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	50.03	50.03
वर्ष के लिए कुल विशद आय	**—**	**—**	**1,392.44**	**1,392.44**
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(908.48)	(908.48)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(184.94)	(184.94)
31.03.2018 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.41**	**595.78**	**9,538.35**

18.2 कंपनी ने 26 सितम्बर, 2016 को प्रीमियम राशि सहित ₹ 2,834.97 करोड़ की राशि के सामान्य आरक्षित में से अपने निजी इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की और परिणामस्वरूप इस प्रकार वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर की राशि ₹ 322.16 करोड़ का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 की शर्तों के अनुसार पूँजी मोचन आरक्षित खाता में हस्तांतरित किया गया।

18.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 4.7 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹ 908.48 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 541.22 करोड़ के अंतरिम लाभांश एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 144.97 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया। लाभांश की इन संबंधित राशियों पर ₹ 184.94 करोड़, ₹ 110.18 करोड़ एवं ₹ 29.51 करोड़ के लाभांश कर का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया है।

18.4 बोर्ड ने आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु ₹ 193.29 करोड़ के ₹ 1.00 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश (प्रत्येक ₹ 5 के इक्विटी शेयर पर 20%) का प्रस्ताव दिया है। लागू लाभांश वितरण कर के विचार से लाभांश भुगतान राशि ₹ 232.64 करोड़ निकाली गई है।

19. उधारी

राशि करोड़ ₹ में

चालू (परिशोधित लागत पर सुरक्षित)	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
छूट दिए गए बिलों की देनदारियाँ	44.99	51.09
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	**44.99**	**51.09**

20. व्यापारिक लेखा-देय

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
	(1) आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
	- अन्य	15.63	19.61
	कुल गैर-चालू कारोबार देय	**15.63**	**19.61**
ख.	**चालू**		
	(1) आपूर्ति और सेवा के लिए लेनदार		
	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	4.53	3.09
	- अन्य	507.50	653.80
	(2) उपार्जित मजदूरी और वेतन	449.71	187.57
	कुल चालू कारोबार देय	**961.74**	**844.46**

टिप्पणी :

20.1 उपार्जित मजदूरी और वेतन में ग्रेचुइटी सीमा के ₹ 10 लाख से ₹ 20 लाख तक बढ़ाए जाने के कारण 01.01.2017 से 28.02.2018 तक की अवधि के दौरान सेवा-निवर्त्तित कर्मचारियों को अंतरणीय ग्रेचुइटी देनदारी के निपटारे हेतु ₹ 36.80 करोड़ एवं निष्पादन संबंधी भुगतान बाबत ₹ 96.68 करोड़ की बकाया राशि के अलावा 01.01.2017 से प्रभावी गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के आसन्न वेतन संशोधन बाबत ₹ 279.15 करोड़ का देनदारी प्रावधान शामिल है।

20.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय वकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्ष की पहचान के तहत किया गया है। व्यापारिक लेखा-देय (टिप्पणी-21) एवं अन्य वित्तीय देनदारियों (टिप्पणी-22) में सम्मिलित ऐसे बकायों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन निम्नवत् है :

विवरण	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
i) बकाया मूलधन	5.82	4.49
ii) बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii) नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन	शून्य	शून्य
iv) भुगतान में विलंब (जो भुगतान किया गया, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v) वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi) शेष देय ब्याज की राशि और बाद में वर्षों के ऐसी तिथि तक देय जब उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य

21. अन्य वित्तीय देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
- अन्य	2.85	2.36
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ	**2.85**	**2.36**

ख. चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) अदत्त लाभांश	1.70	1.79
(ख) अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
(1) पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	1.29	1.40
- अन्य	397.38	359.66
(2) ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	2.24	1.57
(3) ग्राहकों को बकाये की वापसी	15.41	14.52
(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ	94.69	88.62
(5) कर्मचारी वसूली	0.16	1.54
कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	**512.87**	**469.10**

22. प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
क. गैर-चालू		
(क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	116.35	57.17
(ii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	1.82	2.40
(iii) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.32	2.51
(iv) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	10.27	10.32
(v) सेवानिवृत्ति उपहार	6.45	6.68
(2) अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ		
(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	249.77	210.57
(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	9.10	8.88
(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	16.06	7.50
(ख) अन्य प्रावधान		
(1) परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व/विखंडन	23.57	21.70
(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान	**436.09**	**328.11**

राशि करोड़ ₹ में

ख. चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) ग्रैचुइटी (वित्त पोषित)	271.05	12.08
(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	10.18	7.14
(iii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	0.45	0.01
(iv) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	1.30	1.35
(v) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	3.37	3.52
(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	0.63	0.67
(2) अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ		
(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	23.29	20.26
(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	0.99	0.62
(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	5.55	20.29
(ख) अन्य प्रावधान		
(1) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की बाबत (नि.सा.उ.)	32.64	33.36
(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व की बाबत	26.43	17.77
कुल चालू प्रावधान	**375.88**	**117.07**

ग. प्रावधानों का संचलन

राशि करोड़ ₹ में

(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व का संचलन [टिप्पणी 31 का संदर्भ लें]

(2) कर्मचारी लाभों का संचलन

	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	लम्बी सेवा के पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
31.03.2016 को यथा शेष	197.35	8.29	21.21
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	70.55	1.13	19.68
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(47.64)	(0.71)	(13.10)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	10.57	0.79	—
31.03.2017 को यथा शेष	**230.83**	**9.50**	**27.79**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	56.08	1.21	8.17
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	(93.54)	(2.47)	(14.35)
पुनःमापन से उत्पन्न कटौतियाँ	79.69	1.86	—
31.03.2018 को यथा शेष	**273.06**	**10.10**	**21.61**

(3) अन्य प्रावधानों का संचलन

	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.)
31.03.2016 को यथा शेष	**18.37**	**8.89**	**37.59**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	1.66	8.51	—
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	—	—	(4.23)
छूट का फैलाव	1.67	0.75	—
31.03.2017 को यथा शेष	**21.70**	**18.15**	**33.36**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.09	8.65	—
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	—	—	(0.72)
छूट का फैलाव	1.78	0.02	—
31.03.2018 को यथा शेष	**23.57**	**26.82**	**32.64**

टिप्पणी :

22.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान ग्रेचुइटी अधिनियम के अनुसार ग्रेचुइटी एवं कंपनी नियमों के अनुसार अन्य लाभ के लिए प्रदान किए गए। इनके लिए स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर देयता की स्वीकृति दी गई है।

22.2 परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमशः इंड एएस 16 एवं इंड एएस 37 के अनुरूप प्रबंधन के आकलन के आधार पर किया गया है।

22.3 नि.सा.उ. व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के आगमन से पूर्व कंपनी का अव्ययित नि.सा.उ. दायित्व है।

23. आस्थगित कर देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
आस्थगित कर देयताएँ	1,501.72	1,505.87
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	350.27	260.29
	1,151.45	**1,245.58**

2016-17	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2017 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,365.50)	(98.43)	—	(1,463.93)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(35.16)	12.23	—	(22.93)
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(14.21)	—	(4.80)	(19.01)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,414.87)**	**(86.20)**	**(4.80)**	**(1,505.87)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	78.51	14.28	—	92.79
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	44.65	12.46	—	57.11
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	57.82	27.04	—	84.86
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	2.81	(2.81)	—	
एमएटी क्रेडिट अधिकार	—	17.46	—	17.46
अन्य	66.97	(58.90)	—	8.07
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**250.76**	**9.53**	**—**	**260.29**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,164.11)**	**(76.67)**	**(4.80)**	**(1,245.58)**

2017-18	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2018 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,463.93)	(19.00)	—	(1,482.93)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(22.93)	25.78	—	2.85
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(19.01)	—	(2.63)	(21.64)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,505.87)**	**6.78**	**(2.63)**	**(1,501.72)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	92.79	1.71	—	94.50
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	57.11	31.44	—	88.55
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	84.86	5.36	—	90.22
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	—	60.12	—	60.12
एमएटी क्रेडिट अधिकार	17.46	(4.95)	—	12.51
अन्य	8.07	(3.70)	—	4.37
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**260.29**	**89.98**	**—**	**350.27**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,245.58)**	**96.76**	**(2.63)**	**(1,151.45)**

24. अन्य देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
क.	**गैर-चालू**		
(i)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	62.04	48.27
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ		**62.04**	**48.27**
ख.	**चालू**		
(i)	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	53.06	73.36
(ii)	सांविधिक एवं अन्य बकाये		
	(क) विद्युत प्रभार [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	192.01	22.09
	(ख) स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह	40.91	15.13
	(ग) एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	47.40	30.02
	(घ) जल शुल्क बाबत विवादित बकाया	-	839.97
	(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि)	53.53	114.59
(iii)	नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व [टिप्पणी : 24.2 का संदर्भ लें]	146.87	60.34
(iv)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	10.69	13.25
(v)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान	0.58	0.61
(vi)	अन्य ऋण शेष	0.40	0.85
कुल अन्य चालू देयताएँ		**545.45**	**1,170.21**

टिप्पणी :

24.1 ओड़िशा सरकार के ऊर्जा विभाग ने दिनांक 12 मई, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से विद्युत प्रभार की दर को प्रति इकाई खपत के लिए ₹ 0.30 पैसे प्रति इकाई से बढ़ाकर 0.55 पैसे प्रति इकाई कर दिया है। उक्त अधिसूचना से असंतुष्ट होकर, ग्रहीत विद्युत संयंत्र के संघ, ओड़िशा, जिसकी कंपनी एक सदस्य है, ने ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी है। अंतरिम उपाय के तौर पर, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.06.2017 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता को अंतरणीय विद्युत प्रभार को एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में जमा करने का निर्देश दिया है जो कि समादेश याचिका के परिणाम के अधीन होगा। इसी अनुसार, कंपनी ने वर्धित दर पर विद्युत प्रभार व्यय के लिए प्रावधान किया है एवं न्यायालय के निर्देशानुसार एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में राशि जमा की गई। ऐसी जमा राशि पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। परंतु अदत्त वर्धित विद्युत प्रभार के साथ देयता के रूप में ली गई है। रिपोर्टिंग तिथि को ऐसी जमाराशियों पर प्रोद्भूत ब्याज समेत देयता ₹ 155.02 करोड़ है। इसके अलावा, राशि में अप्रैल, 18 में भुगतान किए जाने हेतु मार्च, 18 के माह के लिए अविवादित देयता भी शामिल है।

24.2 दिनांक 1 अगस्त, 2015 की ओड़िशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार एक दायित्वशील संगठन होने के कारण कंपनी के पास नवीकरणीय स्रोतों से अपनी कुल खपत के 7.5% (पिछले वर्ष 4.5%) के बराबर बिजली उत्पादन का दायित्व है, जिसमें सौर नवीकरणीय स्रोत से 3% (पिछले वर्ष 1.5%) एवं गैर सौर नवीकरणीय स्रोत से 4.5% (पिछले वर्ष 3%) शामिल है।

₹ 1,500 (पिछले वर्ष ₹ 1,500) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित 1,09,444 (पिछले वर्ष 21,066) नग गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) बाबत दिनांक 31.03.2018 को संचयी गैर-सौर दायित्व ₹ 16.42 करोड़ (दिनांक 31.03.2017 को ₹ 3.16 करोड़) है। वर्ष के दौरान नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन में 1,49,829 नग (पिछले वर्ष 1,14,493 नग) गैर-सौर आरईसी कंपनी द्वारा प्रतिधारित किए गए हैं।

सौर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से अपेक्षित मात्रा में बिजली उत्पादन के दायित्व को पूरा न कर पाने के कारण कंपनी ने ₹ 3,500 (पिछले वर्ष ₹ 3,500) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित 3,72,716 (पिछले वर्ष 1,63,371) नग सौर आरईसी के बाबत ₹ 130.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 57.18 करोड़) के लिए दिनांक 31.03.2018 तक संचयी देयता प्रदान किया है।

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा शेष	31.03.2017 को यथा शेष
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया			
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**		
1.	बिक्री कर	366.17	427.84
2.	उत्पाद शुल्क	100.68	165.46
3.	सीमा शुल्क	102.77	52.00
4.	सेवा कर	18.11	2.31
5.	आय कर	706.40	797.94
6.	प्रवेश कर एवं सड़क कर	232.28	253.19
7.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	35.49	44.21
8.	स्टाम्प ड्यूटी	204.53	204.53
9.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	136.32
10.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	93.10	93.10
11.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	—

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा शेष	31.03.2017 को यथा शेष
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**		
	1. ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	436.99	270.96
	कुल	**2,552.08**	**2,447.86**

कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल है :

i. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मांग की लड़ाई कर रही हैं। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओ की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी, तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25.1. आकस्मिक देयताओं का संचलन

		31.03.2017 को यथा शेष	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2018 को यथा शेष
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**				
1.	बिक्री कर	427.84	(61.67)	—	366.17
2.	उत्पाद शुल्क	165.46	(141.78)	77.00	100.68
3.	सीमा शुल्क	52.00	(45.71)	96.48	102.77
4.	सेवा कर	2.31	(1.72)	17.52	18.11
5.	आय कर	797.94	(91.54)	—	706.40
6.	प्रवेश कर एवं सड़क कर	253.19	(23.86)	2.95	232.28
7.	भूमि अधिग्रहण एवं इस पर ब्याज	44.21	(9.37)	0.65	35.49
8.	स्टाम्प ड्यूटी	204.53	—	—	204.53
9.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	—	—	136.32
10.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	93.10	—	—	93.10
11.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	—	—	119.24	119.24
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य द्वारा दावे**				
1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	270.96	(7.37)	173.40	436.99
	कुल	**2,447.86**	**(383.02)**	**487.24**	**2,552.08**

26. वचनबद्धताएँ

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
क)	पूँजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है		297.02	201.84
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ			
	(1)	उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक के आबंटन के लिए भारत सरकार को देय राशि, मगर अभी भुगतान के लिए नियत नहीं हुआ है।	18.11	18.11
	(2)	कंपनी के पक्ष में ब्लॉक के आबंटन के पुनराबंटन की शर्तों में उत्कल डी कोल ब्लॉक के परियोजना प्रस्तावक, ओड़िशा माइनिंग कॉर्पोरेशन को देय राशि	Nil	95.18
	(3)	निर्यात प्रोत्साहन पूँजी वस्तु योजना के अधीन पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व	107.80	117.69
		कुल	**422.93**	**432.82**

27. प्रचालनों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क समेत)		
	1) निर्यात :		
	i) एल्यूमिना	3,047.36	2,443.04
	ii) एल्यूमिनियम	1,028.10	1,181.95
	2) घरेलू :		
	i) एल्यूमिना	152.01	141.21
	ii) एल्यूमिनियम	5,188.28	4,090.24
(ख)	विद्युत की बिक्री		
	i) तापज विद्युत	3.40	4.75
	ii) पवन विद्युत	85.97	71.80
(ग)	अन्य प्रचालन आय		
	1) निर्यात प्रोत्साहन		
	i) एल्यूमिना	33.06	30.25
	ii) एल्यूमिनियम	30.24	38.98
	2) नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन		
	i) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	33.84	28.67
	ii) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	6.94	8.18
	3) आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूँजीकृत स्वयं निर्मित वस्तुएँ	9.11	10.95
प्रचालनों से राजस्व		**9,618.31**	**8,050.02**

टिप्पणी :

27.1 एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की घरेलू बिक्री में 30.06.2017 तक विवेचित ₹ 4.22 करोड़ एवं ₹ 124.74 करोड़ की राशि का उत्पाद शुल्क शामिल है (पिछले वर्ष पूरे वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 15.88 करोड़ एवं ₹ 478.63 करोड़)। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन संग्रहित वस्तु एवं सेवा कर बिक्री में शामिल नहीं है।

28. अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	ब्याज आय		
	(i) वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई है :		
	— बैंक जमा	171.89	265.65
	— कर्मचारियों को ऋण	12.46	14.23
	— परिशोधित मूल्य पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.44	0.70
	(ii) आय कर वापसी के बाबत अर्जित ब्याज आय	—	12.06
(ख)	लाभांश आय		
	— चालू निवेशों से लाभांश	33.65	8.78
(ग)	विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि)	(2.55)	(7.90)
(घ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	2.96	77.81
(ङ)	अन्य गैर-चालू निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	13.91	—
(च)	देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं [टिप्पणी: 28.1 का संदर्भ लें]	20.56	14.29
(छ)	आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय	22.68	9.04
(ज)	अन्य	23.65	13.61
कुल अन्य आय		**299.65**	**408.27**

टिप्पणी:

28.1 रिपोर्टिंग की तिथि को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बहियों में पड़ी हुई दावाहीन जमाराशियाँ पुनरांकित हुई हैं एवं आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

29. खपत की हुई सामग्री की लागत

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
क.	**कच्चे माल**		
(1)	कॉस्टिक सोड़ा	795.39	677.30
(2)	सी.पी. कोक	403.70	269.47
(3)	सी.टी पिच	127.80	101.13
(4)	एल्यूमिनियम फ्लूओराइड	62.67	60.05
(5)	चूना	45.06	44.45
(6)	अन्य	30.69	29.39
	खपत किए गए कच्चे माल का योग	**1,465.31**	**1,181.79**
ख.	**विद्युत एवं ईंधन**		
(1)	कोयला	1,757.22	1,531.39
(2)	ईंधन तेल	523.66	455.71
(3)	निजी उत्पादन पर शुल्क [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ ले]	400.70	214.06
(4)	विद्युत क्रय	60.36	3.99
(5)	विद्युत पारेषण प्रभार	5.98	7.38
	खपत किए गए विद्युत और ईंधन का योग	**2,747.92**	**2,212.53**

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
तैयार माल			
प्रारंभिक स्टॉक			
(1)	बॉक्साइट	3.07	7.73
(2)	रसायन	154.15	93.81
(3)	एल्यूमिनियम	41.52	25.98
	प्रारंभिक स्टॉक	**198.74**	**127.52**
जोड़ें : उत्पाद शुल्क			
(1)	बॉक्साइट	—	—
(2)	रसायन	18.22	6.06
(3)	एल्यूमिनियम	5.76	2.79
	प्रारंभिक स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	**23.98**	**8.85**
तैयार माल के प्रारंभिक स्टॉक का योग		**222.72**	**136.37**
घटाएँ :			
अंतिम स्टॉक			
(1)	बॉक्साइट	9.20	3.07
(2)	रसायन	114.18	154.15
(3)	एल्यूमिनियम	19.83	41.52
अंतिम स्टॉक		**143.21**	**198.74**
जोड़ें : उत्पाद शुल्क			
(1)	बॉक्साइट	—	—
(2)	रसायन	—	18.22
(3)	एल्यूमिनियम	—	5.76
	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	**—**	**23.98**
तैयार माल के अंतिम स्टॉक का योग		**143.21**	**222.72**
तैयार माल में (अभिवृद्धि)/कमी		**79.51**	**(86.35)**

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ रु में

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
मध्यवर्ती उत्पाद		
प्रारंभिक स्टॉक		
एनोड	82.97	96.08
अन्य	10.65	7.17
मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक का योग	**93.62**	**103.25**
घटाएं : अंतिम स्टॉक		
एनोड	66.75	82.97
अन्य	10.99	10.65
मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक का योग	**77.74**	**93.62**
मध्यवर्ती उत्पादों में (अभिवृद्धि)/कमी	**15.88**	**9.63**
चल रहे कार्य		
प्रारंभिक स्टॉक	236.37	216.50
घटाएं : अंतिम स्टॉक	284.33	236.37
चल रहे कार्य में (अभिवृद्धि)/कमी	**(47.96)**	**(19.87)**
मालसूची में (अभिवृद्धि)/कमी का योग	**47.43**	**(96.59)**

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ रु में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	बोनस सहित वेतन और मजदुरी	1,659.81	1,240.25
(ख)	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
1)	भविष्य निधि	100.89	96.00
2)	उपदान	301.91	29.38
3)	रोजगार उपरांत पेंशन योजना	88.07	88.54
(ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय	110.52	83.27
कर्मचारी लाभ व्यय का योग		**2,261.20**	**1,537.44**

टिप्पणी :

31.क. कर्मचारी लाभ

i) 01.01.2017 से प्रभावी कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन संशोधन का कार्यान्वयन वर्ष 2018 के जनवरी माह में किया गया। 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए 31.03.2017 तक प्रदत्त देयता से ऊपर का अंतरीय व्यय वर्तमान वर्ष में गैर-प्रभारित हुआ है।

ii) गैर-कार्यपालक कर्मचारी का वेतन संशोधन 01.01.2017 से नियत है जिसके लिए दीर्घकालिक मजदुरी समझौता प्रतीक्षारत है। कंपनी ने वर्तमान वर्ष के लिए वेतन संशोधन हेतु ₹ 223.72 करोड़ की देयता प्रदान की है (पिछले वर्ष 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए ₹ 55.43 करोड़)।

iii) उपदान की उच्चतम सीमा प्रति कर्मचारी ₹ 10.00 लाख से ₹ 20.00 लाख बढ़ने हेतु उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के संबंध में भारत सरकार की दिनांक 29.03.2018 की अधिसूचना के फलस्वरूप कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2018 की स्थिति को अपने कर्मचारियों की उपदान देयता के मूल्यांकन हेतु वर्धित उपदान सीमा पर विचार किया है। इसके अलावा, ₹ 36.80 करोड़ की राशि अंतरीय उपदान के बाबत प्रदान की गई है जो 01.01.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान सेवा निवर्तित कर्मचारियों को कंपनी द्वारा सीधे निपटाया जाएगा।

iv) 10 मई, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की 299वीं बैठक में उनके अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस) में दिनांक 01.04.2017 से संशोधन किया है। संशोधित योजना द्वारा उपलब्ध लाभ बीमांकक द्वारा देयता के मूल्यांकन में विवेचित किया गया है।

31.ख. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

31.ख.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) **भविष्य निधि:** कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है।

ख) **पेंशन निधि:** कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

31.ख.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **उपदान:** उपदान के भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹20,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **बंदोबस्ती लाभ:** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का अंतर, अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजनाः** कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹ 30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाः** कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹ 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजनाः** कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

31.ख.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँः** संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) **लम्बी सेवा का पुरस्कारः** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) **एनईएफएफएआरएसः** अशक्तता/मृत्यु के मामले में, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार मासिक लाभ का भुगतान करती है एवं वैचारिक सेवानिवर्तन की तारीख तक योजना के अधीन निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित राशि जमा करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएँ कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैंः-

i. **बीमांकिक जोखिमः** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता हैः प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभवः अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।

मृत्यु दर में विविधता : अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्तें नहीं है, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।

आहरण दरों में विविधताः यदि अनुमानित आहरण दर आकलन की तुलना में वास्तविक आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ पद त्याग की तिथि को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिमः** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो निवल देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

iii. **ब्याज जोखिमः** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

iv. **दीर्घायु जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. **वेतन जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य आकलन निम्नानुसार हैं :

	मूल्यांकन	
	31-03-2018 को	**31-03-2017 को**
छूट दर(रों)	7.50%	7.25%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रों)	6%	6%
मृत्युदर	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
अपघर्षण दर	1%	1%

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं :

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य		
चालू सेवा मूल्य	(35.47)	(35.34)
शुद्ध ब्याज व्यय	(28.89)	(22.45)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**(64.36)**	**(57.79)**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	(0.88)	9.35
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	71.41	(17.38)
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.89)	21.92
अन्य विशद आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**52.64**	**(3.49)**
कुल	**(11.72)**	**(61.28)**

वर्ष के लिए चालू सेवा मूल्य एवं शुद्ध ब्याज व्यय लाभ और हानि के समेकित विवरण में 'कर्मचारी लाभ व्यय' मद में सम्मिलित है।

शुद्ध परिभाषित देयता का पुनःमापन अन्य विशद आय में सम्मिलत है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न तुलन पत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
31 मार्च, 2017						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(64.31)	(2.41)	(3.86)	(13.84)	(7.34)	(314.04)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—	—	—	—	—	302.10
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(64.31)	(2.41)	(3.86)	(13.84)	(7.34)	(11.94)
31 मार्च, 2018						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(126.52)	(2.27)	(3.62)	(13.64)	(7.08)	(573.53)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					302.48
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(126.52)	(2.27)	(3.62)	(13.64)	(7.08)	(271.05)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2016 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	(61.24)	(2.74)	(3.94)	(13.13)	(6.92)	(298.02)
चालू सेवा मूल्य	(4.32)	(0.44)	—	—	—	(30.58)
ब्याज मूल्य	—	(0.18)	(0.27)	(0.89)	(0.48)	(20.63)
पुनःमापन						
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.12)	(0.11)	(0.12)	(0.56)	(0.39)	(15.08)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.89)	0.64	(0.03)	(0.92)	(0.16)	23.28
प्रदत्त लाभ	3.26	0.42	0.50	1.66	0.61	27.00
अन्य	—	—	—	—	—	—

राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
31 मार्च, 2017 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(64.31)**	**(2.41)**	**(3.86)**	**(13.84)**	**(7.34)**	**(314.03)**
चालू सेवा मूल्य	—	(0.41)	—	—	—	(35.06)
ब्याज मूल्य	(4.66)	(0.16)	(0.26)	(0.97)	(0.54)	(22.30)
पुनःमापन						
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	5.76	0.03	0.04	0.18	0.13	65.27
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	16.52	0.23	(0.30)	(0.72)	0.26	(33.88)
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित विगत सेवा मूल्य	(84.10)	—	—	—	—	(267.07)
प्रदत्त लाभ	4.27	0.45	0.76	1.71	0.41	33.54
अन्य (बताएँ)	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2018 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(126.52)**	**(2.27)**	**(3.62)**	**(13.64)**	**(7.08)**	**(573.53)**

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

योजना परिसंपत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार हैं :

	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2016 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	**290.25**
ब्याज आय	21.04
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर है)	9.35
नियोक्ता से अंशदान	8.46
प्रदत्त लाभ	(27.00)
31 मार्च, 2017 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	**302.10**
ब्याज आय	22.64
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(0.88)
अन्य (बताएँ)	(0.25)
नियोक्ता से अंशदान	12.40
प्रदत्त लाभ	(33.53)
31 मार्च, 2018 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	**302.48**

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है :

	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य निम्नानुसार है	
	31-03-2018 को	**31-03-2017 को**
निधियों में निवेश:		
1. बीमा कंपनियाँ	302.48	302.10
योग	**302.48**	**302.10**

31.ग परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथा संगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण — **राशि करोड़ ₹ में**

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2016-17	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	2.95	2.77	0.08	0.07	0.08	0.08
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	4.58%	4.31%	3.19%	3.02%	2.14%	2.07%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	1.43	1.12	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.23%	1.74%	—	—	—	—
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.20	0.20	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.31%	0.31%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.14	0.14	0.01	0.01	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.21%	0.21%	0.51%	0.51%	0.03%	0.03%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2016-17	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.40	0.38	0.28	0.27	10.70	10.07
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.86%	2.71%	3.82%	3.62%	3.41%	3.21%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	**1.35**	**1.52**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	—	—	0.43%	0.48%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**0.01**	**0.01**	—	—	**0.34**	**0.34**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.11%	0.11%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	—	—	—	—	**2.11**	**2.11**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.67%	0.67%

राशि करोड़ ₹ में

31.ग परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2017-18	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(+/(-) 0.5%)]	3.87	3.74	0.07	0.07	0.08	0.07
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	3.06%	2.95%	3.19%	3.02%	2.14%	2.07%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.07	0.15	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.05%	0.12%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.73	0.81	0.01	0.01	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.58%	0.64%	0.51%	0.51%	0.03%	0.03%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2017-18	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(+/(-) 0.5%)]	0.39	0.37	0.27	0.26	17.74	16.77
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.86%	2.71%	3.82%	3.62%	3.09%	2.92%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	4.31	4.27
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.75%	0.74%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.01	0.01	—	—	0.49	0.49
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.09%	0.09%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	—	—	—	—	3.49	3.49
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.61%	0.61%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि एक-दूसरे से अलगाव पर आकलनों में परिवर्तन आ पाएगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है।

संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

32. अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	भंडार और कलपुर्जों की खपत	344.52	318.57
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव		
	(1) भवन	38.75	30.49
	(2) मशीनरी	155.94	138.71
	(3) अन्य	24.82	20.16
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय		
	(1) जल प्रभार	26.71	24.18
	(2) रॉयल्टी	127.70	108.53
	(3) जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	40.88	34.73
	(4) सतत तकनीकी सहयोग व्यय	8.76	8.52
	(5) अन्य	72.35	54.47
(घ)	माल भाड़ा एवं संचालन खर्च		
	(1) आवक सामग्री (एल्यूमिना)	113.45	102.16
	(2) जावक सामग्री	152.97	163.97
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय		
	(i) लेखापरीक्षक के रूप में	0.26	0.26
	(ii) कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.08	0.05
	(iii) अन्य सेवाओं के लिए	0.22	0.21
	(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.12	0.02
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.03	0.03
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय	117.77	104.57
(ज)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 32.1 का संदर्भ लें]	29.01	29.69
(झ)	प्रशासिनक एवं सामान्य व्यय	109.90	97.94
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व	120.37	63.02
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान	7.06	178.12
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय	28.16	27.83
(ड)	मालसूची, दावे आदि का बट्टे खाते में डालना	15.98	27.96
(ढ)	खराब एवं संदिग्ध प्रावधान	13.43	56.93
(ण)	अन्य	40.90	37.10
कुल अन्य व्यय		**1,590.14**	**1,628.22**

टिप्पणी :

32.1 निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय :

क) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि ₹ 27.88 करोड़ है (31 मार्च, 2017 ₹ 27.56 करोड़)

ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i)	परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण	₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.32 करोड़)
ii)	उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	₹ 29.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 29.69 करोड़)
	कुल	₹ 29.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.01 करोड़)

33. अपवादिक मदें

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
अपवादिक मदें			
क.	जल प्रभार पर विवादित ब्याज के विरुद्ध प्रावधान का पुनरांकन [टिप्पणी : 33.1 का संदर्भ लें]	(785.71)	
ख.	बॉक्साइट निष्कर्षण पर डीएमएफ के अंशदान बाबत देयता का व्युत्क्रमण	(18.32)	—
ग.	कोयला के क्रय पर डीएमएफ अंशदान की वापसी का दावा	(22.37)	—
घ.	ब्याज सब्सिडी के रूप में रोजगार लाभ [टिप्पणी: 33.2 का संदर्भ लें]	46.44	—
ङ.	उपर्युक्त (घ) के बाबत कर्मचारियों के अग्रिम पर संदिग्ध प्रावधान का पुनरांकन [टिप्पणी: 33.2 का संदर्भ लें]	(44.12)	—
च.	अन्य (आय)/व्यय	—	40.15
	कुल अपवादिक मदें	**(824.08)**	**40.15**

टिप्पणी:

33.1 जल प्रभार बकाये के ब्याज दावे पर जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार के साथ विवाद वर्ष के दौरान निपटा दिया गया है। निपटारा की शर्तों के अनुसार कंपनी ने 31.10.2017 तक प्रोद्भूत देयता के निपटान स्वरूप में एकबार में ₹ 58.18 करोड़ का भुगतान किया। निपटान के फलस्वरूप 31.03.2017 तक बहियों में प्रदान की गई ₹ 785.71 करोड़ की अतिरिक्त देयता पुनरांकित की गई है एवं अपवादिक मद के रूप में विवेचित हुई है।

33.2 डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल ने 5 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में, परिलब्धियों की सूची से "ब्याज सब्सिडी" मद को हटाते हुए 2007 के पुराने वेतन संशोधन परिपत्र के सुधार को अनुमोदित किया। इसी अनुसार, कर्मचारियों को दिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी के मूल्य, जो अनुरूपी राशि द्वारा कर्मचारी लाभ व्यय को कम करते हुए उनसे अब तक वसूली योग्य अग्रिम के रूप में रखा गया था, उगाही योग्य नहीं रहा है। चूँकि कर्मचारियों द्वारा अदालत में इस मुद्दे को चुनौती दी गई थी, इसे वसूली के लिए संदिग्ध के रूप में विवेचित करते हुए ऐसे अग्रिम के लिए समुचित प्रावधान किए गए थे। तदुपरांत तुलन पत्र की तिथि को समायोजित गतिविधि के रूप में विवेचित हुआ और इसी अनुसार पूर्व में अग्रिम के रूप में परिवर्तित ब्याज सब्सिडी की राशि को वर्तमान वर्ष में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप रखा गया अनुरूप प्रावधान वर्तमान में पुनरांकित हुआ है एवं आय के रूप में लिया गया है। व्यय एवं प्रावधान के पुनरांकन, दोनों अपवादिक मद के रूप में लिए गए हैं।

33.3 केन्द्र सरकार ने खान एवं खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान में अंशदान) नियम पेश किया जिससे कंपनी जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) को अंशदान के रूप में खनिज एवं कोयले पर रॉयल्टी के लिए 30% अंशदान देने हेतु देय है। नियमों के अनुसार, किए जाने वाले अंशदान को 12.01.2015 से प्रभावी किया गया था। प्रयोज्यता की तिथि को भारतीय खनिज उद्योग संघ द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसकी कि कंपनी एक सदस्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.10.2017 के निर्णय के अनुसार, खनिज एवं कोयले के लिए डीएमएफ में अंशदान क्रमशः 17.09.2015 एवं 20.10.2015 से प्रभावी होगा। ये वो तिथियाँ हैं जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा दरें निर्धारित की गई थी या राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्थापित डीएमएफ जिस तिथि से प्रभावित हुई थी, जो भी बाद में हो। इसी अनुसार, कंपनी ने खनिज के लिए 12.01.2015 से 16.09.2015 तक की अवधि के लिए प्रदत्त देयता को उत्क्रमित किया एवं 12.01.2015 से 19.10.2015 तक की अवधि के दौरान कोयले के क्रय पर भुगतान किए गए डीएमएफ अंशदान की वापसी का दावा किया। देयता के उत्क्रमण एवं वापसी के दावे को वर्तमान वर्ष की आय में अपवादिक मद के रूप में लिया गया है।

34. आय कर

राशि करोड़ ₹ में

34.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	521.99	219.57
पूर्व वर्षों के संबंध में	271.19	(0.05)
	793.18	**219.52**
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(101.71)	97.81
पूर्व वर्षों के संबंध में	—	(3.68)
अन्य (एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र)	4.95	(17.46)
	(96.76)	**76.67**
चालू वर्ष में स्वीकृत आय कर व्यय का योग	**696.42**	**296.19**

वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है : **राशि करोड़ ₹ में**

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**2,038.83**	**964.72**
उस पर आय कर व्यय @ 34.608% :	**705.60**	**333.87**
कर का प्रभाव -		
i) कराधान से मुक्त आय	(23.71)	(12.39)
ii) अस्वीकार योग्य व्यय (स्थायी अंतर)	9.89	10.24
iii) व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकार योग्य व्यय	(12.53)	(0.97)
iv) रियायत का प्रभाव (अनुसंधान एवं विकास और अन्य भत्ते)	(12.95)	(21.94)
v) दीर्घकालीन पूंजी लाभ के लिए अंतर	8.54	—
vi) पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	29.16	—
vii) अन्य	(7.58)	(12.62)
लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय	**696.42**	**296.19**

34.2 इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
शेयरों की पुनर्खरीद लागत	—	(3.06)
इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर	**—**	**(3.06)**

34.3 अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर		
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय और व्यय के फलस्वरूप उत्पन्न		
- परिभाषित लाभ दायित्व का पुनःमापन	2.63	4.80
अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आय कर	**2.63**	**4.80**
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर का विभाजन जिनमें है :		
मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएंगी	—	—
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	**2.63**	**4.80**

35. खंड की सूचना

35.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आबंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द कंपनी का व्यवस्थापन किया है। कंपनी में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत कंपनी का रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार है :

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

35.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से कंपनी के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत है:

राशि करोड़ ₹ में

	खंड राजस्व	
प्रचालन खंड	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	**5162.02**	**4046.21**
एल्यूमिनियम खंड	**6408.81**	**5537.42**
अनाबंटित	126.75	108.64
प्रचालनों का योग	11,697.58	9,692.27
घटाएँ : अंतरखंड राजस्व	2,079.27	1,642.25
प्रचालनों से राजस्व	**9,618.31**	**8,050.02**

	खंड परिणाम	
प्रचालन खंड	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	1,520.83	976.92
एल्यूमिनियम खंड	(367.07)	(224.78)
अपवादिक मदें, ब्याज और कर से पूर्व खंड परिणाम	**1,153.76**	**752.14**
अपवादिक आय (व्यय)	824.08	(40.15)
ब्याज और वित्त प्रभार	1.95	2.69
ब्याज और लाभांश आय	240.37	383.03
अनाबंटित आय को छोड़कर अन्य अनाबंटित आय	(177.43)	(127.61)
कर-पूर्व लाभ	**2,038.83**	**964.72**

35.3 खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2018 को यथा	**31.03.2017 को यथा**	**31.03.2018 को यथा**	**31.03.2017 को यथा**
रसायन खंड	4,041.84	3,643.06	1041.48	780.06
एल्यूमिनियम खंड	5,117.43	5,165.16	1606.60	1902.94
खंड परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	**9,159.27**	**8,808.22**	**2,648.08**	**2,683.00**
अनाबंटित	5,454.53	5,693.44	309.46	367.28
परिसंपत्तयों और देयताओं का योग	**14,613.80**	**14,501.65**	**2,957.54**	**3,050.28**

35.4 अन्य खंड की सूचना

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	174.36	173.01	256.64	(3.10)
एल्यूमिनियम खंड	248.31	270.62	(119.74)	(67.90)
अनाबंटित	57.74	36.72	17.14	(449.68)
प्रचालनों का योग	**480.40**	**480.36**	**154.04**	**(520.68)**

	गैर-नकद व्यय वाली सामग्री	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	45.70	6.24
एल्यूमिनियम खंड	85.53	64.37
अनाबंटित	7.56	(0.21)
	138.79	**70.39**

राशि करोड़ ₹ में

35.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से कंपनी के राजस्व का विवरण निम्नवत् है :

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	3,199.37	2,584.25
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	6,216.38	5,272.19
	9,415.75	**7,856.44**

35.6 भौगलिक सूचना

कंपनी का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है।

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
भारत	5,340.29	4,231.45	8,999.90	8,845.86
भारत के बाहर	4,075.46	3,624.99	—	—
योग	**9,415.75**	**7,856.44**	**8,999.90**	**8,845.86**

टिप्पणी:

i) निस्तप्त एल्यूमिना के अंतर-खंड अंतरण को अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों से औसत बिक्री वसूली पर परिशोधन से विशाखापत्तनम स्थित पत्तन तक किराए (फ्रेट) और निर्यात प्रोत्साहन के योग को घटाते हुए विचार किया गया है। एल्यूमिनियम खंड से रसायन खंड में विद्युत के अंतरण को एल्यूमिना परिशोधन स्थित राज्य ग्रिड से विद्युत के वार्षिक/आवधिक औसत क्रय मूल्य पर विचार किया गया है।

ii) राजस्व एवं व्यय को प्रचालन गतिविधियों में उनके संबंध के आधार पर खंडों के लिए चिह्नित किया गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं जो समग्र रूप में उद्यम से सम्बंधित हैं और तर्कसंगत के आधार पर आबंटन-योग्य नहीं हैं, को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

36. प्रति शेयर आय

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
		₹ प्रति शेयर	₹ प्रति शेयर
36.1	**मूल आय प्रति शेयर (₹)**		
	कुल प्रचालनों से	6.94	2.98
	कुल मूल आय प्रति शेयर	**6.94**	**2.98**

36.2 मूल आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है :

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोप्य वर्ष के लाभ	1,342.41	668.53
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय	**1,342.41**	**668.53**

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	**193.29**	**224.71**

37. वित्तीय प्रपत्र

राशि करोड़ ₹ में

37.1 वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर आकलित (एफवीटीपीएल)		
(क) अनिवार्य रूप से आकलित :		
(i) म्यूच्युअल फंड में निवेश	592.96	1221.13
(ii) विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण संविदा	शून्य	शून्य
परिशोधित मूल्य पर आकलित		
(क) नकद एवं बैंक शेष	25.35	24.83
(ख) परिशोधित मूल्य पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,389.28	2,770.76
	4,007.59	**4,016.72**
वित्तीय देयताएँ		
परिशोधित मूल्य पर आकलित	**1,538.08**	**1,386.62**

37.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ा है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से सम्बंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ धारणीय व्यवसाय वृद्धि ;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता के तहत सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा कंपनी की ओर से उपयुक्त विनियमनों, जहाँ भी प्रयोज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अतएव, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

37.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौती/पूर्वचुकौती के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रहती है। बाजार के भावी विशिष्ट संचलनों का साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

37.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधित मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्य अंकित हुई हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा के मूल्य में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित एवं मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:-

	देयताएँ		परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2018 को	31.03.2017 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
यूएसडी	33.96	1.96	173.98	98.57
यूरो	15.13	2.57	—	—

37.4.1 विदेशी मुद्रा का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीकरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों को सकल विद्यामानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रुपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2018 एवं 31 मार्च, 2017 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है:

	यूएसडी का प्रभाव		यूरो का प्रभाव	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	14.0	9.7	1.51	0.26

37.5 अन्य मूल्य जोखिम

37.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नहीं है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

37.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह वित्तीय हानि जोखिम है जो अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है।

वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।

37.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध हैं।

कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाते कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

38. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

38.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

I) **पूर्णकालिक निदेशक**

(क)	डॉ. टी.के. चान्द	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री के सी सामल	निदेशक (वित्त)
(ग)	श्री व्ही बालसुब्रमण्यम	निदेशक (उत्पादन)
(घ)	श्री बी के ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)
(ङ)	श्री एस के रॉय	निदेशक (परि. एवं तक.)

अन्य

श्री के एन रवीन्द्र	कार्यपालक निदेशक - कंपनी सचिव (31.05.2017 तक)
श्री एन के महान्ति	कंपनी सचिव (01.06.2017 से प्रभावी)

II) **अंशकालिक सरकारी निदेशक : (भारत सरकार के मनोनीत):**

(क) श्री सुभाष चन्द्र, आईएफएस (16.02.2018 तक)
(ख) डॉ. एन के सिंह, आईएफएस (27.03.2018 तक)
(ग) डॉ. के राजेश्वर राव, आईएएस (19.02.2018 से प्रभावी)
(घ) श्री अनिल कुमार नायक, आईओएफएस (27.03.2018 से प्रभावी)

III) **अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक:**

(क) श्री दीपंकर महन्त
(ख) श्री एस. शंकररमण
(ग) श्री प्रभात केशरी नायक
(घ) प्रो. दामोदर आचार्य
(ङ) श्री महेश्वर साहु
(च) श्रीमती किरण घई सिन्हा
(छ) श्री एन एन शर्मा (06.09.2017 से प्रभावी)
(ज) श्रीमती अचला सिन्हा (08.09.2017 से प्रभावी)

ख. संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी

(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.
(ख) एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.
(ग) जीएसीएल नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.

ग. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में (क) में चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

ङ. सरकार जिनके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है :

(क) भारत सरकार

च. संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई के साथ कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।

i) **वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय**

क) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
ख) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
घ) महानदी कोलफील्ड्स लि.
ङ) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
च) सिंगरेनी कोलियरीज़ लि.
छ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
ज) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
झ) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.
ञ) भारत अर्थमूवर्स लि.
ट) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि.
ठ) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.
ड) बामर लॉरी एण्ड कं.
ढ) पूर्व तट रेलवे
ण) विशाखापत्तनम् पोर्ट ट्रस्ट
त) मेकॉन लिमिटेड
थ) इंजिनियर्स इंडिया लि.

ii) **वस्तुओं का विक्रय**

क) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन (एनएसआईसी)

ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

घ) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि.

38.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक — राशि करोड़ ₹ में

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
— वेतन	3.22	3.04
— भविष्य निधि में अंशदान	0.21	0.20
— चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
— अन्य लाभ	0.03	0.03
रोजगार उपरांत लाभ #	(0.01)	
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.03	
कुल	**3.49**	**3.28**

चूँकि रोजगार-उपरांत लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया गया है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ये व्यय समानुपातिक आधार पर विवेचित हैं।

प्रमुख प्रबंथकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम

विवरण	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
वर्ष के अंत में बकाया	0.01	0.04
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.07	0.09

II. संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

वर्ष के दौरान कंपनी ने सं.उ. (संयुक्त उद्यम) के साथ निम्नलिखित लेनदेन किया है। — राशि करोड़ ₹ में

सं.उ. का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि..	इक्विटी अंशदान (राइट्स इश्यू)	1.52	—
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि..	इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि)	—	13.71
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.		—	—
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (अधिमान्य इश्यू)	48.53	—
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (राइट्स इश्यू)	28.00	—
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि)	—	22.8
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	प्राप्य - जनशक्ति सहयोग	0.03	0.24

रिपोर्टिंग दिन के अंत में शेष

सं.उ. का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि..	इक्विटी में निवेश	16.22	14.7
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.	इक्विटी में निवेश	0.03	0.03
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	101.33	24.8
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	प्राप्य - जनशक्ति सहयोग	51.33	0.47

टिप्पणी : मेसर्स अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. एवं मेसर्स जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एण्ड केमिकल्स लि. में 31.03.2017 को इक्विटी निवेश में क्रमशः ₹ 13.71 करोड़ एवं ₹ 22.80 करोड़ शामिल हैं।

राशि करोड़ ₹ में

III. रोजगार उपरांत लाभ योजना

वर्ष के दौरान लेनदेन

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान	332.99	95.79
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी	12.6	8.46

वर्ष के अंत में बकाया शेष

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान देय	38.45	21.2
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी के लिए देय	271.05	12.08

IV. नालको फाउंडेशन

विवरण	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
नि.सा.उ. ट्रस्ट में अंशदान	21.50	7.00

V. भारत सरकार : वर्ष के दौरान लेनदेन

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
शेयरों की पुनर्खरीद	—	2835.00
अंतरिम लाभांश-2017-18	546.947	—
अंतिम लाभांश-2015-16	—	108.11
अंतरिम लाभांश-2016-17	—	403.62

VI. सीपीएसई/सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	2747.9	1392.11
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री	1147.49	1016.21

वर्ष के अंत में बकाया शेष

विवरण	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए देय	195.03	92.3
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य	—	0.41

39. पिछले वर्ष के आँकड़ो का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए बी के सरावगी)
साझेदार (एम. सं. : 054894)

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए राजेन्द्र पात्र)
साझेदार (एम. सं. : 019423)

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 26 मई, 2018

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के प्रति

समेकित वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड** (इसके पश्चात् "कम्पनी" के रूप में संदर्भित) और इसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से इसकी नियंत्रित संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों की, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का समेकित विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके पश्चात् "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात् "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत उल्लिखित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) समेत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुसार कम्पनी के संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं समेत समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन , अन्य व्यापक आय, समेकित नकद प्रवाह एवं इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है।

कम्पनी के निदेशक मंडल और इसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से इसकी नियंत्रित कंपनियों के उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का व्यवस्थापन शामिल है, जो संबंधित कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग के लिए, तर्क एवं आकलन देने जो यथा संगत एवं विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए जो लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में सुसंगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो, जो उपर्युक्त अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य प्रयोग किए गए हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षण मानकों और विषयवस्तुओं को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें एवं उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना करें एवं निष्पादन करें कि समेकित वित्तीय विवरण गलत बयानबाजी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में राशियों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटन की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे जालसाजी या चूक के कारण से हो। उन जोखिम आकलनों को तैयार करते समय, लेखापरीक्षक कम्पनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को निरूपित करने में सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की उचितता और साथ ही वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत् उपरोक्त कथित समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अपेक्षानुसार यथा अपेक्षित जानकारी देते हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के समरूप में 31 मार्च, 2018 की स्थिति को कम्पनी और इसकी सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं के मामलों की समेकित मामलें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ, अन्य व्यापक आय, इसके समेकित नकद प्रवाह और इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विषयवस्तु

हमने सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इन संस्थाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमे समेकित वित्तीय विवरणों में विवेचित अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की भागीदारी वाली 0.22 करोड़ की निवल हानि शामिल है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई है एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी राय, जहाँ तक संयुक्त रूप से नियंत्रित इस संस्थाओं के बारे में सम्मिलित राशियों और प्रकटन से संबंधित है एवं अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराएँ (3) एवं (11) के अनुसार, हमारी रिपोर्ट जहाँ तक इन सहयोगी संयुक्त रूप से नियंत्रित उपर्युक्त संस्थाओं से संबंधित है, पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और किए जा चुके कार्य के क्षेत्र में निर्भरता के संदर्भ में उपरोक्त विषयों के संदर्भ में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षितों पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के निर्देशों के अनुरूप हम इस रिपोर्ट के परिशिष्ट ''क" में दिए गए विशिष्ट विषयों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

   क. हमने वो सभी जानकारी एवं व्याख्याएं मांगी हैं एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

   ख. हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित यथोचित लेखाबहियों का रखरखाव किया गया है।

   ग. इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण एवं समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ संबंधित लेखा बहियों की अनुरूपता में हैं।

   घ. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

   ङ. इसके सहयोगी एवं अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) कम्पनी पर लागू नहीं है एवं भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित इन कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, इन सहयोगियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2018 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं किया गया है।

   च. कम्पनी और इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के विषय में, परिशिष्ट "ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

   छ. कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिकः

      i. समेकित वित्तीय विवरण, कम्पनी और इसके सहयोगियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं पर लम्बित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट करते हैं - समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 25 का संदर्भ लें। समेकित वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव निर्धारणयोग्य नहीं है, क्योंकि विषयवस्तु विचाराधीन है।

      ii. कम्पनी और इसकी सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं के पास व्युत्पन्न संविदाएँ समेत दीर्घमियादी संविदाएँ नहीं हैं जिसके लिए पहले से ही भौतिक क्षतियाँ थी।

      iii. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कम्पनी द्वारा अंतरित की जाने वाली किसी राशि के अंतरण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए बी. के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए राजेन्द्र पात्र)
साझेदार
सदस्यता सं. 019423

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26.05.2018

अनुलग्नक "क"

(पैराग्राफ 1 में संदर्भित हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं नियामक्या आवश्यकताओं पर रिपोर्ट)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण और कम्पनी की लेखे एवं अभिलेखों की हमारी जाँच और सहायक एवं संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट के आधार पर, परिस्थिति अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (i) कम्पनी के साथ इसकी सहयोगी और संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों के पास तदनुसार पूर्णस्वामित्व वाली या पट्टे पर प्राप्त भूमि पर पूर्ण स्वामित्व या पट्टे पर प्राप्त स्वामित्व है जहाँ भी स्वामित्व/पट्टे के दस्तावेजों का निष्पादन किया गया है। 9878.52 एकड़ पट्टे की भूमि और 8022.63 एकड़ पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में से 2244.55 एकड़ पट्टे की भूमि एवं 66.92 एकड़ पूर्ण स्वमित्व की भूमि के स्वामित्व/पट्टे के दस्तावेजों का निष्पादन अब तक नहीं किया गया है। तथापि कम्पनी को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कथित भूमि पर संचालन का कार्य करने की अनुमति दी गई है।

   (ii) अग्रिम को बट्टे खाते में डाल देना, कर्ज़दारों, दावों के 7 मामले हैं जिनकी राशि निम्नवत् ₹ 31.98 लाख है। बट्टे खाते में डाल देने का कारण, जैसा हमारे समक्ष स्पष्ट किया गया है कि लम्बे समय से चल रहा पहले का असमयोजित/बकाया शेष हैं जो समय-बाधित हो चुका हैं और जिसके पुनर्भुगतान/समायोजन की संभावना बेहद कम है।

बट्टे खाते में डालना/अधित्याग के प्रकार	मामलों की संख्या	राशि ₹ लाख में
अग्रिम	1	0.22
दावे	6	31.76
कुल	**7**	**31.98**

   (iii) (क) कम्पनी द्वारा इसकी सहयोगी और संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों सहित तृतीय पक्ष के पास रखी गई सूचियों हेतु समुचित अभिलेख रखा गया है।

   (ख) कम्पनी ने इसकी सहयोगी एवं संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों सहित वर्ष के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा उपहार/अनुदान(नों) के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है।

2. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट, अब तक जैसा कि इस कम्पनी की सहायक और स्वतंत्र नियंत्रित कम्पनियों से संबंधित है, ऐसी सहायक एवं संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना और ऐसी सहायक एवं संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों के लेखापरीक्षकों (इसके उपरांत इनका उल्लेख "अन्य लेखा परीक्षक" के रूप में होगा) के परवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है। कम्पनी में एक सहयोगी और दो संयुक्त नियंत्रित कम्पनियां हैं। । जैसा कि हमें सूचित किया गया है जीएसीएल – नालको एल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित एक संस्था एक सरकारी कम्पनी नहीं है और इस पर धारा 143(5) इसके लिए लागू नहीं है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए बी. के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए राजेन्द्र पात्र)
साझेदार
सदस्यता सं. 019423

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26.05.2018

31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

अनुलग्नक "ख"

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की
उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड** (इसके पश्चात "कम्पनी" के रूप में संदर्भित) और इसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं, जो उस तिथि को भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी के संबंधित निदेशक मंडल एवं इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी कम्पनियों, जो भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वित करने एवं बनाए रखना जो संबंधित कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") एवं लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर प्रयोज्य है । उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखासाक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा साक्ष्य प्राप्त किया है एवं अन्य लेखापरीक्षकों के नीचे अनुच्छेद की अन्य विषयवस्तु में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में हैं जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती है, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेनों को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित है एवं कि कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार तैयार किये जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाली मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण, चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कम्पनी और इसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं, जो भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर एसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2018 को प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

अन्य विषयवस्तु

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रचालन प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अन्तर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहाँ तक कम्पनी की सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं, जो भारत में निगमित कम्पनियाँ हैं, का संबंध है, ऐसी कम्पनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए बी. के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए राजेन्द्र पात्र)
साझेदार
सदस्यता सं. 019423

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26.05.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 26 मई, 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए की है परंतु इसकी सहयोगी कंपनियों एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड और अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, इसकी सहयोगी कम्पनी जीएसीएल –नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, निजी क्षेत्र की संस्था होने के कारण न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और न ही अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन पर अधिनियम की धारा 139 (5) एवं 143(6)(क) लागू होती है। अतएव, सी एण्ड एजी ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है और न ही इस कम्पनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त नहीं हुआ है जिससे सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक और उनकी ओर से

(सुपर्णा देव)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य ऑडिट बोर्ड –I, कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 जून 2018

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च, 2018 को यथा

राशि करोड़ ₹ में

विवरण			टिप्पणियाँ	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
परिसंपत्तियाँ					
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**				
	(क)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5	7,019.38	7,018.63
	(ख)	पूँजी कार्य-प्रगति में	6	825.83	514.65
	(ग)	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	120.08	125.80
	(घ)	विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	89.39	51.35
	(ङ)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
		(i) निवेश	9	116.75	38.91
		(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	—	—
		(iii) ऋण	11	74.96	80.60
		(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	13.14	10.77
	(च)	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	739.51	1,004.51
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			**8,999.04**	**8,845.22**
(2)	**चालू परिसंपत्तियाँ**				
	(क)	मालसूची	15	1,194.08	1,155.93
	(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
		(i) निवेश	9	592.96	1,221.13
		(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	258.13	184.25
		(iii) नकद और नकद समतुल्य	16	25.35	24.83
		(iv) ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	16	2,743.60	2,262.40
		(v) ऋण	11	29.29	36.70
		(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	152.55	156.49
	(ग)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	32.13	34.12
	(घ)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	585.81	579.94
	कुल चालू परिसंपत्तियाँ			**5,613.90**	**5,655.79**
कुल परिसंपत्तियाँ				**14,612.94**	**14,501.01**
इक्विटी एवं देनदारियाँ					
(1)	**इक्विटी**				
	(क)	इक्विटी शेयर पूँजी	17	966.46	966.46
	(ख)	अन्य इक्विटी	18	9,537.49	9,238.69
	कुल इक्विटी			**10,503.95**	**10,205.15**
	देनदारियाँ				
(2)	**गैर-चालू देनदारियाँ**				
	(क)	वित्तीय देनदारियाँ			
		(i) व्यापारिक देय	20	15.63	19.61
		(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	2.85	2.36
	(ख)	प्रावधान	22	436.09	328.11
	(ग)	आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	23	1,151.45	1,245.58
	(घ)	अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	24	62.04	48.27
	कुल गैर-चालू देनदारियाँ			**1,668.06**	**1,643.93**
(3)	**चालू देनदारियाँ**				
	(क)	वित्तीय देनदारियाँ			
		(i) उधारी	19	44.99	51.09
		(ii) व्यापारिक देय	20	961.74	844.46
		(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	512.87	469.10
	(ख)	अन्य चालू देनदारियाँ	24	545.45	1,170.21
	(ग)	प्रावधान	22	375.88	117.07
	कुल चालू देनदारियाँ			**2,440.93**	**2,651.93**
	कुल देनदारियाँ			**4,108.99**	**4,295.86**
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ				**14,612.94**	**14,501.01**

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-41) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस. एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ. टी के चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए बी के सरावगी)
साझेदार (एम. नं. :054894)

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए. राजेन्द्र पात्र)
साझेदार (एम. नं.:019423)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26 मई, 2018

समेकित लाभ और हानि का विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

		टिप्पणियाँ	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालन से राजस्व	27	9,618.31	8,050.02
II	अन्य आय	28	299.65	408.27
III	**कुल आय (I + II)**		**9,917.96**	**8,458.29**
IV	**व्यय**			
	(क) खपत हुए कच्चे माल की लागत	29	1,465.31	1,181.79
	(ख) कुल खपत हुए विद्युत एवं ईंधन	29	2,747.92	2,212.53
	(ग) तैयार माल की मालसूची एवं चालू कार्य में परिवर्तन	30	47.43	(96.59)
	(घ) कर्मचारी परिलाभ व्यय	31	2,261.20	1,537.44
	(ङ) वित्त लागत		1.95	2.69
	(च) मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	5 & 7	480.40	480.36
	(छ) उत्पाद शुल्क		108.86	506.98
	(ज) अन्य व्यय	32	1,590.14	1,628.22
	कुल व्यय (IV)		**8,703.21**	**7,453.42**
V	**विशिष्ट मदों और कर-पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)**		**1,214.75**	**1,004.87**
VI	विशिष्ट मद	33	**(824.08)**	**40.15**
VII	संयुक्त उद्यमों का लाभ / (हानि) का अंश		**(0.22)**	**(0.81)**
VIII	**कर-पूर्व लाभ/(हानि)** (V -VI+ VII)		**2,038.61**	**963.91**
IX	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर	34	793.18	219.52
	(2) आस्थगित कर	34	(96.76)	76.67
X	**इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VIII - IX)**		**1,342.19**	**667.72**
XI	**अन्य विशद आय**			
	(i) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मद - परिभाषित परिलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)		52.66	13.88
	(ii) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदों से संबंधित आयकर	34	2.63	4.80
	इस अवधि के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध) (XI)		**50.03**	**9.08**
XII	**इस अवधि के लिए कुल विशद आय (X+XI) (लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य विशद आय को समाविष्ट करके)**		**1,392.22**	**676.80**
XIII	**प्रति इक्विटी शेयर आय**			
	(1) मूल (₹ में)	36	6.94	2.97
	(2) मंदित (₹ में)	36	6.94	2.97

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-41) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस. एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ. टी के चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए बी के सरावगी)
साझेदार (एम. नं. :054894)

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए. राजेन्द्र पात्र)
साझेदार (एम. नं.:019423)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26 मई, 2018

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

क. इक्विटी शेयर पूँजी

31.03.2016 को यथा शेष	**1,288.62**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद	(322.16)
31.03.2017 को यथा शेष	**966.46**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	—
31.03.2018 को यथा शेष	**966.46**

ख.. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	पूंजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
31.03.2016 को यथा शेष	**—**	**11,461.22**	**445.08**	**11,906.30**
वर्ष के लिए लाभ	—	—	667.72	667.72
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	9.08	9.08
वर्ष के लिए कुल विशद आय	**—**	**—**	**676.80**	**676.80**
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर प्रीमियम		(2,512.81)	—	(2,512.81)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर व्यय		(5.72)	—	(5.72)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	322.16	(322.16)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(144.97)	(144.97)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(29.51)	(29.51)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(541.22)	(541.22)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(110.18)	(110.18)
31.03.2017 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.53**	**296.00**	**9,238.69**
वर्ष के लिए लाभ	—	—	1,342.19	1,342.19
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	50.03	50.03
वर्ष के लिए कुल विशद आय	**—**	**—**	**1,392.22**	**1,392.22**
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(908.48)	(908.48)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(184.94)	(184.94)
31.03.2018 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.53**	**594.80**	**9,537.49**

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस. एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ. टी के चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए बी के सरावगी)
साझेदार (एम. नं. :054894)

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए. राजेन्द्र पात्र)
साझेदार (एम. नं.:019423)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26 मई, 2018

समेकित नगदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	अवधि के लिए लाभ	**1,342.19**	**667.72**
	निम्नोक्त के लिए समायोजन :		
	लाभ या हानि में मान्य आय कर व्यय	696.42	296.19
	सहयोगियों के लाभ का अंश	—	—
	संयुक्त उद्यमों के लाभ का अंश	0.22	0.81
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	1.95	2.69
	लाभ या हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(184.79)	(292.64)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(33.65)	(8.78)
	गैर-चालू निवेशों की बिक्री से शुद्ध (लाभ)/हानि	(13.91)	—
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	(0.44)	(0.10)
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ) / हानि	(2.96)	(77.81)
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	13.43	56.93
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	15.98	27.96
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	480.40	480.36
	शुद्ध विदेशी मुद्रा (लाभ/हानि)	2.55	7.90
	कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**2,317.39**	**1,161.23**
	कार्यकारी पूँजी में संचलन:		
	माल-भंडार में (वृद्धि)/कमी	(54.62)	(129.56)
	व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(73.88)	50.96
	ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	14.62	17.75
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(23.02)	(49.52)
	व्यापारिक देय में (वृद्धि)/कमी	110.75	200.31
	अन्य वित्तीय देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	6.25	21.25
	अन्य देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	(766.01)	315.21
	प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	417.56	66.74
	प्रचालनों से सृजित (में प्रयुक्त) नगदी	**1,949.04**	**1,654.37**
	भुगतान किया गया आय कर	**(482.49)**	**(218.43)**
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**1,466.55**	**1,435.94**
ख.	**निवेशन गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(420.00)	(184.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	1,065.03	49.96
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(78.05)	(38.47)
	बैंक के पास सावधि जमा में निवेश	(326.27)	2,183.02
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	33.65	8.78
	बैंकों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	184.79	292.64
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(790.78)	(757.98)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	11.82	16.53
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(46.57)	(20.14)
	निवेशन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(366.38)**	**1,550.34**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	—	(2,834.97)
	शेयर वापस-क्रय लागत के लिए भुगतान	—	(5.72)
	अल्पावधि उधारी से आमदनी	(6.10)	51.09
	भुगतान की गई वित्तपोषण लागत	(0.13)	(0.39)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(908.48)	(686.19)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर	(184.94)	(139.69)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(1,099.65)**	**(3,615.87)**
	नगद या नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि या(कमी)	**0.52**	**(629.59)**
	वर्ष के आरम्भ में नगद और नगद समतुल्य	**24.83**	**654.42**
	वर्ष के अन्त में नगद और नगद समतुल्य [टिप्पणी सं. 16.क देखें]	**25.35**	**24.83**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े नगदी बहिर्प्रवाह/आय हैं, जैसा कि मामला हो।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस. एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(के सी सामल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03618709

(डॉ. टी के चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए बी के सरावगी)
साझेदार (एम. नं. :054894)

(सीए. राजेन्द्र पात्र)
साझेदार (एम. नं.:019423)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 26 मई, 2018

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं.1 निगम पृष्ठभूमि

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, नवरत्न कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित और भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। यह कम्पनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। यह कम्पनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक और ओड़िशा के अनुगुल में 4.60 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत तापज विद्युत संयंत्र है। साथ ही, कंपनी अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित कर रही है जो आन्ध्र प्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (जैसलमेर और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित हैं।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके सहयोगी एन.पी.सी.आई.एल.-नालको पॉवर कंपनी लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि॰ और गुजरात अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. इस समूह में हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण में 31.3.2018 को यथा समेकित तुलन-पत्र, 31.3.2018 को समाप्त अवधि के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण, 31.3.2018 को समाप्त अवधि के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण एवं इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण शामिल है।

टिप्पणी सं.2 अनुपालन का विवरण:

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, समूह ने 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित अनुसार) के तहत निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखा मानकों जो समूह पर एक वर्ष के लिए लागू एवं प्रासंगिक है, को समूह के समेकित नियम बिना किसी अपवाद के ध्यान में रखा गया है और अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी सं.3 उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

3.1 प्रचालनों का आधार

समूह के वित्तीय विवरण इंड ए.एस. और कम्पनी अधिनियम,2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

समूह के प्रचालन चक्र और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित मानकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, समूह ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोग:

ये वित्तीय विवरण इंड ए.एस. के मान्य और मापन सिद्धान्तों के साथ संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं के आधार पर तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में यदि कोई संशोधन हो तो उनका संशोधन के वर्ष में उचित रूप से लेखाकरण किया जाता है।

आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित हैं।

3.3 सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक के वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब ही मौजूद रहत है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है।

सहयोगियों या संयक्त उद्यमों के परिणाम,परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ इन समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके समाविष्ट किए गए हैं, इसके अलावा कि जब निवेश या इसका कोई भाग, बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उस मामले में इसका लेखांकन इंड ए.एस. 105 के अनुसार किया जाता है। इक्विटी पद्धति में, किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश आरम्भ में समेकित तुलन-पत्र में लागत पर मान्य किया जाता है और इसके बाद समायोजन हेतु समूह के लाभ या हानि और सहयोगी या संयुक्त उद्यम की अन्य विशद आय में मान्य किया जाता है।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम से प्राप्त वितरणों से निवेश की वहन राशि कम हो जाती है। जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम की हानि के समूह का हिस्सा उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में समूह के हित से अधिक हो जाता है (जिसमें कोई दीर्घावधि हित शामिल हों, वस्तुत, जो उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में समूह के शुद्ध निवेश का भाग रूप हो), समूह आगे और हानि को अपने हिस्से की मान्यता देना बन्द कर देता है। अतरिक्त हानियाँ केवल उसी सीमा तक मान्य की जाती हैं, कि समूह को कानूनी या रचनात्मक दायित्व वहन करना हो, या सहयोगी या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम किसी निवेश का उस तारीख से, जिससे निवेशी एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनता है, इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकन किया जाता है। किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, निवेशी की अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के समूह के अंश पर निवेश की लागत के अतिरिक्त को साख के रूप में मान्य किया जाता है, जो निवेश की वहन राशि के अंदर शामिल किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद, निवेश की लागत पर अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के समूह के अंश के किसी अतिरिक्त को सीधे इक्विटी में पूँजी आरक्षित के रूप में उसी अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वह अधिगृहीत हुई है।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के लागू होने के बाद, समूह निश्चित करता है कि क्या किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश की आरंभिक मान्यता के बाद हुई एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य मिला है और उस घटना (या घटनाओं) का शुद्ध निवेश से अनुमानित भावी नगदी प्रवाह पर कोई प्रभाव पड़ा है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके। यदि ऐसी हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य हो, तब सहयोगी या संयुक्त उद्यम में समूह के निवेश के संबंध में क्षति हानि को मान्य करना आवश्यक होता है।

जब आवश्यक हो, निवेश के समग्र वहन मूल्य इंड ए.एस. 36 के अनुसरण में, एक एकल परिसंपत्ति के रूप में परिसंपत्तियों की हानि को इसकी वसूलीयोग्य राशि (प्रयोग में उच्चतर मूल्य में से निपटान की लागत को घटाकर) इसकी वहन राशि से तुलना करके हानि का परीक्षण किया जाता है, कोई क्षति हानि मान्य होती है वह निवेश की वहन राशि का भाग होती है। उस क्षति हानि का कोई व्युत्क्रमण इंड ए.एस. 36 के अनुसरण में इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि निवेश की वसूलीयोग्य राशि बाद में बढ़ती है।

जिस तारीख से कोई निवेश एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बने रहने की समाप्ति हो जाती है, या जब निवेश बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत हो जाता है, उस तारीख से समूह इक्विटी पद्धति का उपयोग करना बन्द कर देता है। जब समूह पूर्व सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कोई हित रखता है और धारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति होता है, तो समूह धारित हित को उस तारीख को उचित मूल्य पर मापता है और इंड ए.एस. 109 के अनुसरण में उस उचित मूल्य को इसकी आरंभिक मान्यता पर इसका उचित मूल्य माना जाता है। इक्विटी पद्धति बन्द होने की तारीख को सहयोगी या संयुक्त उद्यम की वहन राशि और किसी धारित हित के बीच अंतर और सहयोगी या संयुक्त उद्यम में आंशिक हित के निपटान से हुई किसी आमदनी को सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निपटान पर लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समूह उस सहोयगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित अन्य विशद आय में पहले से मान्य की गई सभी राशि को उसी आधार पर लेखांकन करता है जैसा कि सहयोगी या संयुक्त उद्यम को संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों के सीधे निपटान पर आवश्यक होता।

समूह इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रखता है, जब सहयोगी में कोई निवेश संयुक्त उद्यम में निवेश बन जाता है या किसी संयुक्त उद्यम में निवेश सहयोगी में निवेश बन जाता है। मालिकाना हितों में ऐसे परिवर्तनों पर उचित मूल्य का कोई पुनर्मापन नहीं होता।

जब समूह किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में अपना मालिकाना हित कम करता है किन्तु समूह इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रखता है, तो समूह उस मालिकाना हित में कमी से संबंधित अन्य विशद आय में मान्य किए गए पिछले लाभ या हानि के अनुपात का लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत करता है, यदि वह लाभ या हानि संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों के निपटान पर लाभ या हानि में उस लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत किया गया हो।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हेतु लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.4.1 आरंभिक मापन

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, उधारी लागत, यदि कोई हो, संपत्ति को अपने स्थान पर वापस लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए किया हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और किसी भी परिसंपत्ति के पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमानों या अनिवार्य रूप से बंद करने और विखण्डन लागत शामिल है।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूँजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आबंटन एवं सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए धारित हैं एवं एक से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए अपेक्षित हैं, वे संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हों, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹ 1 लाख से अधिक प्रति एकक मूल्य के हों, वे भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.4.2 परवर्ती व्यय

परिसंपत्तियों के पुर्जों को बदलने की लागत एवं संपूर्ण जाँच-मरम्मत लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संभव हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान समूह को उपलब्ध होंगे, का पूँजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों की धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.4.3 पूँजी कार्य-प्रगति में

निर्माण चरण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों को प्रगति में पूँजीगत कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यताप्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूँजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं।

निवेश के निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पूँजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूँजीकरण किया जाता है।

3.4.4 मूल्यह्रास और ऋणशोधन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उनके उपयोगी जीवनकाल के आधार पर एक सीधी रेखा के तहत प्रदान किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II या जहाँ भी आवश्यक विवेचित हो, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है। यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के घटक से अलग होता है। समूह ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹ 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जो कि इसकी निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में लिया जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है एवं परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई है, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित हैं :

(क) बॉक्साइट खान में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण खान की पट्टा अवधि तक है।

(ख) ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) वाष्प विद्युत संयंत्र (वा.वि.सं.) को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक के तालाब एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन अवधि-वार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है।

जो भूमि समूह के स्वामित्व की नहीं है, उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षानुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लम्बे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उनका इस्तेमाल करना है।

ऊपर उल्लिखित के अलावा, अन्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रम सं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	वर्षों में उपयोगी जीवनकाल की सीमा
1	भवन	30 - 60
2	संयंत्र और मशीनरी	15 - 40
3	वाहन	08 - 10
4	फर्नीचर और जोड़नार	08 - 10
5	कम्प्यूटर उपकरण	06

3.4.5 परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की उसके निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द होने पर होने वाले किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.6 पुर्जे अलग करने की लागत:

सतह खनन में पुर्जे अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे अयस्क तक महत्वपूर्ण उन्नत पहुँच का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि पुर्जे अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़ी, पुर्जे अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई पुर्जे अलग करने की लागत को "पुर्जे अलग करने की लागत परिसंपत्ति" में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के पुर्जे अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित पुर्जे अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

पुर्जे अलग करने की गतिविधि की संपत्ति का बाद में, पुर्जे अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.5.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.5.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान और विकास व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माना गया पूँजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, "इंड ए.एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों।

3.5.3 खनन अधिकार

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित उच्चतम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.5.4 खान विकास व्यय

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात, भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम नहीं हो।

3.5.5 उपयोगकर्ता अधिकार

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.5.6 सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस, ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत हुए हैं।

3.5.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइज

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है।

3.5.8 अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं हो। निपटान/गैर-मान्यता के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि को, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5.9 ऋणशोधन

अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं एवं उक्त अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च को आरक्षित की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता हैं।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में परिशोधित होता है।

3.6 मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और और उपयोग-में-मूल्य) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की वसूली योग्य अनुमानित राशि वहन राशि से कम होती है, तो सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 कार्यात्मक और विदेशी मुद्राएँ

वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात् भारतीय रुपये जिसमें कंपनी का संचालन होता है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं, को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर, को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.8 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.8.1 प्रावधान

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाह का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है।

3.8.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वास और डीकमिशनिंग

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। समूह ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और निधि देनदारी को मान्यता दी है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूँजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल भर में मूल्यह्रास और रियायती दायित्व को खोलने के माध्यम से और लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमान या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत

अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.8.3 पर्यावरणीय देनदारियाँ

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होता है।

3.8.4 कानूनी दायित्व

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित समूह का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.8.5 प्रासंगिक देनदारियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि हो, जो से पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हों या वर्तमान दायित्व परंतु भुगतान संभाव्य नहीं है या राशि विश्वसनीय रूप से नहीं मापी जा सकती है। प्रासंगिक देनदारियाँ वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

3.8.6 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई हैं, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.9 पट्टे

किसी पट्टे के आरम्भ के समय, पट्टा-व्यवस्था की विषय-वस्तु के आधार पर पट्टे की व्यवस्था या तो वित्त पट्टा या ऑपरेटिंग पट्टा के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

3.9.1 वित्त पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्तीय पट्टे वे हैं जो पट्टेदार को परिसंपत्तियों के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कार को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करते हैं।

वित्त पट्टों को पट्टा के प्रारंभ में, संपत्ति के उचित मूल्य के निचले हिस्से में या न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य में पूँजीकृत किया जाता है। पट्टादाता के लिए, अनुरूपी कम वाली देयता को वित्तीय पट्टा दायित्व के रूप में तुलन-पत्र में शामिल किया गया है।

पट्टे के भुगतान को वित्त प्रभार और पट्टे के दायित्व में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष अंश पर ब्याज की निरंतर दर उपलब्ध हो सके। वित्त प्रभार सीधे पट्टे की अवधि के दौरान आय के विरुद्ध प्रभारित किए जाते हैं।

3.9.2 परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्त पट्टों के अलावा अन्य पट्टे, प्रचालन पट्टे होते हैं और उन पट्टा परिसंपत्तियों को समूह के तुलन-पत्र में मान्यता नहीं दी गई है। प्रचालन पट्टों के तहत किए जाने वाले अपफ्रंट पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि पर विभाजित किया जाता है एवं लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। परिचालन पट्टों पर ली गई संपत्ति / सुविधाओं के लिए किराया और रखरखाव प्रभार का भुगतान उस अवधि में राजस्व के लिए लिया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

3.10 माल-भंडार

कोयला और ईंधन तेल जैसी थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट की लागत नेट में कम मूल्य पर एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट के लागत-नेट में मूल्यांकन किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकन किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत या उससे अधिक पर बिक्री होने की आशा हो।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित इनकी लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का मालभंडार, शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.11 व्यापारिक प्राप्य

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशि हैं। यदि बकाया रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर भुगतान के लिए नियत है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.12 वित्तीय उपस्करण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनता है। व्यापारिक प्राप्य एवं देय को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं(लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क. नकद या नकद समतुल्य:

समूह सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि को नकद और नकद समकक्ष मानता है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक बैलेंस के रूप में माना जाता है।

ख. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक होते हैं, वो तदुपरांत परिशोधित लागत पर किए गए माप के अनुसार वर्गीकृत होती हैं एवं इसी अनुसार प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह में वृद्धि लाती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

ग. अन्य विशद आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य विशद आय के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक कारोबारी मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना है एवं इन वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे अन्य विशद आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.12.2 वित्तीय देनदारियाँ

व्यापारिक देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसमें संविदा में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्यपरक समायोजन संलग्न न किया जाए।

व्यापारिक देय सहित वित्तीय देनदारियाँ जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक संलग्न है, को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर तदुपरांत मापा जाता है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की केवल तब मान्यता रद्द होती है, जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह में अनुबंधित अधिकार समाप्त होते हैं या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित होते हैं।

3.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है या नहीं।

यदि एक वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.12.5 वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करना

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द होती है जब और केवल जब दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

नकदीकृत क्षतियों के लिए बहाली के मामले में, ठेका अंतिम रूप से तय कर लिए जाने/समाप्त होने पर, यदि नकदीकृत क्षति आरोप्य है, तो बहाल की गई राशि वापस ली जाती है एवं पूँजी संविदाओं को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ नकदीकृत क्षति सीधे परिसंपत्ति के मूल्य में बढ़ती/वृद्धि में आरोप्य है। ऐसे मामले में, बहाल की गई राशि परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

3.12.6 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यताप्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है एवं शुद्ध आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यापार के सामान्य क्रम में अवश्य लागू होना चाहिए।

3.13 संजात

संजात साधन यथा-आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.14 उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उन संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

3.15 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अनुदान प्राप्त हो पाएगा।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक स्थिति यह है कि समूह को गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

आय से जुड़े सरकारी अनुदान उन समयावधि पर लागत के साथ मिलान करने के लिए क्रमबद्ध आधार पर होते हैं, जिसके लिए वे आय के रूप में स्वीकृत क्षतिपूर्ति हेतु अभीष्ट हैं।

3.16 कर्मचारी लाभ

3.16.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभों के लिए एक दायित्व या देनदारी मान्य है जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट-रहित भुगतानयोग्य लाभ की राशि पर किया जाता है।

3.16.2 नियुक्ति-पश्चात् और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

3.16.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित योगदान में अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ एक व्यय के रूप में मान्य होती हैं, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.16.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती है। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज छोड़कर व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा घटा हुआ होता है।

3.16.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य में मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग की गई एक ही लेखांकन पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत, रोजगार की अवधि में उपार्जित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.17 राजस्व मान्यता

प्राप्त होने वाले या प्राप्ति के उचित मूल्य पर राजस्व को मापा जाता है। अनुमानित छूट और अन्य तत्समान भत्ते से राजस्व कम हो गया है।

3.17.1 माल की बिक्री

जब सभी निम्नलिखित मानदंड संतुष्टि से पूरे हों तभी कंपनी राजस्व मान्य करती है:

(क) ग्राहक को स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) आमतौर पर स्वामित्व से जुड़े सामानों के साथ कोई भी जारी प्रबंधन शामिल नहीं किया जाता है, और बेचे जाने वाले सामानों पर प्रभावी नियंत्रण भी नहीं रखा गया है;

(ग) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(घ) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ समूह के पास प्रवाहित होंगे।

3.17.2 ऊर्जा की बिक्री

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जिसमें परिशोधक को व्हीलिंग करने को छोड़कर, लेकिन उचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कीमत पर अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन भी शामिल है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर

(क) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ समूह के पास प्रवाहित होंगे;

(ग) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.17.3 लाभांश और ब्याज से आय

3.17.3.1 लाभांश

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

3.17.3.2 ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि समुह को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की माला को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, ब्याज आय समय के आधार पर अर्जित किया जाता है।

3.17.3 सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आय

प्रभार वापस लेने की प्रकृति में सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन और निर्यात पर भारतीय पण्य निर्यात योजना (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन में संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.18 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की योग राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.18.1 वर्तमान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.18.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर-व्यय या आय वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर-संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजन किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.19 असाधारण मद

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण समुह द्वारा अर्जित वित्तीय निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरूरी है।

3.20 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकद प्रवाह के विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.21 महत्वपूर्ण भूल/चूक का पुनःविवरण

भूलों और चूकों को इस अभिप्राय में लिया जाता है कि यदि पूर्वावधि आय/व्यय का कुल प्रभाव 50 करोड़ ₹ से अधिक हो गया है तो परिसंपत्तियों और देनदारियों एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्व्यक्त किया जाए।

टिप्पणी सं.4. महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं,जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की माला के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय:

निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय है, उन अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने समुह की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है: प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि समुह की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और समूह के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.2 अनिश्चितता के आकलन के मुख्य स्रोत:

भविष्य के बारे में निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की माला में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है।

4.2.1 क्षति

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों, पुनर्वास व संचालन की लागत और पूंजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

समुह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करता है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात् लाभ के लिए देनदारी

नियक्ति पश्चात् लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की देनदारी, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होती है, जो कि यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ:

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज, शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिक के जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान हैं। समूह अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करता है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया:

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उचित मूल्य माप के लिए अपने स्वरूप में पूरी तरह उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व समझकर एवं इनपुट के विचारयोग्य आकलन की डिग्री पर आधारित होते हैं, निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में भाव बोली के मूल्य (असंजित) हैं, जिन तक माप की तारीख पर समुह की पहुँच हो सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियां वे इनपुट हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल बोली लगाई गई कीमतों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; तथा;
- स्तर 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं की जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

5. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
निम्न की राशि को लेकर :		
पूर्ण स्वामित्व की भूमि	84.33	84.33
भवन	591.68	564.63
संयंत्र और उपकरण	6,245.74	6,300.69
फर्नीचर और जोड़नार	8.91	7.65
कार्यालय उपकरण	23.64	7.32
वाहन	13.06	8.93
रेलवे साइडिंग	52.02	45.08
	7,019.38	**7,018.63**

	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर और जोड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
लागत या मानी हुई लागत								
31.03.2016 को यथा शेष	**71.33**	**597.24**	**6,113.86**	**9.47**	**11.45**	**12.73**	**53.68**	**6,869.76**
जोड़	13.03	41.27	982.44	2.62	4.18	1.81	—	1,045.35
निपटान	(0.03)	—	(17.38)	(0.06)	(0.12)	(0.10)	—	(17.69)
31.03.2017 को यथा शेष	**84.33**	**638.51**	**7,078.92**	**12.03**	**15.51**	**14.44**	**53.68**	**7,897.42**
जोड़	—	63.78	372.57	3.97	20.54	6.75	10.67	478.28
निपटान	—	(0.03)	(33.06)	—	(0.04)	(0.03)	—	(33.16)
31.3.2018 को यथा शेष	**84.33**	**702.26**	**7,418.43**	**16.00**	**36.01**	**21.16**	**64.35**	**8,342.54**
संचित मूल्यह्रास और क्षति								
31.03.2016 को यथा शेष	—	**36.76**	**361.91**	**2.04**	**4.48**	**2.97**	**4.53**	**412.69**
मूल्यह्रास व्यय	—	37.12	417.45	2.38	3.79	2.55	4.07	467.36
निपटान	—	—	(1.13)	(0.04)	(0.08)	(0.01)	—	(1.26)
31.03.2017 को यथा शेष	—	**73.88**	**778.23**	**4.38**	**8.19**	**5.51**	**8.60**	**878.79**
मूल्यह्रास व्यय		36.73	416.18	2.71	4.21	2.59	3.73	466.15
निपटान		(0.03)	(21.72)	—	(0.03)	—	—	(21.78)
31.03.2018 को यथा शेष	—	**110.58**	**1,172.69**	**7.09**	**12.37**	**8.10**	**12.33**	**1,323.16**

टिप्पणियाँ :

5.1. 66.92 एकड़ भूमि को छोड़कर ओड़िशा सरकार के माध्यम से अधिग्रहीत पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के स्वत्वाधिकार विलेख कार्यान्वित हो चुके हैं। कंपनी पूर्ण-स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है और इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

5.2. ₹ 5.50 करोड़ मूल्य के कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोलकाता में खरीदे गए 6,459 वर्गफीट के कार्यालय स्थान के संबंध में पंजीकरण औपचारिकताएँ प्रगति में हैं।

5.3. वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने कोल खान प्रभाग के लिए ₹ 105.95 करोड़ की लागत पर 715.89 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि अधिग्रहीत की है। एक प्रचालन पट्टा होने के कारण, ऐसे अधिग्रहण की लागत को पट्टे की अवधि में परिशोधित किए जाने हेतु पूर्व-प्रदत्त व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, बॉक्साइट खानों के लिए पूर्ण-स्वामित्व की भूमि हेतु स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क बाबत ₹ 17.12 करोड़ का भुगतान किया गया है।

6 . पूंजी कार्य - प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
पूंजी कार्य - प्रगति में	702.91	473.33
मार्गस्थ समेत निर्माण सामग्री	124.16	42.10
	827.07	**515.43**
घटाएं : क्षति का प्रावधान	(1.24)	(0.78)
कुल पूँजी कार्य - प्रगति में	**825.83**	**514.65**

6.1. प्रगति में पूंजी कार्य की राशि में कोयला खान प्रभाग को प्रत्यक्ष आरोप्य आधारभूत संरचनात्मक विकास व्यय की बाबत ₹ 43.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 41.40 करोड़) की राशि शामिल है।

7. अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
निम्न की राशि को लेकर :		
उपभोक्ता अधिकार	9.99	11.81
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2.08	1.68
खनन अधिकार [टिप्पणी 8.1 का संदर्भ लें]	103.58	105.94
लाइसेंस	4.43	6.37
	120.08	**125.80**

राशि करोड़ ₹ में

	उपभोक्ता अधिकार	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त आस्तियाँ
लागत या मानी हुई लागत					
31.03.2016 को यथा शेष	**15.43**	**4.47**	**121.11**	**10.25**	**151.26**
जोड़		0.19	—	—	0.19
निपटान	—	—	—	—	—
31.03.2017 को यथा शेष	**15.43**	**4.66**	**121.11**	**10.25**	**151.45**
जोड़	—	2.32	6.21	—	8.53
निपटान	—	—	(0.35)	—	(0.35)
31.3.2018 को यथा शेष	**15.43**	**6.98**	**126.97**	**10.25**	**159.63**
संचित मूल्यह्रास और क्षति					
31.03.2016 को यथा शेष	**1.81**	**1.56**	**7.34**	**1.94**	**12.65**
मूल्यह्रास व्यय	1.81	1.42	7.83	1.94	13.00
निपटान	—	—	—	—	—
31.03.2017 को यथा शेष	**3.62**	**2.98**	**15.17**	**3.88**	**25.65**
मूल्यह्रास व्यय	1.82	1.92	8.57	1.94	14.25
निपटान	—	—	(0.35)	—	(0.35)
31.3.2018 को यथा शेष	**5.44**	**4.90**	**23.39**	**5.82**	**39.55**

टिप्पणियाँ :

7.1 कंपनी ओड़िशा सरकार द्वारा मंजूरीप्राप्त पट्टे पर आधारित पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। भूमिपट्टा नवीकरण के संबंध में, कंपनी ने एन.पी.वी. एवं प्रासंगिक भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकारों के अन्तर्गत अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया और कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार पर ऋण परिशोधन किया गया।

7.2 उपभोक्ता अधिकार में एक समूह परियोजना अर्थात् लक्ष्मीपुर, कोरापुट में 220 किलोवोल्ट सबस्टेशन और साथ ही सुविधा के इस्तेमाल का समान अधिकार साझा करनेवाली दो और लाभार्थी कंपनियों की समान भागीदारी के समानुपातिक मूल्य शामिल है।

8. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
खनन अधिकार	39.49	26.34
उपभोक्ता अधिकार	49.90	25.01
	89.39	**51.35**

टिप्पणियाँ :

8.1 विकासाधीन खनन अधिकार में कोयला ब्लॉक के आबंटन के लिए भुगतान की गई राशि शामिल है।

8.2 विकासाधीन उपभोक्ता अधिकार में परिशोधन संयंत्र से लक्ष्मीपुर, कोरापुट में 220 किलोवोल्ट के स्विचिंग स्टेशन तक 220 किलोवोल्ट ट्रान्समिशन (पारेषण) लाइन के लिए किया गया खर्च शामिल है।

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
क. गैर-चालू		
क.1 इक्विटी साधनों में निवेश		
क.1.1 सहयोगियों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड (पूर्ण प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के 26,000 शेयर)	0.03	0.02
सहयोगियों में कुल निवेश	**0.03**	**0.02**

सहयोगियों के विवरण

अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक सहयोगी का विवरण निम्नवत् है :

सहयोगी का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	नामिकीय विद्युत का विकास, काकरापाड़ा, गुजरात	26%	26%

टिप्पणी : न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के बोर्ड एवं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के बोर्ड ने सहयोगी कंपनी को भुगतान करने के लिए क्रमशः 20 मार्च, 2017 एवं 2 मार्च, 2017 को आयोजित बैठक में बोर्ड की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया है। जारी संस्था गैर-महत्वपूर्ण होने के कारण सहयोगी कंपनी का वित्तीय प्रभाव जारी नहीं रहा है।

सहयोगी जो व्यक्तिगत रूप से भौतिक नहीं है, की वित्तीय सूचना		
सहयोगी जो व्यक्तिगत रूप से भौतिक नहीं है, की एकीकृत सूचना		
वर्ष के लिए समूह के लाभ (हानि) का अंश	*	*
अन्य विशद आय में समूह का अंश	—	—
कुल विशद आय में समूह का अंश	*	*

* वर्ष के हानि एवं पिछले वर्ष के लिए लाभ का अंश एक हजार से रुपये से कम है

क.1.2 संयुक्त उद्यमों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2018 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2017 को यथाः ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 9,90,000 शेयर)	16.22	0.99
₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,37,10,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि	—	13.71
कुल	**16.22**	**14.70**
वर्ष के दौरान अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को ₹ 10 प्रत्येक के 1,52,33,900 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी किए है।		
जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने (31.03.2018 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 10,13,30,934 शेयर, 31.03.2017 को यथाः रु.10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 20,00,000 शेयर)।	101.33	2.00
₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 2,28,00,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि	-	22.80
कुल	**101.33**	**24.80**
वर्ष के दौरान जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को ₹ 10 प्रत्येक के 9,93,30,934 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी किए।		
संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	**117.55**	**39.50**

संयुक्त उद्यमों के विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक **संयुक्त उद्यम** का विवरण निम्नवत् है :

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह को ओड़िशा, भुवनेश्वर एवं ओड़िशा में प्रोत्साहन देना	49.00%	49.50%
(ख) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कास्टिक सोड़ा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	40.00%

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

सहयोगी जो व्यक्तिगत रूप से भौतिक नहीं है, की वित्तीय सूचना

विवरण	जीएनएएल		एएपीपीएल	
	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	210.22	0.55	3.92	1.07
चालू परिसंपत्तियाँ	47.93	25.94	42.24	36.11
गैर-चालू देनदारियाँ	—	—	11.18	20.67
चालू देनदारियाँ	8.67	1.19	0.45	0.05
परिसंपत्तियों और देनदारियों की उपर्युक्त राशि में निम्नलिखित शामिल है :				
नकद एवं नकद समतुल्य	37.87	25.94	0.03	0.02
चालू वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय एवं प्रावधान छोड़कर)	1.14	0.03	0.23	0.04
गैर-चालू वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय एवं प्रावधान छोड़कर)	—	—	11.18	20.67
राजस्व	2.63	0.11	1.17	0.82
निरंतर प्रचालनों से लाभ या हानि	(1.34)	(2.02)	0.66	0.31
वर्ष के लिए अन्य विशद आय	—	—	—	—
वर्ष के लिए कुल विशद आय	(1.34)	(2.02)	0.66	0.31
उपर्युक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल है :				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	0.01	0.00	—	—
ब्याज आय	2.63	0.11	1.17	0.82
ब्याज व्यय	—	—	—	—
आयकर व्यय/(आय)	0.73	0.03	0.23	0.14
समेकित वित्तीय विवरण में मान्यताप्राप्त सं.उ. में ब्याज की वहन राशि में उपर्युक्त सारयुक्त वित्तीय सूचना का पुनर्मिलान				
संयुक्त उद्यम की शुद्ध परिसंपत्तियाँ	249.48	2.50	34.52	2.75
सं.उ. में समूह के स्वामित्व ब्याज का समानुपात (%)	40%	40%	49%	50%
सं.उ. में समूह के स्वामित्व ब्याज का समानुपात (आईएनआर)	99.79	1.00	16.91	1.36
जोड़ें :- इक्विटी के विरुद्ध शेयर वारंट/अग्रिम का अतिरिक्त अंशदान		22.80		13.71
जोड़ें :- अधिग्रहण पर साख	—	—	—	—
घटाएं : वसूल नहीं हुए लाभ	—	—	—	—
सं.उ. की शुद्ध परिसंपत्ति में समूह का अंश	**99.79**	**23.80**	**16.91**	**15.07**
सं.उ. में समूह के ब्याज की वहन राशि	**99.79**	**23.80**	**16.91**	**15.07**

क.1.3	**अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश**		
	अनुद्धृत निवेश		
	ओड़िशा कैपिटल मार्केट एण्ड एन्टरप्राइजेस लिमिटेड (₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 2,89,000 शेयर)	0.03	0.03
	कुल - अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश	**0.03**	**0.03**
	कुल - इक्विटी साधनों में निवेश	**116.75**	**38.91**
	कुल गैर-चालू निवेश	**116.75**	**38.91**
	अतिरिक्त सूचना		
	उद्धृत निवेशों का सकल बही मूल्य एवं इसका बाजार मूल्य	—	—
	अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	116.75	38.91
	निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि	—	—

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

ख. **चालू**

म्युचुअल फंड में निवेश	'000 में एकक	31.03.2018 को यथा राशि करोड़ ₹ में	'000 में एकक	31.03.2017 को यथा राशि करोड़ ₹ में
उद्धृत निवेश	—	—	—	—
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – X	—	—	20,000	25.44
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – XII	—	—	40,000	50.81
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII – XIII	—	—	40,000	50.74
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – I	—	—	25,000	31.64
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – III	—	—	75,000	94.65
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IV	—	—	25,000	31.53
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – VI	—	—	50,000	62.87
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – VIII	—	—	35,000	43.96
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – IX	—	—	100,000	125.58
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – X	—	—	10,000	12.54
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX – XI	—	—	60,000	75.18
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-22	—	—	50,000	63.58
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-24	—	—	50,000	63.56
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-27	—	—	30,000	37.87
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-28	—	—	50,000	63.04
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-31	—	—	40,000	50.22
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-32	—	—	35,000	43.88
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-34	—	—	25,000	31.31
एसबीआई एसडीएफएस-366 डेज-सीरीज-ए-35	—	—	50,000	62.69
बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड	899	90.09	499	50.01
बीओआई एएक्सए टीए फंड	2,012	202.61	—	—
केनेरा रोबेको लिक्विड	747	75.08	298	30.00
आईडीबीआई लिक्विड फंड	998	100.06	299	30.01
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	—	—	299	30.01
यूनियन केबीसी लिक्विड	450	45.05	300	30.00
यूटीआई मनी मार्केट फंड	798	80.07	299	30.01
कुल - अन्य चालू निवेश		**592.96**		**1,221.13**
अतिरिक्त सूचनाएँ				
उद्धृत निवेशों का सकल बही मूल्य और इनका बाजार मूल्य	—	592.96	—	1,221.13
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	—	—	—	—
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि	—	—	—	—

संवर्ग-वार वर्गीकरण

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से परिमित (एफवीटीपीएल)	592.96	1,221.13
	592.96	**1,221.13**

10 . व्यापारिक प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	असुरक्षित, अच्छा माना गया	—	—
(ख)	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	37.11	37.11
	घटाएँ : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते (अपेक्षित ऋण हानि भत्ते)	37.11	37.11
	निवल गैर-चालू व्यापारिक प्राप्य	—	—

ख.	चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	असुरक्षित, अच्छा माना गया	258.13	184.25
(ख)	असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	—	—
	घटाएँ : संदिग्ध वसूली के भत्ते	—	—
	निवल चालू व्यापारिक प्राप्य	**258.13**	**184.25**

टिप्पणियाँ :

10.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरूद्ध की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को सामग्री-की आपूर्ति पर समायोजित किया जाता है। पवन निद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग की तिथि से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है। ग्रहीत विद्युत संयंत्र में सृजित अनिश्चित तापज विद्युत की बिक्री के लिए कोई व्यावसायिक व्यवस्था नहीं है। यह संयंत्र की जरूरत की दृष्टि से चक्रीय व्यवस्था के साथ जोड़ी गई है। ऐसी विद्युत बिक्री के खाते में प्राप्त राशि को निपटाने में लंबी अवधि लगती है। ऐसी बिक्री के लिए कोई प्राप्य नहीं है क्योंकि उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए ग्रिड से आहरित विद्युत की क्रय लागत ऐसी बिक्री की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक है।

10.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2018 को यथा कुल व्यापारिक प्राप्य के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं :

	ग्राहक	व्यापारिक प्राप्य का %	ग्राहक की श्रेणी
क.	हाइड्रो एल्यूमिनियम इंटरनेशनल एसए	60%	एल्यूमिना
ख.	जी-स्टीलमेट पीटीई लि.	7%	एल्यूमिनियम
ग.	आरडीपीपीसी, देवीकोट, राजस्थान	5%	पवन विद्युत

10.3 मामले से मामले के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए आशान्वित ऋण हानि भत्ते के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है। चूँकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है। कंपनी ने उधारी हानि अनुभव के आधार पर और अग्रदर्शी सूचना के आधार पर भत्तों का प्रावधान किया है।

10.4 **प्राप्यों की आयु**

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
एल्यूमिना और एल्यूमिनियम		
0-30 दिन	225.30	144.13
30 दिनों से अधिक	37.11	37.11
	262.41	**181.24**
पवन विद्युत		
उधारी अवधि के अन्दर	13.05	6.79
देय तारीख पश्चात 1-30 दिन	2.55	4.84
देय तारीख पश्चात् 30 दिन से अधिक	17.23	28.49
	32.83	**40.12**

11. ऋण

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) कर्मचारियों को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	64.44	68.62
असुरक्षित, अच्छा माना गया	10.12	11.69
(ख) अन्य को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.40	0.29
कुल गैर-चालू ऋण	**74.96**	**80.60**

ख. चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) कर्मचारियों को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	18.74	20.57
असुरक्षित, अच्छा माना गया	10.27	15.58
(ख) संबंधित पार्टियों को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया [टिप्पणी 11.2 का संदर्भ लें]	0.01	0.04
(ग) अन्य को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.27	0.51
कुल चालू ऋण	**29.29**	**36.70**

टिप्पणी :

11.1 कर्मचारियों और अन्य को ऋण परिशोधित लागत पर लिए गए हैं।

11.2 प्रासंगिक पार्टियों से बकाया ऋण की राशि कंपनी के निदेशकों द्वारा उनके निदेशक-पद में योग के पूर्व कर्मचारी के रूप में लिए गए गृह निर्माण ऋण की राशि है। इन ऋणों पर आगे टिप्पणी-38-प्रासंगिक पार्टी प्रकटन में निर्दिष्ट है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
प्रतिभूति जमा	13.14	10.77
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**13.14**	**10.77**

ख. चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) प्रतिभूति जमा [टिप्पणी 12.2 का संदर्भ लें]	151.00	151.00
(ख) कर्मचारियों को अग्रिम [टिप्पणी 33.2 का संदर्भ लें]	—	44.35
(ग) बीमा दावा प्राप्य और अन्य	10.00	12.66
सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**161.00**	**208.01**
घटाएं : खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए		
(क) कर्मचारियों को अग्रिम [टिप्पणी 33.2 का संदर्भ लें]	—	44.35
(ख) बीमा दावे	8.45	7.17
कुल खराब और संदिग्ध-अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते	**8.45**	**51.52**
कुल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**152.55**	**156.49**

टिप्पणी :

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई है।

12.2 गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जीएमडीसी) के साथ जमा किए गए ₹ 151 करोड़ की राशि 2011-12 सेवादत्त पाना बकाया है, चूंकि जीएमडीसी ने कंपनी के साथ संयुक्त रूप से गुजरात में एल्यूमिना परिशोधक की स्थापना की योजना रद्द कर दी है। लौटाने की प्रक्रिया जीएमडीसी द्वारा शुरू कर दी गई है एवं गुजरात सरकार से अनुमोदन प्रतीक्षा में है। जमा पर कोई ब्याज दावा मान्य नहीं है जब तक कि यह निश्चित न हो जाए कि ब्याज वसूला जाएगा।

13. चालू कर आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
आय कर	32.13	34.12
कुल चालू कर आस्तियाँ	**32.13**	**34.12**

14. अन्य आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क. **गैर-चालू**

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) पूँजी अग्रिम	153.83	114.88
(ख) पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम		
(1) सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	230.68	250.27
(2) आयकर प्राधिकारी के पास जमा	294.80	603.50
(3) अन्य सरकारी प्राधिकारी	4.59	4.01
(ग) अन्य		
पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
(1) पट्टा-युक्त भूमि के लिए प्रीमियम	30.22	5.26
(2) आस्थगित कर्मचारी लाभ	25.66	26.86
सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	**739.78**	**1,004.78**
घटाएँ : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते		
(क) पूँजी अग्रिम	0.27	0.27
कुल खराब एवं संदिग्ध अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते	**0.27**	**0.27**
कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	**739.51**	**1,004.51**

ख. **चालू**

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावें		
(1) निर्यात प्रोत्साहन दावे	34.23	27.16
(2) नवीकरणीय स्रोतों से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	7.27	4.09
(3) वैट, सेनवैट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूलीयोग्य	258.27	266.81
(4) सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे	33.62	10.29
(ख) पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
(1) पट्टायुक्त भूमि के लिए प्रीमियम	113.63	17.39
(2) आस्थगित कर्मचारी लाभ	4.57	5.37
(3) अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	4.12	4.43
(ग) हाथ में स्वर्ण मुद्राएँ एवं डाक टिकटें	0.07	0.08
(घ) अन्य प्राप्य	1.90	1.70
(ङ) अन्य अग्रिम		
(i) कर्मचारियों को अग्रिम	23.91	23.06
(ii) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	312.51	391.49
(iii) अन्य	5.72	30.13
सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**799.82**	**782.00**
घटाएँ : खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		
(क) वैट एवं सेनवैट क्रेडिट वसूलीयोग्य	200.27	188.83
(ख) सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे	7.74	7.74
(ग) अन्य प्राप्य	0.98	0.38
(घ) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	2.38	2.45
(ङ) अन्य	2.64	2.66
खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते	**214.01**	**202.06**
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**585.81**	**579.94**

टिप्पणी **राशि करोड़ ₹ में**

14.1 पट्टायुक्त भूमि के अधिग्रहण पर पूर्व प्रदत्त पट्टा प्रीमियम की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

	प्रारंभिक अपरिशोधित ऋण राशि	वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पट्टा प्रीमियम	वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन	अंतिम अग्रेनीत अपरिशोधित ऋण राशि
निगम कार्यालय	1.58	—	0.02	1.56
बॉक्साइट खान	3.87	17.12	1.29	19.70
परिशोधक	1.48	—	0.02	1.46
प्रद्रावक	1.24	—	0.02	1.22
कोयला खान	—	105.95	—	105.95
डब्ल्यूपीपी	14.48	—	0.52	13.96
	22.65	**123.07**	**1.87**	**143.85**

14.2 01.07.2017 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर कानून शुरू किए जाने के फलस्वरूप, संक्रमण की तिथि, को यथा, ₹ 95.78 करोड़ की अप्रत्यक्ष कर क्रेडिट (सेनवैट, सेवा कर, सीवीडी, ओवीएटी) की अविवादित राशि जीएसटी देयता के साथ समायोजित की गई है। कुल ₹ 209.99 करोड़ की पूर्व जीएसटी व्यवस्था के टैक्स क्रेडिट की विवादित राशि बहियों में चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिया जाना जारी है जिसमें से वसूली की संदिग्ध स्थिति में ₹ 200.27 करोड़ की राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

15. मालसूचियाँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	कच्चा माल	161.07	75.69
(ख)	प्रगति में कार्य	284.33	236.37
(ग)	कार्बन एनोड	77.76	93.62
(घ	तैयार माल	143.21	222.72
(ङ)	कोयला और ईंधन तेल	188.64	186.71
(च)	भंडार और कल-पुर्जे	319.48	328.60
(छ)	स्क्रैप और निपटान योग्य वस्तुएँ	19.59	12.22
कुल मालसूचियाँ		**1,194.08**	**1,155.93**
ऊपर शामिल, मार्गस्थ माल :			
(i)	कच्चा माल	17.23	9.80
(ii)	कोयला और ईंधन तेल	8.47	32.44
(iii)	भंडार और कलपुर्जे	12.88	15.81
कुल मार्गस्थ माल		**38.58**	**58.05**

टिप्पणी :

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹ 4,143.52 करोड़ है (पिछला वर्ष : ₹ 3,403.89 करोड़)।

15.2 व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹ 5.47 करोड़ (पिछला वर्ष : ₹ 13.02 करोड़) शामिल है।

15.3 ये मालसूचियाँ कैश-क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध है।

15.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति टिप्पणी 3.10 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में वर्णित है।

16.क-नकद और नकद समतुल्य

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	बैंक में शेष		
	(1) अनुसूचित बैंकों में शेष		
	(i) चालू खाते में	25.35	24.83
कुल नकद एवं नकद समतुल्य		**25.35**	**24.83**

16.ख-बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	2,586.88	2,260.61
(ख)	अनुसूचित बैंक में निश्चित किए गए शेष	156.72	1.79
कुल अन्य बैंक शेष		**2,743.60**	**2,262.40**

टिप्पणी :

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों में निश्चित किए गए शेष, विवादित विद्युत प्रभार के लिए न्यायालय के अनुदेश के तहत ₹ 1.70 करोड़ की दावाहीन लाभांश राशि एवं ₹ 155.02 करोड़ की जमा (प्रोद्भूत ब्याज समेत) बाबत जमा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक की शिक्षण और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

17. शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
अधिकृत शेयर पूँजी :		
₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	**3,000.00**
जारी और अभिदत्त पूँजी में शामिल है :		
₹ 5 प्रत्येक के 1,93,29,28,884 पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर (31.03.2017 को यथा: ₹ 5 प्रत्येक 1,93,29,28,884 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	966.46	966.46
	966.46	**966.46**

17.1 इक्विटी शेयरों का पुनर्मिलान

	शयरों की संख्या	राशि करोड़ ₹ में
31.03.2016 को यथा शेष	**2,57,72,38,512**	**1,288.62**
शेयरों की वापस खरीद	(64,43,09,628.00)	(322.16)
31.03.2017 को यथा शेष	**19,32,928,884**	**966.46**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2018 को यथा शेष	**19,32,928,884**	**966.46**

(i) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिसके प्रत्येक का मूल्य ₹ 5 के समान है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास एक मत प्रति शेयर का अधिकार है एवं उनकी धारिता पर आधारित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का समानुपातिक अधिकार इस पर है।

(ii) 2016-17 के दौरान, ₹ 5 प्रत्येक के 64,43,09,628 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की, जिसमें इक्विटी शेयर पूँजी ₹ 1,288.62 करोड़ से घटकर ₹ 966.46 करोड़ रह गई।

(iii) भारत सरकार ने 27,77,65,383 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर का विनिवेश किया है (ओएफएस के माध्यम से 17,80,69,927 संख्यक, कर्मचारी प्रस्ताव के माध्यम से 76,17,057 संख्यक एवं ईटीएफ के माध्यम से 9,20,78,399 संख्यक), जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2017 को 1,44,14,82,490 संख्यक (74.58%) से घटकर 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.20%) रह गई।

17.2 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा		31.03.2017 को यथा	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	1,16,37,17,107	60.20%	1,44,14.82,490	74.58%
भारतीय जीवन बीमा निगम	15,84,31,120	8.20%	20,43,84,512	10.57%

18. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क)	पूँजी मोचन आरक्षित	322.16	322.16
(ख)	सामान्य आरक्षित	8,620.41	8,620.41
(ग)	प्रतिधारित आय	595.78	296.76
कुल		**9,538.35**	**9,239.33**

18.1 अन्य इक्विटी में संचलन

राशि करोड़ ₹ में

	आरक्षित एवं अधिशेष			
अन्य इक्विटी	**पूँजी मोचन आरक्षित**	**सामान्य आरक्षित**	**प्रतिधारित आय**	**कुल**
31.03.2016 को यथा शेष	**—**	**11,461.10**	**445.03**	**11,906.13**
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	668.53	668.53
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	9.08	9.08
वर्ष के लिए कुल विशद आय	**—**	**—**	**677.61**	**677.61**
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	—	(2,512.81)	—	(2,512.81)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय	—	(5.72)	—	(5.72)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	322.16	(322.16)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(144.97)	(144.97)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(29.51)	(29.51)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(541.22)	(541.22)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(110.18)	(110.18)
31.03.2017 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.41**	**296.76**	**9,239.33**
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	1,342.41	1,342.41
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	50.03	50.03
वर्ष के लिए कुल विशद आय	**—**	**—**	**1,392.44**	**1,392.44**
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(908.48)	(908.48)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(184.94)	(184.94)
31.03.2018 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.41**	**595.78**	**9,538.35**

18.2 कंपनी ने 26 सितम्बर, 2016 को प्रीमियम राशि सहित ₹ 2,834.97 करोड़ की राशि के सामान्य आरक्षित में से अपने निजी इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की और परिणामस्वरूप इस प्रकार वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर की राशि ₹ 322.16 करोड़ का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 की शर्तों के अनुसार पूँजी मोचन आरक्षित खाता में हस्तांतरित किया गया।

18.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 4.7 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹ 908.48 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 541.22 करोड़ के अंतरिम लाभांश एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 144.97 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया। लाभांश की इन संबंधित राशियों पर ₹ 184.94 करोड़, ₹ 110.18 करोड़ एवं ₹ 29.51 करोड़ के लाभांश कर का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया है।

18.4 बोर्ड ने आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु ₹ 193.29 करोड़ के ₹ 1.00 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश (प्रत्येक ₹ 5 के इक्विटी शेयर पर 20%) का प्रस्ताव दिया है। लागू लाभांश वितरण कर के विचार से लाभांश भुगतान राशि ₹ 232.64 करोड़ निकाली गई है।

19. उधारी

राशि करोड़ ₹ में

चालू (परिशोधित लागत पर सुरक्षित)	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
छूट दिए गए बिलों की देनदारियाँ	44.99	51.09
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	**44.99**	**51.09**

20. व्यापारिक लेखा-देय

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
	(1) आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
	- अन्य	15.63	19.61
	कुल गैर-चालू कारोबार देय	**15.63**	**19.61**
ख.	**चालू**		
	(1) आपूर्ति और सेवा के लिए लेनदार		
	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	4.53	3.09
	- अन्य	507.50	653.80
	(2) उपार्जित मजदूरी और वेतन	449.71	187.57
	कुल चालू कारोबार देय	**961.74**	**844.46**

टिप्पणी :

20.1 उपार्जित मजदूरी और वेतन में ग्रेच्युटी सीमा के ₹ 10 लाख से ₹ 20 लाख तक बढ़ाए जाने के कारण 01.01.2017 से 28.02.2018 तक की अवधि के दौरान सेवा-निवर्त्तित कर्मचारियों को अंतरणीय ग्रेच्युटी देनदारी के निपटारे हेतु ₹ 36.80 करोड़ एवं निष्पादन संबंधी भुगतान बाबत ₹ 96.68 करोड़ की बकाया राशि के अलावा 01.01.2017 से प्रभावी गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के आसन्न वेतन संशोधन बाबत ₹ 279.15 करोड़ का देनदारी प्रावधान शामिल है।

20.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्ष की पहचान के तहत किया गया है। व्यापारिक लेखा-देय (टिप्पणी-21) एवं अन्य वित्तीय देनदारियों (टिप्पणी-22) में सम्मिलित ऐसे बकायों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन निम्नवत् है :

विवरण	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
i) बकाया मूलधन	5.82	4.49
ii) बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii) नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन	शून्य	शून्य
iv) भुगतान में विलंब (जो भुगतान किया गया, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v) वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi) शेष देय ब्याज की राशि और बाद में वर्षों के ऐसी तिथि तक देय जब उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य

21. अन्य वित्तीय देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
- अन्य	2.85	2.36
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ	**2.85**	**2.36**

ख. चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) अदत्त लाभांश	1.70	1.79
(ख) अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
(1) पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	1.29	1.40
- अन्य	397.38	359.66
(2) ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	2.24	1.57
(3) ग्राहकों को बकाये की वापसी	15.41	14.52
(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ	94.69	88.62
(5) कर्मचारी वसूली	0.16	1.54
कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	**512.87**	**469.10**

22. प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
क. गैर-चालू		
(क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	116.35	57.17
(ii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	1.82	2.40
(iii) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.32	2.51
(iv) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	10.27	10.32
(v) सेवानिवृत्ति उपहार	6.45	6.68
(2) अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ		
(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	249.77	210.57
(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	9.10	8.88
(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	16.06	7.50
(ख) अन्य प्रावधान		
(1) परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व/विखंडन	23.57	21.70
(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान	**436.09**	**328.11**

22. प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

ख. चालू	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
(क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) ग्रैचुइटी (वित्त पोषित)	271.05	12.08
(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	10.18	7.14
(iii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	0.45	0.01
(iv) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	1.30	1.35
(v) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	3.37	3.52
(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	0.63	0.67
(2) अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ		
(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	23.29	20.26
(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	0.99	0.62
(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	5.55	20.29
(ख) अन्य प्रावधान		
(1) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की बाबत (नि.सा.उ.)	32.64	33.36
(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व की बाबत	26.43	17.77
कुल चालू प्रावधान	**375.88**	**117.07**

ग. प्रावधानों का संचलन

राशि करोड़ ₹ में

(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व का संचलन [टिप्पणी 31 का संदर्भ लें]

(2) कर्मचारी लाभों का संचलन

	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	लम्बी सेवा के पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
31.03.2016 को यथा शेष	197.35	8.29	21.21
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	70.55	1.13	19.68
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(47.64)	(0.71)	(13.10)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	10.57	0.79	—
31.03.2017 को यथा शेष	**230.83**	**9.50**	**27.79**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	56.08	1.21	8.17
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	(93.54)	(2.47)	(14.35)
पुनःमापन से उत्पन्न कटौतियाँ	79.69	1.86	—
31.03.2018 को यथा शेष	**273.06**	**10.10**	**21.61**

(3) अन्य प्रावधानों का संचलन

	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.)
31.03.2016 को यथा शेष	**18.37**	**8.89**	**37.59**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	1.66	8.51	—
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	—	—	(4.23)
छूट का फैलाव	1.67	0.75	—
31.03.2017 को यथा शेष	**21.70**	**18.15**	**33.36**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.09	8.65	—
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	—	—	(0.72)
छूट का फैलाव	1.78	0.02	—
31.03.2018 को यथा शेष	**23.57**	**26.82**	**32.64**

टिप्पणी :

22.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी एवं कंपनी नियमों के अनुसार अन्य लाभ के लिए प्रदान किए गए। इनके लिए स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर देयता की स्वीकृति दी गई है।

22.2 परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमशः इंड एएस 16 एवं इंड एएस 37 के अनुरूप प्रबंधन के आकलन के आधार पर किया गया है।

22.3 नि.सा.उ. व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के आगमन से पूर्व कंपनी का अव्ययित नि.सा.उ. दायित्व है।

23. आस्थगित कर देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
आस्थगित कर देयताएँ	1,501.72	1,505.87
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	350.27	260.29
	1,151.45	**1,245.58**

2016-17	01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2017 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,365.50)	(98.43)	—	(1,463.93)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(35.16)	12.23	—	(22.93)
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(14.21)	—	(4.80)	(19.01)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,414.87)**	**(86.20)**	**(4.80)**	**(1,505.87)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	78.51	14.28	—	92.79
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	44.65	12.46	—	57.11
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	57.82	27.04	—	84.86
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	2.81	(2.81)	—	
एमएटी क्रेडिट अधिकार	—	17.46	—	17.46
अन्य	66.97	(58.90)	—	8.07
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**250.76**	**9.53**	**—**	**260.29**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,164.11)**	**(76.67)**	**(4.80)**	**(1,245.58)**

2017-18	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2018 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,463.93)	(19.00)	—	(1,482.93)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(22.93)	25.78	—	2.85
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(19.01)	—	(2.63)	(21.64)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,505.87)**	**6.78**	**(2.63)**	**(1,501.72)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	92.79	1.71	—	94.50
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	57.11	31.44	—	88.55
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	84.86	5.36	—	90.22
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	—	60.12	—	60.12
एमएटी क्रेडिट अधिकार	17.46	(4.95)	—	12.51
अन्य	8.07	(3.70)	—	4.37
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**260.29**	**89.98**	**—**	**350.27**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,245.58)**	**96.76**	**(2.63)**	**(1,151.45)**

24. अन्य देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
क.	**गैर-चालू**		
(i)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	62.04	48.27
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ		**62.04**	**48.27**
ख.	**चालू**		
(i)	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	53.06	73.36
(ii)	सांविधिक एवं अन्य बकाये		
	(क) विद्युत प्रभार [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	192.01	22.09
	(ख) स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह	40.91	15.13
	(ग) एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	47.40	30.02
	(घ) जल शुल्क बाबत विवादित बकाया	-	839.97
	(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि)	53.53	114.59
(iii)	नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व [टिप्पणी : 24.2 का संदर्भ लें]	146.87	60.34
(iv)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	10.69	13.25
(v)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान	0.58	0.61
(vi)	अन्य ऋण शेष	0.40	0.85
कुल अन्य चालू देयताएँ		**545.45**	**1,170.21**

टिप्पणी :

24.1 ओड़िशा सरकार के ऊर्जा विभाग ने दिनांक 12 मई, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से विद्युत प्रभार की दर को प्रति इकाई खपत के लिए ₹ 0.30 पैसे प्रति इकाई से बढ़ाकर 0.55 पैसे प्रति इकाई कर दिया है। उक्त अधिसूचना से असंतुष्ट होकर, ग्रहीत विद्युत संयंत्र के संघ, ओड़िशा, जिसकी कंपनी एक सदस्य है, ने ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी है। अंतरिम उपाय के तौर पर, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.06.2017 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता को अंतरणीय विद्युत प्रभार को एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में जमा करने का निर्देश दिया है जो कि समादेश याचिका के परिणाम के अधीन होगा। इसी अनुसार, कंपनी ने वर्धित दर पर विद्युत प्रभार व्यय के लिए प्रावधान किया है एवं न्यायालय के निर्देशानुसार एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में राशि जमा की गई। ऐसी जमा राशि पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। परंतु अदत्त वर्धित विद्युत प्रभार के साथ देयता के रूप में ली गई है। रिपोर्टिंग तिथि को ऐसी जमाराशियों पर प्रोद्भूत ब्याज समेत देयता ₹ 155.02 करोड़ है। इसके अलावा, राशि में अप्रैल, 18 में भुगतान किए जाने हेतु मार्च, 18 के माह के लिए अविवादित देयता भी शामिल है।

24.2 दिनांक 1 अगस्त, 2015 की ओड़िशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार एक दायित्वशील संगठन होने के कारण कंपनी के पास नवीकरणीय स्रोतों से अपनी कुल खपत के 7.5% (पिछले वर्ष 4.5%) के बराबर बिजली उत्पादन का दायित्व है, जिसमें सौर नवीकरणीय स्रोत से 3% (पिछले वर्ष 1.5%) एवं गैर सौर नवीकरणीय स्रोत से 4.5% (पिछले वर्ष 3%) शामिल है।

₹ 1,500 (पिछले वर्ष ₹ 1,500) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित 1,09,444 (पिछले वर्ष 21,066) नग गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) बाबत दिनांक 31.03.2018 को संचयी गैर-सौर दायित्व ₹ 16.42 करोड़ (दिनांक 31.03.2017 को ₹ 3.16 करोड़) है। वर्ष के दौरान नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन में 1,49,829 नग (पिछले वर्ष 1,14,493 नग) गैर-सौर आरईसी कंपनी द्वारा प्रतिधारित किए गए हैं।

सौर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से अपेक्षित मात्रा में बिजली उत्पादन के दायित्व को पूरा न कर पाने के कारण कंपनी ने ₹ 3,500 (पिछले वर्ष ₹ 3,500) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित 3,72,716 (पिछले वर्ष 1,63,371) नग सौर आरईसी के बाबत ₹ 130.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 57.18 करोड़) के लिए दिनांक 31.03.2018 तक संचयी देयता प्रदान किया है।

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा शेष	31.03.2017 को यथा शेष
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया			
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**		
1.	बिक्री कर	366.17	427.84
2.	उत्पाद शुल्क	100.68	165.46
3.	सीमा शुल्क	102.77	52.00
4.	सेवा कर	18.11	2.31
5.	आय कर	706.40	797.94
6.	प्रवेश कर एवं सड़क कर	232.28	253.19
7.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	35.49	44.21
8.	स्टाम्प ड्यूटी	204.53	204.53
9.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	136.32
10.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	93.10	93.10
11.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	—

		31.03.2018 को यथा शेष	31.03.2017 को यथा शेष
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**		
	1. ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	436.99	270.96
	कुल	**2,552.08**	**2,447.86**

कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल है :

i. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मांग की लड़ाई कर रही हैं। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओ की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी, तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25.1. आकस्मिक देयताओं का संचलन

		31.03.2017 को यथा शेष	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2018 को यथा शेष
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**				
1.	बिक्री कर	427.84	(61.67)	—	366.17
2.	उत्पाद शुल्क	165.46	(141.78)	77.00	100.68
3.	सीमा शुल्क	52.00	(45.71)	96.48	102.77
4.	सेवा कर	2.31	(1.72)	17.52	18.11
5.	आय कर	797.94	(91.54)	—	706.40
6.	प्रवेश कर एवं सड़क कर	253.19	(23.86)	2.95	232.28
7.	भूमि अधिग्रहण एवं इस पर ब्याज	44.21	(9.37)	0.65	35.49
8.	स्टाम्प ड्यूटी	204.53	—	—	204.53
9.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	—	—	136.32
10.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	93.10	—	—	93.10
11.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	—	—	119.24	119.24
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य द्वारा दावे**				
1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	270.96	(7.37)	173.40	436.99
	कुल	**2,447.86**	**(383.02)**	**487.24**	**2,552.08**

26. वचनबद्धताएँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
क)	पूँजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है	297.02	201.84
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ		
(1)	उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक के आबंटन के लिए भारत सरकार को देय राशि, मगर अभी भुगतान के लिए नियत नहीं हुआ है।	18.11	18.11
(2)	कंपनी के पक्ष में ब्लॉक के आबंटन के पुनराबंटन की शर्तों में उत्कल डी कोल ब्लॉक के परियोजना प्रस्तावक, ओड़िशा माइनिंग कॉर्पोरेशन को देय राशि	Nil	95.18
(3)	निर्यात प्रोत्साहन पूँजी वस्तु योजना के अधीन पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व	107.80	117.69
	कुल	**422.93**	**432.82**

27. प्रचालनों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क समेत)		
1)	निर्यात :		
i)	एल्यूमिना	3,047.36	2,443.04
ii)	एल्यूमिनियम	1,028.10	1,181.95
2)	घरेलू :		
i)	एल्यूमिना	152.01	141.21
ii)	एल्यूमिनियम	5,188.28	4,090.24
(ख)	विद्युत की बिक्री		
i)	तापज विद्युत	3.40	4.75
ii)	पवन विद्युत	85.97	71.80
(ग)	अन्य प्रचालन आय		
1)	निर्यात प्रोत्साहन		
i)	एल्यूमिना	33.06	30.25
ii)	एल्यूमिनियम	30.24	38.98
2)	नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन		
i)	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	33.84	28.67
ii)	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	6.94	8.18
3)	आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूँजीकृत स्वयं निर्मित वस्तुएँ	9.11	10.95
प्रचालनों से राजस्व		**9,618.31**	**8,050.02**

टिप्पणी :

27.1 एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की घरेलू बिक्री में 30.06.2017 तक विवेचित ₹ 4.22 करोड़ एवं ₹ 124.74 करोड़ की राशि का उत्पाद शुल्क शामिल है (पिछले वर्ष पूरे वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 15.88 करोड़ एवं ₹ 478.63 करोड़)। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन संग्रहित वस्तु एवं सेवा कर बिक्री में शामिल नहीं है।

28. अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	ब्याज आय		
(i)	वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई है :		
—	बैंक जमा	171.89	265.65
—	कर्मचारियों को ऋण	12.46	14.23
—	परिशोधित मूल्य पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.44	0.70
(ii)	आय कर वापसी के बाबत अर्जित ब्याज आय	—	12.06
(ख)	लाभांश आय		
—	चालू निवेशों से लाभांश	33.65	8.78
(ग)	विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि)	(2.55)	(7.90)
(घ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	2.96	77.81
(ङ)	अन्य गैर-चालू निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	13.91	—
(च)	देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं [टिप्पणी: 28.1 का संदर्भ लें]	20.56	14.29
(छ)	आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय	22.68	9.04
(ज)	अन्य	23.65	13.61
कुल अन्य आय		**299.65**	**408.27**

टिप्पणी:

28.1 रिपोर्टिंग की तिथि को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बहियों में पड़ी हुइ दावाहीन जमाराशियाँ पुनरांकित हुई हैं एवं आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

29. खपत की हुई सामग्री की लागत

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
क.	**कच्चे माल**		
(1)	कॉस्टिक सोड़ा	795.39	677.30
(2)	सी.पी. कोक	403.70	269.47
(3)	सी.टी पिच	127.80	101.13
(4)	एल्यूमिनियम फ्लूओराइड	62.67	60.05
(5)	चूना	45.06	44.45
(6)	अन्य	30.69	29.39
	खपत किए गए कच्चे माल का योग	**1,465.31**	**1,181.79**
ख.	**विद्युत एवं ईंधन**		
(1)	कोयला	1,757.22	1,531.39
(2)	ईंधन तेल	523.66	455.71
(3)	निजी उत्पादन पर शुल्क [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	400.70	214.06
(4)	विद्युत क्रय	60.36	3.99
(5)	विद्युत पारेषण प्रभार	5.98	7.38
	खपत किए गए विद्युत और ईंधन का योग	**2,747.92**	**2,212.53**

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
तैयार माल			
प्रारंभिक स्टॉक			
(1)	बॉक्साइट	3.07	7.73
(2)	रसायन	154.15	93.81
(3)	एल्यूमिनियम	41.52	25.98
	प्रारंभिक स्टॉक	**198.74**	**127.52**
जोड़ें : उत्पाद शुल्क			
(1)	बॉक्साइट	—	—
(2)	रसायन	18.22	6.06
(3)	एल्यूमिनियम	5.76	2.79
	प्रारंभिक स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	**23.98**	**8.85**
तैयार माल के प्रारंभिक स्टॉक का योग		**222.72**	**136.37**
घटाएँ :			
अंतिम स्टॉक			
(1)	बॉक्साइट	9.20	3.07
(2)	रसायन	114.18	154.15
(3)	एल्यूमिनियम	19.83	41.52
अंतिम स्टॉक		**143.21**	**198.74**
जोड़ें : उत्पाद शुल्क			
(1)	बॉक्साइट	—	—
(2)	रसायन	—	18.22
(3)	एल्यूमिनियम	—	5.76
	अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	—	**23.98**
तैयार माल के अंतिम स्टॉक का योग		**143.21**	**222.72**
तैयार माल में (अभिवृद्धि)/कमी		**79.51**	**(86.35)**

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
मध्यवर्ती उत्पाद		
प्रारंभिक स्टॉक		
एनोड	82.97	96.08
अन्य	10.65	7.17
मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक का योग	**93.62**	**103.25**
घटाएं : अंतिम स्टॉक		
एनोड	66.75	82.97
अन्य	10.99	10.65
मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक का योग	**77.74**	**93.62**
मध्यवर्ती उत्पादों में (अभिवृद्धि)/कमी	**15.88**	**9.63**
चल रहे कार्य		
प्रारंभिक स्टॉक	236.37	216.50
घटाएं : अंतिम स्टॉक	284.33	236.37
चल रहे कार्य में (अभिवृद्धि)/कमी	**(47.96)**	**(19.87)**
मालसूची में (अभिवृद्धि)/कमी का योग	**47.43**	**(96.59)**

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	बोनस सहित वेतन और मजदुरी	1,659.81	1,240.25
(ख)	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
1)	भविष्य निधि	100.89	96.00
2)	उपदान	301.91	29.38
3)	रोजगार उपरांत पेंशन योजना	88.07	88.54
(ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय	110.52	83.27
कर्मचारी लाभ व्यय का योग		**2,261.20**	**1,537.44**

टिप्पणी :

31.क. कर्मचारी लाभ

i) 01.01.2017 से प्रभावी कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन संशोधन का कार्यान्वयन वर्ष 2018 के जनवरी माह में किया गया। 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए 31.03.2017 तक प्रदत्त देयता से ऊपर का अंतरीय व्यय वर्तमान वर्ष में गैर-प्रभारित हुआ है।

ii) गैर-कार्यपालक कर्मचारी का वेतन संशोधन 01.01.2017 से नियत है जिसके लिए दीर्घकालिक मजदुरी समझौता प्रतीक्षारत है। कंपनी ने वर्तमान वर्ष के लिए वेतन संशोधन हेतु ₹ 223.72 करोड़ की देयता प्रदान की है (पिछले वर्ष 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए ₹ 55.43 करोड़)।

iii) उपदान की उच्चतम सीमा प्रति कर्मचारी ₹ 10.00 लाख से ₹ 20.00 लाख बढ़ने हेतु उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के संबंध में भारत सरकार की दिनांक 29.03.2018 की अधिसूचना के फलस्वरूप कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2018 की स्थिति को अपने कर्मचारियों की उपदान देयता के मूल्यांकन हेतु वर्धित उपदान सीमा पर विचार किया है। इसके अलावा, ₹ 36.80 करोड़ की राशि अंतरीय उपदान के बाबत प्रदान की गई है जो 01.01.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान सेवा निवर्तित कर्मचारियों को कंपनी द्वारा सीधे निपटाया जाएगा।

iv) 10 मई, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की 299वीं बैठक में उनके अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस) में दिनांक 01.04.2017 से संशोधन किया है। संशोधित योजना द्वारा उपलब्ध लाभ बीमांकक द्वारा देयता के मूल्यांकन में विवेचित किया गया है।

31.ख. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

31.ख.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) **भविष्य निधि:** कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है।

ख) **पेंशन निधि:** कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

31.ख.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **उपदान:** उपदान के भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹20,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **बंदोबस्ती लाभ:** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का अंतर, अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजनाः** कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹ 30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाः** कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹ 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजनाः** कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

31.ख.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँः** संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) **लम्बी सेवा का पुरस्कारः** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) **एनईएफएफएआरएसः** अशक्तता/मृत्यु के मामले में, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार मासिक लाभ का भुगतान करती है एवं वैचारिक सेवानिवर्तन की तारीख तक योजना के अधीन निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित राशि जमा करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएँ कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैंः-

i. **बीमांकिक जोखिमः** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता हैः प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभवः अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।

मृत्यु दर में विविधता : अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्तें नहीं है, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।

आहरण दरों में विविधताः यदि अनुमानित आहरण दर आकलन की तुलना में वास्तविक आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ पद त्याग की तिथि को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिमः** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो निवल देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

iii. **ब्याज जोखिमः** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

iv. **दीर्घायु जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. **वेतन जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य आकलन निम्नानुसार हैं :

	मूल्यांकन	
	31-03-2018 को	**31-03-2017 को**
छूट दर(रों)	7.50%	7.25%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रों)	6%	6%
मृत्युदर	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
अपघर्षण दर	1%	1%

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं :

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य		
चालू सेवा मूल्य	(35.47)	(35.34)
शुद्ध ब्याज व्यय	(28.89)	(22.45)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**(64.36)**	**(57.79)**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	(0.88)	9.35
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	71.41	(17.38)
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.89)	21.92
अन्य विशद आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**52.64**	**(3.49)**
कुल	**(11.72)**	**(61.28)**

वर्ष के लिए चालू सेवा मूल्य एवं शुद्ध ब्याज व्यय लाभ और हानि के समेकित विवरण में 'कर्मचारी लाभ व्यय' मद में सम्मिलित है।

शुद्ध परिभाषित देयता का पुनःमापन अन्य विशद आय में सम्मिलत है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न तुलन पत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
31 मार्च, 2017						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(64.31)	(2.41)	(3.86)	(13.84)	(7.34)	(314.04)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—	—	—	—	—	302.10
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(64.31)	(2.41)	(3.86)	(13.84)	(7.34)	(11.94)
31 मार्च, 2018						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(126.52)	(2.27)	(3.62)	(13.64)	(7.08)	(573.53)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					302.48
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(126.52)	(2.27)	(3.62)	(13.64)	(7.08)	(271.05)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2016 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	(61.24)	(2.74)	(3.94)	(13.13)	(6.92)	(298.02)
चालू सेवा मूल्य	(4.32)	(0.44)	—	—	—	(30.58)
ब्याज मूल्य	—	(0.18)	(0.27)	(0.89)	(0.48)	(20.63)
पुनःमापन						
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.12)	(0.11)	(0.12)	(0.56)	(0.39)	(15.08)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.89)	0.64	(0.03)	(0.92)	(0.16)	23.28
प्रदत्त लाभ	3.26	0.42	0.50	1.66	0.61	27.00
अन्य	—	—	—	—	—	—

राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
31 मार्च, 2017 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(64.31)**	**(2.41)**	**(3.86)**	**(13.84)**	**(7.34)**	**(314.03)**
चालू सेवा मूल्य	—	(0.41)	—	—	—	(35.06)
ब्याज मूल्य	(4.66)	(0.16)	(0.26)	(0.97)	(0.54)	(22.30)
पुनःमापन						
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	5.76	0.03	0.04	0.18	0.13	65.27
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	16.52	0.23	(0.30)	(0.72)	0.26	(33.88)
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित विगत सेवा मूल्य	(84.10)	—	—	—	—	(267.07)
प्रदत्त लाभ	4.27	0.45	0.76	1.71	0.41	33.54
अन्य (बताएँ)	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2018 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(126.52)**	**(2.27)**	**(3.62)**	**(13.64)**	**(7.08)**	**(573.53)**

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

योजना परिसंपत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार हैं :

	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2016 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	**290.25**
ब्याज आय	21.04
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर है)	9.35
नियोक्ता से अंशदान	8.46
प्रदत्त लाभ	(27.00)
31 मार्च, 2017 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	**302.10**
ब्याज आय	22.64
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(0.88)
अन्य (बताएँ)	(0.25)
नियोक्ता से अंशदान	12.40
प्रदत्त लाभ	(33.53)
31 मार्च, 2018 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	**302.48**

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है :

	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य निम्नानुसार है	
	31-03-2018 को	**31-03-2017 को**
निधियों में निवेश:		
1. बीमा कंपनियाँ	302.48	302.10
योग	**302.48**	**302.10**

31.ग परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथा संगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण — **राशि करोड़ ₹ में**

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2016-17	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	2.95	2.77	0.08	0.07	0.08	0.08
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	4.58%	4.31%	3.19%	3.02%	2.14%	2.07%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	1.43	1.12	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.23%	1.74%	—	—	—	—
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.20	0.20	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.31%	0.31%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.14	0.14	0.01	0.01	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.21%	0.21%	0.51%	0.51%	0.03%	0.03%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2016-17	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.40	0.38	0.28	0.27	10.70	10.07
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.86%	2.71%	3.82%	3.62%	3.41%	3.21%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	**1.35**	**1.52**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	—	—	0.43%	0.48%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**0.01**	**0.01**	—	—	**0.34**	**0.34**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.11%	0.11%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	—	—	—	—	**2.11**	**2.11**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.67%	0.67%

राशि करोड़ ₹ में

31.ग परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2017-18	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(-/(+) 0.5%)]	3.87	3.74	0.07	0.07	0.08	0.07
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	3.06%	2.95%	3.19%	3.02%	2.14%	2.07%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.07	0.15	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.05%	0.12%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.73	0.81	0.01	0.01	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.58%	0.64%	0.51%	0.51%	0.03%	0.03%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2017-18	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(-/(+) 0.5%)]	0.39	0.37	0.27	0.26	17.74	16.77
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.86%	2.71%	3.82%	3.62%	3.09%	2.92%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	4.31	4.27
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.75%	0.74%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.01	0.01	—	—	0.49	0.49
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.09%	0.09%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	—	—	—	—	3.49	3.49
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.61%	0.61%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि एक-दूसरे से अलगाव पर आकलनों में परिवर्तन आ पाएगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है।

संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

32. अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(क)	भंडार और कलपुर्जों की खपत	344.52	318.57
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव		
	(1) भवन	38.75	30.49
	(2) मशीनरी	155.94	138.71
	(3) अन्य	24.82	20.16
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय		
	(1) जल प्रभार	26.71	24.18
	(2) रॉयल्टी	127.70	108.53
	(3) जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	40.88	34.73
	(4) सतत तकनीकी सहयोग व्यय	8.76	8.52
	(5) अन्य	72.35	54.47
(घ)	माल भाड़ा एवं संचालन खर्च		
	(1) आवक सामग्री (एल्यूमिना)	113.45	102.16
	(2) जावक सामग्री	152.97	163.97
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय		
	(i) लेखापरीक्षक के रूप में	0.26	0.26
	(ii) कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.08	0.05
	(iii) अन्य सेवाओं के लिए	0.22	0.21
	(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.12	0.02
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.03	0.03
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय	117.77	104.57
(ज)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 32.1 का संदर्भ लें]	29.01	29.69
(झ)	प्रशासिनक एवं सामान्य व्यय	109.90	97.94
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व	120.37	63.02
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान	7.06	178.12
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय	28.16	27.83
(ड)	मालसूची, दावे आदि का बट्टे खाते में डालना	15.98	27.96
(ढ)	खराब एवं संदिग्ध प्रावधान	13.43	56.93
(ण)	अन्य	40.90	37.10
कुल अन्य व्यय		**1,590.14**	**1,628.22**

टिप्पणी :

32.1 निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय :

क) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि ₹ 27.88 करोड़ है (31 मार्च, 2017 ₹ 27.56 करोड़)

ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i)	परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण	₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.32 करोड़)
ii)	उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	₹ 29.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 29.69 करोड़)
	कुल	₹ 29.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.01 करोड़)

33. अपवादिक मदें

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
अपवादिक मदें			
क.	जल प्रभार पर विवादित ब्याज के विरुद्ध प्रावधान का पुनरांकन [टिप्पणी : 33.1 का संदर्भ लें]	(785.71)	
ख.	बॉक्साइट निष्कर्षण पर डीएमएफ के अंशदान बाबत देयता का व्युत्क्रमण	(18.32)	—
ग.	कोयला के क्रय पर डीएमएफ अंशदान की वापसी का दावा	(22.37)	—
घ.	ब्याज सब्सिडी के रूप में रोजगार लाभ [टिप्पणी: 33.2 का संदर्भ लें]	46.44	—
ङ.	उपर्युक्त (घ) के बाबत कर्मचारियों के अग्रिम पर संदिग्ध प्रावधान का पुनरांकन [टिप्पणी: 33.2 का संदर्भ लें]	(44.12)	—
च.	अन्य (आय)/व्यय	—	40.15
	कुल अपवादिक मदें	**(824.08)**	**40.15**

टिप्पणी:

33.1 जल प्रभार बकाये के ब्याज दावे पर जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार के साथ विवाद वर्ष के दौरान निपटा दिया गया है। निपटारा की शर्तों के अनुसार कंपनी ने 31.10.2017 तक प्रोद्भूत देयता के निपटान स्वरूप में एकबार में ₹ 58.18 करोड़ का भुगतान किया। निपटान के फलस्वरूप 31.03.2017 तक बहियों में प्रदान की गई ₹ 785.71 करोड़ की अतिरिक्त देयता पुनरांकित की गई है एवं अपवादिक मद के रूप में विवेचित हुई है।

33.2 डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल ने 5 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में, परिलब्धियों की सूची से "ब्याज सब्सिडी" मद को हटाते हुए 2007 के पुराने वेतन संशोधन परिपत्र के सुधार को अनुमोदित किया। इसी अनुसार, कर्मचारियों को दिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी के मूल्य, जो अनुरूपी राशि द्वारा कर्मचारी लाभ व्यय को कम करते हुए उनसे अब तक वसूली योग्य अग्रिम के रूप में रखा गया था, उगाही योग्य नहीं रहा है। चूँकि कर्मचारियों द्वारा अदालत में इस मुद्दे को चुनौती दी गई थी, इसे वसूली के लिए संदिग्ध के रूप में विवेचित करते हुए ऐसे अग्रिम के लिए समुचित प्रावधान किए गए थे। तदुपरांत तुलन पत्र की तिथि को समायोजित गतिविधि के रूप में विवेचित हुआ और इसी अनुसार पूर्व में अग्रिम के रूप में परिवर्तित ब्याज सब्सिडी की राशि को वर्तमान वर्ष में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप रखा गया अनुरूप प्रावधान वर्तमान में पुनरांकित हुआ है एवं आय के रूप में लिया गया है। व्यय एवं प्रावधान के पुनरांकन, दोनों अपवादिक मद के रूप में लिए गए हैं।

33.3 केन्द्र सरकार ने खान एवं खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान में अंशदान) नियम पेश किया जिससे कंपनी जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) को अंशदान के रूप में खनिज एवं कोयले पर रॉयल्टी के लिए 30% अंशदान देने हेतु देय है। नियमों के अनुसार, किए जाने वाले अंशदान को 12.01.2015 से प्रभावी किया गया था। प्रयोज्यता की तिथि को भारतीय खनिज उद्योग संघ द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसकी कि कंपनी एक सदस्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.10.2017 के निर्णय के अनुसार, खनिज एवं कोयले के लिए डीएमएफ में अंशदान क्रमशः 17.09.2015 एवं 20.10.2015 से प्रभावी होगा। ये वो तिथियाँ हैं जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा दरें निर्धारित की गई थी या राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्थापित डीएमएफ जिस तिथि से प्रभावित हुई थी, जो भी बाद में हो। इसी अनुसार, कंपनी ने खनिज के लिए 12.01.2015 से 16.09.2015 तक की अवधि के लिए प्रदत्त देयता को उत्क्रमित किया एवं 12.01.2015 से 19.10.2015 तक की अवधि के दौरान कोयले के क्रय पर भुगतान किए गए डीएमएफ अंशदान की वापसी का दावा किया। देयता के उत्क्रमण एवं वापसी के दावे को वर्तमान वर्ष की आय में अपवादिक मद के रूप में लिया गया है।

34. आय कर

राशि करोड़ ₹ में

34.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	521.99	219.57
पूर्व वर्षों के संबंध में	271.19	(0.05)
	793.18	**219.52**
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(101.71)	97.81
पूर्व वर्षों के संबंध में	—	(3.68)
अन्य (एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र)	4.95	(17.46)
	(96.76)	**76.67**
चालू वर्ष में स्वीकृत आय कर व्यय का योग	**696.42**	**296.19**

वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है :

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**2,038.83**	**964.72**
उस पर आय कर व्यय @ 34.608% :	**705.60**	**333.87**
कर का प्रभाव -		
i) कराधान से मुक्त आय	(23.71)	(12.39)
ii) अस्वीकार योग्य व्यय (स्थायी अंतर)	9.89	10.24
iii) व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकार योग्य व्यय	(12.53)	(0.97)
iv) रियायत का प्रभाव (अनुसंधान एवं विकास और अन्य भत्ते)	(12.95)	(21.94)
v) दीर्घकालीन पूंजी लाभ के लिए अंतर	8.54	—
vi) पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	29.16	—
vii) अन्य	(7.58)	(12.62)
लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय	**696.42**	**296.19**

34.2 इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
शेयरों की पुनर्खरीद लागत	—	(3.06)
इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर	**—**	**(3.06)**

34.3 अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर		
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय और व्यय के फलस्वरूप उत्पन्न		
- परिभाषित लाभ दायित्व का पुनःमापन	2.63	4.80
अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आय कर	**2.63**	**4.80**
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर का विभाजन जिनमें है :		
मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएंगी	—	—
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	**2.63**	**4.80**

35. खंड की सूचना

35.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आबंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द कंपनी का व्यवस्थापन किया है। कंपनी में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत कंपनी का रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार है :

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

35.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से कंपनी के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत है:

राशि करोड़ ₹ में

	खंड राजस्व	
प्रचालन खंड	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	**5162.02**	**4046.21**
एल्यूमिनियम खंड	**6408.81**	**5537.42**
अनाबंटित	126.75	108.64
प्रचालनों का योग	11,697.58	9,692.27
घटाएँ : अंतरखंड राजस्व	2,079.27	1,642.25
प्रचालनों से राजस्व	**9,618.31**	**8,050.02**

	खंड परिणाम	
प्रचालन खंड	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	1,520.83	976.92
एल्यूमिनियम खंड	(367.07)	(224.78)
अपवादिक मदें, ब्याज और कर से पूर्व खंड परिणाम	**1,153.76**	**752.14**
अपवादिक आय (व्यय)	824.08	(40.15)
ब्याज और वित्त प्रभार	1.95	2.69
ब्याज और लाभांश आय	240.37	383.03
अनाबंटित आय को छोड़कर अन्य अनाबंटित आय	(177.43)	(127.61)
कर-पूर्व लाभ	**2,038.83**	**964.72**

35.3 खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2018 को यथा	**31.03.2017 को यथा**	**31.03.2018 को यथा**	**31.03.2017 को यथा**
रसायन खंड	4,041.84	3,643.06	1041.48	780.06
एल्यूमिनियम खंड	5,117.43	5,165.16	1606.60	1902.94
खंड परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	**9,159.27**	**8,808.22**	**2,648.08**	**2,683.00**
अनाबंटित	5,454.53	5,693.44	309.46	367.28
परिसंपत्तयों और देयताओं का योग	**14,613.80**	**14,501.65**	**2,957.54**	**3,050.28**

35.4 अन्य खंड की सूचना

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	174.36	173.01	256.64	(3.10)
एल्यूमिनियम खंड	248.31	270.62	(119.74)	(67.90)
अनाबंटित	57.74	36.72	17.14	(449.68)
प्रचालनों का योग	**480.40**	**480.36**	**154.04**	**(520.68)**

	गैर-नकद व्यय वाली सामग्री	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	45.70	6.24
एल्यूमिनियम खंड	85.53	64.37
अनाबंटित	7.56	(0.21)
	138.79	**70.39**

राशि करोड़ ₹ में

35.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से कंपनी के राजस्व का विवरण निम्नवत् है :

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	3,199.37	2,584.25
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	6,216.38	5,272.19
	9,415.75	**7,856.44**

35.6 भौगलिक सूचना

कंपनी का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है।

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
भारत	5,340.29	4,231.45	8,999.90	8,845.86
भारत के बाहर	4,075.46	3,624.99	—	—
योग	**9,415.75**	**7,856.44**	**8,999.90**	**8,845.86**

टिप्पणी:

i) निस्तप्त एल्यूमिना के अंतर-खंड अंतरण को अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों से औसत बिक्री वसूली पर परिशोधन से विशाखापत्तनम स्थित पत्तन तक किराए (फ्रेट) और निर्यात प्रोत्साहन के योग को घटाते हुए विचार किया गया है। एल्यूमिनियम खंड से रसायन खंड में विद्युत के अंतरण को एल्यूमिना परिशोधन स्थित राज्य ग्रिड से विद्युत के वार्षिक/आवधिक औसत क्रय मूल्य पर विचार किया गया है।

ii) राजस्व एवं व्यय को प्रचालन गतिविधियों में उनके संबंध के आधार पर खंडों के लिए चिह्नित किया गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं जो समग्र रूप में उद्यम से सम्बंधित हैं और तर्कसंगत के आधार पर आबंटन-योग्य नहीं हैं, को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

36. प्रति शेयर आय

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
		₹ प्रति शेयर	₹ प्रति शेयर
36.1	**मूल आय प्रति शेयर (₹)**		
	कुल प्रचालनों से	6.94	2.98
	कुल मूल आय प्रति शेयर	**6.94**	**2.98**

36.2 मूल आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है :

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोप्य वर्ष के लाभ	1,342.41	668.53
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय	**1,342.41**	**668.53**

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	**193.29**	**224.71**

37. वित्तीय प्रपत्र

राशि करोड़ ₹ में

37.1 वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ

	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर आकलित (एफवीटीपीएल)		
(क) अनिवार्य रूप से आकलित :		
(i) म्यूच्युअल फंड में निवेश	592.96	1221.13
(ii) विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण संविदा	शून्य	शून्य
परिशोधित मूल्य पर आकलित		
(क) नकद एवं बैंक शेष	25.35	24.83
(ख) परिशोधित मूल्य पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,389.28	2,770.76
	4,007.59	**4,016.72**
वित्तीय देयताएँ		
परिशोधित मूल्य पर आकलित	**1,538.08**	**1,386.62**

37.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ा है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से सम्बंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ धारणीय व्यवसाय वृद्धि ;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता के तहत सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा कंपनी की ओर से उपयुक्त विनियमनों, जहाँ भी प्रयोज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अतएव, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

37.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौती/पूर्वचुकौती के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रहती है। बाजार के भावी विशिष्ट संचलनों का साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

37.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधित मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्य अंकित हुई हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा के मूल्य में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित एवं मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:-

	देयताएँ		परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2018 को	31.03.2017 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
यूएसडी	33.96	1.96	173.98	98.57
यूरो	15.13	2.57	—	—

37.4.1 विदेशी मुद्रा का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीकरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों को सकल विद्यामानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रूपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2018 एवं 31 मार्च, 2017 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है:

	यूएसडी का प्रभाव		यूरो का प्रभाव	
	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	14.0	9.7	1.51	0.26

37.5 अन्य मूल्य जोखिम

37.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नहीं है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

37.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह वित्तीय हानि जोखिम है जो अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है।

वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।

37.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध हैं।

कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाते कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

38. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

38.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

I) पूर्णकालिक निदेशक

(क)	डॉ. टी.के. चान्द	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री के सी सामल	निदेशक (वित्त)
(ग)	श्री व्ही बालसुब्रमण्यम	निदेशक (उत्पादन)
(घ)	श्री बी के ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)
(ङ)	श्री एस के रॉय	निदेशक (परि. एवं तक.)
	अन्य	
	श्री के एन रवीन्द्र	कार्यपालक निदेशक - कंपनी सचिव (31.05.2017 तक)
	श्री एन के महान्ति	कंपनी सचिव (01.06.2017 से प्रभावी)

II) अंशकालिक सरकारी निदेशक : (भारत सरकार के मनोनीत):

(क) श्री सुभाष चन्द्र, आईएफएस (16.02.2018 तक)
(ख) डॉ. एन के सिंह, आईएफएस (27.03.2018 तक)
(ग) डॉ. के राजेश्वर राव, आईएएस (19.02.2018 से प्रभावी)
(घ) श्री अनिल कुमार नायक, आईओएफएस (27.03.2018 से प्रभावी)

III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक:

(क) श्री दीपंकर महन्त
(ख) श्री एस. शंकररमण
(ग) श्री प्रभात केशरी नायक
(घ) प्रो. दामोदर आचार्य
(ङ) श्री महेश्वर साहु
(च) श्रीमती किरण घई सिन्हा
(छ) श्री एन एन शर्मा (06.09.2017 से प्रभावी)
(ज) श्रीमती अचला सिन्हा (08.09.2017 से प्रभावी)

ख. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में (क) में चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

घ. सरकार जिनके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है :

(क) भारत सरकार

ङ. संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई के साथ कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

क) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
ख) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
घ) महानदी कोलफील्ड्स लि.
ङ) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
च) सिंगरेनी कोलियरीज़ लि.
छ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
ज) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
झ) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.
ञ) भारत अर्थमूवर्स लि.
ट) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि.
ठ) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.
ड) बामर लॉरी एण्ड कं.
ढ) पूर्व तट रेलवे
ण) विशाखापत्तनम् पोर्ट ट्रस्ट
त) मेकॉन लिमिटेड
थ) इंजिनियर्स इंडिया लि.

ii) वस्तुओं का विक्रय

क) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन (एनएसआईसी)
ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
घ) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि.

38.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

राशि करोड़ ₹ में

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
— वेतन	3.22	3.04
— भविष्य निधि में अंशदान	0.21	0.20
— चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
— अन्य लाभ	0.03	0.03
रोजगार उपरांत लाभ #	(0.01)	
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.03	
कुल	**3.49**	**3.28**

चूँकि रोजगार-उपरांत लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया गया है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ये व्यय समानुपातिक आधार पर विवेचित हैं।

प्रमुख प्रबंथकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम

विवरण	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
वर्ष के अंत में बकाया	0.01	0.04
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.07	0.09

II. रोजगार उपरांत लाभ योजना

वर्ष के दौरान लेनदेन

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान	332.99	95.79
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी	12.6	8.46

वर्ष के अंत में बकाया शेष

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान देय	38.45	21.2
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी के लिए देय	271.05	12.08

III. नालको फाउंडेशन

विवरण	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
नि.सा.उ. ट्रस्ट में अंशदान	21.50	7.00

IV. भारत सरकार : वर्ष के दौरान लेनदेन

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
शेयरों की पुनर्खरीद	—	2835.00
अंतरिम लाभांश-2017-18	546.947	—
अंतिम लाभांश-2015-16	—	108.11
अंतरिम लाभांश-2016-17	—	403.62

V. सीपीएसई/सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	2747.9	1392.11
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री	1147.49	1016.21

वर्ष के अंत में बकाया शेष

विवरण	31.03.2018 को यथा	31.03.2017 को यथा
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए देय	195.03	92.3
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य	—	0.41

39. पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

40. अतिरिक्त सूचना का प्रकटन :

राशि ₹ करोड़ में

(क) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

समूह में संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएँ निकाल कर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
सहयोगियों (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
एनपीसीआईएल नालको पावर कंपनी लिमिटेड	0.00%	0.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.33%	34.52	0.02%	0.32	0.00%	0.00	0.02%	0.32
जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	2.38%	249.48	(0.04%)	(0.54)	0.00%	0.00	(0.04%)	(0.54)
योग	**2.89%**	**284.06**	**(0.00)**	**(0.21)**	—	—	**(0.00)**	**(0.21)**

(ख) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एवं को

समूह में संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएँ निकाल कर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
सहयोगियों (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
एनपीसीआईएल नालको पावर कंपनी लिमिटेड	0.0%	0.06	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.27%	27.19	0.02%	0.15	0.00%	0.00	0.05%	0.31
जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	0.25%	25.30	-0.12%	(0.81)	0.00%	-	-0.30%	(2.02)
योग	**0.40%**	**52.54**	**(0.00)**	**(0.66)**	-	-	**(0.00)**	**(1.71)**

41 सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों की प्रमुख विशेषताएँ

सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं से संलग्न विवरण (फॉर्म एओसी-1)

भाग "ख": सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

	सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों के नाम	सहयोगी	संयुक्त उद्यम	
		एनपीसीआइएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
1.	**अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि**	**31.03.2018**	**31.03.2018**	**31.03.2018**
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर**			
	सं.	26,000	16,223,900	101,330,934
	सहयोगियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹)	260,000	162,239,000	1,013,309,340
	धारिता का %	26.00%	49.00%	40.00%
3.	**विवरण कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव है**	[टिप्पणी 41.2 देखें]	[टिप्पणी 41.2 देखें]	[टिप्पणी 41.2 देखें]
4.	**कारण कि क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किया गया है**	—	—	—
5.	**अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता में आरोप्य निवल संपत्ति (₹)**	144,880	224,558,180	997,932,400
6.	**वर्ष के लिए लाभ /(हानि) (₹)**			
	i. समेकन में विवेचित	(181)	3,244,290	(5,368,000)
	ii. समेकन में अविवेचित	—	—	—

टिप्पणी :

41.1 किसी भी सहयोगी या संयुक्त उद्यम ने प्रचालन शुरू नहीं किया है।

41.2 धारित इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार वोटिंग अधिकार।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए बी. के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए राजेन्द्र पात्र)
साझेदार
सदस्यता सं. 019423

स्थान : भूवनेश्वर
दिनांक : 26 मई, 2018

5 वर्षों का कार्य-निष्पादन एक नजर में

वास्तविक

क्रम स.	विवरण	एकक	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	**उत्पादनः**						
	बॉक्साईट	मे.टन	70,25,109	68,25,000	63,40,142	57,39,120	62,92,677
	एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.टन	21,05,500	21,00,100	19,53,000	18,51,000	19,25,000
	एल्यूमिनियम	मे.टन	4,25,515	3,87,422	3,72,183	3,27,070	3,16,492
	विद्युत (शुद्ध)	मे.यू.	6,547	6,066	5,841	5,131	4,989
	पवन ऊर्जा	मे.यू.	243	198	156	175	144
2	**निर्यात बिक्रीः**						
	एल्यूमिना	मे.टन	12,76,715	12,43,103	11,74,224	11,84,595	13,09,473
	एल्यूमिनियम	मे.टन	75,847	1,00,591	94,671	60,752	1,01,243
3	**देशीय बिक्री:**						
	एल्यूमिना, हाईड्रेट एवं अन्य रसायन	मे.टन	60,641	51,797	45,702	40,048	33,288
	एल्यूमिनियम	मे.टन	3,50,469	2,84,926	2,77,753	2,65,328	2,18,420
	विद्युत (शुद्ध)	मे.यू.	24	30	31	28	27
	पवन ऊर्जा	मे.यू.	243	198	156	175	144

वित्तीय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
क	**आय का विवरण**					
1	निर्यात	4075	3,625	3,247	3,307	3,719
2	देशीय बिक्री	5429.66	4,308	3,910	4,464	3,305
3	सकल बिक्री (1+2)	9,505	7,933	7,157	7,771	7,024
4	घटाएँ: उत्पाद शुल्क	128.96	495	454	509	375
5	निवल बिक्री (3 - 4)	9,376	7,438	6,703	7,262	6,649
6	अन्य आय :					
7	प्रचालनगत	113.19	117	113	121	132
8	गैर-प्रचालनगत	299.65	408	537	673	558
9	प्रचालन व्यय	8,092	6,476	5,879	5,677	5,847
10	प्रचालन लाभ (5+7-9)	1,397	1,080	937	1,706	934
11	अपवादिक मदों	(824)	40	(54)	(148)	49
12	ब्याज, मल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीआईडीटी)(10+8 -11)	2,521	1,447.77	1,528	2,527	1,443
13	ब्याज एवं वित्तपोषण प्रभार	1.95	3	1	—	—
14	मूल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीडीटी) (12- 13)	2,519	1,445	1,527	2,527	1,443
15	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	480	480	424	414	525
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14-15)	2,039	965	1,103	2,113	918
17	कर के लिए प्रावधान	696.42	296	372	791	276
18	शुद्ध लाभ (पीएटी) (16 - 17)	1,342	669	731	1,322	642
ख	**तुलन पत्र:**					
19	इक्विटी पूँजी	966	966	1,289	1,289	1,289
20	आरक्षित एवं अधिशेष	9538	9,239	11,618	11,508	10,834
21	निवल मूल्य (19+20)	10,505	10,206	12,907	12,797	12,122
22	ऋण			—	—	—
23	निवल अचल परिसंपत्तियाँ	7139	7,019	6,468	6,645	6,792
24	कार्यकारी पूँजी	2,737	2,365	5,625	5,501	3,949
25	नियोजित पूँजी (23+24)	9,877	9,384	12,093	12,146	10,741
ग	**अनुपात :**					
26	प्रचालन लाभ अंतर (ओपीएम) (%) (10 / 5*100)	14.90	14.51	13.98	23.50	14.05
27	निवल लाभ अंतर (%) (18 / 5 *100)	14.32	8.99	10.91	18.21	9.65
28	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) (%) (18/25*100)	13.59	7.12	6.04	10.89	5.98
29	निवल मूल्य पर प्रतिफल (आरओएनडब्ल्यू)(%) (18/21*100)	12.78	6.55	5.66	10.33	5.29
घ	**अन्य :**					
30	₹ 5 प्रत्येक का प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	54.35	52.80	50.08	49.65	47.04
31	प्रति शेयर आय (₹ में)	6.94	2.98	2.84	5.13	2.49
32	प्रति शेयर लाभांश (₹ में)	5.7	2.80	2.00	1.75	1.50

वर्ष 2017-18 के लिए प्रकाशित तिमाही (पुनरीक्षित) वित्तीय परिणाम एवं वार्षिक (लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणामों का पुनर्मिलान

(क्रम सं. 11 एवं 12 के अलावा करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	प्रथम तिमाही (पुनरीक्षित)	द्वितीय तिमाही (पुनरीक्षित)	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही (पुनरीक्षित)	चारों तिमाहियों का योग	पूर्ण वर्ष (लेखापरीक्षित)	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रचालनों से राजस्व (सकल)	1911.57	2454.76	2388.82	2863.16	9618.31	9618.31	-
2	अन्य आय	85.86	80.97	75.51	57.31	299.65	299.65	-
3	मूल्यह्रास को छोड़कर कुल व्यय	1684.51	2119.74	2044.51	2374.05	8222.81	8222.81	-
4	मूल्यह्रास एवं प्रावधान	116.97	112.32	124.34	126.77	480.40	480.40	-
5	कर पूर्व लाभ एवं अपवादिक मदें	195.95	303.67	295.48	419.65	1214.75	1214.75	-
6	अपवादिक मदें	-	(16.21)	(801.46)	(6.41)	(824.08)	(824.08)	-
7	कर पूर्व लाभ	195.95	319.88	1096.94	426.06	2038.83	2038.83	-
8	कर के लिए प्रावधान	67.01	85.25	375.16	169.00	696.42	696.42	-
9	शुद्ध लाभ (पीएटी)	128.94	234.63	721.78	257.06	1342.41	1342.41	-
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	966.46	966.46	966.46	966.46	966.46	966.46	-
11	प्रति शेयर आय (₹) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.67	1.21	3.73	1.33	6.94	6.94	-
12	गैर-प्रोमोटर शेयरधारिता का कुल योग							
	शेयरों की संख्या	669516321	669516321	769211777	769211777	769211777		
	शेयरधारण का प्रतिशत	34.64	34.64	39.80	39.80	39.80		

टिप्पणी : वार्षिक प्रति शेयर आय वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरधारण की औसत संख्या के भार पर आधारित है।

नालको के विभिन्न उत्पादन एकक उनकी अवस्थिति और उत्पादन क्षमता

1.	बॉक्साइट खान	पंचपटमाली	68,25,000 टन प्रतिवर्ष
2.	एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोड़ी	22,75,000 टन प्रतिवर्ष*
3.	प्रद्रावक संयंत्र	अनुगुल	4,60,000 टन प्रतिवर्ष
4.	ग्रहीत विद्युत संयंत्र	अनुगुल	1,200 मेगावाट
5.	पत्तन सुविधाएँ	विशाखापटनम्	14,00,000 टन प्रतिवर्ष (एल्यूमिना निर्यात / कास्टिक सोड़ा घोल आयात)
6.	पवन विद्युत	गण्डीकोटा, आन्ध्र प्रदेश	50.4 मेगावाट
		लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट
		देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान	50.0 मेगावाट
		सांगली, महाराष्ट्र	50.4 मेगावाट

*21,00,000 टन प्रतिवर्ष (मानक क्षमता)

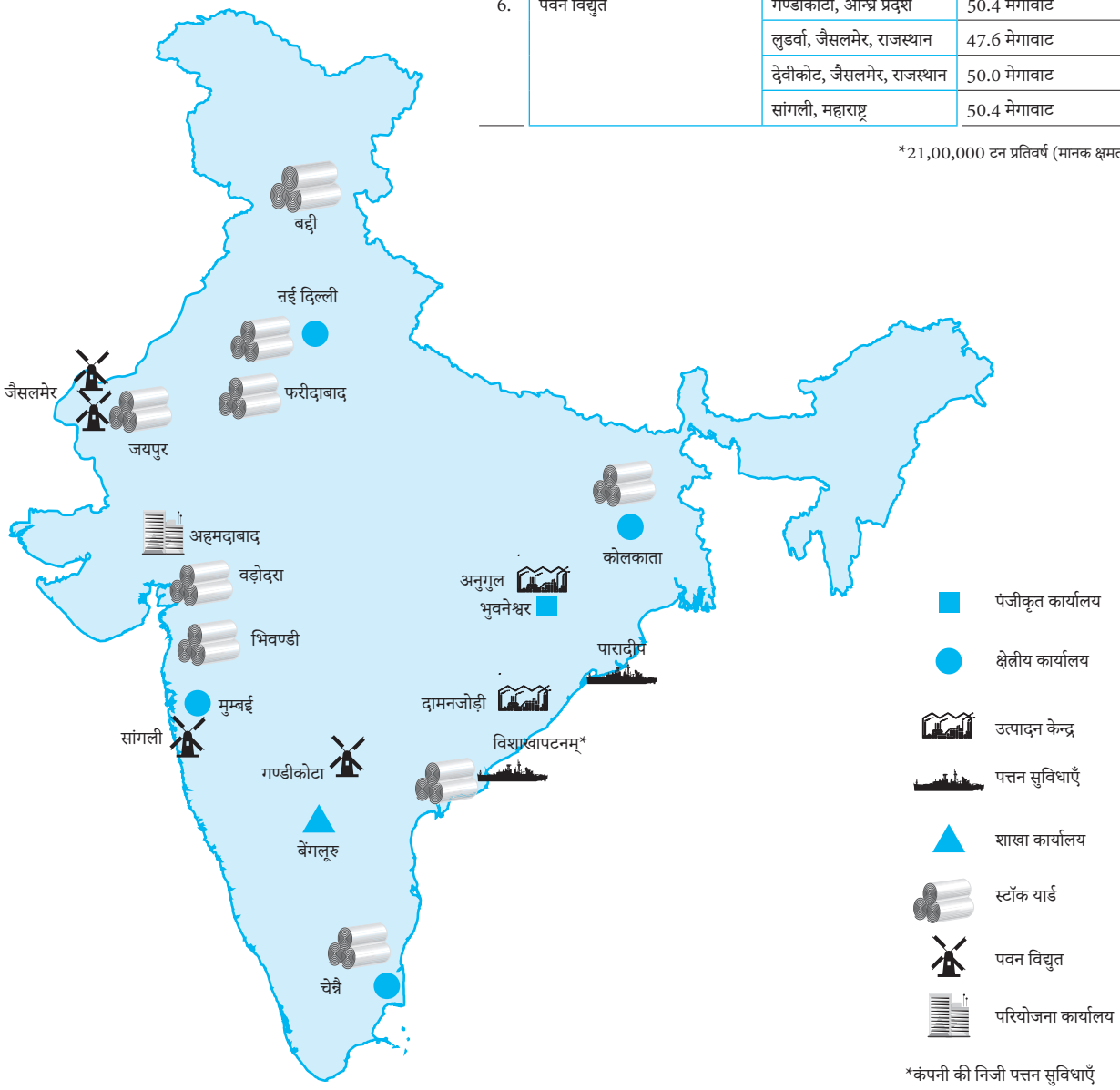

*कंपनी की निजी पत्तन सुविधाएँ

कार्यालय एवं ग्राहक संपर्क केंद्र

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय
नालको भवन
प्लॉट सं.पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर-751 013 (ओड़िशा)
दूरभाष : 0674-2301988 से 2301999
फैक्स : 0674-2300550/2300470/
2300521/2300640

एकक

1. खान एवं परिशोधक
खान एवं परिशोधन संकुल
दामनजोड़ी - 763 008
जिला. : कोरापुट (ओड़िशा)
दूरभाष : 06853-254515/254550/254251
फैक्स : 06853-254361/254214

2. ग्रहीत विद्युत संयंत्र
जिला. : अनुगुल (ओड़िशा)
पिन : 759 122
दूरभाष : 06764-220158
फैक्स : 06764-220646

3. प्रद्रावक संयंत्र
नालको नगर - 759 145
जिला. : अनुगुल (ओड़िशा)
दूरभाष : 06764-220110
फैक्स : 06764-220738/220206

पत्तन सुविधाएँ

विशाखापत्तनम
अपस्क संवाहन संकुल के सामने
पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम् - 530 035
आन्ध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891-2561433/2561435
फैक्स : 0891-2561598
ई-मेल : gmport@nalcoindia.co.in

पारादीप (बन्दरगाह कार्यालय)
'व्ही' प्वाईंट
बड़पड़िआ
पारादीप - 751 142
दूरभाष : 06722-221286
फैक्स : 06722-221286
ई-मेल : nalco_paradeep@nalcoindia.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय

1. पूर्वी क्षेत्र
प्रथम तल, जे के मिलेनियम केन्द्र
46-डी, चौरंगी सड़क,
कोलकाता - 700 071
दूरभाष : 033-662244510-34
फैक्स : 033-22810393/22878936
ई-मेल : rmeast@nalcoindia.co.in

2. पश्चिमी क्षेत्र
215, टी.व्ही॰ इण्डस्ट्रियल एस्टेट
एस.के॰ अहीरे मार्ग, वर्ली, मुम्बई - 400 030
दूरभाष : 022-24939288/89
फैक्स : 022-24950500
ई-मेल : bbsinghbabu@nalcoindia.co.in

3. उत्तरी क्षेत्र
कोर - 4, 5वाँ तल, दक्षिणी टॉवर,
जिला केन्द्र, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092
दूरभाष : 011-22010793-94, 22010801
फैक्स : 011-22010800/22010790/792
ई-मेल : pradyumna.pradhan@nalcoindia.co.in

4. दक्षिणी क्षेत्र
3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना सालई,
तेयनामपेट, चेन्नै-600 018
दूरभाष : 044-24344162/24349157
फैक्स : 044-24343495
ई-मेल : rmsouth@nalcoindia.co.in

शाखा कार्यालय

बेंगलूरु
भूतल, जल भवन, सं. 5 एवं 6,
फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट फेज, बीटीएम लेआऊट,
बानरघट्टा मेन रोड़, बेंगलूरु - 560 029
दूरभाष : 080-26637297/26637083/
26637084
फैक्स : 080-26530148
ई-मेल : nalbir@nalcoindia.co.in

भण्डार परिसर

1. भिवण्डि
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड, गोदाम नम्बर 42/57,
इण्डियन कोर्पोरेशन कंपाउण्ड, मनकोली नाका,
मुम्बई नासिक रोड़, ठाणे, महाराष्ट्र,
भिवण्डि - 421 302
दूरभाष : 02522-320047

2. कोलकाता
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
डब्ल्यू.एच.1-सोनापुर रोड़,
कोलकाता - 700 088, पश्चिम बंगाल
दूरभाष : 033-24506840

3. जयपुर
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- सेंट्रल वेयरहाउसिंग कोर्पोरेशन
सेंट्रल वेयरहाउस,
एस.पी.-1296, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया
टोंक रोड़, जयपुर - 302 022, राजस्थान
दूरभाष : 0141-2770226
फैक्स : 0141-2770817

4. फरीदाबाद
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड
इंडिया गैरेज इक्विपमेंट,
प्लॉट नं. 51, सेक्टर-6
फरीदाबाद, हरियाणा - 121 003
दूरभाष : 0129-4102430

5. विशाखापत्तनम
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
नालको पत्तन सुविधाएँ
पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम - 530 035
आन्ध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891-2721032

6. बद्दी
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड
गाँव : धरमपुर
पी.ओ. : बद्दी, तहसील : नालागढ़,
जिला. : सोलन - 173205, हिमाचल प्रदेश
दूरभाष : 0179-5657895

7. चेन्नै
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा - मेसर्स कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. आईसीडी,
साथानकाड़ु गाँव
तिरूवोत्तियूर
चेन्नै - 600 019, तमिलनाड़ु

8. बड़ोदरा
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड
गोदाम नम्बर. 1सी/2, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कोर्पोरेशन,
रानोली फ्लाईओवर के निकट, कराचिया,
वड़ोदरा, गुजरात - 391350
दूरभाष : 0265-2240101

9. नई दिल्ली
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड
अपोलो फ्लेज इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्रा. लि॰
खसरा नम्बर 93, गाँव: बमनोली,
पी.ओ.: धुलसिरस, नई दिल्ली-110077
दूरभाष : 011-65356735

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस मैंडेट फॉर्म

(कृपया सूचना को बड़े अक्षरों में भरें। जहाँ कहीं भी यह लागू हो, कृपया सही का निशान लगाएँ)

1. पंजीकृत फोलियो सं. :

2. प्रथम शेयरधारक का नाम: श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री_____

_____

3. प्रथम शेयरधारक का पता_____

_____

_____

_____ पिन कोड

4. **बैंक का विवरण**

बैंक का नाम

शाखा

पता

शाखा कोड (चेक की एमआईसीआर पट्टी पर दर्शाया गया 9 अंकों का एमआईसीआर कोड.

बैंक आईएफएस कोड

कृपया विधिवत रद्द किया हुआ आपके बैंक का खाली चेक या चेक की प्रतिलिपि संलग्न करें

खाते का प्रकार

SB CA CC

खाता संख्या

5. जिस तारीख से मैंडेट लागू होना चाहिए :

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण पूरी तरह से सही एवं पूर्ण हैं। सूचनाओं के अपूर्ण या असत्य होने की वजह से अगर लेनदेन में विलंब हो जाता है या प्रभावी नहीं होता है तो मैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा। अगर मेरे खाते के विवरणों में कोई भी परिवर्तन होता है तो मैं एनईसीएस (क्रेडिट क्लीयरिंग) के जरिए राशि के जमा होने के उद्देश्य के लिए रिकार्ड को अद्यतन करने हेतु उसकी जानकारी भी दूँगा।

स्थान :

दिनांक :

_____

शेयरधारक(कों) के हस्ताक्षर

टिप्पणी : अगर शेयरधारक खाली चेक की स्व-सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करने की स्थिति में नहीं हैं, तो इस मामले में नीचे उल्लिखित अनुसार एक प्रमाणपत्र बैंक से लाकर जमा करना होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही हैं।

बैंक की मुहर :

दिनांक :

बैंक से प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, भारत
दूरभाष. 0674-2300677 / 2301988-99, www.nalcoindia.com

इस पृष्ठ को साभिप्राय रिक्त रखा गया है।

बैश्विक विस्तार

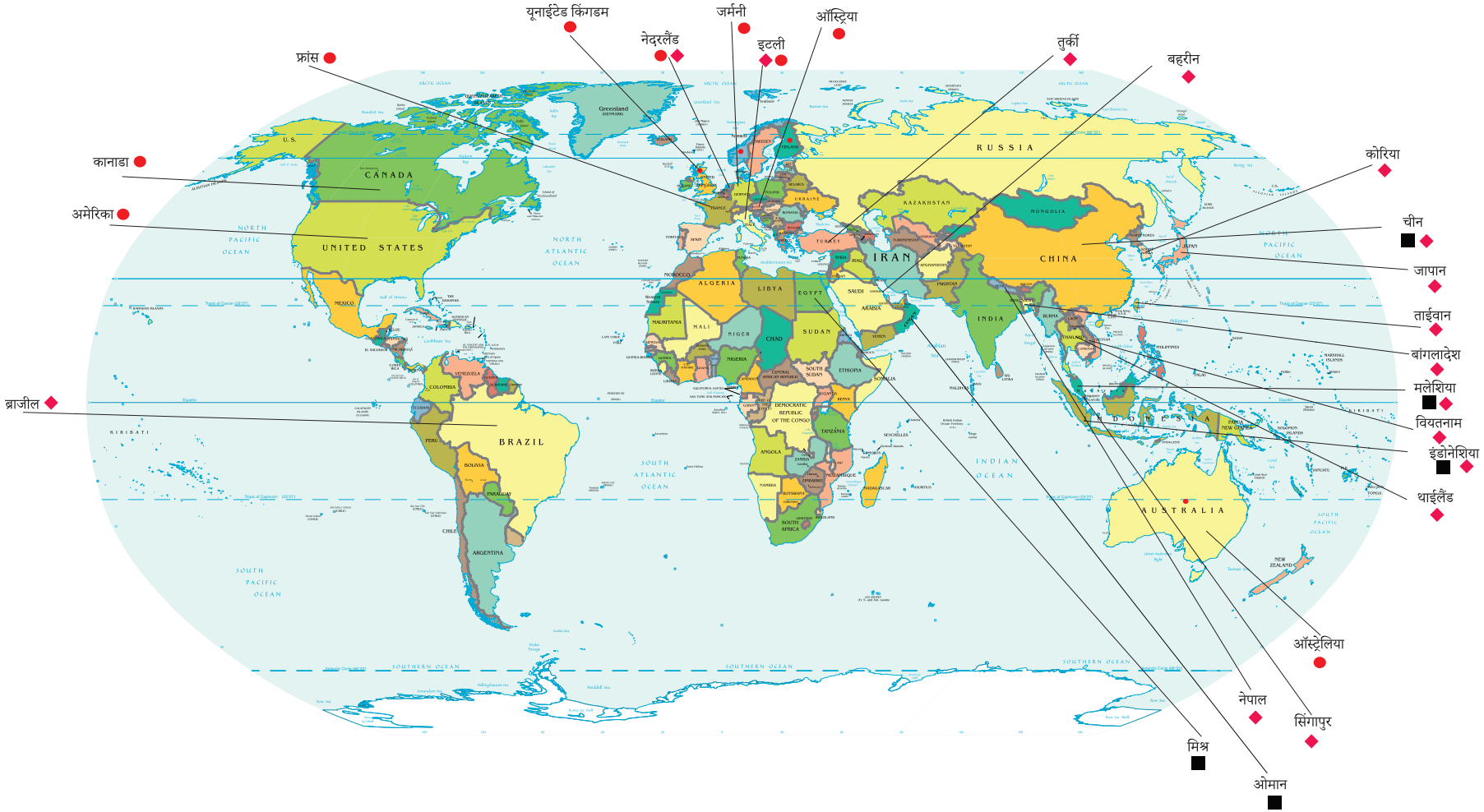

● प्रौद्योगिकी सहयोगी ■ एल्यूमिना निर्यात ◆ एल्यूमिनियम निर्यात

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

सीआईएन - L27203OR1981GOI000920

'**सौभाग्य**' द्वारा डिजाइन एवं प्रस्तुति
थोमसन प्रेस में मुद्रित